खण्ड-358, अंक-6
गुरूवार, 4 भाद्रपद, शक संवत् 1904
(26 अगस्त, 1982 ई0)

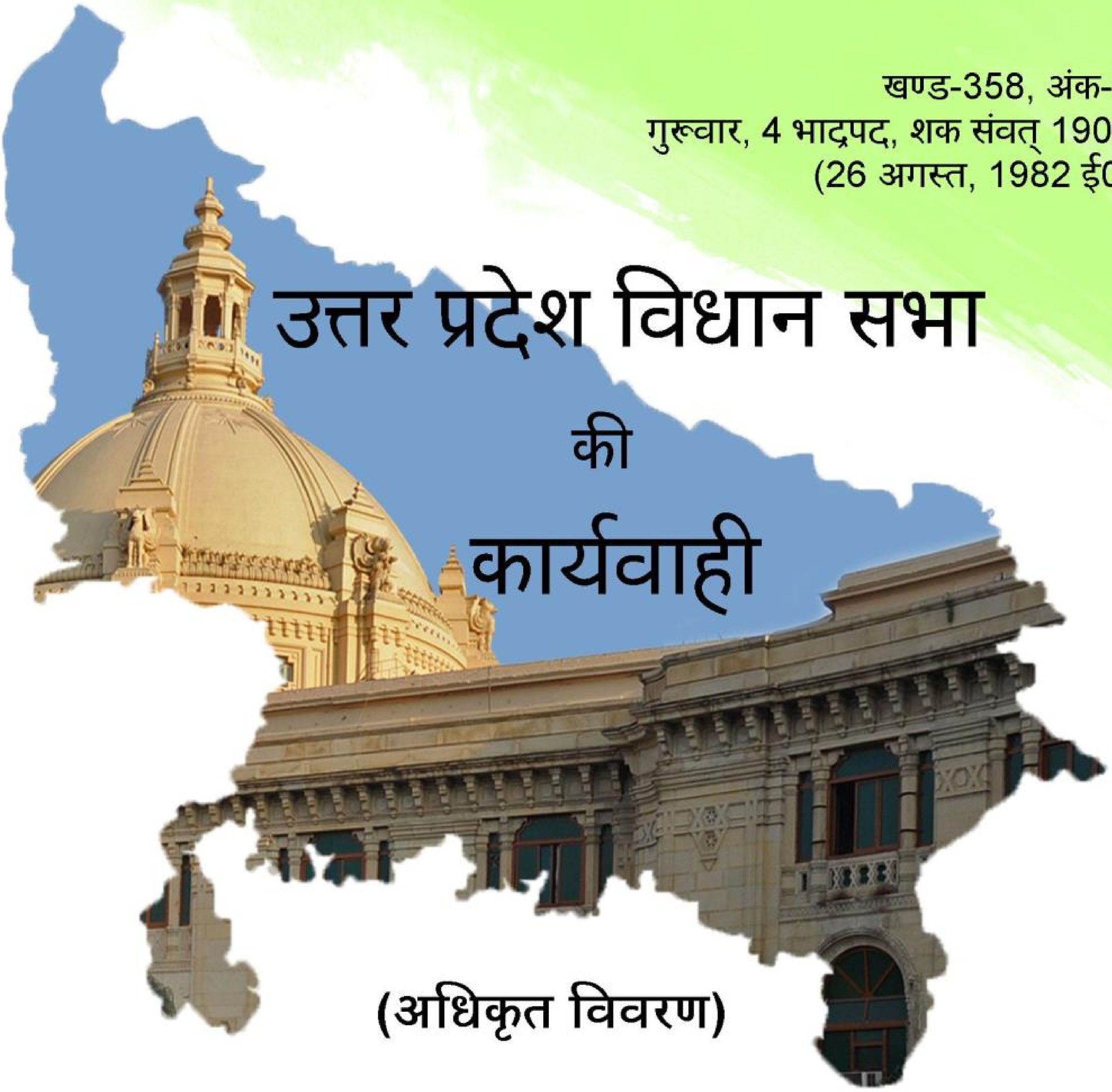

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 358 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	927–931
प्रश्नोत्तर (जारी)	933–944
श्री जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टोबाबा को खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम का अध्यक्ष मनोनीत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की मांग	944–945
प्रश्नोत्तर	945–1014
इलाहाबाद जनपद में विद्युत् विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों के बिलों की अदायगी में किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1014–
तमकुही, जिला देवरिया के खंड विकास अधिकारी श्री एल0 एन0 चौधरी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1014–1015
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बरसठी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1015
थाना सासनी जिला अलीगढ़ के थाना इंचार्ज श्री जी0 एन0 सिंह की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1015–1016
अवध विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के समय छात्रों को पुलिस अधीक्षक का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1016–1017
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	1017
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	1018
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	1018
मंत्रिमन्डल के दायित्व के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	1018–1020
राजस्व मंत्री श्री बैजनाथ कुरील के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	1020–1021

विषय	पृष्ठ संख्या
तत्कालीन गृह मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	1021–1022
सिंचाई मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	1022–1023
गढ़वाल विश्वविद्यालय, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश महिला तथा बाल संस्था में सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की तिथि की सूचना ..	1023
ग्राम महसी, थाना हर्दी, जिला बहराइच में पुलिस द्वारा नवनिर्वाचित प्रधान की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	1023–1029
सीतापुर जनपद में शारदा नहर के सीपेज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना तथा कार्य–स्थगम प्रस्तावों की अन्य सूचनाएं ..	1029–1035
प्रदेश के गन्ना काश्तकारों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में चर्चा ..	1035–1056
प्रदेश में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा ..	1056–1077
राष्ट्रीयकृत पाठ्य–पुस्तकों तथा अभ्यास–पुस्तिकाओं के बाजार में उपलब्ध न होने से उत्पन्न विषम स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा	1077–1089
आवश्यक वस्तु निगम के चेयरमैन श्री जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा की तिथि में परिवर्तन ..	1089–1090
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	1090
देवरिया के पत्रकार श्री ईश्वर चन्द्र मद्धेशिया की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1090–1096
जनपद मेरठ के पी0 सी0 एफ0 में 20 लाख रुपये के गबन के सम्बन्ध में दिनांक 19 अगस्त, 1982 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 (नत्थी ख) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	1096–1100
नत्थी ..	1101–1104

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनाँक 26-8-1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 376

अकबर हुसैन, श्री (मुरादबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रूखाबाद)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी, (बस्ती)
अशफाक अहमद अंसारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी, (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया. श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल, महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)

गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शकर भैया, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जाफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेस्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलोत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नरायन सिंह, श्री (बलिया)
(उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परसाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)

बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बुद्धपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगल देव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्र सेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फर नगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर, (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)

राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, (उर्फ मणि जी) (इलाहाबाद)
लट्टी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यासागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नारायण तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोपाल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)

सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलोत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री .उर्फ मुन्नी (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी मेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

गुरुवार, 26 अगस्त, 1982 ई0

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त प्रश्न]

यू0 पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन जांच एवं वर्किंग कमेटी द्वारा प्रबन्ध निदेशक के कार्य एवं व्यवहार में पायी गयी कमियों के विषय में संस्तुति

*1--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट वेयर-हाउसिंग कारपोरेशन जांच एवं वर्किंग कमेटी ने निगम के प्रबन्ध निदेशक का 20 करोड़ रुपये के गबन का दोषी पाया है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)—

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की वेयरहाउसिंग के संचालन एवं वर्किंग की समिति ने उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के प्रबन्ध निदेशक के कार्य एवं व्यवहार में पाई गयी कमियों के विषय में यह संस्तुति की है कि इन्हें प्रबन्ध निदेशक के पद से हटा दिया जाय। समिति ने उक्त रिपोर्ट में 32 आरोप लगाये हैं। इन आरोपों के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा गया। प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अध्ययन से यह विदित होता है कि आरोप संख्या 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 27 तथा 32 प्रबन्धक निदेशक के विरुद्ध सिद्ध नहीं होते हैं।

अन्य आरोपों के सम्बन्ध में अभी यह बात सिद्ध नहीं हो पाई है कि प्रबन्ध निदेशक का कदाशय था या नहीं। यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उनका उत्तरदायित्व ठहराने के लिये सतर्कता विभाग द्वारा जांच करा ली जाय या उन आदेशों अथवा निर्णयों की प्रतीक्षा की जाय जो महालेखाकार, सतर्कता अधिष्ठान तथा अन्य सक्षम अधिकारी के समक्ष लम्बित हैं। फिर भी यह देखते हुये कि समिति द्वारा प्रबन्ध निदेशक का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया गया है, जिसके कारण इतनी शिकायतों का अवसर मिला और कुछ ऐसी अनियमितायें हुईं जिन पर आपत्ति की जा सकती है, प्रबन्ध निदेशक को 3 माह का कारण बताओ नोटिस देना प्रस्तावित है और इस नोटिस का उत्तर आने के पश्चात् प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मंत्री जी, यह जो उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग कारपोरेशन जांच एवं वर्किंग कमेटी बनी है इससे मेरा तात्पर्य था कि इसकी रिपोर्ट कब आयी और उस रिपोर्ट पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, तीन प्रतिवेदन आये हैं। पहिला फरवरी, 1980 में, दूसरा 1 मार्च, 1981 में और तीसरा 16 फरवरी, 1982 में आया है। इसमें जितनी संस्तुतियां की गयी हैं उसमें निगम से उस विषय में पूछा गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जो उन्होंने बताया कि उ0 प्र0 विधान परिषद् की वेयरहाउसिंग के संचालन एवं वर्किंग की समिति की रिपोर्ट जो है उसमें 32 आरोपों की सिफारिश की गयी है। सिफारिश संख्या 9 जो है उसमें समिति ने महालेखाकार की आडिट रिपोर्ट जो माह जुलाई 1977-78 से सम्बन्धित है, के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराया गया है कि 2 करोड़ रुपया गलत तरीके से व्यय किया गया है और इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक को वे दोषी मानते हैं। यह सब मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपत्तियों पर जब निगम से रिपोर्ट मांगी गयी है तो जो आडिट रिपोर्ट है इसमें शासन से क्या समाधान हुआ है? क्या माननीय मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि विधान परिषद् की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति ने बहुत लम्बी सिफारिश की है और कैसे इसका समाधान हो गया?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, इसमें 2 करोड़ 10 लाख और 6 पैसे का मामला था। यह भन्डार निगम भारत सरकार की संस्था जिसका गोदाम का किराया तथा रेल भाड़ा सम्मिलित है, के सम्बन्ध में विवाद था। इसमें 1 करोड़ 25 लाख और 28 पैसे का विवाद हल हो चुका है। इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है और 90 लाख का विवाद अभी भी चल रहा है और भारत सरकार से अभी भी विवाद जारी है।

श्री स्वामी नेमपाल--

जांच एवं वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह गबन की रिपोर्ट कब प्राप्त हुई? और माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कृपा करेंगे कि उन्होंने उक्त निगम को प्रशस्ति पत्र दिये हैं और अक्सर उसके लिये प्रशंसा भरे बयान भी देते रहे हैं और उक्त निगम को उत्तर प्रदेश के निगमों में सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाला निगम भी बतलाया है?

श्री लोकपति--

सम्पूर्ण भारत में लगभग 18 लाख टन भंडारण की सुविधा उपलब्ध है। उसमें उत्तर प्रदेश भंडारागार निगम की भंडारण क्षमता 8 लाख 88 हजार टन की है। और 5 हजार टन की भंडारण क्षमता देहाती क्षेत्र में है। इस तरह से सारे देश में जितनी उपलब्धि है उसका लगभग आधा उत्तर प्रदेश में है। तो यह प्रशस्ति की बात तो है ही। इसमें लाभ भी हुआ है, यह भी प्रशंसा की बात है।

श्री रियासत हुसैन--

इस बात को देखते हुए कि आडिटर जनरल की रिपोर्ट और अपर हाउस की कमेटी ने भी जो प्रतिवेदन दिया है, उन दोनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन में बहुत बड़ी मात्रा में गबन हुआ है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन सदन को देंगे कि अपर हाउस कमेटी के प्रतिवेदन और आडिटर जनरल के रिकमेंडेशन को सामने रखते हुए कोई टाइम निश्चित कर देंगे कि इतने समय के अन्दर उस मैनेजिंग डाइरेक्टर के विरुद्ध, जिसको गबन का दोषी पाया गया है, निश्चित रूप से कोई कार्यवाही हो जायेगी ?

श्री बच्चा पाठक--

जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उस पर कार्यवाही चल रही है। माननीय सदस्य अगर चाहते हैं कि और भी बातें सामने आ जायं तो बहुत जल्द 4 मास के अन्दर उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री राज कुमार राय--

इतनी बड़ी रकम का मामला है। निगमों में आडिट सेल भी होता है, उसने भी उसकी जांच की होगी, तो उसने वहां क्या किया ? बैंक वालों ने भी उसे देखा होगा। तो उस समय यह मामला क्यों नहीं उजागर हुआ जिसने इसके ऊपर पर्दा डाला उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, मैंने माननीय सदन को पहले ही बतला दिया कि 2 करोड़ 18 लाख रुपये का यह मामला है, कोई गबन का मामला नहीं है, यह एकांउट सेटलमेंट का झगड़ा है जो भारत सरकार से चल रहा है। उसमें से 1 करोड़ 18 लाख का सेटलमेंट हो चुका है, 90 लाख के सम्बन्ध में अभी वार्ता चल रही है, वह भी सेटल हो जायेगा।

श्री ऊदल--

सहकारिता मंत्री जी ने बतलाया कि प्रथम अन्तरिम रिपोर्ट 1980 में आयी, दूसरी फाइनल रिपोर्ट 1981 में आयी और अब 1982 करीब-करीब खतम है, 4 महीने में, तो प्रथम अन्तरिम रिपोर्ट, दूसरी अन्तरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट जब आ गयी थी तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति--

अभी-अभी मैंने अनुरोध किया है कि 4 महीने का समय दिया जाय, इसका निपटारा करा कर सदन को उससे अवगत करा देंगे।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि यह एक महत्वपूर्ण पद है और निगम के प्रबन्धक के खिलाफ आरोप लगाये गये हैं, वह अपने पद पर मौजूद हैं और अपने आरोपों की जांच को प्रभावित कर रहे हैं, तो क्या उनको हटाकर जांच करायेंगे ?

श्री लोकपति—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि आरोपों की जांच करके सही पाया जायेगा तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और इसके लिये सदन 4 महीने का समय दे ।

श्री जगदीश मिश्र उर्फ 'बाल्टी बाबा' के विरुद्ध आरोपों की जांच

*2—श्री मोती लाल देहलवी तथा श्री मोहन सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अप्रैल, 1982 में सरकार द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किये गये "बाल्टी बाबा उर्फ जगदीश मिश्र" जब सन् 1970 में गंडक नहर निर्माण खंड में वर्कचार्ज कर्मचारी थे तो उन्हें 17 अप्रैल, 1980 को विभागीय रिपोर्ट के आधार पर सरकारी धन के गबन के आरोप में जेल भेज कर उनकी सेवायें समाप्त की गई थीं और क्या यह भी सही है कि बाल्टी बाबा के विरुद्ध थाना परहेरवा, जनपद देवरिया में शांति भंग होने के आरोप मार्च, 1981 व मार्च, 1982 में दर्ज हुए हैं तथा देवरिया जनपद की तमकुही राजकीय भूमि हथियाने के आरोप भी उन पर कायम हैं ? यदि हां, तो सरकार ने ऐसे सरकार एवं समाज विरोधी जगदीश मिश्र को किस आधार पर खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम का अध्यक्ष मनोनीत किया ?

(मूल प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने से पहले ।)

श्री वासुदेव सिंह (खाद्य तथा रसद मंत्री)—

मान्यवर, असल में "जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा" है न कि "बाल्टी बाबा उर्फ जगदीश मिश्र" । मालूम पड़ता है कि बाल्टी बाबा ही छाया हुआ है ।

एक सदस्य—

बाल्टी बाबा के ऊपर लोटा बाबा रख दीजिये ।

(इसके पश्चात् मूल प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया ।)

श्री वासुदेव सिंह—

जिलाधिकारी, देवरिया से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री जगदीश मिश्र उर्फ "बाल्टी बाबा" के विरुद्ध श्री नन्द लाल, सहायक अभियन्ता द्वारा एक मुकदमा संख्या 37/70 धारा 420/471 श्री जगदीश मिश्र के विरुद्ध दिनांक 17 अप्रैल, 1970 न कि 17 अप्रैल, 1980 जैसा कि प्रश्न में है को थाना विशुनपुरा, जनपद देवरिया में पंजीकृत होकर विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा करते हुए आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 23 नवम्बर, 1974 को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, पडरौना के न्यायालय से हुआ । उसमें श्री जगदीश मिश्र को उक्त मुकदमें की धारा 420/471 भारतीय दन्ड विधान के जुर्म से रिहा किया गया है । इस प्रकार वे जेल नहीं गये थे । अपराध पंजीकृत होने के समय श्री जगदीश मिश्र कार्य प्रभारित पद पर तत्कालीन गंडक नहर निर्माण खंड, द्वावशम्, देवरिया में नियुक्त थे जो दिनांक 25 जून, 1973 को विघटित कर दिया गया तथा इससे सम्बन्धित अभिलेख चाप-शाखा निर्माण खंड, देवरिया को

स्थानान्तरित कर दिये गये थे । जहां पर श्री मिश्र की सेवा सम्बन्धी पत्रावली उपलब्ध नहीं है । जिला अधिकारी, देवरिया ने इस आधार पर यह बताने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है कि उनकी सेवाएं समाप्त की गयी थीं अथवा उन्होंने स्वतः छोड़ दिया । कार्य प्रभारित वर्क चार्ज पर कार्य करने वाले कर्मचारी दैनिक आधार पर कार्य करते हैं । उसे सेवा की संज्ञा देना उचित नहीं है । कर्मचारी का उक्त पद पर कोई हक भी नहीं होता है । जिला अधिकारी, देवरिया ने यह भी सूचित किया है कि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 16 अगस्त, 1982 से यह विदित होता है कि वर्ष 1970 का रिकार्ड पुलिस रिकार्ड-रूम में उपलब्ध नहीं है जिसके कारण यह बताना सम्भव नहीं है कि बाल्टी बाबा की गिरफ्तारी किस दिनांक को हुई तथा वह किस दिनांक को जेल भेजे गये । जिलाधिकारी, देवरिया ने यह भी सूचित किया है कि तथ्यों से यह विदित होता है कि मुकदमें की विवेचना के समय अभियुक्त जेल में नहीं था, तत्पश्चात् मुकदमें की कार्यवाही हुई और वे आरोप से रिहा कर दिये गये । इस प्रकार उनके जेल जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

2--थाना पटहेरवा, जनपद देवरिया में दिनांक 20 मार्च, 1981 व 31 मार्च, 1981 को जमीन सम्बन्धी विवाद को लेकर शान्ति भंग होने की आशंका में दो पक्षीय धारा 107/116 जब्ता फौजदारी की कार्यवाही की गयी थी । दोनों मुकदमों में श्री जगदीश मिश्र भी एक पक्ष में थे । उपरोक्त दोनों मुकदमें परगनाधिकारी, पडरौना के न्यायालय से क्रमशः दिनांक 19 अक्तूबर, 1981 व 9 नवम्बर, 1981 को खारिज किये जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त माह मार्च, 1982 में श्री जगदीश मिश्र के विरुद्ध शान्ति भंग होने का कोई आरोप नहीं है और न ही कोई अभियोग उनके विरुद्ध दर्ज है ।

3--यह कथन कि देवरिया जनपद की तमकुही राजकीय भूमि हथियाने के आरोप में भी श्री जगदीश मिश्र के विरुद्ध कोई मुकदमा कायम है, असत्य है । बल्कि वास्तविकता यह है कि ग्राम गाजीपुर तप्पा हवेली, परगना सिधुआ जोबना, थाना तरयासुजान, तहसील पडरौना में भूमि खंड संख्या 251/1, क्षेत्रफल 11 एकड़ के बाबत श्री जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा की मां श्रीमती जानकी देवी पत्नी श्री नवसे मिश्र तथा श्री परमेश्वर प्रसाद सिंह, पुत्र श्री जमादार सिंह, निवासी ग्राम दुमही पट्टी, थाना पटहेरवा के बीच चला । उक्त मुकदमें में दिनांक 12 सितम्बर, 1980 को न्यायालय ने फैसला श्रीमती जानकी देवी के पक्ष में किया था । परन्तु बाद में बोई हुयी फसल के सम्बन्ध में तनाव पूर्ण विवाद पैदा हो गया जिससे शान्ति भंग होने की आशंका उत्पन्न होते देखकर तत्कालीन परगनाधिकारी, पडरौना ने अपने आदेश दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 द्वारा उक्त पक्षों के मध्य धारा 145 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत मुकदमें की कार्यवाही प्रारम्भ की । धारा 145 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत इस बात की सुनवाई के दौरान दिनांक 15 मार्च, 1982 को द्वितीय पक्ष श्री परमेश्वर प्रसाद सिंह की ओर से मौके की दरखास्त दी गयी जो खारिज कर दी गयी । उक्त आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायाधीश, देवरिया के न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया गया जो अभी विचाराधीन है । धारा 145 में कब्जा दखल के प्रश्न पर अभी तक अन्तिम आदेश पारित नहीं हुआ है ।

4--श्री जगदीश मिश्र को दिनांक 19 अप्रैल, 1982 से उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है । जिस आधार पर सामान्यतः गैर-सरकारी अध्यक्ष नियुक्त किये जाते हैं, उसी आधार तथा परम्परा के अनुसार श्री मिश्र को अध्यक्ष नियुक्त किया गया ।

श्री सुग्रीव सिंह—

मान्यवर, देवरिया का मैं भी हूं, मुझे भी प्रश्न पूछने की इजाजत दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं । बाद में पूछ सकते हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं माननीय खाद्य मन्त्री जी के नीचे के उत्तर के अंश से शुरू कर रहा हूं । माननीय खाद्य मन्त्री जी ने कांग्रेस (आई) के दूसरे कार्यकर्ताओं की तुलना में बाल्टी बाबा को कहीं ज्यादा चरित्रवान, गुणवान तथा ईमानदार व्यक्ति समझकर आवश्यक वस्तु निगम का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया है । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वे बाल्टी बाबा से व्यक्तिगत रूप से कब से परिचित हैं और माननीय मन्त्री जी ने कितनी बार इस महान विभूति के दर्शन किये ?

श्री अध्यक्ष—

आपका सवाल एक व्यापक सवाल है, कृपा करके संक्षेप में पूछिये ।

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय सदस्य का प्रश्न वैसे समझ में नहीं आया किन्तु नियुक्ति के बाद वे एक बार मुझसे मिले ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी बाल्टी बाबा से व्यक्तिगत रूप से कब से परिचित हैं और उन्होंने कितनी बार इस महान विभूति के दर्शन किये ?

श्री वासुदेव सिंह—

व्यक्तिगत रूप से मैं अभी तक उनसे परिचित नहीं हुआ हूं ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जानबूझकर बाल्टी बाबा के विषय में तथ्यों से अवगत कराने से कतराने का काम किया है । मेरे पास जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, कसिया जिनकी अदालत में यह मुकदमा दाखिल हुआ था और 4 साल के बाद वह बरी किये गये थे, उस जजमेंट की पूरी प्रतिलिपि है । मान्यवर, यदि पुलिस का रिकार्ड गायब है तो अदालत का रिकार्ड मौजूद है और जेल का रिकार्ड मौजूद है । माननीय मन्त्री जी ने यदि प्रयास किया होता तो ठीक से पता चल गया होता कि बाल्टी बाबा 420 के मुकदमें में कितने दिन जेल में रहे हैं । मैं जजमेंट का अंतिम हिस्सा पढ़ना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आपको पूरा जजमेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

एक्यूस्ड जगदीश इज हियरबाई एक्यूटेड आफ दि चार्ज यू0 एस0 420 एन्ड 471 आई0 पी0 सी0 ही इज आन बेल नीड नाट सरेन्डर, हिज श्योरिटीज आर डिस्चार्ज्ड ।

श्री अध्यक्ष--

इसका आप हिन्दी कर दें ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह है कि मुल्जिम श्री जगदीश मिश्र को भारतीय दन्ड संहिता की धारा 420 और 471 के दन्ड से मुक्त किया जाता है वह बेल पर हैं, उनको सरेन्डर करने की आवश्यकता नहीं है । उनकी जमानत लेने वालों को मुक्त किया जाता है । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बाल्टी बाबा ने जेल जाने के बाद समर्पण किया अथवा उसके पहले कोर्ट में समर्पण किया ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जिलाधिकारी की जो रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई है....

श्री मोहन सिंह--

मैं चुनौती देता हूं कि वह रिपोर्ट गलत है....

श्री वासुदेव सिंह--

वह दूसरी बात है । आप चुनौती देंगे तो हम जांच करायेंगे ।

श्री सुग्रीव सिंह--

मेरी जानकारी है मैं भी देवरिया का रहने वाला हूं श्री जगदीश मिश्र एक बार गाजियाबाद या मोदीनगर जेल में बन्द रहे हैं इसके बारे में सदन में रिपोर्ट आई अगर इसकी जानकारी नहीं है तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह माइक से ऐसा बोल रहे हैं सुनाई नहीं पड़ रहा है जरा दूर से बोलें ।

श्री प्रमोद कुमार--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वही बाल्टी बाबा हैं जिनके व्यक्तिगत गुणों से प्रभावित होकर और जिनकी कृपा से श्री बनारसी दास जी ने मुख्य मंत्री बनने के बाद उन्हें मकान आवंटित किया था ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह वही जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा हैं जो जनता पार्टी के दुलरुवा थे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में कि जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा जनता पार्टी के दुलरवा थे या इनके दुलरवा हैं इसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आपने उत्तर दिया कि मैं बाल्टी बाबा को नहीं जानता तो जब आप नहीं जानते थे तो इतने महत्वपूर्ण पद पर ऐसे व्यक्ति को कैसे चेयरमैन बना दिया ? जिस व्यक्ति को मंत्री जी जानते ही नहीं उनको इतने महत्वपूर्ण पद पर कैसे मनोनीत किया ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह जरूरी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता था और अभी तक नहीं जानता हूं। इसको फिर दोहराता हूं।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

माननीय खाद्य मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जैसा उन्होंने बताया पहले बाल्टी बाबा उर्फ जगदीश मिश्र या जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा। बाल्टी उल्टी है या सीधी यह मैं नहीं जानता। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह बात स्पष्ट हो गयी कि उनकी पत्रावली अदालत से गायब हो गयी, एस० डी० एम० कोर्ट से पत्रावली गायब हो गयी, ऐसे गम्भीर आरोपों को देखते हुए ऐसे महत्वपूर्ण पद पर ऐसे व्यक्ति को कायम रखने का क्या औचित्य है ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, उनको कायम रखने के लिए औचित्य बहुत गहरे हैं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

उस गहराई में माननीय मंत्री जी भी समाए हुए हैं।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या उस गहराई तक वह पहुंच पाए हैं ?

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

प्रश्न में स्पष्टरूप से पूछा गया था कि बाल्टी बाबा को जेल भेजा गया था। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराकर एक दो दिन में जवाब दे देंगे क्योंकि जेल का रिकार्ड खन्ना साहब और अब्दुल रहमान साहब के यहां से गायब नहीं कर पाए हैं तो रिकार्ड देखकर सिद्ध हो जायेगा कि जेल में रहे हैं। तो क्या सदन में घोषणा करेंगे कि एक दो दिन के अन्दर उनको प्रेसीडेंटशिप से अलग कर दिया जायेगा ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, यह जो सूचना है, यह तो मैं उपलब्ध करा सकता हूं और अलग करने का मामला तो जैसी प्रक्रिया सब पार्टियों में है वैसी हमारे यहां भी है।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि यह बाल्टी बाबा वही हैं जो जनता पार्टी के दुलरवा थे, तो यह एक अच्छा रहस्य मंत्री जी ने बताया। अब मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वही हैं जो अब अपनी आस्थाओं को बदलकर शासक पार्टी कांग्रेस (आई०) के दुलरवा हो गए हैं ? और जिनको शासक पार्टी ने गढ़वाल में बहुगुणा को हराने के लिए 6 उंगलियों का मुर्गा, एक घड़ा शराब और एक कुंवारी कन्या उपलब्ध कराके गढ़वाल भेजा था ? क्या यह वही दुलरवा हैं ?

श्री वासुदेव सिंह---

प्रश्न इनका उचित है। अखबारों में जो छपा है वह सही है या गलत मुझे नहीं मालूम पर जिनके बारे में छपा है वे ही बाल्टी बाबा हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा उन्होंने मूल प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया कि 16-8-82 की जो डी० एम० की रिपोर्ट आई है 1970 की उनकी पत्रावलियां की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हैं, [× × × ×]।

श्री अध्यक्ष--

यह आक्षेप है, इसकी मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। यह साफ आक्षेप है, इसके लिए कतई इजाजत नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

तो मैं मंत्री से जो जानना चाहता हूं कि जो तमकुही राज्य की जमीन है, उसको क्या इन्होंने फर्जी तरीके से लेने की साजिश नहीं की थी? आपने इसे अस्वीकार किया है, लेकिन मेरी बात को सही मानकर क्या आप इसकी पुनः जांच करवा लेंगे?

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य यदि कोई चीज उठायेंगे तो पुनः उसकी हम जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

अब आखिरी सवाल मोहन सिंह जी का होगा।

श्री मोहन सिंह--

मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि इतने अति गम्भीर वातावरण को मंत्री जी ने इस तरह से लिया है और यह कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य ही है कि जनता पार्टी और डाक्टर लोहिया के दुलरवा, इनके दुलरवा हैं, क्योंकि इनके पास तो लोगों का अभाव हो गया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि धारा 107/117 के अन्तर्गत जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा के खिलाफ एक तहरीरी रिपोर्ट पटहेरवा के थानाध्यक्ष ने नहीं लिखाई थी? उसको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं--"निवेदन है कि संलग्न आवेदन-पत्र श्री परमेश्वर प्रसाद सिंह पुत्र जगतसिंह ग्राम दुमही, थाना पटहेरवा विरुद्ध बाल्टी बाबा उर्फ जगदीश मिश्र व गोपालधर दूबे उक्त के सम्बन्ध में जांच से ज्ञात हुआ है कि विपक्षी बाल्टी बाबा उर्फ जगदीश मिश्र का साला गोपालधर दूबे उक्त हैं, जो हिस्ट्रीशीटर पत्रावली बी क्लास व डकैती का सजायाफ्ता व्यक्ति हैं। बाल्टी बाबा उर्फ जगदीश मिश्र फितरतबाज व धोखा देने के उच्चकोटि के कलाकार हैं। इस कारण इनका तथा इनके साले गोपालधर दुबे उक्त का सम्बन्ध उच्चकोटि के बदमाशों से है।" उसका उच्चकोटि के बदमाशों से पूरा सम्बन्ध है, यह दरोगा लिखता है। बाल्टी बाबा के खिलाफ थाने में चलनी रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर दर्ज की गयी थी। फिर परगनाधिकारी, पड़रौना के ऊपर शासन का दबाव पड़ा कि इस मुकदमें को खारिज किया जाय तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसका प्रतिवाद करें?

[नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री वासुदेव सिंह--

जो सूचना माननीय सदस्य हमको देंगे ....

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह तो मूल प्रश्न है ।

श्री वासुदेव सिंह--

उसका उत्तर तो मैंने ब्योरे में दे दिया है । सरकार विरोधी यदि मोहन सिंह जी इधर आ जायें तो क्या हम उनको मंत्री या अध्यक्ष न बनाएं ? यह जो आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर बड़े-बड़े आरोप हैं जो पुलिस रिपोर्ट में दर्ज हैं तो उन पर हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

यह नहीं चलने वाली है । ऐसे व्यक्ति को इतने बड़े निगम का अध्यक्ष कैसे मनोनीत किया गया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये ।

(घोर व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, इस पर आप 2 घंटे की चर्चा करा दें ?

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठिए ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, आप इस पर चर्चा ही करवा दें ।

(घोर व्यवधान)

एक सदस्य--

शासन ने पूरी बात छुपायी है ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाइए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए । आज के एजेन्डा के अनुसार इन प्रश्नों के बाद अल्प सूचित तारांकित प्रश्न भी हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

जब सरकार इस प्रकार के आपराधिक लोगों को इतने बड़े पद पर मनोनीत करेगी तो क्या प्रदेश में कोई कानून-व्यवस्था रह सकेगी ? मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि आप हमें कम से कम 2 प्रश्न तो कर लेने दें ?

श्री अध्यक्ष--

अगर इस प्रकार से हर माननीय सदस्य 2-2 प्रश्न करना चाहेगा तो पूरा घंटा इस पर समाप्त हो जायेगा । आप कृपा करके बैठ जाएं ?

(व्यवधानों मध्य)

श्री हुकम सिंह--

आपने तो आज कोई सवाल ही नहीं करने दिया ।

श्री अध्यक्ष--

इसके अलावा अगर आप प्रश्नों से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आधे घंटे की चर्चा के लिए सवाल उठा सकते हैं ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने मूल उत्तर में यह लिखा है कि वह वर्कचार्ज के कर्मचारी थे, इसलिए उनको निकालने और रखने का प्रश्न नहीं है। पुलिस का रिकार्ड गायब हो गया। मान्यवर, जो उनके खिलाफ 420/471 आई0 पी0 सी0 का मुकदमा अदालत में दाखिल हुआ, यदि पुलिस का रिकार्ड गायब हो गया, तो अदालत का रिकार्ड मौजूद है और जेल का रिकार्ड मौजूद है। मान्यवर, वह एक आदमी के यहां फर्जी तरीके से गए और फर्जी तरीके से एक लेटर उसको दे दिया और उन्होंने 400 माप के आइरन बार उससे अपना फर्जी नाम बताकर ले लिए।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें कृपया।

श्री मोहन सिंह—

इसमें लिखा है मान्यवर।

"एक्यूज्ड जगदीश हैज बीन सेन्ट अप फ्राम पुलिस स्टेशन बिशुनपुरा टू स्टैन्ड हिज ट्रायल फार दि अफेन्स यू/एस 420/471 आई0 पी0 सी0/दि प्रोसीक्यूशन एलीगेशन इन ब्रीफ इज दैट अन 6-4-70 एट एबाउट 5·30 पी0 एम0 एट चौक पी0 एस0 बिशुनपुर, डिस्ट्रिक्ट देवरिया एक्यूज्ड जगदीश एलोन्ग विद एनदर हू रिप्रजेन्टेड हिम एज मेथ आफ कसिया एन्ड पोज्ड हिमसेल्फ टू रामदेव, सेन्ट टू दि चौकीदार दि स्टोर आफ कैनाल डिवीजन एन्ड प्रोड्यूसड ए फोर्ज्ड लेटर डिमांड टू हिम डायरेक्टिंग हिम टू डिलीवर 400 आइरन बार्स आफ टू मेजरमेन्ट आफ 16 एम0 एम0"

यह उसी स्टोर पर इस घटना के कुछ दिन पहले स्टोर इंचार्ज के रूप में नियुक्त था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई नियमानुसार वर्कचार्ज पर रखा जाता है? क्योंकि मेरा चार्ज यह है कि वह वर्कचार्ज पर नहीं रखा गया था, रेगुलर में वह था।

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, जो जिलाधिकारी से मुझको सूचना मिली है वह हमने रख दिया है। जो नये तथ्य माननीय मोहन सिंह के पास हो या कोई जजमेन्ट की, निर्णय की कापी उनके पास हो, तो वह हमको बतायें आरोप पत्र से किसी के ऊपर कोई जुर्म नहीं मान लिया जाता है। आरोप मात्र से न तो आपका काम चल सकता है और न हमारा ही काम चल सकता है। मान लीजिए कि किसी के ऊपर 302 का मुकदमा चलता रहा हो तो वह 302 का मुलजिम नहीं हो जायगा।

(व्यवधान)

(श्री राजकुमार राय के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको आज्ञा नहीं दिया है, आप बैठ जाइये।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, यहां पर जितने उत्तर आते हैं वह केवल जिलाधिकारी की रिपोर्ट या पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट कह कर टाल दिये जाते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि सदन में जो भी उत्तर दिया जाय, सरकार उसका स्वयं उत्तरदायित्व ले। मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि मूल प्रश्न में बिलकुल साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये बाल्टी बाबू जेल भेजे गये। आप केवल यह कहकर शान्त हो जाते हैं कि वह जेल नहीं गये। यदि आपने जेल का रिकार्ड चेक नहीं कराया, तो क्या एक

दिन के बाद आप पूर्ण जांच कराकर सदन को अवगत करायेंगे कि बाल्टी बाबा जेल गये कि नहीं गये ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, मैं इसको पूरा पढ़ देता हूं । बड़ी पुरानी सूचना है, 70 का जो मामला है, कौन कागज-पत्र कब नष्ट हो गय या कर दिया गया है, इसकी सत्यता की जिम्मेदारी जिलाधिकारी ले सकता है, माननीय मन्त्री कैसे ले सकता है । वैसे शासन की पूरी जिम्मेदारी है ही ।

(श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र का नाम पुकारे जाने पर लोकदल के कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गये ।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जांय मैंने श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र को बुला लिया है ।

(कई सदस्य इस विषय में चर्चा कराने तथा प्रश्न पूछने की मांग करने लगे ।)

श्री मोती लाल देहलवी--

मेरा प्रश्न था आपने हमको समय नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न पर लगभग 20 मिनट का समय हो चुका है । इसलिये अब अगला प्रश्न होने दें ।

(घोर व्यवधान)

(लोकदल के श्री रुद्रप्रताप सिंह रिपोर्टर टेबुल के सामने आकर लेट गये तथा कई सदस्य रिपोर्टर टेबुल के सामने 'आकर 'बाल्टी बाबा मुर्दाबाद,' 'वासुदेव सिंह मुर्दाबाद' 'राष्ट्र विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी' नहीं चलेगी, 'तांत्रिकों की यह सरकार नहीं चलेगी, 'नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे ।)

श्री अध्यक्ष--

आप सभी लोग अपने-अपने स्थान पर वापस जायं ।

(बीच में खड़े सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस नहीं गये और नारे लगाते रहे ।)

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 47 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित हुई । 12 बजकर 17 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई ।)

श्री जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा को खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम का अध्यक्ष मनोनीत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की मांग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि अभी सदन में एक प्रश्न पर चर्चा हो रही थी इधर से प्रश्न पूछे गये और उनका मंत्री जी ने उत्तर दिया लेकिन उत्तर से हम लोग संतुष्ट नहीं हुये और एक उत्तेजना का वातावरण पैदा हो गया और उसके बाद जो हुआ वह न होता तो अच्छा होता लेकिन परिस्थितियां ऐसी

पैदा हो गया था जिसमें वह हुआ, लेकिन अब मेरा सुझाव है कि चूंकि यह विषय महत्वपूर्ण है और प्रदेश का जनमानस इसमें जानना चाहता है कि एक गैर राजनीतिक व्यक्ति जिस पर आपराधिक आरोप है उसको निगम के अध्यक्ष के पद पर क्यों बिठा दिया गया ? इसलिये नियम 49 में आधे घंटे की चर्चा आप करा दें । मेरी प्रार्थना है कि हमारे नियमों में व्यवस्था है सप्ताह में मंगल और बृहस्पतिवार को ही इस नियम के अन्तर्गत चर्चा हो सकती है, किन्तु सदन अगले दिन उठने वाला है, इसलिये नियमों को निलम्बित करके विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर कल इस विषय पर नियम 49 में चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष---

यदि सदन सहमत हो तो कल इस पर चर्चा हो जाय और नियमों को नलिम्बित कर दिया जाय ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, ठीक है इस पर चर्चा करा दी जाये ।

श्री अध्यक्ष--

इस विषय पर चर्चा स्वीकृत हुई । कल अन्त में इस पर आध घंटा की चर्चा हो जायेगी ।

प्रश्नों का समय अब समाप्त हुआ ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

नगरपालिका की गैर नजूल भूमि पर पार्क का शिलान्यास

*3---श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद देवरिया, पडरौना में दिनांक 27-3-73 की रजिस्ट्री सं0 36 के द्वारा नगरपालिका ने अपने नजूल भूमि को 3.67 एकड़ भूमि शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किया है जिस पर भवन निर्माण हेतु उ0 प्र0 शासन ने 1980 में 8.00 लाख रु0 स्वीकृत किया और पुनः आंकलन में संशोधन होने पर भवन निर्माण हेतु 12 लाख रु0 की स्वीकृति 17-9-80 को प्रदान की ? क्या यह सही है कि 1-1-81 को राज्य मंत्री भारत सरकार (श्री सी0 पी0 एन0 सिंह) ने संजय पार्क का शिलान्यास एवं उद्घाटन उसी भूमि पर किया ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

जी हां तत्कालीन पालिका अध्यक्ष द्वारा 3.67 एकड़ गैर नजूल भूमि के एक रजिस्टर्ड दान पत्र शिक्षा निदेशक के पक्ष में राजकीय कन्या विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 15-3-73 को लिखा गया था, इसके लिये शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक थी जो उनके द्वारा नहीं ली गई ।

जी नहीं ।

राज्य मंत्री भारत सरकार (श्री सी0 पी0 एन0 सिंह) ने 1-1-81 को स्थानीय जनता के आग्रह पर पार्क का शिलान्यास किया ।

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

[शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त, 1982 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर तथा मेरठ के डिप्लोमा फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्ति सम्बन्धी अर्हतायें

*1—श्री राजकुमार राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, मेरठ के डिप्लोमा फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवक्ता पद के रिक्त स्थानों पर भारत भेषज शिक्षा परिषद् द्वारा निर्मित इस नियम कि इन संस्थाओं में प्रवक्ता पद केवल भेषज शिक्षा प्राप्त बी0 फार्म या एम0 फार्म के अभ्यर्थियों में से ही भरे जायेंगे, के प्रतिकूल नियुक्तियां इसके इतर शिक्षित सामान्य साहित्य या विज्ञान के स्नातकों या डाक्टर उपाधिधारी लोगों में से की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर तथा मेरठ के डिप्लोमा फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर अभी तक जो नियुक्तियां की गई हैं वे भारत भेषज शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अर्हताओं के अनुसार ही हैं।

*2—श्री गौरी शंकर भैय्या—

[19-8-82 के तारांकित प्रश्न संख्या—5 द्वारा उत्तरित]

मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*3—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को पता है कि मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध मरीजों की दवा एवं पौष्टिक आहार की खरीद में लाखों रुपयों के घोटाले का मामला राज्य सरकार के सतर्कता विभाग की जांच में सिद्ध पाया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा इन पर पूरे आरोप क्या हैं ? इन पर कार्यवाही नहीं करने का कारण क्या है ?

श्री लोकपति—

डा0 आर0 पी0 श्रीवास्तव, तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध कतिपय आरोपों में सतर्कता जांच करायी गयी है और शासन में मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

इस चरण पर आरोपों का विवरण तथा जांच में प्रकट हुए तथ्यों के सम्बन्ध में कोई सूचना दिया जाना जनहित में न होगा।

जनपद अल्मोड़ा, ग्राम धधलोड़ी, विकास खंड द्वारहाट हेतु पेयजल योजना

*4—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा, विकास खंड द्वारहाट, ग्राम छगलोड़ी, ग्राम सभा बिजेपुर के लिए कोई पेयजल योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो ग्राम छगलोड़ी के निवासियों को कब तक पेयजल उपलब्ध हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

क्षेत्रीय अधिकारियों की जानकारी के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में छगलोड़ी नाम का कोई ग्राम नहीं है बल्कि घघलोड़ी नाम का ग्राम द्वाराहाट विकास खंड में है जिसे बिजेपुर ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित करके पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है ।

न्याय पंचायत, कतुरीकलां में चीनी तथा मिट्टी के तेल के वितरण में अनियमिततायें

*5—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिला प्रशासन बाराबंकी को 21 फरवरी, 1982 या उसके आस-पास यह सूचना मिली कि उपभोक्ता सहकारी समितियों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण का काम जब से दिया गया है तब से न्याय पंचायत कतुरीकलां, विकास खंड निन्दूरा, तह0 फतेहपुर में मात्र एक दफा शक्कर व मिट्टी का तेल बांटा गया । यदि हां, तो उस शिकायत पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां ।

न्याय पंचायत कतुरीकलां में चीनी तथा मिट्टी के तेल के वितरण का कार्य साधन सहकारी समिति, पिपरौली को सौंपा गया था । माह जून, 1981 में पूर्ति निरीक्षक द्वारा की गई जांच के फलस्वरूप उक्त साधन सहकारी समिति के सेल्समैन तथा सचिव द्वारा राशन कार्डों पर फर्जी प्रविष्टि किये जाने की अनियमितता प्रकाश में आई थी । तत्पश्चात् माह अक्टूबर, 1981 में सुपरवाइजर कानूनगो तथा नायब तहसीलदार द्वारा की गई जांच के फलस्वरूप माह सितम्बर, 1981 के कोटे की पूरी चीनी को उक्त समिति के सचिव द्वारा चोरबाजारी में बेचे जाने की अनियमितता भी प्रकाश में आई थी । इस सम्बन्ध में परगनाधिकारी, फतेहपुर द्वारा पुलिस में समिति के सचिव के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई और सेल्समैन की सेवायें समाप्त कर दी गईं । चूंकि यह कार्यवाही प्रश्नगत शिकायती-पत्र के प्राप्त होने से पूर्व ही हो चुकी थी । अतः प्रश्नगत शिकायती-पत्र के प्राप्त होने के बाद न्याय पंचायत कतुरीकलां में आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य उक्त साधन सहकारी समिति के बजाय सहकारी बीज भंडार, कतुरीकलां को सौंप कर वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था नियमित रूप से कर दी गई । इसके अतिरिक्त न्याय पंचायत में मिट्टी के तेल की दुकान व्यक्तिगत विक्रेता को आवंटित कर दी गई जिसके द्वारा मिट्टी का तेल वितरित किया जा रहा है ।

श्रीमन्त शकील सर्जिकल एण्ड ड्रेसिंग कम्पनी, कांठ (मुरादाबाद) द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर को भेजे गये गांज बैंडेज बिलों के मूल्य का भुगतान

*6—श्री रामकृष्ण माहेश्वरी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर को शकील सर्जिकल एण्ड ड्रेसिंग कम्पनी, कांठ (मुरादाबाद) रेलवे स्टेशन, कांठ से आर0 आर0 संख्या 959546, दिनांक 19-4-77

एवं 960335, दिनांक 13-5-77 तथा 959397, दिनांक 23-5-77 द्वारा 36,300 रु0 मूल्य का गाज बैन्डेज भेजा था ? यदि हां, तो क्या उक्त गाज बैन्डेज बिलों के मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्त शकील सर्किल एन्ड ड्रेसिंग कम्पनी, कांठ (मुरादाबाद) ने आर0 आर0 संख्या 959546, दिनांक 16-2-77, सं0 960335, दिनांक 13-5-77 व सं0 959397, दिनांक 28-1-77 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर को कुल 1,150 थान गाज बैंडेज के भेजे थे जिसमें से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार फर्म से केवल 900 थान कुल मूल्य रु0 30,021·20 के बीजक प्राप्त हुए थे जिनमें से कटौती के उपरान्त फर्म को कुल रु0 27,789·00 का भुगतान बैंक ड्राफ्ट सं0 ओ0 ए0 एल0/272020, दिनांक 23-3-77 तथा सं0 टी0 टी0 369406, दिनांक 3-9-77 के माध्यम से किया जा चुका है ।

प्राप्त अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि फर्म से शेष 250 थान के बीजक प्राप्त नहीं हुए हैं जिससे उसका भुगतान नहीं हो सका है ।

शाहजहांपुर जिले में एफ0 सी0 आई0 के गोदामों में अवशेष चावल

*7--श्री रियासत हुसैन--

क्या खाद्य मन्त्री को विदित है कि शाहजहांपुर जिले में 3 लाख बोरी चावल एफ0 सी0 आई0 के गोदामों में एक साल से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी नहीं । शाहजहांपुर जिले में स्थित एफ0 सी0 आई0 के गोदामों में राज्य सरकार का अब केवल 51,000 कु0 चावल अवशेष है । यह चावल जनवरी, 1981 में भारतीय खाद्य निगम को दिया गया था किन्तु चूंकि इसका भुगतान मई/जून, 1982 में ही प्राप्त हो सका, इस कारण से यह चावल एफ0 सी0 आई0 के गोदामों में पड़ा रहा ।

यू0 पी0 कोआपरेटिव यूनियन के कार्यालय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्राप्त सुविधायें

*8--श्री झिलमिट राम तथा श्री मुन्शी लाल--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ के अन्तर्गत कार्यरत कार्यालय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को राजकीय नियमानुसार, चिकित्सा भत्ता, ग्रेच्युटी, एग्रेसिया, शिक्षा, आवासीय एवं नगरीय भत्ता तथा एक मास का नकदीकरण दिया जाता है ? यदि हां, तो एक ही संस्था में कार्यरत फील्ड कर्मचारियों, सहकारी सुपरवाइजरों, कामदारों को उपरोक्त सुविधाओं से वंचित करने का क्या कारण है ? एक ही संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी नहीं । यू0 पी0 कोआपरेटिव यूनियन के कार्यालय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को केवल आवासीय भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता तथा एक मास के अवकाश के नगदीकरण की सुविधा अनुमन्य है । सहकारी सुपरवाइजर व कामदारों की सेवायें सहकारी संघ प्राधिकारी (व्यावसायिक) विनियम, 1976 से शासित होने तथा यू0 पी0 कोआपरेटिव यूनियन के साधन सीमित होने के कारण उन्हें यूनियन के कार्यालय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के समान उक्त भत्ते व सुविधा नहीं दिए जा रहे हैं ।

श्रीमती बैकुन्ठी देवी बनाम नगरपालिका, शाहजहांपुर का स्टे खारिज हेतु कृत कार्यवाही

*9--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, शाहजहांपुर, मो0 सिरनीबाग स्थित श्रीमती बैकुन्ठी देवी के मकान के विषय में चल रहे मुकदमा श्रीमती बैकुन्ठी देवी बनाम नगरपालिका, शाहजहांपुर नोटिस सं0 2958/76 का स्टे खारिज हो गया है ? यदि हां, तो तब से नगरपालिका शाहजहांपुर ने अब तक इस पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो इस शिथिलता के लिए कौन दोषी है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां । 25-10-76 को खारिज हो गया । दिनांक 7-8-82 को श्रीमती बैकुन्ठी देवी को धारा 211 के अन्तर्गत नोटिस देने की कार्यवाही अधिशासी अधिकारी द्वारा की गई । समय से नोटिस न दिए जाने के लिए उत्तरदायत्व निर्धारित करने को मण्डलायुक्त, बरेली को आदेश दे दिए गए हैं ।

व्यावसायिक रक्तदाताओं की दर में बढ़ोत्तरी न करने का निर्णय

*10--श्री मित्रसेन--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय रक्त-कोष व्यावसायिक रक्तदाताओं को आज भी 32 वर्ष पूर्व निर्धारित दर 25 रु0 प्रति बोतल की दर पर भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो रक्तदाता व्यवसायियों की दर में बढ़ोत्तरी न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

शासन की नीति है कि यथासम्भव रक्त के लिए किसी रोगी को रक्त क्रय न करना पड़े और रक्त पर्याप्त मात्रा में स्वैच्छिक रक्त दाताओं के द्वारा उपलब्ध कराया जा सके । व्यवसायिक रक्तदाताओं को प्रोत्साहन न देने के लिए रक्त की निर्धारित दरों में बढ़ोत्तरी न करने का निर्णय लिया गया है ।

कस्बा सांडी, जिला हरदोई में ब्लैक में शक्कर बेचने के सम्बन्ध में जांच

*11--श्री हरी शंकर--

क्या खाद्य मन्त्री को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-5-82 कस्बा सांडी, जिला हरदोई में 1,200 कुन्टल शक्कर ब्लैक में बेचने के सम्बन्ध में विजीलेन्स द्वारा जांच की मांग के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां ।

इस मामले में अतिरिक्त आयुक्त एवं उप पुलिस महानिरीक्षक (फूड सेल) द्वारा जांच कराई जा रही है । जांच के फलस्वरूप दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

अधीक्षक, सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद में परिवार नियोजन कार्य हेतु आहरित की गई धनराशि

*12—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिविल अस्पताल फर्रुखाबाद में परिवार नियोजन कार्य के लिए वर्ष 1981–82 में 15,000 रुपया (पन्द्रह हजार रुपया) की धनराशि निकाली गयी और जिसको अस्पताल की कैश बुक में नहीं दर्शाया गया और एक वर्ष तक उसका एडजस्टमेंट भी नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस गम्भीर वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

वर्ष 1981–82 में अधीक्षक, सिविल अस्पताल फर्रुखाबाद द्वारा परिवार नियोजन कार्य के लिए कोई धनराशि आहरण नहीं की गयी । अतः प्रश्न के शेष भाग के संबंध में कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

उप नगर अधिकारियों एवं प्रभारी अधिकारियों की प्रोन्नति के संबंध में उच्च न्यायालय का आदेश

*13—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेश के उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक 4–3–82 को शासन के आदेश 170/11–1–1–ई0 ओ0 80, दिनांक 11–3–80 के द्वारा प्रोन्नति पाये 11 उप नगर अधिकारियों एवं प्रभारी अधिकारियों की प्रोन्नति को अवैध घोषित किया है ? यदि हां, तो क्या शासन ने इन अधिकारियों को प्रत्यावर्तित किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां । माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में संबंधित अधिकारियों को प्रत्यावर्तित किया गया था । किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय एवं आदेश दिनांक 4–3–82 को स्थगित कर दिये जाने के कारण इन्हें पुनः पूर्व पद पर तैनात कर दिया गया है ।

राज्य बीमा कर्मचारी औषधालय स्थापित करने की स्वीकृति

*14—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के औद्योगिक क्षेत्र सन्डीला में राज्य बीमा कर्मचारी अस्पताल खोलने के सिलसिले में गत वर्ष निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो अब तक न खुलने के क्या कारण हैं और इसे कब तक खोल दिया जायेगा ?

श्री लोकपति—

प्रश्नगत कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय (चिकित्सालय नहीं) स्थापित करने की स्वीकृति 22 अक्तूबर, 1980 को दी गई थी। किराये के भवन के अभाव में औषधालय स्थापित नहीं हो सका है। भवन उपलब्ध होते ही औषधालय खोल दिया जायेगा।

स्व0 सच्चिदानन्द जोशी बेसिक हेल्थ वर्कर जिला पौड़ी गढ़वाल की निधियों का भुगतान

*15—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्व0 सच्चिदानन्द जोशी, बेसिक हेल्थ वर्कर, विकास खन्ड, थैलीसैंण, जिला पौड़ी गढ़वाल का सेवाकाल में निधन हो गया है ? यदि हां, तो उनकी पत्नी को सामूहिक बीमा की धनराशि परिवारिक पेंशन ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि का भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उन्हें भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के रेजीडेन्ट डाक्टरों को अन्तरिम सहायता का भुगतान

*16— श्री सन्त बक्स रावत—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि के0 जी0 मेडिकल कालेज के रेजिडेंट डाक्टरों को अभी तक पूरा अन्तरिम रिलीफ (अन्तरिम सहायता) नहीं दी गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री लोकपति—

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के रेजीडेंट डाक्टरों को इस संस्था के राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण के दिनांक 18 जुलाई, 1981 से पूरी अन्तरिम सहायता नियमित रूप से दी जा रही है।

मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, झांसी तथा गोरखपुर के बायोकेमिस्ट्री विभाग में प्रोफेसर का रिक्त पद

17—श्री भोखा लाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, झांसी तथा गोरखपुर में मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया की संस्तुति के बावजूद बायोकेमिस्ट्री विभाग में प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं की गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री लोकपति—

मेडिकल कालेज इलाहाबाद, झांसी तथा गोरखपुर के बायोकेमिस्ट्री विभाग में प्रोफेसर का पद सृजित नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*18—श्री धर्म सिंह—

[माननीय अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के कारण निरस्त]।

प्रदेश में टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया तथा नगरपालिकाओं के चुनाव

*19—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया तथा नगरपालिकाओं के चुनाव सितम्बर, 1982 के अन्त तक हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं। सितम्बर, 1982 के अन्त तक चुनाव नहीं कराया जा सकता है क्योंकि तब तक निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना सम्भव नहीं है।

श्री तारा चन्द वर्मा, प्रबन्ध निदेशक, किसान सहकारी सेवा समिति, रानापुर बिगराव, जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही

*20—श्री किरन पाल सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6-1-82 को तारा चन्द वर्मा, प्रबन्ध निदेशक, किसान सहकारी सेवा समिति, रानापुर बिगराव, जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई थी तथा उन्हें 5/82 धारा 324/504/506 आई० पी० सी० का दोषी थाना स्याना, जनपद बुलन्दशहर की पुलिस ने पाया एवं आरोप पत्र संख्या 23, दिनांक 5-2-82 को प्रेषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां। प्रशासनिक दृष्टि से स्थानान्तरण कर दिया गया है। तुरन्त अनुशासनिक कार्यवाही के लिए समुचित आधार नहीं है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है और निर्णय के आधार पर ही कार्यवाही की जायेगी।

अल्पसूचित तारांकित

प्रश्न

सरकारी वितरण व्यवस्था वाली दुकानों से बिकने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि

**1—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई-अगस्त, 1982 में सरकारी वितरण व्यवस्था वाली दुकानों से बिकने वाले खाद्यान्नों व खाद्य पदार्थों के मूल्य में बढ़ोत्तरी की गई ? यदि हां, तो अलग-अलग खाद्यान्न व खाद्य पदार्थ पर कितनी बढ़ोत्तरी की गई ? क्या प्रश्नगत बढ़ोत्तरी करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा गया कि प्रदेश की बहुत बड़ी जनसंख्या पहले से ही कुपोषण का शिकार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जुलाई, 1982 में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की गई। दिनांक 1 अगस्त, 1982 से भारत सरकार ने जन वितरण प्रणाली के लिए दिए जाने वाले गेहूं की दरें 145 रु० प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 160 रु० प्रति क्विंटल तथा रोलर

फ्लोर मिलों को दिये जाने वाले गेहूं की दरें 155 रु0 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 185 रु0 प्रति क्विंटल निर्धारित की, अतः प्रदेश शासन द्वारा जन वितरण प्रणाली तथा मिलों द्वारा बनाये गये गेहूं उत्पाद के मूल्यों में निम्नलिखित वृद्धि तथा दरों का पुनः निर्धारण किया गया :

जन वितरण हेतु गेहूं	थोक मूल्य प्रति कु0	फुटकर मूल्य प्रति किलो
	रु0	रु0
1-8-82 से पूर्व	155	1·62
1-8-82 से	174	1·80

गेहूं उत्पाद	मिल वाह्य मूल्य 1-8-82 से पूर्व	रु0 प्रति कुन्तल 1-8-82 से
	रु0	रु0
(क) मैदा	221·50	260·00
(ख) होल मिल आटा	173·00	204·00
(ग) रिजल्टेंट आटा	98·10	115·00

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न के अंतिम भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है।

धान की खरीद में घोटाला

**2--श्री मोहन सिंह तथा श्री मित्रसेन--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में धान की खरीद के सिलसिले में व्यापक घोटाले एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें शासन को मिली हैं ? यदि हां, तो इस घोटाले के लिए कौन सा प्रमुख अधिकारी जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी नहीं, वर्ष 1981-82 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद में कोई घोटाला प्रकाश में नहीं आया है, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न

राजकीय चिकित्सालयों एवं प्रसूति गृह में नवजात शिशुओं की मृत्यु

1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले में राजकीय चिकित्सालयों एवं प्रसूति-गृह में मास सितम्बर तथा अक्तूबर, 1981 में भारी पैमाने पर

नवजात शिशुओं की हुई मौतों का क्या कारण था ? इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोकपति--

माह सितम्बर एवं अक्तूबर, 1981 की अवधि में 11 नवजात शिशुओं की मृत्यु टिटनेस तथा प्रीमेच्योरिटी से हुई। इन शिशुओं की मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल एक टीम रोग की रोक-थाम हेतु एटा भेजी गई थी। 240 डिस्पोजल मेटरनिटी किट्स की सहायता से प्रसव कराने, सुरक्षित प्रसवों के लिए डी0 टी0 एवं टी0 टी0 के टीके लगाये जाने, गेरू के नारे लिखकर, हैन्ड बिल्स और पर्चे जगह-जगह बंटवा कर एवं फिल्म शो तथा प्रदर्शनियों का आयोजन कर बीमारी की रोक-थाम के बारे में जनता को शिक्षित कराने के कार्यक्रम चालू किये गये। सभी गर्भवती महिलाओं का सर्वेक्षण कर रजिस्टर किये जाने और संतिरक्षण के लिए उन्हें टिटनेस के बचाव के टीके लगाने की व्यवस्था की गई। सभी अप्रशिक्षित दाइयों को प्रशिक्षित कराने तथा स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष बल दिये जाने की व्यवस्था की गई। यह सब कार्य युद्ध स्तर पर किये गये।

उत्तर प्रदेश जल निगम में अवर अभियन्ताओं का चयन

2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम के अवर अभियन्ताओं का जो चयन वर्ष 1978 में हुआ था उस चयन सूची में वेटिंग लस्ट के नाम कौन-कौन थे तथा नाम किस क्रम से थे ? क्या उक्त सूची में से कुछ व्यक्ति नौकरी में लिए गये हैं ? यदि हां, तो उनके नाम क्या-क्या हैं तथा शेष की नियुक्ति कब तक हो जायगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

उत्तर प्रदेश जल निगम में अवर अभियन्ताओं का कोई चयन वर्ष 1978 में नहीं हुआ था।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्गीय शिव प्रसाद सेमवाल, कम्पाउन्डर, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जिला अल्मोड़ा के आश्रितों को पारिवारिक पेन्शन की स्वीकृति

3--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 शिव प्रसाद सेमवाल, जो कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, रणकुला, पो0 क्वेराला, जिला अल्मोड़ा में कम्पाउन्डर पद पर सेवारत थे, की सेवाकाल में ही दिनांक 26-11-65 को मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनकी पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत हो गयी है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ? और कब तक पेन्शन स्वीकृत हो जायेगी ?

श्री लोकपति--

जी हां।

श्री सेमवाल की सेवा-पुस्तिका में उनकी मृत्यु 27-11-65 को लिखी है ।

जी नहीं ।

स्व0 सेमवाल ने अपनी सेवाकाल में पारिवारिक पेन्शन के सम्बन्ध में आवश्यक विकल्प नहीं दिया था । अतएव शासन ने विचारोपरान्त स्व0 सेमवाल के लाभार्थियों से आवश्यक संयुक्त विकल्प पत्र एवं क्षतिपूर्ति बान्ड की अपेक्षा की थी । काफी प्रयत्न के बाद स्व0 सेमवाल की पत्नी से आवश्यक विकल्प-पत्र एवं बन्ध-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें अभी कुछ कमियां हैं जिसका निराकरण कराया जा रहा है और जिसके ठीक होने पर प्रश्नगत पेन्शन दिये जाने के बारे में कार्यवाही की जायेगी ।

श्री इकबाल अहमद, निवासी सूरजपुर, टाउन एरिया घोसी की नियुक्ति तथा पुनः सेवा से हटाने हेतु कार्यवाही

4—श्री राज कुमार राय--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इकबाल अहमद पुत्र करीमउल्ला, साकिन सूरजपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के घोसी टाउन एरिया में बेरियर पर कई वर्षों तक कार्यरत थे ? यदि हां, तो उसकी नियुक्ति किसने की थी और पुनः सेवा से क्यों हटा दिया गया ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र उन्हें जनवरी, 82, फरवरी 82 में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

श्री इकबाल अहमद पुत्र करीम उल्ला, निवासी सूरजपुर, टाउन एरिया घोसी में दिनांक 2-11-77 से 3-5-79 तक दैनिक वेतन पर कार्यरत थे ।

इनकी दैनिक वेतन पर नियुक्ति प्रभारी अधिकारी, टाउन एरिया घोसी द्वारा की गई थी । शासन की नीति के अनुसार पथकर समाप्त करने तथा बैरियर हटाने के कारण श्री इकबाल अहमद स्वतः कार्य छोड़ कर चले गये ।

जी हां,

प्रश्नकर्ता को उत्तर दे दिया गया है ।

जिला सहकारी बैंक, जौनपुर के भूतपूर्व प्रबन्ध संचालक श्री राम समुझ सिंह के विरुद्ध खाद के विक्रय की धनराशि के अपहरण का आरोप

5--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद जौनपुर के जिला सहकारी बैंक के भू0 पू0 सदस्य, श्री राम समुझ सिंह ने लाखों रुपये का गबन खाद के विक्रय का किया है और उनके विरुद्ध पांच प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या शासन इन रिपोर्टों पर शीघ्र कार्यवाही कराकर सरकारी धन की वसूली की व्यवस्था करेगी ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां ।

जिला सहकारी बैंक, जौनपुर के भूतपूर्व प्रबन्ध-संचालक एवं जंगीपुर खुर्द साधन सहकारी समिति के भूतपूर्व सभापति, श्री राम समुझ सिंह तथा भूतपूर्व विक्रेता, साधन सहकारी समिति, जंगीपुर के द्वारा मु0 रु0 50,676·89 पैसा की खाद के विक्रय की धनराशि का अपहरण किए जाने का मामला प्रकाश में आने पर इनके विरुद्ध पांच प्रथम सूचना रिपोर्ट निम्न प्रकार से दर्ज कराई गई :

(1) दिनांक 1-10-80 को अपराध सं0 258/80, धारा 409/468 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत थाना सराय ख्वाजा में, इस मामले की विवेचना पुलिस विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा, वाराणसी द्वारा की जा रही है ।

(2) दिनांक 29-12-80 को अपराध सं0 270/80, धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सुजानगंज थाने में विवेचना के उपरान्त आरोप-पत्र अदालत में प्रेषित है ।

(3) दिनांक 1-11-80 को अपराध सं0 248/80 धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत थाना सुजानगंज थाने में । विवेचना उपरान्त अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है ।

(4) दिनांक 2-1-81 को अपराध सं0 3/81, धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत थाना कोतवाली जनपद जौनपुर में श्री विजय प्रताप सिंह, अनुभाग अधिकारी सहकारी बैंक लि0, जौनपुर तथा कार्याधिकारी श्री जगदीश सिंह द्वारा अलग-अलग रिपोर्ट 'प्रस्तुत' की गयी थीं, परन्तु थाने में दोनों रिपोर्टों को शामिल करते हुए केवल एक रिपोर्ट दर्ज की गई है । विवेचना के उपरान्त अन्तिम रिपोर्ट पुलिस द्वारा प्रेषित की जा चुकी है ।

धन की वसूली हेतु श्री राम समुझ सिंह के विरुद्ध उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68 के प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है ।

मेडिकल आफिसर जामो, सुल्तानपुर डा0 तौफीक अहमद को बहाल करने के प्रश्न पर विचार

6--श्री मुईद अहमद--

प्रथम सत्र 82 के 2रे गुरु0 के अता0 प्र0 सं0 103 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 तौफीक अहमद बाद जांच दिनांक 8-3-81 को दोषमुक्त पाये गये ? यदि हां, तो आज तक उन्हें बहाल न किये जाने का क्या कारण है ? क्या जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? डा0 तौफीक अहमद को शीघ्र से शीघ्र कब तक बहाल कर दिया जायगा ?

श्री लोकपति--

डा0 तौफीक अहमद को बहाल करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

7--श्री धर्म सिंह--

[माननीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण निरस्त]

देवरिया नगरपालिका को नगर विकास हेतु आवंटित धनराशि तथा नई दुकानों के निर्माण हेतु भूमि का चयन

8—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया नगरपालिका को वर्ष 80–81 में केन्द्र द्वारा पूर्व निर्धारित छोटे व मध्यम श्रेणी के नगरों के विकास हेतु प्रथम किस्त में जो उन्तिस लाख रुपये आबंटित हुए हैं उसमें से आज तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

अभी तक कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गई है क्योंकि भूमि आदि उपलब्ध नहीं है ।

9—रुद्र प्रताप सिंह—

उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त धन जो देवरिया नगर विकास हेतु प्राप्त हुआ है उसे किन-किन कार्यों हेतु कितना-कितना धन व्यय किए जाने का प्राविधान है ? क्या यह सत्य है कि नगर में नई दुकानों के लिए भी धन आबंटित है तो उन नई दुकानों के लिए कहां-कहां भूमि अधिग्रहीत की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

देवरिया नगर के संगठित विकास योजना हेतु कुल आवंटित धनराशि 29 लाख रुपये में से भुजाली आवासीय योजना तथा मालवीय मार्ग व्यवसायिक केन्द्र योजना हेतु क्रमशः रु0 27·78 लाख रु0 व 1·22 लाख व्यय किये जाने का प्राविधान है । नई दुकानों का निर्माण कार्य मालवीय मार्ग व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत होना था, जिसे जिलाधिकारी, देवरिया ने अस्वीकृत करके भूमि जिला परिषद् देवरिया को आबटित कर दिया है । उपर्युक्त भूमि का चयन किया जा रहा है ।

नगरपालिका बांदा में स्वीकृत पद तथा कर्मचारियों की संख्या

10—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बांदा में शासन की ओर से कितने पद स्वीकृत हैं ? पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

268 ।

261 ।

सीतापुर नगरपालिका बढ़ाने सम्बन्धी जारी की गयी राजाज्ञा

11—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के 1ले गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि अन्तिम अधिसूचना कब जारी की गयी तथा जो नया क्षेत्र सीतापुर नगरपालिका में मिलाया गया है उसका विवरण क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

अन्तिम अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, हल्द्वानी कार्य खण्ड, नैनीताल में अवर अभियन्ताओं, अभियन्ता के यात्रा भत्तों का भुगतान

12—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् हल्द्वानी कार्य खण्ड नैनीताल में पिछले 2 वर्षों से किन-किन अवर अभियन्ताओं, अभियन्ता के टी० ए०, वेतन तथा सेवा सम्बन्धी मामलों का भुगतान लम्बित पड़ा हुआ है ? उनका भुगतान कब तक करा दिया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

यात्रा भत्ता का कोई मामला वर्तमान में लम्बित नहीं है ।

श्री सुभाष कुमार पाठक, अवर अभियन्ता का दिनांक 3-4-81 से 18-4-81 तक कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण, वेतन आहरित नहीं किया गया है ।

13—श्री राम आसरे वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री मुक्तेश्वर सिंह, लिपिक, विकास बैंक सैदपुर, जनपद गाजीपुर के निलम्बन हेतु रिपोर्ट पर विचार

14—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि बलिया जनपद के थाना बांसडीह रोड में दिनांक 15 नवम्बर, 1981 को दर्ज किये गये मुकदमा अ० सं० 211/81 धारा 147/148/149/307 भा०दं०वि० के अभियुक्त श्री मुक्तेश्वर सिंह, भूतपूर्व लिपिक, विकास बैंक सैदपुर, मितरी, जनपद गाजीपुर के निलम्बन हेतु विवेचना अधिकारी ने जिलाधीश गाजीपुर को एक रिपोर्ट भेजी है ? यदि हां, तो अब तक निलम्बित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां । जिलाधिकारी गाजीपुर तथा बलिया से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वह बैंक के विचाराधीन है ।

जनपद बरेली के ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा मिट्टी का तेल तथा चीनी का कोटा न उठाने के विरुद्ध कार्यवाही

15—श्री जगदीश सिंह—

क्या जनपद बरेली के ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी भी सहकारी समितियां हैं जिन्होंने नवम्बर-दिसम्बर, 1981 एवं जनवरी, 1982 में अपना मिट्टी का तेल अथवा चीनी का कोटा जो उन्हें आबंटित था नहीं उठाया ? यदि हां, तो वे कौन सी समितियां हैं ? और शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां।

ऐसी सहकारी समितियां जिन्होंने सम्बन्धित महीनों में मिट्टी के तेल का कोटा नहीं उठाया गया उनका विवरण संलग्नक† 'क' और जिन्होंने चीनी का कोटा नहीं उठाया उनका विवरण संलग्नक †'ख' में अंकित है।

जिलाधिकारी से प्राप्त सूचनानुसार केवल साधन सहकारी समिति बाल्लिया के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की गयी है। शासन द्वारा जिलाधिकारी बरेली को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे ऐसी व्यतिक्रमी (डिफाल्टिंग) अन्य सभी सहकारी समितियों के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही करें।

16--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

[19-1-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 77 द्वारा उत्तरित।]

17--श्री मुईद अहमद--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला अस्पताल, फैजाबाद की दुर्व्यवस्था, कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और गुटबन्दी की शिकायतों की जांच

18--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-5-82 जिला अस्पताल, फैजाबाद की दुर्व्यवस्था, उसके कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और गुटबन्दी व उनके आपस में झगड़ने की शिकायतों के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं ? उन पर शासन ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति--

ऐसा कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता। प्रति मिलने पर तथा स्पष्ट आरोप होने पर शिकायतों की जांच करा ली जावेगी।

जनपद आजमगढ़ की घोसी तहसील में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण, मातृ शिशु उपकेन्द्र खोले जाने व भवन निर्माण की योजना का क्रियान्वयन

19--श्री राज कुमार राय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के घोसी तहसील तारत में जन संख्या परियोजना के अन्तर्गत कितने-कितने, किन-किन और किस हद तक अस्पतालों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की उच्चीकरण की योजना है और किन-किन स्थानों पर मातृ शिशु केन्द्र खोले जाने व भवन बनवाने (अलग-अलग) की योजना है और यह कार्य निर्माण सहित कब तक पूरे कर लिये जायेंगे ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री लोकपति--

परियोजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ की घोसी तहसील में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दोहरीघाट का उच्चीकरण करके इसे 10 शैय्यायुक्त बनाने की योजना है ।

घोसी तहसील में खोले गये मातृ केन्द्र (उपकेन्द्र) की सूची संलग्न है ।

उपकेन्द्रों के भवन निर्माण के लिए उपयुक्त स्थलों के चयन की कार्यवाही प्रगति पर है । निर्माण कार्य को 1985 तक पूरा करने का लक्ष्य है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 110 पर ।)

टाउन एरिया व नगरपालिका के विकास सम्बन्धी निर्माण योजनाओं का प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय विधायक व संसद सदस्य के परामर्श से क्रियान्वयन

20--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन ने इस प्रकार के अदेश कर रखे हैं कि टाउन एरिया व नगर पालिका के विकास सम्बन्धी निर्माण योजनाओं को प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक व संसद सदस्य के परामर्श से ही उन योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे ? यदि हां, तो वर्ष 80 व वर्ष 81 में वर्तमान समय की नगरपालिका बिल्हौर जनपद कानपुर के निर्माण कार्यों में क्षेत्रीय विधायक एवं संसद सदस्य का परामर्श न लेने के क्या कारण है तथा शासनादेश का उल्लंघन करने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामसिंह खन्ना--

जी हां ।

चूंकि प्रश्नगत आदेश 1 मई, 1982 को जारी किया गया अतः वर्ष 1980 एवं 1981 में नगरपालिका द्वारा उसका कार्यान्वयन करने, उल्लंघन करने तथा इस निमित्त किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

स्थानीय निकायों के अन्तर्गत सड़क निर्माण सम्बन्धी सामानों का मान्यता प्राप्त एजेन्सीज से क्रय तथा नगरपालिका बिल्हौर में उक्त आदेशों का पालन न करने के विरुद्ध कार्यवाही

21--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन ने यह आदेश कर रखे हैं कि टाउन एरिया व नगरपालिका के अन्तर्गत निर्माण सम्बन्धी सामानों को सीधे उत्पादनकर्ता अथवा उत्पादक एजेन्सी से ही खरीदा जाय ? यदि हां, तो वर्ष 79-80 व वर्ष 80-81 में वर्तमान नगरपालिका बिल्हौर, जनपद कानपुर में शासकीय नियमों का उल्लंघन कर प्राइवेट एजेंसी से सामान खरीदने पर सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

स्थानीय निकायों में सड़क निर्माण के संबंध में मैकस्फाल्ट ठेकेदारों से न लेने बल्कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, भारत पैट्रोलियम एवं मान्यताप्राप्त

एजेन्सीज से ही इसको क्रय करने का शासनादेश दिनांक 14-9-1979 तथा 4-2-80 जारी किया गया। किन्तु 19-3-1981 को उक्त सामग्री की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर क्रय करने का पुनरीक्षित शासनादेश जारी किया गया।

नगरपालिका, बिल्हौर में संदर्भित वर्षों में उक्त आदेशों का उल्लंघन करने हेतु नगरपालिका द्वारा संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

जिला अस्पताल, फैजाबाद के चिल्ड्रेन वार्ड में सन् 1980-81 में महीनेवार दाखिल हुए व मृत हुए बच्चों का विवरण

22--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अस्पताल, फैजाबाद के चिल्ड्रेन वार्ड में सन् 80 व 81 में अलग-अलग महीनावार कितने बच्चे दाखिल हुए और मरे और क्या अत्यधिक बढ़ती हुई मृत्यु दर को देखते हुए सरकार उन कारणों की जांच करायेगी जिन कारणों से इतने बच्चे मरे ?

श्री लोकपति--

जिला अस्पताल, फैजाबाद के चिल्ड्रेन वार्ड में सन् 80 व सन् 81 में अलग-अलग महीनावार दाखिल हुए व मृत्यु हुए बच्चों का विवरण निम्न प्रकार है :--

माह	1980		1981	
	भर्ती	मृत्यु	भर्ती	मृत्यु
जनवरी	90	13	83	18
फरवरी	78	15	81	10
मार्च	87	15	102	15
अप्रैल	157	36	130	14
मई	179	25	139	19
जून	179	33	176	20
जुलाई	162	32	154	31
अगस्त	175	28	134	22
सितम्बर	123	18	140	23
अक्तूबर	108	19	126	22
नवम्बर	85	15	116	25
दिसम्बर	125	19	128	26
योग ..	1548	268(17.30)	1509	245 (16.20)

उपरोक्त में मरणासन्न अवस्था में आए रोगियों की संख्या 634 605 थी।

मृत्यु के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :--

1--ब्रांकी निमौनिया ।

2--ट्युबर कूलर मैनिगो एनसेफलाइट्स ।

3--एक्यूट एनहाराइडिस विद सीवियर एसीडोसिस ।

4--इन्फेन्टाइल सिरोसिस लीवर विद पोर्टल पाइपरटेन्शन ।

5--कन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर ।

6--ल्युकोमिया ।

उपरोक्त गम्भीर बीमारियों एवं 1980 की अपेक्षा 1981 में मृत्यु की दर में हुई कमी को ध्यान में रखते हुए जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

कासगंज (एटा) में आवास एवं विकास योजना हेतु ग्राम जरबा रुद्रपुर-कुतुबपुर में भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव

23--श्री राम कृष्ण माहेश्वरी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कासगंज (एटा) में आवास विकास योजना हेतु ग्राम जरबा रुद्रपुर कुतुबपुर एवं पहाड़पुर माफी में जिनसे भूमि के अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है क्या उस भूमि पर आम आदि फलदार वृक्षों के बागात एवं नलकूप लगे हैं ? यदि हां, तो इस योजना के लागू होने पर कितने फलदार वृक्ष काटे जायेंगे, कितनी सम्पति की हानि होगी तथा कितने व्यक्ति प्रभावित होंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

कासगंज (एटा) में आवास एवं विकास परिषद् की आवास योजना संख्या 1 में ग्राम जरबा रुद्रपुर कुतुबपुर में जिस भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है, पर आम आदि के पेड़ एवं नलकूप भी हैं । इस योजना का अभी अभिन्यास खाका तैयार न होने के कारण काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या तथा कितनी सम्पत्ति की हानि सम्भावित है, बता पाना कठिन है । इस योजना की अधिग्रहण कार्यवाही से लगभग 25-26 व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना है । ग्राम पहाड़पुर माफी की भूमि उक्त योजनान्तर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित नहीं है ।

म्युनिसिपल कोआपरेटिव क्रेडिटिंग सोसाइटी, काशीपुर (नैनीताल) के भागीदारों द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्र की जांच

24--श्री रियासत हुसैन--

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल कोआपरेटिव क्रेडिटिंग सोसाइटी, काशीपुर (नैनीताल) के भागीदारों द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 1981 तथा 3 फरवरी, 1982 उनके कार्यालय में प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों में निहित शिकायतों का विवरण क्या है और उन शिकायतों पर यदि कोई जांच की गई है तो क्या शिकायतकर्ता भागीदारों को आरोप सिद्ध करने का अवसर दिया गया है ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां ।

म्युनिसिपल कोआपरेटिव क्रेडिटिंग सोसाइटी, काशीपुर (नैनीताल) के भागीदारों द्वारा प्रेषित प्रश्नगत दोनों शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे, जिनका विवरण निम्नवत् है :--

1--गत 6 वर्षों से निर्वाचन न होना ।

2--सचिव द्वारा हिसाबों में गड़बड़ी ।

3--समिति का आडिट न होना ।

4--ऋण वितरण न किया जाना ।

5--लाभ वितरण न होना ।

उक्त शिकायतों की जांच कराई गई । जांचोपरान्त शिकायत संख्या-1, 4 और 5 सही पाये गये तथा शेष आरोप सही नहीं पाये गये । चूंकि आरोप संख्या 2 और 3 की जांच अभिलेखों के आधार पर जांच अधिकारी द्वारा की गई थी तथा हिसाबतों में कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई, अतः महामंत्री को आरोप सिद्ध करने का अवसर देना आवश्यक नहीं समझा गया और सचिव के माध्यम से उन्हें अवगत करा दिया गया । सही पाये गये आरोपों का निराकरण करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिए जा चुके हैं ।

फैजाबाद सहकारी जिला बैंक लि0, फैजाबाद की शाखाओं द्वारा नकद रूप से ऋण वितरण के अनियमित भुगतान के संबन्ध में शिकायत

25--श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 80-81 व वर्ष 81-82 में जनपद फैजाबाद की किन-किन सहकारी बैंकों की शाखाओं द्वारा नगद अंश ऋण का वितरण किया गया ? क्या यह सही है कि माह जून, 81 में किन्हीं शाखाओं द्वारा बगैर सदस्य को भुगतान किए लाखों रुपये का फर्जी भुगतान किया गया ? क्या यह सही है कि माह जून, 81 में वितरित नगद अंश ऋण के अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में कोई शिकायत जिला स्तर व शासन स्तर पर प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही क्या हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

फैजाबाद सहकारी जिला बैंक लि0, फैजाबाद की निम्न शाखाओं द्वारा वर्ष 80-81 व 81-82 में अंश "क" नकद रुप में ऋण वितरण किया गया है :--

1--सदर ।

2--सुच्चितागंज ।

3--पूराबाजार ।

4--गोसाईगंज ।

5--तारुन ।

6--बीकापुर

7--हरिश्टनगंज

8--मिल्कीपुर

9—अमानीगंज

10—कटेहरी

11—अकबरपुर

12—जलालपुर

13—टांडा

14—बसखारी

15—रामनगर

16—जहांगीरगंज ।

बैंक के भीटी शाखा के सम्बन्ध में दिनांक 10-4-82 के अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, अकबरपुर को एक रिपोर्ट जिला सहायक निबन्धक, फैजाबाद को प्राप्त हुई थी, जिसमें फर्जी भुगतान की सम्भावना व्यक्त की गई है ।

जी हां, जिला स्तर पर प्राप्त हुई है । अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, अकबरपुर से जांच कराई गई, भीटी शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबन्धक श्री मंगल प्रसाद गुप्त का वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा तात्कालिक प्रभाव से उन्हें निलम्बित भी कर दिया गया है । साधन सहकारी समिति लि0, मिझौड़ा, खजुरी, जलालपुर, परशुरामपुर के सचिव निलम्बित हैं । सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ।

श्री सतानन्द अवस्थी, भूतपूर्व कम्पाउन्डर को देय उपार्जित अवकाश के राशिकरण का भुगतान

26—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सतानन्द अवस्थी, भू0 पू0 कम्पाउन्डर आयुर्वेदिक अस्पताल सिजहरी (हमीरपुर) का 31-12-79 से रिटायरमेन्ट के पश्चात् 30 अप्रैल, 82 तक 6 माह का राशिकरण का वेतन प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां । श्री सतानन्द अवस्थी भूतपूर्व कम्पाउन्डर को देय 180 दिवस के उपार्जित अवकाश के राशिकरण का भुगतान दिनांक 31-7-1982 को कर दिया गया है ।

ए0 आर0 ओ0, फैजाबाद द्वारा तीन फर्मों के विरुद्ध पाम आयल बेचने के सम्बन्ध में रिपोर्ट

27—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री को ज्ञात है कि फैजाबाद जिला पूर्ति अधिकारी के आदेश पर तारीख 7 नवम्बर, 1981 को ए0 आर0 ओ0 ने पाम आयल बेचने के सम्बन्ध में किन्हीं तीन फर्मों के विरुद्ध अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई है ? यदि हां, तो इन तीन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 7 नवम्बर, 1981 को नहीं, बल्कि दिनांक 18 नवम्बर, 1981 को दर्ज करायी गई थी । तीनों फर्मों में से मैसर्स राम चन्दर अग्रवाल, फतेहगंज तथा मैसर्स नगर मल सागरमल के मामलों में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगायी जा चुकी है तथा मैसर्स सूरज मल श्याम सुन्दर, फतेहगंज के मामले में विवेचना अधिकारी द्वारा अभी जांच जारी है ।

आयुर्वेदिक व यूनानी स्नातकों को हाउस जाब करने की सुविधा

28--श्री मुईद अहमद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि आयुर्वेदिक व यूनानी स्नातकों को उत्तर प्रदेश के केवल 24 जिलों में ही विभाग द्वारा हाउस जाब करने की छूट प्रदान की गई है ? इसके अतिरिक्त अन्य समस्त जिलों में इन्हें वह छूट नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार आयुर्वेदिक एवं यूनानी स्नातकों को प्रदेश के सभी जिलों में हाउस जाब करने की सुविधा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

जी हां ।

प्रशासनिक कारणों से अभी तक केवल 24 जिला व तहसील अस्पतालों में आयुर्वेदिक एवं यूनानी स्नातकों को हाउस जाब की सुविधा दी गई है । इस संख्या को बढ़ाने पर विचार हो रहा है ।

सेवानिवृत्त श्री संतराम, टोल क्लर्क, टाउन एरिया कमेटी, कांठ का सेवाकाल की अवधि का वेतन

29--श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की टाउन एरिया कमेटी, कांठ में नियुक्त टोल क्लर्क, श्री सन्तराम को क्या समय से पूर्व ही रिटायर करके सेवा मुक्त कर दिया गया है तथा उनका फरवरी, 1980 से 8 मई, 1981 तक के सेवाकाल की अवधि का वेतन भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

श्री सन्तराम, टोल क्लर्क, टाउन एरिया कमेटी, कांठ को निर्धारित आयु सीमा पर ही रिटायर किया गया है । प्रश्नगत अवधि में वे अधिवर्षता की आयु के बाद अपने गलत शपथ-पत्र के आधार पर कार्य करते रहे इसलिये वेतन नहीं दिया गया है ।

श्रमिक बस्ती, तालकटोरा के रख-रखाव सफाई व सीवर की व्यवस्था हेतु किये गये प्रबन्ध

30--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका, लखनऊ स्थित श्रमिक बस्ती तालकटोरा के रख-रखाव, सफाई व सीवर व्यवस्था के लिए वर्तमान में क्या प्रबन्ध है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

श्रमिक बस्ती तालकटोरा के रख-रखाव की व्यवस्था श्रम-आयुक्त के अधीनस्थ है। इस कालोनी में सीवर की व्यवस्था सोकपिट द्वारा उपलब्ध है, सफाई आदि की व्यवस्था हेतु, अभी इसे नगरमहापालिका लखनऊ को हस्तांतरित नहीं किया गया है फिर भी जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुए तथा याचिका समिति विधान परिषद् के निर्देशानुसार वहां पर सड़कों का सुधार एवं गली की मरम्मत महापालिका लखनऊ द्वारा अपने सीमित साधनों से करा दी गई है। मार्ग प्रकाश हेतु 19 साधारण बल्व व एक ट्यूब फिटिंग भी लगवा दी गई है। वहां के निवासियों के अनुरोध पर समय-समय पर महापालिका लखनऊ द्वारा विशेष सफाई भी यथा अवसर करा दिया जाता है। श्रमिक बस्ती में सड़क मरम्मत के कार्य में महापालिका द्वारा 1,06,086.68 रु0 व्यय किया जा चुका है।

सीतापुर नगरपालिका में पुराना सीतापुर पुनः निर्मित पेयजल योजना को वित्तीय स्वीकृति एवं सीवरेज योजना लागू करने हेतु कृत कार्यवाही

31--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 2रे गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अता0 प्र0 सं0 72 के उत्तर के बारे में क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वे पेयजल योजना पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के बाद अब तक निर्माण की प्रगति क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

नागर जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये वर्ष 1982-83 के बजट में जल निगम द्वारा कोई भी प्राविधान इस नयी योजना के लिये नहीं किया जा सका है। इसके कारण अभी तक इस योजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

हाट निरीक्षक, गोपेश्वर, जिला चमोली द्वारा फर्मों का निरीक्षण तथा विभागीय कार्यवाही

32--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हाट निरीक्षक गोपेश्वर, जिला चमोली ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दि0 13-10-80 को सुभाषचन्द्र अग्रवाल मेसर्स अग्रवाल जनरल स्टोर तिलवाड़ा, जिला चमोली, दिनांक 13-6-80 को मेसर्स पुरुषोत्तम डिमरी ग्राम पो0 उमटा, जिला चमोली एवं दिनांक 21-10-80 को मेसर्स सुभाषचन्द्र ग्राम मोरी, जिला चमोली का चालान किया था ? क्या उक्त तीनों मामलों की तफतीश के दौरान हाट निरीक्षक ने अन्य लोगों को भी दोषी पाकर उन्हें भी अन्य मामलों में सह-अभियुक्त बनाया था, परन्तु क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल मन्डल, देहरादून ने उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति नही दी है ? यदि हां, तो स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ?

श्री बासुदेव सिंह--

प्रश्न में वर्णित तिथियों को सम्बन्धित फर्मों का निरीक्षण हाट निरीक्षक, गोपेश्वर जिला चमोली द्वारा किया गया था।

प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर 'जी हां' में है ।

प्रश्न के अन्तिम भाग के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि सभी सम्बन्धित सह अभियुक्त खाद्य विभाग के थोक खाद्यान्न लाइसेन्सी थे और उनके द्वारा की गयी अनियमितताओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुये क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल मन्डल, देहरादून द्वारा उनके विरुद्ध केवल विभागीय कार्यवाही करना उचित समझा गया और इसलिये उन पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं दी गयी ।

33—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

34—श्री राम कृष्ण माहेश्वरी—

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेसर्स प्रकाश मोटर्स राजगढ़ झांसी के फर्जी लाइसेन्स के विरुद्ध थाने में दर्ज रिपोर्ट

35—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मेसर्स प्रकाश मोटर्स राजगढ़ झांसी के फर्जी लाइसेन्स होल्डर को धोखाबड़ी, साजिश पूर्ण कार्यवाहियों द्वारा फर्जी नामों पर नवीनीकरण लाइसेन्स दिनांक 21-4-81 को जिला पूर्ति अधिकारी, झांसी आदि द्वारा बिना किसी प्रमाण व आधार के किए जाने के विरुद्ध दिनांक 13-2-81 को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, झांसी के माध्यम से धारा 120 बी, 420, 468, 466, 218 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/17 में आरोप-पत्र एफ0 आई0 आर0 प्रस्तुत तथा पुलिस थाने में रिपोर्ट हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बासुदेव सिंह—

प्रश्न में वर्णित दिनांक 13 फरवरी, 1981 को कोई एफ0 आई0 आर0 उक्त धाराओं के अन्तर्गत पुलिस थाने में रजिस्टर्ड नहीं हुई । प्रश्न के द्वितीय भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

साधन सहकारी समिति, फैजाबाद हेतु विक्रेताओं का चयन तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी

36—श्री नन्द किशोर सिंह, श्री वीरेन्द्र चौधरी तथा श्री प्रियदर्शी जेतिली—

क्या सरकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 81 में जनपद फैजाबाद में साधन सहकारी समितियों के लिए सेल्समैनों का चयन विभाग द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो चयनित सेल्समैनों में कितने सेल्समैन अनुसूचित जाति के हैं तथा चयन की प्रक्रिया क्या थी ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां ।

चयनित सेल्समैनों में से 9 सेल्समैन अनुसूचित जाति के हैं ।

जनपद में चयन समिति ने सहकारी समिति निबन्धक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विक्रेताओं का चयन किया गया था ।

जनपद हरदोई, ग्राम अरसेलिया में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत बीज भन्डार का निर्माण

37--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई विकास खंड कोथावां के ग्राम अरसेलिया में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत बीज भंडार के निर्माण सम्बन्धी निर्देश 30 अप्रैल, 1982 को उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद सहायक निबन्धक, हरदोई को भेजे गये ? यदि हां, तो तद्नुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ न कराए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बच्चा पाठक--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ए0 एच0 एम0 डफरिन चिकित्सालय, कानपुर के स्टोरकीपर के विरुद्ध शिकायती पत्र एवं थाना कोतवाली, कानपुर में दर्ज मुकदमा

38--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ए0 एच0 एम0 डफरिन चिकित्सालय, कानपुर के स्टोर कीपर (एस0 एम0 ए0 हाशमी) के विरुद्ध वरिष्ठ अधीक्षिका (डा0 वाई0 के0 टंडन) द्वारा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के नाम एक डी0 ओ0 मि0/ 82 दिनांक 16-4-82 भेजा गया ? यदि हां, तो उक्त डी0 ओ0 क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

ए0 एच0 एम0 डफरिन, चिकित्सालय कानपुर की वरिष्ठ अधीक्षिका द्वारा भेजा गया प्रश्नगत-पत्र स्वास्थ्य सेवा निदेशक के कार्यालय में उपलब्ध न होने पर उसकी प्रति मंगा ली गयी है ।

39--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या यह सही है कि उक्त स्टोर कीपर के विरुद्ध दिनांक 17-12-79 को अपराध सं0 1146 धारा 448/380 भा0 दं0 वि0 सं0 के अन्तर्गत थाना कोतवाली, कानपुर में मुकदमा भी रजिस्टर्ड हुआ था ? यदि हां, तो थाना कोतवाली कानपुर की चौकी परेड से कोई पुलिस रिपोर्ट उक्त स्टोर कीपर के बारे में विभाग को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है और कार्यवाही क्या की गयी ?

श्री लोकपति--

जी हां मुकदमा रजिस्टर हुआ, परन्तु विभाग में अभी तक कोई पुलिस रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

यू0 एस0 एम0 चिकित्सालय, कानपुर से श्री विक्टर साइमन टेक्नीशियन का स्थानान्तरण

श्री भीखा लाल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विक्टर साइमन टेक्निशियन का स्थानान्तरण अगस्त, 1981 में यू0 एस0 एम0 चिकित्सालय, कानपुर से मेडिकल कालेज कानपुर किया गया था लेकिन उनको न तो नये स्थान पर चार्ज दिया गया और न पुराने स्थान पर वापस लिया गया और तब से उनको वेतन भी नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया ?

श्री लोकपति—

श्री विक्टर साइमन को दिनांक 31-7-81 को स्थानान्तरित किया गया। उन्होंने स्थानान्तरण आदेश नहीं लिया और दिनांक 8-8-81 से कार्य से अनुपस्थित हो गये। उन्हें दिनांक 14-4-82 के आदेश द्वारा कुष्ठ नियंत्रण इकाई, कानपुर में समायोजित कर लिया गया है। अनुपस्थिति की अवधि के लिये अवकाश या विनियमितीकरण का उनकी ओर से प्रार्थना-पत्र उचित माध्यम से प्राप्त न होने के कारण उस अवधि के वेतन के विषय में निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

यू0 पी0 कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ के अधीनस्थ कार्यरत सहकारी सुपरवाइजरों की पदोन्नति में अनिवार्य अर्हतायें

41—श्री झिलमिट राम तथा श्री मुंशी लाल—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 कोआपरेटिव यूनियन लखनऊ के अधीनस्थ कार्यरत सहकारी सुपरवाइजरों की पदोन्नति सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 पर होने के लिए उनको इन्टरमीडिएट होना अनिवार्य है? जब कि उसी पद पर पदोन्नति के लिए हाई स्कूल उत्तीर्ण ग्रामसेवक भी सक्षम हैं? क्या यह सत्य है कि विगत वर्ष 1980 में जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण सुपरवाइजरों की पदोन्नति की गयी? यदि हां, तो अब हाई स्कूल पास पर्यवेक्षकों की पदोन्नति निरीक्षक वर्ग-2 में न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार हाई स्कूल पास पर्यवेक्षकों की पदोन्नति निरीक्षक वर्ग-2 के पद पर कराने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु ऐसे ग्राम सेवक भी जिन्होंने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण कर ली हो और जो शासनादेश संख्या 10768/अड़तीस-क—961-64, दिनांक 14 दिसम्बर, 1964 में दिए गये अनुदेशों के अनुसार गठित जिला और यदि क्षेत्रीय चयन समितियों द्वारा ऐसे पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे जाय, पदोन्नति के पात्र होंगे।

जी नहीं।

सेवा नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व नियुक्त हाई स्कूल पास पर्यवेक्षकों की पदोन्नति निरीक्षक वर्ग 2 के पदों पर करने के लिये अधीनस्थ सहकारी सेवा नियमावली, 1979 के नियम-5 में संशोधन किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है। प्रश्नगत नियमावली में संशोधन हो जाने के उपरान्त पर्यवेक्षकों को निरीक्षक वर्ग-2 के पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा।

जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां एवं सचिव, जिला सहकारी बैंकों को सहकारी पर्यवेक्षकों एवं कामदारों के अवशेष वेतन एवं टी0 ए0 आदि का भुगतान करने हेतु आदेश

42—श्री झिलमिट राम तथा श्री मुंशी लाल—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त निबन्धक/प्रशासक पी0 सी0 यू0 ने पत्र सं0 73 सी0/वेतन अनुभाग, दिनांक लखनऊ 6-11-81 द्वारा

प्रदेश के सहकारी पर्यवेक्षकों एवं कामदारों का अक्तूबर, 1967 से जून, 1976 तक का अवशेष वेतन टी० ए० आदि का भुगतान कराने हेतु प्रदेश के सभी ए० आर० व सचिव बैंकों व अन्य को आदेश निर्गत कर दिए थे ? यदि हां, तो 28-2-82 तक कितने कर्मचारियों का भुगतान करा दिया गया ?

श्री बच्चा पाठक--

अतिरिक्त निबन्धक (प्रशा०) एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय प्रशासनिक कमेटी पी० सी० यू० प्राधिकारी संघ ने पत्र संख्या 73 सी/वेतन, दिनांक 6-11-81 द्वारा उक्त पत्र में उल्लिखित 20 जनपदों के जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां एवं सचिव, जिला सहकारी बैंकों को पत्र में उल्लिखित 40 सहकारी पर्यवेक्षकों एवं कामदारों के अक्तूबर 1967 से जून, 1976 तक के अवशेष वेतन एवं टी० ए० आदि का भुगतान करने हेतु आदेश भेजे थे। कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वीभिन्न जनपदों के 8 कर्मचारियों को अवशेष धनराशि का भुगतान दिनांक 28-2-82 तक कर दिया गया था।

जिला सहकारी बैंक तथा उससे सम्बन्धित शाखाओं में गबन से संबधित प्रार्थना-पत्र की जांच

43--श्री भोखा लाल--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम चन्द्र अग्निहोत्री भूतपूर्व सभापति, साधन सहकारी समिति, रुदौली, विकास खंड देवा जिला बाराबंकी ने जिल सहकारी बैंक तथा उससे सम्बन्धित शाखाओं में गबन से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र दिनांक 27-11-81 को उन्हें प्रेषित किया ? यदि हां तो क्यों उसकी जांच कराई गयी और गबन सम्बन्धी कौन-कौन से आरोप सही पाये गये ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां।

जांच कराई गई, जिसमें कोई आरोप सिद्ध नहीं पाये गये।

शेरपुर साधन सहकारी समिति में लम्बित बकाये धनराशि का सत्यापन

44--श्री रामचरण सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 30-11-81 को जो एक पत्र शेरपुर साधन सहकारी समिति विकास खंड नरायनपुर, जनपद मिर्जापुर को विशेष अधिकार से बचाए जाने के सम्बन्ध में लिखा था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां।

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ। शेरपुर साधन सहकारी समिति में लम्बित बकाये की धनराशि का सत्यापन कराया गया। फलतः 12,157·35 रु० की धनराशि बट्टेखाते में डाल दी गई।

श्री० डी० एन० तिवारी, हेल्थ असिस्टेन्ट, जनपद बलिया की समाप्त सेवाएं

45--श्री राजकुमार राय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 4-3-82 जो श्री डी० एन० तिवारी, हेल्थ असिस्टेंट, जनपद बलिया की सेवा को बहाल किए जाने के विषय में था, मिला ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उन्हें बहाल करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति--

जी हां । श्री तिवारी की सेवायें प्रशासनिक आधार पर समाप्त की गई थीं । अतः उन्हें सेवा में बहाल किए जाने के विषय में विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

46--श्री राजकुमार राय--

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 93 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला सहकारी बैंक, वाराणसी में चपरासियों, लिपिकों, चौकीदारों के पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं साक्षात्कार हेतु अनिवार्य अर्हतायें

47--श्री ऊदल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी बैंक, वाराणसी में अप्रैल, 1982 में जो साक्षात्कार चपरासियों, लिपिकों, चौकीदारों के लिए किया गया है ? क्या सहकारिता सेवा मंडल उत्तर प्रदेश ने उसकी कोई लिस्ट चनाव करके बना दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बच्चा पाठक--

जिला सहकारी बैंक, वाराणसी द्वारा प्रेषित अधियाचन के आधार पर उ० प्र० सहकारी संस्थागत सेवा मंडल द्वारा चपरासी/चौकीदार पद हेतु साक्षात्कार करके चयनित अभ्यर्थियों की सूची बैंक को प्रेषित कर दी गई है । सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है ।

बैंक द्वारा लिपिक पद हेतु अधियाचन नहीं किया गया था ।

48--श्री ऊदल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक वाराणसी में क्लर्कों एवं चौकीदारों, चपरासियों के पदों का साक्षात्कार अप्रैल, 1982 में किया गया है ? यदि हां, तो जो लोग कैजुअल रूप में एक-एक वर्ष के ऊपर से कार्य कर रहे थे उनको साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां । उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंक लि०, वाराणसी में चौकीदारों

एव चपरासियों के पदों के लिए साक्षात्कार किया गया है तथा चौकीदार/चपरासी के पदों पर कंजुअल रूप में कार्यरत व्यक्तियों को भी साक्षात्कार में सम्मिलित किया गया है ।

लिपिकों का कोई साक्षात्कार नहीं किया गया है ।

जनपद वाराणसी में सहकारी समितियों द्वारा चलाई गई राशन मिट्टी का तेल, चीनी व सीमेन्ट की दुकानें

49—श्री ऊदल—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग द्वारा वाराणसी में कितनी राशन, मिट्टी का तेल, चीनी तथा सीमेन्ट की दुकानें चलाई जा रही हैं ? क्या यह सही है कि वाराणसी में सहकारी संघ नियमित उपरोक्त सामान नहीं उठा रहे हैं ? इसका क्या कारण है ?

श्री बच्चा पाठक—

वाराणसी जनपद में सहकारी समितियों द्वारा राशन, मिट्टी का तेल तथा चीनी की 453 दुकानें व सीमेन्ट की दो दुकानें चलाई जा रही हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ब्लाक पिण्डरा व बड़ागांव हरहुआ, वाराणसी में मातृ-शिशु रक्षा केन्द्र के भवन का निर्माण तथा गड़खड़ा, ब्लाक पिण्डरा में मिडवाइफ की नियुक्ति

50—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के ब्लाक पिण्डरा व ब्लाक बड़ागांव हरहुआ में बन रहे मातृ शिशु रक्षा हेतु भवन अधूरे पड़े हैं और जहां बन भी गये हैं वहां मिडवाइफों की नियुक्तियां नहीं की गई हैं ? क्या स्थान गड़खड़ा ब्लाक पिण्डरा, वाराणसी में जो मातृ शिशु रक्षा हेतु इमारत बन गई है उसमें मिडवाइफ की नियुक्ति कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

परियोजना के अन्तर्गत इन ब्लाकों में निर्माणाधीन भवन अभी पूरे नहीं हुए हैं और निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

गड़खड़ा ब्लाक पिण्डरा, वाराणसी में (मातृ-शिशु रक्षा केन्द्र) उपकेन्द्रों की इमारत अभी पूरी नहीं हुई है । वहां उपकेन्द्र खोला गया है और मिडवाइफ (ए0 एन0 एम0) की तैनाती कर दी गई है ।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज एवं जलालपुर में बीज गोदाम का निर्माण

51—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज एवं जलालपुर में कितने बीज गोदाम किन-किन स्थानों पर निर्माणाधीन हैं ? इनके निर्माण की स्थिति क्या है और कब तक इनका निर्माण पूर्ण कर लिया जायगा ?

श्री बच्चा पाठक--

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर में साधन सहकारी समिति घरांव का एक गोदाम ग्राम कुसिया में निर्माणाधीन है। विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज में इस समय कोई भी गोदाम निर्माणाधीन नहीं है। साधन सहकारी समिति घरांव का ग्राम कुसिया में निर्माणाधीन गोदाम अभी नींव स्तर तक निर्मित हुआ है तथा इसके माह दिसम्बर, 1982 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

नगरपालिका बिलग्राम, जिला हरदोई के निवासियों की समस्याओं के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

52--श्री हरीशंकर--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बिलग्राम, जिला हरदोई के निवासियों की समस्याओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र जिला अधिकारी, हरदोई को अप्रैल/मई, 1982 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां।

पालिका ने अपने सीमित साधनों से सफाई, प्रकाश व्यवस्था में सुधार किया है, चुंगी चोरी रोकने में प्रयास कर आय में वृद्धि किया है तथा शासन से प्राप्त सड़क अनुदान के उपयोग करने हेतु उपयोगिता अवधि में वृद्धि प्राप्त करने की कार्यवाही की है।

जनपद मिर्जापुर के डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा सी0 एस0 कालोनी के आवासों के आबंटन में धांधली सम्बन्धी शिकायती-पत्र तथा महिला डाक्टर द्वारा फार्मेसिस्ट आवास गृह खाली करने के आदेश

53--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर के डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सिंह ने 21-8-81 को जिलाधीश मिर्जापुर के नाम एक शिकायती-पत्र भेजकर सी0 एस0 कालोनी के आवासों के आबंटन में धांधली से सम्बन्धित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

इस आशय का कोई शिकायती-पत्र जिला अधिकारी, मिर्जापुर के कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया जाता पर दिनांक 21-8-81 को श्री वीरेन्द्र सिंह ने एक प्रार्थना-पत्र आवास आबंटन हेतु दिया था जिस पर उन्हें दिनांक 1-7-1982 को मुख्य चिकित्साधिकारी परिसर का आवास संख्या 17/11 सी0 एस0 आबंटित कर दिया गया है।

54--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह जानकारी है कि फार्मेसिस्टों के लिए निर्मित आवास गृहों को केवल फार्मेसिस्टों के नाम ही आबंटित किए जाने सम्बन्धी शासनादेश सं0 5234 (1)/5-7-2504-80, दिनांक 5 दिसम्बर, 1981 की अवहेलना करते हुए अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, मिर्जापुर द्वारा फार्मेसिस्टों के लिए निर्मित आवास को फार्मेसिस्ट के नाम आबंटित न कर किसी डाक्टर को आबंटित कर दिया ? यदि हां, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति—

फार्मेसिस्ट आवास गृह किसी डाक्टर को आबंटित नहीं किया गया था वरन् उक्त आवास गृह खाली होने के कारण उसमें महिला डाक्टर रह रही हैं। उन्हें उक्त आवास गृह खाली करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

जिला सहकारी बैंक, गोण्डा में श्री नाथ गुप्ता की मुख्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति

55—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ द्वारा 13-10-77 को कोपरसोनेल वर्ग-1 (जिला सहकारी बैंकों हेतु) के पद पर श्री नाथ गुप्ता, श्री जुगनू शाह, 4/1, रेलवेगंज, हरदोई को चयनित किया गया था और श्री गुप्ता ने निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 4701-44/एस0 ए0 50-77-सेवा मण्डल अधि0 दिनांक 7-12-77 के अनुपालन में प्रशिक्षण प्राप्त किया, तत्पश्चात् निबन्धक के पत्र संख्या 6038/42/एस0 ए0-5/मंडल/वर्ग-1/अधि0 दिनांक 2-1-78 द्वारा जिला सहकारी बैंक, सुल्तानपुर एवं पत्र सं0 218-72/एस0 टी0/एस0 ए0-5/मंडल/77/अधि0/दिनांक 31-1-78 द्वारा जिला सहकारी बैंक गोण्डा में उनकी नियुक्ति आदेश जारी किए गये किन्तु श्री गुप्ता को उक्त दोनों स्थानों पर कार्यभार नहीं सभालने दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां, जिला सहकारी बैंक सुल्तानपुर में रिक्ति के अभाव में श्री गुप्ता का आबंटन जिला सहकारी बैंक गोण्डा में मुख्य अधिकारी (व्यवस्थापक/मुख्य आंकिक/कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारी) पद पर किया गया परन्तु उन्होंने अभी तक अपना कार्यभार सम्भालने हेतु गोण्डा बैंक में योगदान नहीं किया। अतः कार्यभार न सम्भालने दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

साधन सहकारी समिति, जीयनपुर, छपरा सुल्तानपुर तथा अमुवारी नारायणपुर के सचिवों द्वारा चार्ज न दिये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

56—श्री पंचानन राय—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जनपद के आजमगढ़ विकास क्षेत्र में स्थित साधन सहकारी समिति, जीयनपुर, छपरा सुल्तानपुर तथा अमुवारी नारायणपुर के सचिव जुलाई, अगस्त, 1981 में निलम्बित किए गये, किन्तु उन्होंने अप्रैल, 1982 तक चार्ज नहीं दिया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? और उनसे चार्ज लेने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां, उक्त सचिवों को चार्ज देने के लिए स्मृति पत्र दिये गये तथा दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन भी कराया गया, पर वे चार्ज देना टालते रहे। तत्पश्चात् दिनांक 4 व 5 मई, 1982 को सचिव, साधन सहकारी समिति लि0, जियनपुर, छपरा सुल्तानपुर तथा अमुवारी नरायणपुर ने अपनी-अपनी समितियों का चार्ज दे दिया।

खाद्य पदार्थों एवं औषधि सामग्रियों हेतु नमूने एवं कृत कार्यवाही के बारे में अनियमितताओं से सम्बन्धित पत्र की जांच

57--श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री कुबेर भन्डारी तथा श्री श्याम नारायण तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य पदार्थों एवं औषधि सामग्रियों के वर्ष 1980 के लिए गये नमूने एवं कृत कार्यवाही के बारे में अनियमितताओं से सम्बन्धित संस्थापक एवं महासचेतक, आजाद हिन्द क्रांतिकारी मोर्चा का पत्र दि0 4-3-82 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वांछित मांग क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति--

जी हां । पत्र में निम्न मांगें की गई थी :--

(1) स्वास्थ्य भवन में भेजे गए उनके एक पत्र का असत्य उत्तर देने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

(2) उल्लिखित अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की अविलम्ब जांच करा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय ।

(3) पत्र प्राप्ति एवं विभागीय लापरवाही के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध भी कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये ।

इस मामले की जांच करायी जा रही है ।

अकबरपुर, फैजाबाद में आवास विकास योजना लागू करने के आदेश

58--श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा अकबरपुर, फैजाबाद में आवास विकास योजना लागू करने के आदेश वर्ष 1981-82 में किए गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू0 पी0 कोआपरेटिव यूनियन, उ0 प्र0, लखनऊ के प्रेस के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

59--श्री झिलमिट राम तथा श्री मुन्शी लाल--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 कोआपरेटिव यूनियन, उ0 प्र0, लखनऊ के प्रेस के अधिकारियों के विरुद्ध पी0 सी0 यू0 के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने दिनांक 7-8-81 को दो शिकायती प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मन्त्री व सहकारिता मन्त्री को प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्रों में लिखित तथ्यों के आधार पर

कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता--

श्री कुतुबउद्दीन, निवासी हुसैनगंज, लखनऊ के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

60--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री कुतुबउद्दीन, निवासी 61/67, गौहर का हाता, हुसैनगंज, लखनऊ का एक प्रार्थना-पत्र श्री मोहन सिंह, विधायक, देवरिया की संस्तुति के साथ दिनांक 14-4-82 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी नहीं ।

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

61--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या खाद्य मन्त्री को उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित दिनांक 1-5-82 का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो बिन्दुवार शिकायतें क्या हैं एवं इसके सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य का दिनांक 1 मई, 1982 का कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

महाप्रबन्धक, कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

62--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महा-प्रबन्धक, कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र, दिनांक 13 अप्रैल, 1982 को माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा भेजा गया, उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य आरोप क्या है तथा शासन द्वारा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र, दिनांक 13-4-82 तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ था । शिकायती-पत्र के प्रस्तर-1 में

यह शिकायत की गई थी कि श्री आई0 सी0 शर्मा, महाप्रबन्धक, कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ ने अपने एक पुत्र को बैंक में नियुक्त कर दिया है जो कि माननीय सहकारिता मंत्री के घर पर टेलीफोन सेवा में तैनात किया गया था तथा दूसरे प्रस्तर में यह कहा गया है कि महाप्रबन्धक ने अपने दूसरे पुत्र को लीगल एडवाइजर के रूप में बैंक में नियुक्त किया है, जिनकी प्रैक्टिस 2–3 वर्ष की है और उन्हें बैंक के मुकदमें भी आबंटित कर दिये हैं।

आरोपों की जांच कराई गई। जांचोपरान्त यह पता चला कि यह तो सही है कि श्री शर्मा के दोनों पुत्र बैंक में कार्यरत हैं। लेकिन यह आरोप सही नहीं है कि उसका पुत्र सहकारिता राज्य मन्त्री के निवास पर टेलीफोन सेवा में तैनात है दूसरे पुत्र के बारे में किये गये आरोपों का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है।

साधन सहकारी समिति नयनसण्ड में आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था

63—श्री प्रभुनारायण सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र धर्मापुर के साधन सहकारी समिति, नयनसण्ड में माह नवम्बर, 81 से अब तक वितरण हेतु चीनी, मिट्टी का तेल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया ? क्या सरकार इस क्षेत्र में आवश्यक वस्तु वितरित कराने की व्यवस्था शीघ्र करायेगी ?

श्री बच्चा पाठक—

विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों के कारण प्रश्नगत समिति द्वारा दिसम्बर, 81 से मई, 82 तक चीनी आदि का वितरण नहीं किया जा सका।

माह जून, 82 से आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था की जा चुकी है।

मुरादाबाद जिले की नगरपालिका हसनपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच

64—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले की नगरपालिका हसनपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच वर्ष 80 में एस0 डी0 एम0 द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी, हां।

जांच में केवल एक आरोप ऐसा पाया गया जिसपर सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित थी और उस कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

जल निगम मुख्यालय, लखनऊ में अधिशासी अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

65—श्री सन्त बक्स रावत—

प्रथम सत्र 80 के 3रे गुरुवार के लिए अता0 प्र0 सं0 32 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित अधिकारी के स्थानान्तरण आदेश कहां के लिए एवं किस दिनांक को किए गये थे ? क्या यह सही है कि यह अधिकारी फिर जल निगम मुख्यालय, लखनऊ में ही तैनात है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर इस अधिकारी का तुरन्त स्थानान्तरण किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

सम्बन्धित अधिकारी का स्थानान्तरण दिनांक 30—8—80 द्वारा पंचम अस्थाई निर्माण शाखा, इलाहाबाद के लिये किया गया था । किन्तु सम्बन्धित अधिकारी की प्रार्थना पर विशेष परिस्थितियों में उक्त स्थानान्तरण आदेश निरस्त करके लखनऊ में मुख्यालय से बाहर प्रकल्प शाखा में किया गया । इस समय ये जल निगम मुख्यालय लखनऊ में तैनात नहीं हैं । अतएव, दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही तथा सम्बन्धित अधिकारी के स्थानान्तरण का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे स्थानान्तरित हो चुके हैं तथा कार्यभार भी ग्रहण कर चुके हैं ।

ग्राम घुघांवली, सम्भल, जिला मुरादाबाद में खसरा संख्या 2 की भूमि पर अवैध कब्जे की जांच

66—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या यह सत्य है कि ग्राम घुघांवली, सम्भल, जिला मुरादाबाद में खसरा संख्या 2 के भाग 35 बीघे 5 बिस्वे आराजी, जो नगरपालिका सम्भल की जमीन है, पर नगरपालिका की सदर चुंगी के नव निर्मित भवन पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है और उक्त आराजी पर लगने वाली बाजार की लाखों रुपये की तहबाजारी अवैध रूप से वसूल करता है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त आराजी का कुछ भाग सम्बन्धित व्यक्ति ने अवैध रूप से बेच भी दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी अविलम्ब जांच कराकर उसे बेदखल तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां, ग्राम घुघांवली के खसरा नं0—2 की जो भूमि नगरपालिका, सम्भल की है, सुरक्षित है । नवनिर्मित चुंगी भवन पर भी नगरपालिका का ही कब्जा है । जिस भूमि की तहबाजारी एक दूसरे व्यक्ति श्री फरीदद्दीन द्वारा वसूली जाती है वह नगरपालिका की सम्पत्ति नहीं है । ऐसी स्थिति में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका सम्भल, जिला मुरादाबाद के तहबाजारी बाईलाज का अन्तिम रूप से राजकीय गजट में प्रकाशन

67—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिक सम्भल, जिला मुरादाबाद में तहबाजारी के पास होने के उपरान्त भी पालिका अधिकारियों ने अभी तक लागू नहीं किए हैं जिसकी वजह से पालिका को लाखों रुपए साल की आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नगरपालिका, सम्भल जिला मुरादाबाद के तहबाजारी बाइलाज अभी अन्तिम रूप में राजकीय गजट में प्रकाशित नहीं हुए हैं। अतः पालिका को आर्थिक हानि उठाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद शाहजहांपुर में सहकारी ग्रामीण गोदामों के निर्माण की स्वीकृति

68—श्री जगदीश सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 76 में शासन की ओर से 35,000 रु० सहकारी ग्रामीण गोदाम हेतु प्रति भवन दिया गया था? क्या जनपद शाहजहांपुर में सब गोदामों का निर्माण नहीं हुआ है? क्या यह सही है कि कुछ अधूरे पड़े हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

वर्ष 1976 में 100 मी० टन क्षमता के एक गोदाम की अनुमोदित लागत 35,000 रु० होने के कारण जनपद शाहजहांनपुर में सहकारी ग्रामीण गोदामों के निर्माण को स्वीकृति दी गयी थी। स्वीकृत 14 गोदामों में से 10 गोदाम पूर्ण हो गये हैं तथा 4 अधूरे हैं। भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप स्वीकृत लागत में अधूरे गोदामों का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है।

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र खुदागंज में गोदाम निर्माण में घटिया सामान के प्रयोग के सम्बन्ध में शिकायत

69—जगदीश सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र खुदागंज के अन्तर्गत ग्राम मझिला में वर्ष 1978-79 में निर्माणाधीन गोदाम में घटिया सामान के प्रयोग के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक ने शिकायत की थी तथा जांच उपरान्त शिकायत सही पाई गयी एवं ठेका रद्द कर दिया गया? इस बीच जो धन का व्यय हुआ वह उस ठेकेदार से वसूल किया गया? क्या उक्त भवन का निर्माण पूरा हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र खुदागंज के अन्तर्गत ग्राम मझिला में गोदाम के निर्माण में घटिया सामान के उपयोग विषयक क्षेत्रीय विधायक द्वारा की गई शिकायत की जानकारी उपलब्ध नहीं है। उक्त ग्रामीण गोदाम का निर्माण कार्य जिला सहकारी संघ, शाहजहांपुर के माध्यम से हो रहा था, जिसे प्रथम किश्त के रूप में 10,000 रु० की धनराशि दी गई थी। जिला सहकारी संघ ने केवल 6,986·97 रु० का निर्माण कार्य करने के उपरान्त कार्य बन्द कर दिया तथा अवशेष धनराशि समिति को वापस कर दी है। जिला सहकारी संघ द्वारा निर्माण कार्य बन्द कर दिये जाने के कारण भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ।

साधन सहकारी समिति, जौनपुर में सेलसमैनों की नियुक्ति

70—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि वितरण व्यवस्था में सहयोग करने के लिए प्रत्येक साधन सहकारी समिति में नियुक्त होने वालों में सेलसमैं

की नियुक्ति जनपद जौनपुर में 15-5-82 तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र उनकी नियुक्ति कराकर वितरण व्यवस्था को चुस्त करायेगी ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां ।

अभी साधन सहकारी समितियों में अतिरिक्त विक्रेताओं की आवश्यकता नहीं है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में नियुक्त इन्टीग्रेटेड डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता

71—यस्मन सिंह गहलौत—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में नियुक्त इंटीग्रेटेड डाक्टरों का प्रदेश के कितने जनपदों में प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता दिया जा रहा है और कितने में नहीं ? क्या कुछ जनपदों तथा उपरोक्त कैडर के डाक्टरों के सम्बन्ध में अलग-अलग नीति अपनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

इन्टीग्रेटेड डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस बंदी भत्ता स्वीकृत नहीं है । स्वास्थ्य निदेशक को निर्देश दे दिये हैं कि यदि कहीं किसी इन्टीग्रेटेड चिकित्साधिकारी द्वारा यह भत्ता किसी भ्रमवश आहरित किया जा रहा हो तो उसे तुरन्त रोक दें ।

जिला मिर्जापुर, ब्लाक राबर्टसगंज में स्वर्गीय श्रीमती सुभद्रा वर्मा, परिवार कल्याण कार्यकत्री की पेंशन, ग्रेच्युटी सामूहिक बीमा का भुगतान

72—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के राबर्टसगंज, ब्लाक पर श्रीमती सुभद्रा वर्मा, परिवार कल्याण कार्यकत्री का सितम्बर, 80 में देहान्त हो गया ? यदि हां, तो क्या उसके परिवार को ग्रेच्युटी, सामूहिक बीमा, प्रावीडेंट फंड तथा पारिवारिक पेंशन दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासनादेश के मुताबिक इसकी लड़की अनिता वर्मा, एम0 ए0 बी0 एड0 के बार-बार दरख्वास्त देने पर सेवा में अब तक नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां । श्रीमती सुभद्रा वर्मा के प्राविडेंट फंड का भुगतान उनके आश्रितों को कर दिया गया है तथा उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन का अधिकार-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से 3-8-82 को प्राप्त हो गया है जिसके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है । जहां तक उनके सामूहिक बीमा की धनराशि के भुगतान का प्रश्न है, उनके आश्रितों के प्रार्थना-पत्र डिवीजनल मैनेजर, ग्रुप इंश्योरेन्स, लखनऊ द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण करके प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-8-82 को पुनः भेज दिया गया है । उनकी पुत्री कु0 अनीता वर्मा की कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर को निर्देश दिए जा चुके हैं ।

73--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[19-8-82 को अतारांकित प्रश्न 22 द्वारा उत्तरित ।]

श्री आलम सिंह चौधरी, सेवा-निवृत वरिष्ठ निरीक्षक के भविष्य निधि का अन्तिम भुगतान

74--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भू0 पू0 ज्येष्ठ खाद्य निरीक्षक, श्री आलम सिंह चौधरी, जिला नैनीताल, जो दिनांक 14-2-1969 को सेवा-निवृत्त हो गये थे, को अब तक (20-5-82 तक) उनके भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक उनको भविष्य निधि का भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री वासुदेव सिंह--

श्री आलम सिंह चौधरी, सेवा-निवृत्त वरिष्ठ निरीक्षक के भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान का मामला कार्यालय, महालेखकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में विचाराधीन है । महालेखाकार से अधिकार-पत्र प्राप्त होने पर भविष्य निधि का भुगतान सम्भव हो सकेगा ।

75--श्री मित्रसेन--

[4-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 86 द्वारा उत्तरित]

76-77--श्री सन्त बक्श रावत--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

78--श्री सन्त बक्श रावत--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई में सीमेन्ट व साफ्ट कोक के एलाटमेन्ट का आधार

79--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में वर्ष 1981-82 में कितना सीमेन्ट व साफ्ट कोक एलाट किया गया था ? क्या यह सत्य है कि एलाट किया गया सीमेन्ट व साफ्ट कोक जनपद में डीलरों को समान मात्रा में नहीं दिया गया था ? यदि हां, तो इस एलामेन्ट का आधार क्या था ?

श्री वासुदेव सिंह--

वर्ष 1981-82 में हरदोई जनपद को 11,000 मी0 टन सीमेन्ट तथा 20 सी0 आर0 टी0 रेल द्वारा एवं 490 मी0 टन सड़क द्वारा साफ्ट कोक का आवंटन किया गया ।

जी हां ।

विगत त्रैमासों से लाइसेंसियों द्वारा की गयी सीमेन्ट की उठान, उनकी आर्थिक स्थिति तथा क्षेत्र की जनसंख्या तथा सम्पूर्ण मात्रा की उठान को ध्यान में रखकर सीमेन्ट आवंटन किया गया । साफ्ट कोक की आवंटित सम्पूर्ण मात्रा की

उठान हो जाय, इसको ध्यान में रखकर सड़क तथा रेल मार्ग से आयात करने के इच्छुक डीलरों को तथा जो डीलर वास्तविक रूप से कार्यशील थे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया गया। जो डीलर प्रान्तीय एवं केन्द्रीय बिक्री कर में पंजीकृत थे, उन्हें भी आवंटन में प्राथमिकता दी गयी क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन कराये वे कोयला आयात नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त डेमरेज/वारफेज बचाने की दृष्टि से जिन डीलरों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, उन्हें तथा साफ्ट कोक उठाने में रुचि रखने वाले डीलरों को भी अधिक आवंटन दिया गया है। उक्त कारणों से समान मात्रा में देना सम्भव नहीं था।

कीर्ति प्रेस, सुन्दर बाग, लखनऊ को मुद्रण कार्य से सम्बन्धित बिल का भुगतान

80 --श्री धर्मपाल सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री एस0 एन0 कीर्ति, प्रो0 कीर्ति प्रेस, सुन्दरबाग, लखनऊ द्वारा आवास एवं विकास परिषद् द्वारा वर्ष 1976 में आगरा के लिए छपाये गये "ब्रोशर्स" के बिल का भुगतान आज तक न किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 8-3-82 को कोई प्रार्थना पत्र चेयरमैन, आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ को दिया गया है ? यदि हां, तो श्री कीर्ति के उक्त पत्र में क्या-क्या आरोप हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या श्री कीर्ति को कीर्ति प्रेस के उक्त मुद्रण कार्य से सम्बन्धित बिल का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

प्रश्नानुसार चेयरमैन, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को श्री एस0 एन0 कीर्ति का प्रार्थना पत्र, दिनांक 8-3-82 को प्राप्त हुआ। उक्त पत्र में आरोपित किया गया कि पिछले 5 वर्षों से आवास आयुक्त को कई पत्र लिखे गये कि आगरा ब्रोशर की 3,500 प्रतियां मुद्रित कर आपूर्ति किये जाने हेतु प्रेषित वाउचर संख्या 1,802 दिनांक 30-10-76, अंकन, ख:521660 का भुगतान किया जाये किन्तु आज तक वांछित भुगतान परिषद् द्वारा नहीं किया गया। कीर्ति प्रेस ने उक्त छपाई के लिए न तो कोई निविदा दी थी और न उनकी निविदा स्वीकृत ही की गई। चूंकि मेसर्स कीर्ति प्रेस को उपर्युक्त मुद्रण कार्य दिया ही नहीं गया था इसलिए सम्बन्धित बिल के भुगतान किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

देवरिया जिलान्तर्गत बैतालपुर को टाउन एरिया बनाने की योजना

81--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत बैतालपुर को टाउन एरिया बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषक सेवा सहकारी समिति लि0, रानापुर, बिगरांव, जनपद बुलन्दशहर के प्रबन्धक निदेशक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

82—श्री किरनपाल सिंह –

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5-1-82 को पूर्ति निरीक्षक स्याना, जनपद बुलन्दशहर ने कृषक सेवा सहकारी समिति लि0, रानापुर, बिगरांव, जनपद बुलन्दशहर का निरीक्षण किया और प्रबन्ध निदेशक को दोषी पाया ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, बुलन्दशहर ने प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध 3/7 का मुकदमा दर्ज कराने की संस्तुति दी ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां । उक्त समिति के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध जिलाधिकारी बुलन्दशहर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के कोई आदेश नहीं दिये बल्कि उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दिये, जिसके अनुसरण में उसका स्थानान्तरण हो गया है ।

सीतापुर नगर में पानी की आपूर्ति

83—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर नगर में 26,27,28 मई, 1982 को पानी की सप्लाई नहीं दी गई, जिससे जनता को सराय नदी से पानी लेना पड़ा ? यदि हां, तो किन कारणों से पानी की सप्लाई नहीं दी गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर नगर में आवास विकास के अन्तर्गत भवनों के निर्माण की योजना

84—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर नगर में आवास विकास के अन्तर्गत भवनों के निर्माण की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो प्रथम चक्र में कितने भवनों का निर्माण किया जायगा और प्रथम चक्र की योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

सीतापुर नगर में दो आवासीय योजनाएं प्रस्तावित हैं । प्रथम योजना में 727 भवनों का निर्माण स्वीकृत है जिनमें से वर्ष 1982-83 में 100 दुर्बल आय वर्ग के भवन पूर्ण करने का और 45 भूखंड विकसित करने का लक्ष्य है । दूसरी योजना में भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही चल रही है ।

जनपद सीतापुर में स्थित लहरपुर टाउन एरिया में पानी की टंकी बनाने की योजना

85—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में स्थित लहरपुर टाउन एरिया में पानी की टंकी बनाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य को सम्पादित करने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ? उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा कराया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

जल निगम द्वारा इस योजना के लिए कुल अनुमानित लागत रु0 25-505 लाख स्वीकृत है ।

वर्ष 1982-83 में इस कार्य हेतु रु0 2·50 लाख का प्राविधान किया गया है । वित्तीय संसाधन को देखते हुए अगले वर्षों में कार्य पूर्ण करना सम्भव होगा ।

86—श्री हरगोविन्द वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

नगर पालिका, सीतापुर द्वारा पानी की सप्लाई हेतु जनरेटर लगाने का प्रस्ताव

87—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर नगर में पानी की सप्लाई हेतु जलकल विभाग नगर पालिका में जनरेटर लगाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक जनरेटर लगाया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नगर पालिका, सीतापुर द्वारा पानी की सप्लाई हेतु जनरेटर लगाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है । अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

88—श्रीमती गौरी देवी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत महिला कर्मचारियों को आवास एवं सुरक्षा सम्बन्धी सुविधाएं

89—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत महिला कर्मचारियों को सेवाएं आवश्यक सेवा के अन्तर्गत आती हैं ? यदि हां, तो इन्हें आवास एवं सुरक्षा सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति--

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत महिला कर्मचारियों में केवल उपचारिकाओं की सेवायें अनिवार्य सेवा के अन्तर्गत आती हैं। इन्हें आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है ताकि उनके आवास और ड्यूटी स्थान में फासला अधिक न हो और अपने को वे असुरक्षित न समझें।

परिवार कल्याण कार्यक्रम में कार्यरत प्रसार शिक्षकों तथा स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचनाधिकारियों को प्रशिक्षण

90--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य निरीक्षकों की भांति सेवाकालीन हेल्थ एजुकेशन डिप्लोमा का प्रशिक्षण देने हेतु शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

भारत सरकार के पैटर्न के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम में कार्यरत प्रसार शिक्षकों तथा स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचनाधिकारियों को प्रश्नगत प्रशिक्षण दिए जाने का प्राविधान है। तदनुसार उपरोक्त कर्मचारियों को प्रश्नगत प्रशिक्षण (जो सेवाकालीन है) हेतु निरन्तर भेजा जा रहा है।

श्रीमती चिलम्मा, पी० एच० एन० का जौनपुर को स्थानान्तरण

91--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर ने कई अर्धशासकीय पत्र सन् 1981-82 में स्वास्थ्य निदेशक को श्रीमती चिलम्मा, पी० एच० एन० का स्थानान्तरण जनपद से बाहर करने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर का इस विषय में कोई अर्धशासकीय पत्र स्वास्थ्य निदेशक को प्राप्त नहीं हुआ।

प्रशासनिक आधार पर श्रीमती चिलम्मा, पी० एच० एन० का स्थानान्तरण जौनपुर से किया जा चुका है।

बस्ती जिले की टाउन एरिया शोहरतगढ़ तथा टाउन एरिया मुण्डिला में नलकूप का निर्माण

92--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या नगर विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले का टाउन एरिया शोहरतगढ़ तथा टाउन एरिया मुण्डिला बढ़नी में वर्ष 1978-79 में पेयजल की कोई योजना चालू है जिसके अधीन नलकूप भी बोर हो चुके हैं ? यदि हां, तो अभी तक उनमें से पानी चालू न होने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां :

शोहरतगढ़ ग्रामीण पेयजल योजना में प्रस्तावित जलकल स्थल हेतु भूमि उपलब्ध न हो सकी । अतः दूसरे कार्य स्थल पर नलकूप का निर्माण करा कर पम्प हाउस का कार्य प्रगति में है । जलकल स्थल में परिवर्तन हो जाने के कारण अभी तक पानी चालू नहीं किया जा सका है ।

मुण्डिला ग्रामीण पेयजल योजना में नलकूप निर्माण, पम्प हाउस, पम्प अधिष्ठापन तथा जल नलिकाओं का कार्य पूर्ण कर दिया गया है । विद्युत् संयोजन प्राप्त न हो सकने के कारण योजना चालू नहीं की जा सकी ।

शोहरतगढ़ जिला बस्ती में महिला अस्पताल की व्यवस्था

93–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को इसकी जानकारी है कि शोहरतगढ़, जिला बस्ती में जनाना अस्पताल के लिए भवन लगभग 1 वर्ष से बन कर तैयार है परन्तु अस्पताल अभी तक चालू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों तथा अस्पताल कब से चालू हो जायगा ?

श्री लोकपति––

जी नहीं ।

महिला चिकित्सालय हेतु स्टाफ तथा साज-सज्जा की व्यवस्था होने पर अस्पताल कार्यरत हो जावेगा । इस ओर प्रयास किए जा रहे हैं ।

बस्ती जिले के कठेला नामक राजकीय अस्पताल में बाढ़ पीड़ितों हेतु भेजी गई दवाइयां

94–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र––

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के कठेला नामक राजकीय अस्पताल में विगत 1 जनवरी, 1981 से लगातार 1 जनवरी, 1982 तक कितने रुपये की दवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती के कार्यालय से भेजी गई है ? क्या बाढ़ के समय इस चिकित्सालय पर विशेष दवाइयां बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी गईं ? यदि हां, तो कौन-कौन ?

श्री लोकपति––

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कठेला अस्पताल के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

95–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र ––

क्या कठेला अस्पताल के भवन के मरम्मत हेतु शासन से धन स्वीकृत होकर जिला चिकित्सा अधिकारी, बस्ती के कार्यालय को आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो कितना और इसके अनुसार अभी तक मरम्मत कार्य न होने का कारण क्या है ?

श्री लोकपति––

जी नहीं ।

कठेला अस्पताल के भवन मरम्मत हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगंज सड़क व डालीगंज विकास हेतु अर्जित की गई भूमि तथा कृषकों को प्रतिकर का भुगतान

96—श्री छत्तर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नगर विकास योजना के अन्तर्गत अलीगंज सड़क व डालीगंज विकास के लिए जिन काश्तकारों की जमीनें अर्जित की हैं, उन्हें प्रतिकर का भुगतान अभी तक नहीं किया है ? यदि हां, तो ऐसे किसानों को प्रतिकर का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा एवं ऐसे काश्तकारों को धारा 34 भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान तक की तिथि तक का ब्याज भी दिया जाएगा ?

श्री लोकपति—

अलीगंज योजना के अन्तर्गत विवादग्रस्त मामले, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कब्जा लिए जाने वाले मामले एवं उन मामलों में जिनमें हितबद्ध व्यक्ति भुगतान लेने उपस्थित नहीं हुए, को छोड़कर अन्य सभी हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है। विगत 25–30 वर्षों में डालीगंज विकास हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अर्जन की कार्यवाही नहीं की गई। अलीगंज योजना के अन्तर्गत जिन मामलों में हाल ही में लखनऊ विकास प्राधिकरण को कब्जा दिया गया है उनसे सम्बन्धित 68 व्यक्तियों को शीघ्र ही प्रतिकर का भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है। शेष विवादग्रस्त मामलों में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रगति पर है। ब्याज के सम्बन्ध में अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

जिला बस्ती, विकास खंड इटवा के कतिपय ग्रामों में सोसाइटी के कर्जों की वसूली

97—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सहकारिता मन्त्री को यह जानकारी है कि बस्ती जिले के विकास खंड, इटवा के ग्राम कठेला गर्बी, कठेला शर्की, कठेल अनूबो, ककरा, चेचराफ, सौरहवा इत्यादि ग्रामों में सोसाइटी के कर्जों की वसूली बड़ी तेजी से की जा रही है जबकि वह कर्जे सन 1978 में जनरल सत्यापन के समय फर्जी सिद्ध हो चुके हैं ? यदि हां, तो फर्जी कर्जा सिद्ध होने के बाद भी उन्हें राइट आफ न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त ग्रामों की ऐसी वसूली रोकने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां।

बस्ती जनपद के विकास खंड इटवा के ग्राम कठेला गर्बी, कठेला शर्की, कठेला अनुबो, ककरा, चेचराव एवं सौरहवा आदि ग्रामों में सोसाइटी के कर्जे की वसूली बड़ी तेजी से की जा रही है।

वर्ष 1978 में जनरल सत्यापन के समय उपरोक्त ग्रामों की समिति साधन सहकारी समिति, कठेला शर्की में मुद्रांक 21,079.90 रु0 के बकाए का सत्यापन कराया गया था। उस समय तीन साल से अधिक का जो बकाया था उसमें से मु0 2,656·45 पै0 काबिले वसूल, 16,413.37 रु0 कन्वर्जन योग्य तथा 2,010.08 रु0 राइट आफ करने योग्य पाया गया। इस प्रकार 2010.08 रु0 की वसूली सम्बन्धित कृषकों से नहीं की जा रही है। शेष धनराशि जो

काबिले वसूल है उसकी वसूली की जा रही है । यह कहना कि वर्ष 1978 के जनरल सत्यापन के समय सभी ऋण फर्जी सिद्ध हुए थे, सही नहीं है । केवल 2,010.08 रु0 नाकाबिले वसूल पाया गया, जिसको राइट आफ कर दिया गया है । उक्त रकम को छोड़कर शेष रकम की वसूली रोकना सम्भव नहीं है ।

98—श्री हरीशंकर—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई में बिलग्राम सांडी एवं हरदोई नगरपालिकाओं में स्वीकृत अनुदान

99—श्री हरीशंकर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 4 वर्षों में जनपद हरदोई में बिलग्राम सांडी एवं हरदोई नगरपालिकाओं को कितना-कितना अनुदान दिया गया और क्या उसका उपयोग कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

वांछित सूचना निम्न तालिका में दर्शाई गई है :—

पालिका का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत की गई धनराशि	उपयोगित/अनुपयोगित
1	2	3	4
		रु0	
बिलग्राम	1978-79	27,800	उपयोगित
	1979-80	..	
	1980-81	26,800	अनुपयोगित ठेकेदार द्वारा विलम्ब से कार्य प्रारम्भ करने के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।
	1980-81	60,000	अनुपयोगित स्टोमेट को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विलम्ब से पुष्ट किया गया ।
	1981-82	50,000	अनुपयोगित स्टोमेट के पूर्ण न होने के कारण ।
सान्डी	1978-79	21,800	अनुपयोगित कार्य पूर्ण हो चुका है केवल भुगतान होना शेष है ।

1	2	3	4
		रु0	
	1979-80	..	..
	1980-81	12,000	अनुपयोगित रु0 10,593 का उपयोग हो चुका है ।
	1980-81	50,000	अनुपयोगित । 21,000 रु0 उपयोग हो चुका है । सामग्री तथा अन्य तकनीकी कारणों से अनुपयोगित है ।
	1981-82	..	..
हरदोई	1978-79	79,700	उपयोगित ।
	1979-80	4,59,400	उपयोगित ।
	1980-81	10,10,000	उपयोगित ।
	1981-82	3,39,000	अनुपयोगित । 1,99,095 रु0 शेष है । सीमेन्ट की अनुउपलब्धता तथा ट्रकों की हड़ताल के कारण अनुदान का उपयोग समय से न हो सका ।

जनपद बाराबंकी में सामुदायिक स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी, तृतीय की नियुक्ति

100—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जहां जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत 31 मई, 1982 तक चिकित्सा अधिकारी, तृतीय की नियुक्ति नहीं की गई है और क्या यह सही है कि 31 मई, 1982 तक चिकित्सा अधिकारी, तृतीय द्वारा वितरित की जाने वाली दवाओं का खर्च किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र में नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री लोकपति—

जनपद बाराबंकी में सामुदायिक स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत 31 मई, 1982 तक तेरह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्साधिकारी (तृतीय) की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ द्वारा स्थगन आदेश के कारण नहीं की जा सकी । लेखा शीर्षक-281—परिवार कल्याण के अन्तर्गत बजट प्राविधान न होने के कारण वर्ष 1982-83 में मई, 1982 तक दवाओं के मद में खर्च नहीं किया जा सका ।

जिला सहकारी बैंक लि0, बरेली के मुख्य आंकिक श्री कृष्ण कुमार गंगवार को सचिव पद पर नियुक्ति न किये जाने के आदेश

101--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्वर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा, लखनऊ ने जुलाई, 1981 में सम्पन्न किये साक्षात्कार में जिला सहकारी बैंक लि0, बरेली के मुख्य आंकिक (श्री कृष्ण कुमार गंगवार) का चयन सचिव पद हेतु क्रमांक 18 पर किया है और उनकी नियुक्ति सचिव पद पर न करके क्रमांक 19 व 20 पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सचिव पद पर किन कारणों से कर दी है ? क्या यह सच है कि निबंधक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0, लखनऊ के पत्रांक 4481-82, दिनांक 21 जनवरी, 1982 द्वारा श्री कृष्ण कुमार गंगवार को सचिव पद पर नियुक्त करने हेतु अर्ह मानने के स्पष्ट निर्देश राज्य सम्वर्ग प्राधिकारी को भेजे जा चुके हैं ?

श्री बच्चा पाठक--

संवर्ग प्राधिकारी, सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा, लखनऊ द्वारा जुलाई, 1981 में जिला सहकारी बैंकों के सचिव पद हेतु चयनित किए गए अभ्यर्थियों में जिला सहकारी बैंक लि0, बरेली के मुख्य आंकिक श्री कृष्ण कुमार गंगवार का चयन क्रमांक 18 पर इस प्रतिबन्ध के साथ किया गया था कि उनके द्वारा "की-परसोनेल" के पद पर पांच वर्ष तक कार्यरत रहने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर केडर एथोरिटी द्वारा निर्णय लिया जाय और तत्पश्चात् ही उनके चयन को अन्तिम रूप दिया जाय । श्री गंगवार संवर्ग प्राधिकारी के अनुरोध करने के बावजूद भी "की-परसोनेल" के पद पर पांच वर्ष तक कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर सके । अतः उनके चयन को अंतिम रूप देकर उनकी नियुक्ति सचिव पद पर की जानी सम्भव नहीं हो सका है और क्रमांक 19 व 20 पर अंकित चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निर्गत कर दिए गए ।

यह सही है कि निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0, लखनऊ के प्रश्नगत पत्रांक द्वारा श्री कृष्ण कुमार गंगवार को सचिव पद हेतु अर्ह मान कर संवर्ग प्राधिकारी को सूचित किया गया परन्तु संवर्ग प्राधिकारी द्वारा कार्यालय में प्राप्त सूचना के आधार पर श्री गंगवार की अनुभव सम्बन्धी अनर्हता से निबन्धक को अवगत कराते हुए पुनः परीक्षण की अपेक्षा की गई है ।

लाला लाजपतराय अस्पताल, कानपुर के फार्मेसिस्ट के स्वीकृत पद तथा आवासों का आवंटन

102--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि शासन की ओर से यह आदेश है कि फार्मेसिस्टों के लिए बनाये गए मकान फार्मेसिस्टों को ही दिए जाएं ? यदि हां, तो लाला लाजपतराय अस्पताल, कानपुर के लिए कम्पाउन्ड में कुल कितने और किन-किन नम्बरों के आवास फार्मेसिस्टों के लिए हैं और क्या उन सभी आवासों में फार्मेसिस्ट ही रह रहे हैं ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

लाला लाजपतराय चिकित्सालय, कानपुर में वर्ष 1944 में कुल 18 आवास बने तथा फार्मेसिस्ट के 14 पद स्वीकृत थे जिनमें से 14 आवास फार्मेसिस्टों को आवंटित कर दिए गए जिनमें वे रह रहे हैं। बाद में 6 अन्य फार्मेसिस्टों के पद सृजन होने पर चिकित्सालय परिसर में बने इलाकों में उन्हें आवास आवंटित किए गये हैं।

इस समय फार्मेसिस्टों को निम्न आवास आवंटित हैं—

नाम	आवास संख्या
1—श्री राम स्वरूप वर्मा	सी–5
2—श्री सूर्य नारायण मिश्र	सी–6
3—श्री मुहम्मद याकूब	सी–7
4—श्री यमुना नारायण त्रिपाठी	सी–8
5—श्री आर0 वी0 एल0 श्रीवास्तव	सी–9
6—श्री अखिलेश कुमार मिश्र	सी–10
7—श्री रमा शंकर बाजपेयी	सी–11
8—श्री शिव गोपाल विद्यार्थी	सी–12
9—श्री डी0 एस0 बाजपेयी	सी–13
10—श्री ललित बिहारी श्रीवास्तव	सी–14
11—श्री डी0 एस0 चन्देल	सी–15
12—श्री एस0 के0 बाजपेयी	सी–16
पी0 टी0 एस0 मेस के समीप	
13—श्री गोकुल प्रसाद	सी–17
14—श्री उमेश सिंह	सी–18
15—श्री लाल जी वर्मा	सी–19
16—श्री काली प्रसाद सिंह	सी–20
17—श्री कैलाश नाथ वर्मा (मृत्यु हो गई)	सी–21
18—श्री प्रभा शंकर बाजपेयी	सी–22
19—श्री गिरजा शंकर वर्मा	सी–23
20—श्री हंसराज (होम्योपैथिक चिकित्सक हो गये हैं)	सी–24

अध्यक्ष विधान सभा

कोटद्वार के विभिन्न राजकीय अस्पतालों में कार्यरत फार्मेसिस्ट

103—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी-गढ़वाल में कोटद्वार के विभिन्न राजकीय अस्पतालों में गत 20 साल से अधिक समय से कितने (कम्पाउन्डर) कार्यरत हैं और उनसे इतने लम्बे समय तक एक ही स्थान पर रखे जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति—

कोटद्वार में केवल श्री जगत सिंह गुसांई एक ऐसे फार्मेसिस्ट हैं जो 20 वर्ष से अधिक अवधि से उसी स्थान पर कार्यरत हैं ।

श्री गुसांई के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण उन्हें कोटद्वार के हटाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

प्रदेश में सीमेन्ट वितरण की नीति तथा कोटा

104—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सीमेन्ट वितरण की वर्तमान नीति क्या है ? तथा माह दिसम्बर 1981 तथा जनवरी 1982 और मई 1982 में प्रदेश में सीमेन्ट का कुल कितना कोटा आवंटन हुआ ?

श्री वासुदेव सिंह—

28 फरवरी, 1982 को केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित सीमेन्ट की दोहरी मूल्य नीति के अनुसार, सीमेन्ट उत्पादकों से लेवी सीमेन्ट के रूप में उनकी उत्पादन क्षमता का 66·6 प्रतिशत लिया जाता है । उत्पादन के शेष भाग को उत्पादक नान लेवी सीमेन्ट के रूप में विक्रय करते हैं।

लेवी सीमेन्ट का त्रैमासिक आवंटन भारत सरकार से प्रदेश को प्राप्त होता है जिसका वितरण लेवी सीमेन्ट के पात्रों में निम्नांकित श्रेणियों में किया जा रहा है :—

(1) रेट कांट्रेक्ट/सार्वजनिक प्रतिष्ठान ।

(2) जन वितरण/ओ0 आर0 सी0 "रेट कांट्रेक्ट/सार्वजनिक प्रतिष्ठान" श्रेणी के अन्तर्गत सरकारी/अर्द्ध सरकारी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को लेवी सीमेन्ट का आवंटन शासन स्तर से किया जाता है ।

जन वितरण/ओ0 आर0 सी0 श्रेणी के अन्तर्गत भी जिलेवार आवंटन शासन स्तर से किया जाता है, जिसका वितरण जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है ।

नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, लघु उद्योगों इत्यादि बड़े-बड़े उपभोक्ताओं को जिला पूर्ति अधिकारी ओ0 आर0 सी0 श्रेणी के अन्तर्गत लेवी सीमेन्ट का सीधा आवंटन फैक्ट्रियों से करते हैं और आवंटी फैक्ट्री से सीधे उसकी उठान करता है ।

छोटे निजी आवासीय भवनों, निर्बल वर्ग आवास योजना, विशेष समन्वित योजना, हरिजन आवास योजना, ग्रामीण पेयजल योजना, अल्प सिंचाई योजना, गूलों, गोबर गैस सन्यन्त्रों तथा नए 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित मदों एवं शैक्षिक, धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं, सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए सीमेन्ट

का वितरण परमिटों पर किए जाने की व्यवस्था है। शहरी क्षेत्रों में परमिट जारी करने का अधिकार जिला पूर्ति अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परमिट जारी करने का अधिकार खंड विकास अधिकारी को दिया गया है। कच्चे माल के रूप में सीमेन्ट का उपयोग करने वाली लघु उद्योग इकाइयों को सीमेन्ट के वितरण का कार्य मुख्यतः उद्योग निदेशक को सौंपा गया है।

भारत सरकार से प्रदेश को सीमेन्ट का त्रैमासिक आवंटन प्राप्त होता है जो वर्ष 1981 के चतुर्थ त्रैमास तथा वर्ष 1982 के प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास में निम्नलिखित प्रकार से मिला है :--

अक्तूबर से दिसम्बर, 1981	5,67,400 मी0 टन।
जनवरी से मार्च, 1982	5,67,400 ,,
अप्रैल से जून, 1982	2,42,900 ,,

एक्जीक्यूटिव आफिसर, नगरपालिका बिल्हौर के भ्रष्टाचार की जांच

105--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि एक्जीक्यूटिव आफिसर, नगरपालिका बिल्हौर के भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रश्नकर्ता ने दिनांक 15 अप्रैल, 1982 को जो पत्र उन्हें दिया था, क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा जांच के पश्चात् क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच श्री डी0 के0 शर्मा, सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0 से कराई जा रही है। जांच के पश्चात् दोषी पाए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

106--श्री राम आसरे वर्मा--

[प्रदेश सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त।]

नगरपालिका, बिल्हौर, जनपद कानपुर के अधिशासी अधिकारी द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों के धन का आडिट

107--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, बिल्हौर, जनपद कानपुर के अधिशासी अधिकारी द्वारा वर्ष 1980-81 तथा 1982-81 में कराए गए निर्माण कार्यों के धन का आडिट कराने विषयक जो पत्र प्रश्नकर्ता ने दिनांक 14 अप्रैल, 1982 को उन्हें भेजा था। क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां।

आडिट करवाने के लिए सहायक परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, कानपुर को लिख दिया गया है।

प्रदेश की तहसीलों में गेहूं वसूली हेतु खोले गए क्रय केन्द्र

108—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में गेहूं वसूली के लिए हर तहसील में क्रय-केन्द्र खोले गए हैं ? यदि हां, तो इलाहाबाद की करछना तहसील में क्रय केन्द्र क्यों नहीं खोला गया है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

उत्तर प्रदेश में गेहूं वसूली के लिए पर्वतीय क्षेत्रों तथा मिर्जापुर जनपद को छोड़कर प्रदेश की हर तहसील में गेहूं क्रय केन्द्र खोले गए। इलाहाबाद की करछना तहसील में भी क्रय-केन्द्र खोले गए।

जनपद शाहजहांपुर में औषधियों तथा अन्य वस्तुओं का अनियमित तथा अनधिकृत क्रय के विरुद्ध जांच

109—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 124 के उत्तर के संबंध में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जांच रिपोर्ट क्या है तथा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति—

सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1979-80 में जनपद शाहजहांपुर में औषधियों तथा अन्य वस्तुओं का अनियमित तथा अनधिकृत क्रय अन-अनुमोदित दरों एवं फर्मों से स्वीकृत दरों से अधिक दर पर किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर भूतपूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर, डा0 एस0 सी0 वशिष्ट पर आरोप पत्र तामील कराया जा चुका है।

चूंकि डा0 वशिष्ट तथा कतिपय अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कतिपय आरोपों में खुली जांच सतर्कता अधिष्ठान कर रही है अतः उपरोक्त मामले में अग्रेतर कार्यवाही सतर्कता जांच पूर्ण होने के बाद की जावेगी।

बस्ती जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इटवा खुनियावां में क्रय की गई दवाइयां, अन्य सामान पर व्यय तथा कार्यरत मिडवाइफें

110—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत विकास क्षेत्र, इटवा, खुनियावां के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर वर्ष 1981 से से लगायत 1 जनवरी, 1982 तक अलग-अलग कितने रुपये की दवाइयां एवं अन्य सामान दिया गया ? क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि दोनों विकास क्षेत्रों में कितनी मिडवाइफें इस समय कार्यरत हैं और उनका सेन्टर कहां-कहां हैं ?

श्री लोकपति—

बस्ती जिले के दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इटवा, खुनियावां हैं न कि इटवा सुनियाव।

इटवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पहली जनवरी, 1981 से पहली फरवरी 1982 तक 39,263·37 रु0 की दवाइयां खरीदी गयीं, 2,054 रु0 की दवाइयां दान स्वरूप मिलीं तथा 4,262·05 रु0 अन्य सामान पर व्यय किया गया ।

खुनियावां केन्द्र पर 54,269·71 रु0 की दवाइयां खरीदी गयीं, 2,054 रु0 की दवाइयां दान स्वरूप प्राप्त हुई तथा 5,254.46 रु0 अन्य सामान पर व्यय किया गया ।

दोनों विकास क्षेत्रों में 22 मिडवाइफ हैं । इटवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीन कुल 13 मिडवाइफ निम्न केन्द्रों में हैं :

(1) इटवा मुख्य केन्द्र
(2) झकहिया ।
(3) कोशिलया ।
(4) मल्हवार बुजुर्ग ।
(5) परसी देवाई चपार ।
(6) संग्रामपुर ।
(7) महादेव घुरहू ।
(8) सेमरी खान कोट ।
(9) पिपरी बुजुर्ग ।
(10) डकेरिया ।
(11) मेहदानी ।
(12) सिरसिया ।
(13) जिगिना ठाकुर तथा सुनियावां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कुल 9 मिडवाइफ निम्न 9 केन्द्रों में हैं :

(1) नवेलवा ।
(2) सेन्दुरी ।
(3) उडना ।
(4) मारा बाजार ।
(5) लुटेरा ।
(6) घोवहा मुस्तहकम ।
(7) खुनियावां ।
(8) चरगदवा ।
(9) बेंलवा ।

111—श्री चेतराम गंगवार—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

112—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

श्री किशोरी शरण अग्रवाल, भू0 पू0 प्रधान लिपिक, जिला पूर्ति कार्यालय, हमीरपुर की समाप्त सेवायें तथा पेंशन स्वीकृत किये जाने के संबंध में शिकायती पत्र

113--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या खाद्य तथा रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री किशोरी शरण अग्रवाल, भू0 पू0 प्रधान लिपिक, जिला पूर्ति कार्यालय, हमीरपुर को स्थायी किये जाने व पेंशन स्वीकृत किए जाने के संदर्भ में कोई शिकायती-पत्र दिनांक जनवरी, 1982 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो श्री अग्रवाल को सेवा में किस तिथि में नियुक्त किया गया व किस तिथि में सेवामुक्त किया गया ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां ।

श्री किशोरी शरण अग्रवाल की नियुक्ति 1-12-43 को हुई थी तथा जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा दिनांक 13-1-66 को नोटिस के बदले एक माह का वेतन देकर श्री अग्रवाल की सेवा समाप्त कर दी गई थी ।

114--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या मन्त्री यह भी बतायेंगे कि श्री अग्रवाल को किन कारणों से सेवामुक्त किया गया तथा सेवामुक्त करने पर उन्हें पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है ?

श्री वासुदेव सिंह--

श्री किशोरी शरण अग्रवाल एक स्थायी कर्मचारी थे और उनकी सेवाओं की आवश्यकता न होने पर जनहित में उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी थीं । अतः श्री अगवाल को नियमानुसार पेंशन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

लाला लाजपतराय एवं संबंधित चिकित्सालय, कानपुर में फार्मेसिस्टों के आवास आवंटन में अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

115--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लाला राजपत राय एवं संबंधित चिकित्सालय, कानपुर की डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसियेशन द्वारा फार्मेसिस्ट आवासों के आवंटन में अनियमितता बरते जाने के सिलसिले में कोई पत्र वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर को जून, 1982 के दूसरे सप्ताह में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

इस तरह का पत्र प्राप्त हुआ था । उसमें उल्लिखित फार्मेसिस्टों के आवास आवंटन में कोई अनियमितता नहीं पायी गई, अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

सहकारी समिति, नेवलगंज के भवन के निर्माण की जांच

116--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नेवलगंज, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव में साधन सहकारी समिति, नेवलगंज के भवन का निर्माण का कार्य वर्ष 1981 में पूरा हो गया था ? क्या यह भी सही है कि भवन में सीमेन्ट व ईंटा व अन्य सामान काफी मात्रा में ठेकेदार द्वारा बेच डाला गया और सीमेन्ट आदि की कमी को बालू द्वारा पूरा किया गया ? जिसके कारण भवन का प्लास्टर व छत आदि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच गुप्तचर विभाग द्वारा करा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

उन्नाव जनपद में हसनगंज तहसील की साधन सहकारी समिति मोहान पूर्वी का ग्रामीण गोदाम ग्राम नेवलगंज में जून 1980 में पूर्ण किया गया था ।

ऐसी कोई शिकायत उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि0 के ग्रामीण गोदाम के कार्य को देखने वाले परियोजना कार्यालय अथवा सहायक अभियन्ता, लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई जिससे यह कहा जा सके कि ठेकेदार द्वारा काफी मात्रा में ईंटा व सीमेन्ट बेच डाला गया परन्तु जांच के समय पाया गया कि प्लास्टर निर्धारित सीमेन्ट व बालू के अनुपात में नहीं था । जिसके कारण भवन व छत का प्लास्टर काफी सीमा तक खराब हो गया है ।

इस मामले की जांच बैंक द्वारा स्वयं ही की जा रही है और जांच में दोषी पाए जाने पर अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

पुलिया नं0 9, झांसी में शिरोपरि जलाशय का निर्माण

117--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि पुलिया नं0 9, झांसी नगर में पेयजल की टंकी का निर्माण हुए 5 वर्ष हो गये हैं ? यदि हां, तो शासनादेश होने के बाद भी उक्त टंकी पेयजल हेतु प्रयोग में न लाने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

पुलिया नं0 9, झांसी में शिरोपरि जलाशय का निर्माण 5 वर्ष पूर्व हुआ था । उक्त जलाशय की टेस्टिंग होने पर लीकेज पाया गया, जिसकी मरम्मत कराने हेतु कार्यवाही की गयी है । कार्य चल रहा है ।

गडिया गांव, जनपद झांसी में पेयजल लाइन की व्यवस्था हेतु कृत कार्यवाही

118--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि ग्राम गडिया गांव ब्लाक बबीना, जनपद झांसी के 5 वर्ष पूर्व पेय जल की लाइन बिछा दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त ग्राम में पेय जल अभी तक न उपलब्ध कराने के क्या कारण हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

वर्ष 1969-70 के सूखे के समय इस ग्राम को पेयजल से अभावग्रस्त घोषित किया गया था। अतः तुरन्त राहत पहुंचाने हेतु झांसी बबीना पाइप लाइन से लाभान्वित ग्राम हंसारी के शिरोपरि जलाशय से गड़िया गांव तक पाइप लाइन बिछाकर सूखा काल में अस्थाई रूप से पेयजल उपलब्ध कराया गया था, परन्तु उसके पश्चात् झांसी जल संस्थान से स्थायी रूप से पेयजल योजना को कार्यान्वयन करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अपनी आवासीय योजना हेतु वाराणसी में भूमि का कब्जा तथा भूमि लेने व विकास में हुये खर्च का विवरण

119—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद्, वाराणसी शहर में तथा उसके बाहर कहां-कहां आवास विकास के लिए शुरू से लेकर अब तक कितने एकड़ जमीन को लिया है ? और प्रत्येक योजना की जमीन को कितना किस रेट पर बेंच दिया और कितनी जमीन शेष पड़ी है और कितने भवनों का निर्माण किया ?

श्री राम सिंह खन्ना—

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपनी आवासीय योजना हेतु वाराणसी शहर में तथा उसके बाहर शुरू से लेकर अब तक निम्नलिखित भूमि का कब्जा लिया गया है :—

आवासीय योजना का नाम	कब्जा प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल
1—भेलूपुरा हाउसिंग एकोमोडेशन एवं जनरल डेवलपमेंट स्कीम जोन नं0 2, वाराणसी	41.950 एकड़
2—गण्डेपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, वाराणसी	51.927 एकड़

अभी तक किसी भी योजना के अन्तर्गत जमीन को बेचा नहीं गया है। "भेलूपुरा" योजना के अन्तर्गत चार मंजिले मध्यम आय वर्ग के 256 भवनों में से 160 भवन लगभग पूर्ण हो गये हैं। चूंकि यह भवन चार मंजिले हैं अतः जब तक समस्त भवन पूर्ण नहीं हो जाते हैं तब तक भवनों का आवंटन सम्भव नहीं होगा।

120—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जमीन लेने व उसका विकास करने में अलग-अलग योजनाओं पर कितना खर्च हुआ और उस पर प्राप्ति क्या हुई और प्राप्ति का धन कहां जमा है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जमीन लेने व उसके विकास करने में अलग-अलग योजनाओं पर अभी तक निम्नलिखित खर्च हुआ है :--

1--भेलूपुरा हाउसिंग एकोमोडेशन एवं जनरल डेवलपमेंट स्कीम जोन नं0 2, वाराणसी	36.91 लाख
2--पाण्डेपुर भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, वाराणसी	0.14 लाख

योजनाओं के अन्तर्गत अभी तक कोई प्राप्ति नहीं हुई है ।

आवास विकास परिषद्, वाराणसी द्वारा भवन/भू-खंड हेतु जमा करायी गयी धनराशि तथा पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या

121--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद्, वाराणसी ने कितना रुपया आवास देने के लिए लोगों से शुरू से लेकर अब तक जमा कराया है और रजिस्ट्रेशन किया है ? उनकी संख्या क्या है और मकान कितनों को दिये गये हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

भवन/भू-खंड लेने के लिये इच्छुक लोगों ने शुरू से लेकर अब तक रुपये 68,50,915 जमा किया है और अपना पंजीकरण कराया है । ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या 4705 है । अभी तक किसी को भी मकान आवंटित नहीं किये गये हैं ।

नगर महापालिका, वाराणसी में पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण

122--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर महापालिका क्षेत्र के अन्तर्गत गंदे नालों को सीवेज फार्म में गिराने के लिए कई पम्प लगाने का जो प्रस्ताव था उसमें कितने पम्प लगाये गये और कितने अभी पूर्ण नहीं हैं ? उन पर कितना खर्च किया गया और आगे कितना खर्च होगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

नगर महापालिका, वाराणसी क्षेत्र के अन्तर्गत गन्दे नालों को सीवेज फार्म पर गिराने के लिये मुख्यतः पांच स्थानों पर पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण प्रस्तावित था । उनमें से चार पम्प लग गये हैं और एक अभी पूर्ण नहीं है । इन पम्पिंग स्टेशनों पर अब तक कुल रु0 37.17 लाख व्यय किये गये हैं तथा रु0 5.00 लाख का और व्यय सम्भावित है ।

नगर महापालिका क्षेत्र, वाराणसी में जल निगम द्वारा नलकूप एवं ओवर हेड टैंक का निर्माण

123--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका क्षेत्र वाराणसी में जल निगम ने कितने ट्यूबवेल लगाकर पेय जल की सुविधा हेतु

ओवर हेड टैंक बनाये हैं ? क्या यह सही है कि तीन ट्यूबवेल अभी भी कार्य नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

नगर महापालिका क्षेत्र, वाराणसी में जल निगम ने 25 नलकूप एवं 8 ओवर हैड टैंक का निर्माण किया है । यह सही है कि अभी भी तीन नलकूप विद्युत संयोजन के अभाव में चालू नहीं किये जा सके हैं ।

ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में पेय जल सुविधा हेतु जेनरेटर की व्यवस्था

124--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान पिंडरा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में पेयजल की सुविधा हेतु एक नलकूप की बोरिंग एक वर्ष पूर्व की गयी थी ? यदि हां, उसको अब तक चालू न करने का कारण क्या है ? क्या सरकार इस स्थान पर पेयजल की सुविधा हेतु एक जेनरेटर सेट की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

योजना के अन्तर्गत जेनरेटर सेट लगाने का प्राविधान नहीं है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक कालेज, हंडिया, जिला इलाहाबाद के छात्रों द्वारा प्रशासक के विरुद्ध आरोप-पत्र

125--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक कालेज, हंडिया, जिला इलाहाबाद में प्रशासक नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि वहां के छात्रों व अध्यापकों ने प्रशासक के खिलाफ बहुत से आरोप-पत्र सरकार को तथा माननीय स्वास्थ्य मन्त्री को अब तक दिये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

(क) दिनांक 17 फरवरी, 1981 को उक्त कालेज में प्रशासक नियुक्त किया गया था ।

(ख) संस्था को राजकीय अधिकार में लिये जाने की तिथि से पूर्व वहां के छात्रों ने प्रशासक के विरुद्ध कुछ आरोप-पत्र दिये थे जिसमें प्रशासक के शिथिल प्रशासन की बात मुख्य रूप से कही गई थी ।

(ग) शासन द्वारा संस्था को अधिग्रहण की तिथि से प्रशासक का नियंत्रण समाप्त हो गया है । फलतः इस सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों हेतु आयुर्वेदिक भेषज्य कल्पक (फार्मेसिस्ट) पाठ्यक्रम

126—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त प्रदेश में कल्पकों (आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों) को ट्रेनिंग के कितने कालेज चल रहे हैं और प्रतिवर्ष कितने कल्पक ट्रेन्ड हो रहे हैं ? क्या यह सही है कि ट्रेन्ड कल्पकों को विभाग में जगह नहीं मिल पा रही है और जो कालेज सरकारी अनुदान पर चल रहे हैं उनके नाम क्या हैं ?

श्री लोकपति—

प्रदेश में आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों के लिये आयुर्वेदिक भेषज्य कल्पक (फार्मेसिस्ट) पाठ्यक्रम चार कालेज में चल रहा है ।

पिछले 5 वर्षों में औसतन प्रति वर्ष 135 छात्र ट्रेन्ड हुए हैं ।

विभाग में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर ही नियुक्ति दी जाती है ।

कल्पक पाठ्यक्रम चलाये जाने हेतु किसी भी आयुर्वेदिक कालेज को अनुदान नहीं दिया जाता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला मुख्य चिकित्सालय, जनपद फैजाबाद में गम्भीर आर्थिक अनियमिततायें

127—श्री मित्रसेन—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुख्य चिकित्सालय, जनपद फैजाबाद में जनवरी, 1982 से जून, 1982 तक कौन-कौन सी गम्भीर आर्थिक अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं ? इस सम्बन्ध में अब तक प्रशासन को कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुए ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वरिष्ठ लिपिक श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के प्रत्यावेदन पर कृत कार्यवाही

128—श्री मित्रसेन—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र सं0 सचिव, श्री विष्णु प्रकाश को दिनांक 25 फरवरी, 1982 को प्राप्त हुआ है जो वरिष्ठ लिपिक श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के प्रत्यावेदन के साथ संलग्न था ? यदि हां, तो प्रत्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 25 फरवरी, 1982 को पत्र 3 मार्च, 1982 को प्राप्त हुआ। शिकायतों की जांच की गई। विभागाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

129--श्री मोहन सिंह--

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कतिपय जनपदों में मिट्टी का तेल का औसत मासिक आवंटन

130--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ, लखीमपुर, जौनपुर, फतेहपुर, हरदोई तथा सीतापुर की जनसंख्या को देखते हुए मास जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1982 औसतन कुल कितना-कितना मिट्टी का तेल आवंटित किया गया? सीतापुर की जनसंख्या उपरोक्त सभी जिलों से अधिक होते हुए भी मिट्टी के तेल का उसी अनुपात में अधिक आवंटन न होने का क्या कारण है?

श्री वासुदेव सिंह --

प्रश्न में इंगित जनपदों को उक्त अवधि में मिट्टी के तेल का औसत मासिक आवंटन निम्न प्रकार रहा है :--

जनपद	मासिक औसत आवंटन (मात्रा किलो लिटर में)
लखनऊ	1887
लखीमपुर	770
जौनपुर	883
फतेहपुर	767
हरदोई	580
सीतापुर	483

भारत सरकार से प्रदेश को मिट्टी के तेल का जो मासिक आवंटन प्राप्त होता है वह जनसंख्या के आधार पर न होकर पूर्व वर्ष के उसी माह में हुई कुल उठान को दृष्टि में रखकर किया जाता है। अतएव शासन स्तर से जनपदों को मिट्टी तेल का मासिक आवंटन भी सामान्यतया उसी आधार पर किया जाता है।

131--श्री दूधनाथ राजभर--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश नगरपालिका के कर निरीक्षकों की सेवा को केन्द्रीयित किये जाने में विलम्ब

132--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर-पालिका के कर निरीक्षकों की सेवा अब तक केन्द्रीयित नहीं की गयी? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

उक्त प्रयोजन हेतु प्रकाशित अधिसूचना के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्थगन आदेश पारित कर दिये जाने के कारण उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 में प्रस्तावित संशोधन को अन्तिम रूप दिये जाने में विलम्ब हुआ है ।

जनपद आजमगढ़ में विकास खण्ड जहानागंज, सठियांव तथा रानीपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की संख्या

133—श्री दूध नाथ राजभर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड जहानागंज, सठियांव तथा रानीपुर में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्र स्थापित हैं ? क्या किसी अस्पताल के उच्चीकरण का मसला भी शासन के विचाराधीन है ?

श्री लोकपति—

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड, जहानागंज, सठियांव तथा रानीपुर में प्रत्येक में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है तथा उप केन्द्रों की संख्या निम्न प्रकार है :—

विकास खंड का नाम	उपकेन्द्रों की संख्या
जहानागंज	19
सठियांव	22
रानीपुर	21

उपरोक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा उप केन्द्रों में से किसी को उच्चीकृत करने की योजना सम्प्रति शासन के विचाराधीन नहीं है ।

नगरपालिका वाराणसी में पुलिस चौकी लक्सा की इमारत रोड की तरफ बढ़ाने के विरुद्ध कार्यवाही

134—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, वाराणसी में पुलिस चौकी लक्सा की इमारत रोड की तरफ बढ़ाकर 8/9 फिट ऊंचा बना दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में महापालिका, वाराणसी ने क्या कार्यवाही अब तक किया है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां,

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 एवं 28 के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस दी गयी तथा प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

135—श्री दीप नरायन वन महन्थ—]

[आश्वासन समिति के विचारधीन होने के कारण निरस्त]

136—श्री दीप नरायन वन महन्थ—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

137—श्री दीनानाथ—

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

138—श्री दीनानाथ—

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 76 को अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पी0 एम0 एच0 एस0 अधिकारी को एम0 डी0 (साइकियाट्रि) हेतु प्रवेश तथा अध्ययन अवधि में वेतन

139—श्रीमती धनेश्वरी देवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (पी0 एम0 एस0) के कितने चिकित्सा अधिकारी पिछली दो वर्षों में मानसिक रोग में एम0 डी0 कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि मानसिक रोग में विशेषज्ञ प्रदेश में और प्रदेशों के विशेषज्ञों की तुलना में नहीं के बराबर है ? यदि हां, तो उन्हें एम0 डी0 करने की अवधि में पूरा वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री लोकपति—

पिछले दो वर्षों में केवल 1981 में एक पी0 एम0 एच0 एस0 अधिकारी को एम0 डी0 (साइकियाट्रि) हेतु प्रवेश प्राप्त हुआ है, जो अध्ययन कर रहे हैं। प्रदेश में एम0 डी0 (साइकियाट्रि) की विशिष्टता तथा विशेषज्ञों की कमी है परन्तु अन्य प्रदेशों के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। एम0 डी0 की अध्ययन अवधि में पूरा वेतन दिया जाना शासन की वर्तमान नीति के अनुकूल नहीं है।

मिहीपुरवा, जिला बहराइच में प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पताल एक ही इमारत में चलाने का औचित्य

140—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान मिहीपुरवा, जिला बहराइच में प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला परिषद् का एक अस्पताल मिहीपुरवा से दो किलोमीटर दूर एक ही इमारत में चल रहा है ? यदि हां, तो दोनों अस्पतालों को एक इमारत में चलाने क औचित्य क्या है ? क्या सरकार इसमें से एक अस्पताल मिहीपुरवा बाजार के अन्दर ले जाने पर विचार करेगी ?

श्री लाकपति—

मोतीपुर स्थित जिला परिषद् चिकित्सालय, जिला परिषद् के भवन में चल रहा है तथा मिहीपुरवा में भवन न होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मिही-पुरवा मोतीपुर में ही जिला परिषद् चिकित्सालय के परिसर में ही किन्तु अलग बने परिवार कल्याण मुख्य केन्द्र के भवन में चल रहा है।

चूंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर क्रमिक रूप से भवन निर्माण कराने की योजना है, अतः वर्तमान व्यवस्था अभी कुछ और समय तक चलती रहेगी ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ददरौल, कांठ, मिर्जापुर तथा जैतीपुर में डाक्टर की नियुक्ति

141---श्री ऊदल---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी अस्पताल, मिर्जापुर, कांठ, ददरौल, जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर में एक वर्ष से कोई डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? वहां डाक्टर कब भेजा जायगा ?

श्री लोकपति---

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ददरौल तथा कांठ में चिकित्सक की नियुक्ति कर दी गई है । मिर्जापुर तथा जैतीपुर में कोई डाक्टर नहीं है । डाक्टरों के न होने का कारण चिकित्सकों का अभाव है । नियुक्ति हेतु चयन किया जा रहा है । शीघ्र नियुक्तियां कर दी जायेंगी ।

महिला अस्पताल, गोसाईंगंज, जिला फैजाबाद में महिला डाक्टर का रिक्त पद

142---श्री ऊदल---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला अस्पताल, गोसाईंगंज, जिला फैजाबाद में कोई महिला डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? कब तक व्यवस्था की जायगी ?

श्री लोकपति---

जी हां ।

महिला डाक्टरों की कमी के कारण दिसम्बर, 1981 से महिला डाक्टर का पद रिक्त चल रहा है । अब डाक्टर (श्रीमती) विनोद श्रीवास्तव की तैनाती के आदेश दिनांक 21 अगस्त, 1982 को प्रसारित कर दिये गये हैं ।

अमौली रतनपुर और देहली ग्रामों में गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस से प्रभावित व्यक्तियों की मृत्यु

143---श्री ऊदल---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव अमौली व रतनपुर, तहसील घाटमपुर तथा देहली, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर में गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस से बच्चों व महिलाओं की 15 मौत हो चुकी है ? और काफी लोग बीमार हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और उक्त बीमारी फैलने का कारण क्या है ?

श्री लोकपति---

माह मई और जून, 1982 में अमौली रतनपुर और देहली ग्रामों में गैस्ट्रो इन्ट्राइटिस से प्रभावित 50 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी ? प्रभावित व्यक्तियों के उपचार का समुचित प्रबन्ध किया गया था उपरोक्त ग्रामों में उक्त

बीमारी की सूचना प्राप्त होते ही रोकथाम के लिये जिला स्तर की एक टीम ने वहां पहुंच कर निरोधात्मक कार्यवाही की और रोग पर शीघ्र ही पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। प्रभावित ग्रामों में 3370 हैजा निरोधक टीके लगाए गये तथा 81 कुओं का 5 से 20 बार विसंक्रमण किया गया। बीमारी फैलने का मुख्य कारण दूषित भोजन का सेवन करना था।

मिहीपुरवा, जिला बहराइच को टाउन एरिया बनाने का विचार

144—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिहीपुरवा जिला बहराइच को टाउन एरिया बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां।

निदेशक पंचायत राज से आख्या एवं संस्तुति मांगी गई है। उसके प्राप्त होने पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायगा।

नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी में कार्यरत नलकूप

145—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी में एक नलकूप होने के कारण पेय जल पूरा उपलब्ध नहीं हो पाता ? यदि हां, तो क्या सरकार पेय जल के लिये एक नलकूप तथा एक जेनरेटर की व्यवस्था करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी में इस समय दो नलकूप कार्यरत हैं जिससे पेय जल उपलब्ध कराया जा रहा है। एक और नलकूप का छिद्रण का कार्य चल रहा है। जेनरेटर लगाने का अभी कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी में पानी की निकासी हेतु नालियों को पक्का कराने की व्यवस्था

146—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी के अन्तर्गत कालीन की बुनाई की वजह से पेय जल दूषित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कालीन धोने के पानी की निकासी की व्यवस्था पक्की नालियां बना कर करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं।

नगरपालिका भदोही अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत नालियों को पक्का कराने हेतु प्रयत्नशील है।

सीवर लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी ट्रेन्च तथा प्रस्तावित कार्य

147—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीवर डालने के लिए कई मास पूर्व खोद दिया गया है ? जिससे अवरोध तथा गंदगी पैदा हो गयी है ? यदि हां, तो सीवर डालने का कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

प्रश्नगत मार्ग पर सीवर लाइन बिछाने के लिये ट्रेन्च खोदी जाती है तथा सीवर लाइन डाले जाते ही, उन्हें भर दिया जाता है। जून, 1983 में सीवर बिछान का कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद बरेली में मीरगंज एवं शेरगढ़ को नगर क्षेत्र बनाने की घोषणा

148—श्री जयदीप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बरेली में मीरगंज एवं शेरगढ़ को नगर क्षेत्र बनाने की गजट में घोषणा कब की गई थी ? और क्या इस समय पर वह घोषणा प्रभावी है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मीरगंज को नगर क्षेत्र बनाने की घोषणा दिनांक 14-10-71 को तथा शेरगढ़ को नगर क्षेत्र बनाने की घोषणा दिनांक 21-5-73 को की गई थी ।

जी हां ।

ग्राम समूह पेयजल योजना रामपुरा का झांसी डिवीजन जल संस्थान, शाखा उरई को हस्तान्तरण

149—श्री दलगंजन सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम समूह पेयजल योजना रामपुरा, जनपद जालौन जल निगम (निर्माण) ने जल संस्थान को कब स्थानान्तरित की ? योजना कितने गांवों के लिए बनी और इस समय कितने गांवों को पानी दे रही है ? बाकी गांवों को पानी न दिये जाने के क्या कारण हैं ।

श्री राम सिंह खन्ना—

प्रश्नगत योजना 1979 में झांसी डिवीजन जल संस्थान, शाखा उरई को हस्तान्तरित की गई थी । यह योजना रामपुरा को सम्मिलित करते हुए 28 गांवों के लिए बनी थी । वर्तमान में 10 गांवों एवं रामपुरा नगर क्षेत्र समिति म पेयजल सम्पूर्ति की जा रही है । शेष 17 गांवों में ग्राम वासियों द्वारा जल संयोजन न लिए जाने तथा जल स्तम्भ शुल्क न जमा करने के कारण जल सम्पूर्ति नहीं की जा रही है ।

150—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांदा विकास प्राधिकरण का गठन तथा सचिव विकास प्राधिकरण की नियुक्ति

151—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि शासन ने बांदा विकास प्राधिकरण का गठन करके 25 लाख रुपये प्राधिकरण को आबंटित कर दिये हैं ? यदि हां, तो सचिव, विकास प्राधिकरण की नियुक्ति 31 मई, 1982 तक न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां। वरिष्ठ पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण उक्त पद पर दिनांक 31-5-82 तक नियुक्ति नहीं की जा सकी। दिनांक 3-6-82 को अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को उनके सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त सचिव, विकास प्राधिकरण, बांदा नियुक्त कर दिया गया है।

जनपद जलौन, ग्राम महमूदाबाद में पेयजल के खारेपन के सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण

152—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे जनपद जालौन के विकास खंड, डकौर के ग्राम महमूदाबाद के सभी कुयें खारे हैं ? यदि हां, तो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां।

पेयजल के खारेपन के सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण कराया जा रहा है।

153—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

154—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गाजियाबाद में चल रहे अनधिकृत भट्ठों के विरुद्ध कार्यवाही

155—श्री सुखबीर सिंह गहलौत—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद में अनेक भट्ठे अनधिकृत रूप से चल रहे हैं जिसके कारण शासन को लाखों रुपये की हानि हो रही है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वासुदेव सिंह—

गाजियाबाद में भारत सरकार के सुरक्षा प्रतिष्ठान (हिण्डन एयर फील्ड) के प्रतिबंधित क्षेत्र (फनल एरिया) के अन्दर अनधिकृत रूप से बिना लाइसेन्स प्राप्त किये कुछ भट्ठे चल रहे हैं, जिनकी लाइसेन्स फीस नहीं दी गई है। ऐसे अनधिकृत भट्ठों में से 9 भट्ठों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमे दर्ज

किये गये हैं, जिनमें से तीन न्यायालय के विचाराधीन हैं और 6 पुलिस के विवेचनाधीन हैं। अन्य स्थानों में अनधिकृत भट्ठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा जांच कराई जा रही है।

भू0 पू0 संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, डा0 के0 एल0 अरोड़ा की पेंशन का भुगतान

156—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भू0 पू0 संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक (डा0 के0 एल0 अरोड़ा) की पेंशन सक्षम अधिकारी की संस्तुति पर स्वीकृत किये जाने और उसका भुगतान डायरेक्टर, स्वास्थ्य विभाग द्वारा अगस्त, 1979 से जून, 1980 तक प्रति माह प्राप्त करने के बाद अचानक स्वास्थ्य निदेशक ने महालेखाकार को आदेश भेजकर रुकवा दिया है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त आदेश को निरस्त करने के लिए 2 मार्च, 1981 को कोई प्रार्थना-पत्र डा0 के0 एल0 अरोड़ा ने एवं कुछ विधायकों ने गत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्री जी को पत्र दिये थे? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं हुई तो क्यों?

श्री लोकपति—

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के संदर्भ पर महालेखाकार उ0 प्र0 द्वारा डा0 अरोड़ा की पेंशन का भुगतान रोक दिया गया है।

पेंशन सी0 एस0 आर0 के अनुच्छेद 351-ए के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही की प्रत्याशा में रोकी गई है।

डा0 अरोड़ा का 2 मार्च, 1981 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ।

मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र, जलालपुर में पुराने राशन कार्डों का नवीनीकरण

157—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र, जलालपुर में नये राशन कार्डों के अभी तक न बनने के कारण आवश्यक वस्तुओं के वितरण में घोर असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार सभी पुराने राशन कार्डों को निरस्त कर शीघ्र नये राशन कार्ड बनवायेगी?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र, जलालपुर में पुराने राशन कार्डों पर जन-साधारण को आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा इसमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। नये राशन कार्डों को भी शीघ्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर एवं मुफ्तीगंज में शीतगृह निर्माण कराने का प्रस्ताव

158—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र, जलालपुर एवं मुफ्तीगंज अत्यधिक आलू उत्पादन के क्षेत्र होते हुए भी यहां एक

भी शीतगृह नहीं है ? क्या सरकार इस क्षेत्र के किसानों के हित में यहां भी शीघ्र शीतगृहों का निर्माण करायेगी ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां।

उक्त दोनों विकास क्षेत्रों में शीतगृह निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है क्योंकि जाफराबाद व जौनपुर नगर में 5 शीतगृह वर्तमान में आलू उत्पादन को देखते हुए पर्याप्त हैं।

जनपद गाजियाबाद की पिलखुआ व मोदीनगर नगरपालिकाओं में स्वीकृत पेयजल योजना

159—श्री सुखबीर सिंह गहलौत—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिलखुआ व मोदीनगर नगरपालिकाओं में पेयजल की कोई योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्रियान्वयन में क्या कठिनाई है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जनपद गाजियाबाद की पिलखुआ नगरपालिका के लिये कोई पेयजल योजना स्वीकृत नहीं है।

मोदीनगर नगरपालिका के लिये पेयजल योजना 29.998 लाख रु0 की स्वीकृत है।

नलकूप, जलाशय आदि के निर्माण हेतु अभी तक भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य आरम्भ न हो सका।

नगर बांदा में महिला चिकित्सालय भवन के निर्माण की घोषणा

160—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शासन ने जनपद बांदा के नगर बांदा में महिला चिकित्सालय भवन के निर्माण की घोषणा गत 21 अप्रैल, 1981 को की थी ? यदि हां, तो चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु 31 मई, 1982 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति—

जी हां। भवन निर्माण हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था की जा रही है। धन की व्यवस्था होने पर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायगा।

बांदा नगर की ड्रेनेज योजना

161—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा नगर की ड्रेनेज योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ? और कब तक यह योजना चालू कर दी जायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं ।

सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0, आगरा के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच

162--श्री बदन सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0, आगरा के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच करने के लिए कोई शिकायती-पत्र, दिनांक 6 मार्च, 1982 को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो सहायक निबन्धक, आगरा के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री जगन्नाथ राम, प्रहरी, कार्यालय, बाट तथा माप निदेशक, जौनपुर के निलम्बन काल का वेतन

163--श्री जंगबहादुर--

क्या खाद्य मन्त्री को जानकारी है कि श्री जगन्नाथ राम, प्रहरी, कार्यालय, बांट तथा माप निदेशक, जौनपुर, जो दिनांक 22-4-77 से निलम्बित थे, को दिनांक 23-8-77 को बहाल कर दिया गया था ? यदि हां, तो उन्हें अब तक निलम्बन काल का वेतन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां, श्री जगन्नाथ राम, प्रहरी दिनांक 22-4-1977 से निलम्बित किये गये थे और दिनांक 23-8-1977 को नहीं बल्कि 8-9-1977 को बहाल किये गये थे ।

बहाली के आदेशों के अनुसार उन्हें निलम्बन काल में स्वीकृत जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त पूर्ण वेतन नहीं दिया गया था ।

डा0 राम अवतार, महासचिव, प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ, उत्तर प्रदेश के पत्र में मांगों पर कृत कार्यवाही

164--श्री हरिवंश सहाय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि डा0 राम अवतार, महासचिव, प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ, उ0 प्र0, लखनऊ ने दिनांक 31 मई, 1982 को संयुक्त सचिव, चिकित्सा अनुभाग-9, उ0 प्र0 शासन को कोई पत्र संलग्नक सहित दिया है, यदि हां, तो उसमें कौन-कौन तथ्य हैं ? तथा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति--

जी हां । महासचिव, प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ, उत्तर प्रदेश का कथित पत्र दिनांकित 31-5-82 का प्राप्त हुआ है जिसमें निम्नलिखित

मांगें की हैं :—

(1) समान कार्य के लिये समान वेतन एवं सुविधायें दी जायं ।

(2) होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों का पद राजपत्रित घोषित किया जाय ।

(3) उप निदेशक (होम्योपैथी) का पद होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों में से प्रोन्नत करके भरा जाय ।

(4) होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद को राज्य संवर्ग का पद घोषित किया जाय ।

(5) जिला स्तर पर एलोपैथिक चिकित्सकों का नियन्त्रण समाप्त किया जाय ।

(6) मण्डलीय होम्योपैथिक कार्यालयों की स्थापना की जाय ।

(7) आयुर्वेद, यूनानी तथा पी० एम० एस० के समान स्तर की भांति होम्योपैथी चिकित्साधिकारियों की सेवाओं को प्रान्तीय सेवा घोषित की जाय ।

(8) सेवा नियमावली तैयार की जाय ।

(9) होम्योपैथिक औषधियों के क्रय हेतु दर अनुबन्ध की व्यवस्था की जाय ।

उक्त सभी मांगे शासन के विचाराधीन हैं ।

होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक यूनानी विभाग के पदों हेतु वेतन आयोग की संस्तुति

165—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मन्त्री कृपया यह भी बतलायेंगे कि वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शासन ने होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक, यूनानी विभाग के शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों पर समान वेतनमान रखे हैं ? यदि हां, तो होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के वेतनमान आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्साधिकारियों के समान क्यों नहीं किए गये हैं ? शासन कब तक इनके वेतनमान समान कर देगी ?

श्री लोकपति —

वेतन आयोग ने होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक, यूनानी विभाग के पदों के लिये वेतनमानों की जो संस्तुति की थी उसे शासन ने स्वीकार कर लिया है । तदनुसार वेतनमान निर्धारित किये गये हैं ।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को राजपत्रित घोषित किये जाने का विचार

166—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि होम्योपैथी चिकित्साधिकारियों को अन्य चिकित्सा प्रणाली के चिकित्साधिकारियों के समान दर्जा देने की शासन की नीति के बावजूद भी उन्हें राजपत्रित घोषित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति--

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को राजपत्रित घोषित किये जाने का मामला विचाराधीन है ।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्साधिकारियों के समान वेतनमान देने पर विचार

167--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या यह भी सही है कि होम्योपैथी चिकित्साधिकारियों को आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्साधिकारियों के समकक्ष मानते हुए भी वेतनमान में अन्तर रखा गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है तथा इन्हें अन्य चिकित्साधिकारियों के समान वेतनमान कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री लोकपति--

वेतन आयोग ने होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्साधिकारियों के समान वेतनमान देने की संस्तुति नहीं की है ।

उप निदेशक होम्योपैथी का रिक्त पद

168--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि होम्योपैथी के उप निदेशक के रिक्त पद को भरने के लिये शासन ने कौन सी नीति निर्धारित की है ? क्या यह सही है कि होम्योपैथी के रिक्त उप निदेशक पद की पूर्ति के लिए शासन द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा गया है ? यदि हां, तो स्वास्थ्य विभाग के अन्य संवर्गों में भिन्न इस नीति का औचित्य क्या है ?

श्री लोकपति--

उप निदेशक (होम्योपैथी) का पद अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में है । इसे लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करने का प्रश्न विचाराधीन है । जब तक अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक पुरानी व्यवस्था ही चलेगी ।

लखनऊ-कानपुर रोड पर ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत कतिपय गांवों की अधिग्रहीत की गई भूमि एवं मुआवजा

169--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में लखनऊ-कानपुर रोड पर ट्रान्सपोर्टनगर योजना के अन्तर्गत ग्राम बरगवा, कासिमपुर पकरी, मदारी खेड़ा आदि ग्रामों की जो जमीनें किसानों से 26-9-1977 से वर्ष 1978 में ली गयी थी उसका पूरा का पूरा मुआवजा सरकार द्वारा सभी को दे दिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें जो गरीब हरिजन तथा पिछड़ी जाति के किसान रह गये हैं उन्हें मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है ? उन्हें कब तक मुआवजा मिल जायगा ?

श्री लोकपति—

इस योजना के अन्तर्गत ग्राम बेहसा का समस्त प्रतिकर का भुगतान सम्बन्धित काश्तकारों को किया जा चुका है। ग्राम बरगवां की अर्जित भूमि का लगभग समस्त व्यक्तियों को अग्रिम प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया था और फाइनल भुगतान 3/4 भाग का किया जा चुका है। अवशेष धनराशि के भुगतान की व्यवस्था कराई जा रही है।

कार्यालय में कोई ऐसा रिकार्ड नहीं है जिससे यह बताया जा सके कि किस जाति अथवा वर्ग विशेष के हितबद्ध व्यक्ति को प्रतिकर दिया गया है।

इलाहाबाद जनपद में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों के बिलों की अदायगी में किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[12 बजकर 20 मिनट]

*श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सम्मानित सदन व शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद इलाहाबाद में इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग यू0 पी0 एस0 ई0 बी0 इलाहाबाद द्वारा बावजूद सरकारी आदेश नवम्बर, 1974 के किसानों से पंपिंग सेटों पर यूनिट के हिसाब से ही बिलों की अदायगी अप्रैल, 1977 तक कराते रहे और इस प्रकार उन किसानों से अधिक धनराशि जमा की गयी। इधर पिछले वर्षों से क्रमशः उन अनपढ़ किसानों को तिकड़मी ढंग से बुलाया जाता है और उनसे उनकी अधिक जमा की गयी धनराशि को बिलों का आधा रुपया नकद लेकर समायोजित कर दिया जाता है। सैकड़ों किसान इसके शिकार हो चुके हैं। मामला अत्यंत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का है तुरन्त ही उन किसानों से जांच कर उचित कार्यवाही किये जाने का आदेश देवें। दो किसानों की समायोजित की हुयी बिलों की फोटो स्टेट कापी संलग्न है जिसको देखने से स्पष्ट हो जायेगा।

तमकुही जिला देवरिया के खण्ड विकास अधिकारी श्री एल0 एन0 चौधरी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आदरणीय सदन के संज्ञान में निम्नांकित तथ्य लाना चाहता हूं ताकि भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो।

देवरिया जिले के "अर्जक संघ" के जिला मंत्री श्री दयानाथ निगम ने हरिजन पेयजल योजना में की गयी धांधली, भ्रष्टाचार के बारे में एक वक्तव्य अखबारों में दिया जो गोरखपुर से प्रकाशित दैनिक जागरण व आज में प्रकाशित हुआ। उक्त खबर के प्रकाशन पश्चात ही खंड विकास अधिकारी, तमकुही, जिला देवरिया ने श्री दयानाथ निगम को यह धमकी दी कि यदि वे अपना बयान नहीं बदलते हैं तो उन्हें गोली मार दी जायेगी।

इस बीच अखबारों में प्रकाशित शिकायत के आधार पर जिले के किसी उच्च अधिकारी ने एक हैंड पम्प की जांच की तो पाया कि वह हरिजन के दरवाजे न लगा कर किसी गैर हरिजन के दरवाजे लगाया गया है तथा उसके लिये

हरिजनों से रुपये लिये गये हैं । बाद में उक्त हैंड पाइप उखाड़कर खंड विकास अधिकारी ने हरिजन के दरवाजे लगवा दिया और न तो रुपया वापस किया और न नियमानुसार चबूतरा बनवाया ।

उक्त जांच से उत्तेजित खंड विकास अधिकारी श्री एल0 एन0 चौधरी ने श्री दयानाथ निगम को जान से मारने के लिये प्रबन्ध करना प्रारम्भ कर दिया है । श्री निगम जो हरिजन एवं निर्बल वर्ग के साथ होने वाली धांधली व अत्याचारों को उजागर करने हेतु कृत संकल्प हैं का: कत्ल होने की किसी भी वक्त संभावना है । इससे वहां के हरिजनों में रोष एवं क्षोभ की लहर दौड़ गयी है ।

अतः मैं माननीय ग्राम्य विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे किसी निष्पक्ष उच्चाधिकारी को भेजकर पेयजल योजना में हुयी धांधली की जांच करायें तथा उक्त खंड विकास अधिकारी का वहां से दूरस्थ स्थान के लिये स्थानान्तरण कर दें ताकि उक्त बी0 डी0 ओ0 श्री दयानाथ निगम की हत्या न करा सकें ।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बरसठी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 रामकृष्ण उपाध्याय--

मान्यवर, जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बरसठी में तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नेवढ़िया व नौनारी में सरकारी अस्पताल हैं। इन सभी अस्पतालों में एक भी डाक्टर नहीं है केवल रामपुर में तीन की जगह एक डाक्टर कार्यरत है, फलस्वरुप हजारों की संख्या में रोगी आकर लौट रहे हैं और असंख्य रोगियों की मृत्यु भी हो रही है । जनता में हाहाकार मचा हुआ है और आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है कि ऐसी दुर्व्यवस्था क्यों है ।

जन स्वास्थ्य केन्द्रों पर गत माह से एक भी दवा नहीं दी जा रही है । अतः आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ला रहा हूं कि इन सरकारी पांचों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अविलम्ब डाक्टरों की व्यवस्था की जाय ताकि भयानक संक्रामक रोगों का इलाज हो सके ।

थाना सासनी, जिला अलीगढ़ के थाना इंचार्ज, श्री जी0 एन0 सिंह की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डाक्टर धर्मपाल--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत लोक-महत्व के प्रश्न को आपकी आज्ञा से उठाना चाहता हूं । थाना सासनी, अलीगढ़ में गत दो माह में श्री गिरराज किशोर, निवासी ग्राम खेड़ा फिरोजपुर एवं भूरी सिंह पुत्र बाबू लाल, निवासी ग्राम जरैया आदि लगभग 15 व्यक्तियों की इसी थाने के अन्तर्गत हत्यायें हुयी हैं और डकैती लूट पाट, राहजनी हुयी है जिससे थाने के अन्तर्गत आने वाले गांव में असुरक्षा की भावना फैल गयी है । सासनी थाने के इन्चार्ज श्री जी0 एन0 सिंह तथा पुलिस कर्मचारी कोई ठोस कार्यवाही नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर रहे हैं । अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए हैं और सम्बन्धित मामले की मैं लिखित सूचना शासन को इससे पहले भी दे चुका हूं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनहित का ध्यान रखते हुए इस प्रश्न को उठाने की आज्ञा दें और सम्बन्धित मंत्री जी से सदन में वक्तव्य दिलाने के आदेश प्रदान करें ।

अवध विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के समय छात्रों को पुलिस अधीक्षक का चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपी नाथ वर्मा--

महोदय, जनपद फैजाबाद में अवध विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय जुलाई, 1982 में बी0 ए0 प्रथम, में, प्रवेश के समय छात्रों को पुलिस अधीक्षक का चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर छात्रों का प्रवेश किया जाना कुलपति एवंसम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा अनिवार्य कर दिये जाने के टी0 एन0 डिग्री कालेज, टाण्डा, बाराबंकी, प्रतापगढ़, अकबरपुर महाविद्यालयों के छात्रों एवं अभिभावकों में गहरा असतोष, आक्रोश व्याप्त है क्योंकि चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित थानों पर तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का हफ्तों चक्कर लगाने एवं अनावश्यक खर्च करने जैसे 20 रुपया ट्रेजरी शुल्क एवं तहसील में चलकर मुख्यालयों पर आने जाने से सैकड़ों रुपयों तथा कुछ थानों पर रिश्वत के रूप में 50 रुपया देने के पश्चात ही चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त कर पा रहे हैं । यही नहीं बी0 ए0 भाग-2 के छात्रों को भी चरित्र प्रमाण-पत्र दाखिल करना पड़ रहा है । इस तरह छात्रों के अभिभावकों के लाखों रुपए अनावश्यक खर्च करना पड़ रहा है । अवध विश्व विद्यालय के कुलपति की मनमानी एवं तानाशाही के विरुद्ध छात्रों द्वारा आन्दोलन तथा सत्याग्रह व विद्यालय बन्द करने की घोषणाएं हो रही हैं। शिक्षा जगत में एक कलंक के रूप में यह प्रक्रिया अपनाई गयी है। अवध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में चरित्र प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करने को लेकर एक तनाव का वातावरण बढ़ता जा रहा है ।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि अवध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में जैसे टांडा, अकबरपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी एवं अन्य महाविद्यालयों में पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र दिए जाने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए तथा समस्त महाविद्यालयों में समान नियम लागू किया जाए, जिससे छात्रों व अभिभावकों मे व्याप्त असन्तोष व आक्रोश तथा विद्यालयों में व्याप्त तनाव समाप्त किया जा सके तथा छात्रों की शिक्षा सुचारु रूप से चलाई जा सके ।

श्री अध्यक्ष--

बाकी जो सूचनाएं रह गयीं हैं, वह सब अस्वीकार हो गयी हैं, उन पर आगे विचार किया जायेगा ।

(शोर)

श्री राम असरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो नियम है उसके अनुसार आमतौर पर एक दिन में 5 सूचनाएं ही ली जा रही हैं, जो पढ़कर सुना दी गयीं और आप लोग जिन सूचनाओं के बारे में कह रहे हैं वह कल फिर दे दीजिए, देख ली जायेगी ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधयक, 1982

[12 बजकर 29 मिनट]

सचिव, विधान सभा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1158 के नियम 150 (2) के अन्तर्गत "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्प-कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982" को उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन सहित सदन के पटल पर रखता हूं । यह विधेयक, विधान सभा द्वारा 19 मार्च, 1982 को पारित किया गया था और 24 अगस्त, 1982 को विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन सहित वापस प्राप्त हुआ है ।

श्री दलगंजन सिंह खड़े होकर कुछ पढ़ते रहे ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह आप किस नियम के अनुसार पढ़ रहे हैं ?

श्री दल गंजन सिंह—

इसमें मैंने 28 डाक्यूमेन्ट पेश किए थे । कांग्रेस (आई) के सांसद और विधायक ने इस आरोप-पत्र की पुष्टि की थी । यह सब डाक्यूमेन्टरी एवीडेंस हैं । सभी फोटो स्टेट कापी हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोहन सिंह जी, कृपया इनको शान्त कर लें ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 (2) के अन्तर्गत "उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982" को उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन सहित सदन के पटल पर रखता हूं। यह विधेयक विधान सभा द्वारा 5 अप्रैल, 1982 को पारित किया गया था और 24 अगस्त, 1982 को विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन सहित वापस प्राप्त हुआ है।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

मंत्रिमण्डल के दायित्व के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। 20 अगस्त को जिस समय इस सदन में एक औचित्य के प्रश्न पर चर्चा हो रही थी, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में, एक बार नहीं बल्कि दो-दो बार यह घोषणा की थी कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के मन्त्रिमण्डल का व्यक्तित्व और दायित्व अलग है और उनके मन्त्रिमण्डल का व्यक्तित्व और दायित्व अलग है। व्यक्तित्व अलग हो सकता है, लेकिन दायित्व अलग हो गया इसका तात्पर्य यह लगता है कि दायित्व नीति से निर्धारित होते है, यदि दायित्व अलग हो गया तो क्या कोई नीतिगत परिवर्तन भी शासन ने किया है? अगर किया है, तो उस नीति की घोषणा इस सदन के सामने होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

मुझे यह बतायें कि किस नियम के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न आप कर रहे हैं? मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

नियम 301 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न मैंने उठाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द कहे हैं उनके औचित्य के बारे में नियम 301 के अन्तर्गत मैंने प्रश्न उठाया है।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक नियम 300 का सम्बन्ध है, उसकी परिधि में यह नहीं आता है। एक शासन होता है वह समाप्त हो जाता है, उसके बाद दूसरा शासन आता है, उनकी नीतियां मानना न मानना या किस प्रकार से कार्यान्वित करना चाहते हैं, यह उनकी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर औचित्य का प्रश्न उठाया जा सके, इसलिए इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

आप सुन तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपकी बात को सुन लिया है।

श्री राम आसरे वर्मा--

(व्यवधान)

यह अकेले राम आसरे वर्मा की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की जनता की बात है ....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा कर बैठ जाइए। मैंने आपकी बात सुन ली और नियमावली भी देख ली और उसके बाद अपना निर्णय दे दिया। अब आप कृपया बैठें। (श्री वर्मा के बोलते रहने पर) यह कुछ लिखा नहीं जायेगा। आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा कर बैठें। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप जो कुछ कह रहे हैं लिखा नहीं जायेगा ....

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बड़ी नम्रतापूर्वक विरोधी दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कल ही श्री अध्यक्ष को बधाई देते समय एक आवाज से यह कहा था कि इस सदन का कार्य नियमावली के अनुसार चलने दिया जायेगा

(व्यवधान)

आज माननीय सदस्य वर्मा जी नियमावली की बात मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

आप किस नियम से बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय भीखा लाल जी, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय रियासत हुसैन जी बैठे हैं, सभी न एक बात यह कही थी कि नियमावली के तहत काम होगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि सदन का कार्य सुचारुरूप से चलने दें, आग महत्वपूर्ण विषय आने हैं उन पर चर्चा होते हैं।

(श्री राम आसरे वर्मा के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठें, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। अगर आप नहीं बैठते हैं तो कृपा कर बाहर जाइये।

(व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा बैठ गए।)

[1 बजकर 39 मिनट]

राजस्व मंत्री श्री बैजनाथ कुरील के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

पहले से सदन में कुछ विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न यहां सदन में उठाए गए थे जिन पर निर्णय विचाराधीन था। मैं उनको एक-एक करके आपके सामने रख रहा हूं और अपना निर्णय दे रहा हूं।

माननीय श्री हरिवंश सहाय ने सदन के पिछले सत्र में दिनांक 16 मार्च, 1982 को माननीय राजस्व मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी। इसमें माननीय सदस्य का कहना है कि 22-1-1982 को पूछे गये उनके अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के उत्तर में माननीय राजस्व मंत्री ने 30-6-1979 के सम्बद्ध फैसले का जिक्र न करके और यह सूचित करके कि मामला न्यायालय आयुक्त, गोरखपुर में की गयी अपील के अन्तर्गत विचाराधीन है "तथ्यों को छिपाने तथा जाल बट्टा करने वालों को बचाने का उत्तर" दिया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी जो सदन के 5 अप्रैल, 1982 को अनिश्चित काल के लिये स्थगित होने के उपरान्त दिनांक 7-4-1982 को प्राप्त हुई। माननीय राजस्व मंत्री ने अपने पत्र में सूचित किया है कि माननीय सदस्य के संदर्भित प्रश्न में 30-6-1979 के फैसले का जिक्र नहीं था बल्कि केवल "तारीख फैसला 23-4-1979" का ही उल्लेख था, जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या के आधार पर उत्तर दिया गया था।

श्री हरिवंश सहाय की शिकायत में उल्लिखित इस बात के बारे में कि इस समय (अर्थात् सूचना के दिनांक 16-3-1982 को) आयुक्त, गोरखपुर के न्यायालय में सन्दर्भित मामले में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है, माननीय श्री कुरील अपने पत्र में बताया है कि प्रथम सत्र 1982 के प्रथम शुक्रवार के सम्बद्ध अतारांकित प्रश्न का उत्तर दिनांक 18-1-1982 को तैयार किया गया था और उस समय तक जिलाधिकारी आजमगढ़ से जो सूचना प्राप्त हुई थी उसी के अनुसार उत्तर दिया गया था जिसमें जिलाधिकारी ने सूचना दी थी कि मूल पत्रावली आयुक्त,

गोरखपुर के न्यायालय में विचाराधीन है जिसके कारण उल्लिखित शिकायती पत्र की जांच नहीं की जा सकी थी। माननीय राजस्व मंत्री ने यह भी सूचित किया है कि जिलाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब प्रश्नगत पत्रावली जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त हो गयी है और शासन द्वारा मामले से सम्बन्धित श्री सुखई के शिकायती प्रार्थना पत्र के शीघ्र जांच कराये जाने के आदेश शासन द्वारा दे दिये गये हैं।

माननीय श्री हरिवंश सहाय की सूचना और उसके सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री द्वारा भेजे गये स्पष्टीकरण पर विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सन्दर्भित अतारांकित प्रश्न संख्या 95 का जो उत्तर माननीय राजस्व मंत्री, श्री कुरील द्वारा 22-1-1982 को दिया गया था वह उस समय शासन को उपलब्ध जानकारी के आधार पर था पूर्व के दृष्टान्तों एवं निर्णयों के अनुसार इस प्रकार के मामलों में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उस समय उत्पन्न होता है जब प्राग्दर्शन में यह विदित हो कि किसी मंत्री या सदस्य द्वारा जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से कोई सूचना दी गयी हो, परन्तु प्रश्नगत मामले में उत्तर दिये जाने के समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर जो सूचना दी गयी थी उसके बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई आधार नहीं है कि वह जानबूझकर सदन को गुमराह करने हेतु दी गयी थी। अतः मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

तत्कालीन गृह मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री कुंवर सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा ने गत सत्र में दिनांक 22 मार्च, 1982 को माननीय गृह मंत्री, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना दी थी। इसमें माननीय सदस्य का कहना है कि उनके द्वारा गढ़वाल संसदीय उप चुनाव में पुलिस कर्मियों की व्यवस्था पर हुए व्यय तथा 22 नवम्बर, 1981 के लिये प्रस्तावित उक्त क्षेत्र के उप चुनाव के लिये पुलिस कर्मियों पर हुए व्यय के सम्बन्ध में विधान सभा के प्रथम सत्र, 1982 के क्रमशः दूसरे मंगलवार को और 7वें मंगलवार को जो प्रश्न पूछे गये थे उनसे भिन्न उत्तर माननीय गृह मंत्री द्वारा दिये गये। जून, 1981 में हुए उप चुनाव के सम्बन्ध में हरियाणा, पंजाब व हिमांचल प्रदेश से आये पुलिसकर्मियों का विवरण देते हुये यह बताया गया था कि उन पर व्यय का विवरण सम्बन्धित प्रदेश सरकारों ने उस समय तक नहीं भेजा था, जबकि नवम्बर, 1981 के लिये प्रस्तावित उप चुनाव सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि प्रदेश में किसी भी चुनाव अथवा उप चुनाव के लिये पुलिस कर्मियों की तैनाती उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक आधार पर की जाती है। इस प्रकार के प्रबन्ध के संबंध में कोई ब्योरा दिया जाना जनहित में नहीं होगा। माननीय सदस्य का आरोप है कि माननीय गृह मंत्री ने 7वें मंगलवार को पूछे गये उक्त प्रश्न संख्या 76 का उत्तर जान बूझकर टाला और माननीय सदन को वांछित सूचना न देकर जानबूझकर गुमराह किया। इस सम्बन्ध में माननीया गृह मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी जो उनके दिनांक 31 मई, 1982 के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है। इसमें उन्होंने सूचित किया है कि श्री नेगी द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या 76 उनके द्वारा पूर्व में पूछे गये प्रश्न संख्या 78 से अधिक संवेदनशील था जिसकी

[श्री अध्यक्ष--]
गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का उत्तर दिया गया था, जिसमें कोई टालमटोल नहीं किया गया है और न ही सदन को गुमराह करने का उनका कोई मन्तव्य था।

इस विषय में मैंने पूर्व के दृष्टान्तों का अध्ययन किया है। इस विधान सभा के अध्यक्ष पीठ से पहले इस आशय के निर्णय दिये जा चुके हैं कि जनहित में न होने के आधार पर मंत्री प्रश्न द्वारा मांगी गयी किसी सूचना को देने से इनकार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक ही प्रकार के दो प्रश्नों के सरकार की ओर से विभिन्न उत्तर दिये जाने के बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाओं के प्राप्त होने पर 20 अप्रैल, 1965 को तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा इस पीठ से यह निर्णय दिया गया था कि इस प्रकार विभिन्न उत्तर आने पर सम्बन्धित मंत्री से प्रश्न किया जा सकता है। उससे विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। उपर्युक्त दृष्टान्तों के आधार पर मैं समझता हूं कि प्रश्नगत मामले में विशेधिकार की अवहेलना अथवा सदन के अवमान का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः मैं इसे सदन में उठाने की अमति नहीं देता हूं।

सिंचाई मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

सदन के पिछले सत्र में माननीय श्री कुंवर सिंह नेगी ने माननीय सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना दी थी। इसमें माननीय सदस्य का कहना है कि उनके द्वारा दिनांक 25-2-1982 को नियम 301 के अन्तर्गत विधान सभा के संज्ञान में यह प्रश्न लाया गया था कि सिंचाई विभाग द्वारा विष्णु प्रयाग परियोजना के लिये इन्टरनल सड़क का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें अन्धाधुन्ध डाइनामाइट विस्फोट की वजह से संवेदनशील एवं भूस्खलन की समस्या से प्रभावित जोशीमठ नगर को भयंकर खतरा हो गया है। श्री नेगी की शिकायत थी कि इस लोक महत्व की सूचना के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक जांच करा कर उनमें उत्तर दिया जाना चाहिये था परन्तु एक माह के व्यतीत हो जाने पर भी उन्हें न तो अन्तरिम उत्तर दिया गया और न ही अन्तिम उत्तर भेजा गया। और इस प्रकार माननीय सदस्य के कथनानुसार सिंचाई मंत्री ने जानबूझ कर उत्तर न देकर माननीय सदन की अवमानना की है।

इस सम्बन्ध में माननीय सिंचाई मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी, जो उनके दिनांक 3 अप्रैल, 1982 के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई। उक्त पत्र में सिंचाई मंत्री माननीय श्री वीर बहादुर सिंह ने सूचित किया है कि जानबूझ कर अन्तरिम उत्तर न देने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि मामला दुर्भाग्यवश उनके विभाग में केवल 12-3-82 को ही प्राप्त हुआ था और यदि पूर्व में यह मामला सिंचाई विभाग में प्राप्त होता तो समय के भीतर ही अन्तिम उत्तर भेज दिया जाता उसके पश्चात् मुझे यह भी जानकारी हुई है कि माननीय सिंचाई मंत्री के दिनांक 5 अप्रैल, 1982 के पत्र के माध्यम से इस मामले में श्री कुंवर सिंह नेगी को वांछित उत्तर भेज दिया गया है। इस प्रकार इस मामले से सम्बन्धित सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सिंचाई मंत्री जी का जानबूझ कर उत्तर न देने का मन्तव्य नहीं था। अतः मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं। साथ ही मैं समस्त मंत्रियों से यह अपेक्षा करता हूं कि नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं का उत्तर दये जाने के सम्बन्ध में वे प्रक्रिया सम्बन्धी करण संख्या 14 के अनुपालन को निश्चित करें।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर मेरा भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न था, 30 मार्च को मैंने दिया था और बड़ा गम्भीर मामला था ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो निर्णय दे दिये गये हैं । उस पर विचार कर रहे हैं, उसे पढ़ना और देखना पड़ता है । कोशिश करूंगा इसी सत्र में देने की ।

[12 बजकर 45 मिनट]

गढ़वाल विश्वविद्यालय, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश महिला तथा बाल संस्था में सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की तिथि की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि कल सदन द्वारा पारित प्रस्तावानुसार--

1--गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के पांच सदस्यों,

2--चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों तथा ;

3--उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड में विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्या भी होंगी, के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :--

(1) नाम--निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय	28 अगस्त, 1982 को अपरान्ह 5 बजे तक
(2) नाम--निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	30 अगस्त, 1982 को अपरान्ह 3 बजे (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)
(3) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	31 अगस्त, 1982 को अपरान्ह 4 बजे तक
(4) मतदान, यदि आवश्यक हुआ, तो	3 सितम्बर, 1982 को पूर्वान्ह साढ़े दस बजे से अपरान्ह 5 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

2--उक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा ।

3--इन निर्वाचनों से सम्बन्धित नाम निर्देशन पत्र आपको विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय से प्राप्त हो सकेंगे ।

ग्राम महसी, थाना हर्दी, जनपद बहराइच में पुलिस द्वारा नव निर्वाचित प्रधान को हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7/8 जुलाई, 1982 को रात्रि में श्री लाल जी, पाठक पुत्र श्री विद्याधर पाठक, निवासी ग्राम कटकुइया पुलिस-डकैत मुठभेड़ में मारा गया था । पुलिस के अनुसार श्री लाल जी पाठक एक कुख्यात अपराधी थे और लगभग 23 हत्या, डकैती आदि के मुकदमों में सम्मिलित रहे थे । उनकी मृत्यु पुलिस की गोली से उस समय हुई जब वह अपने गिरोह के साथ डकैती डालने की योजना बना रहा था । उपर्युक्त मुठभेड़ की सत्यता के बारे में कुछ लोगों को संदेह था । उनका आरोप था कि इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई । इस सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है ।

कुछ लोगों ने इस सम्बन्ध में एक सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किया और दिनांक 1 अगस्त, 1982 को इस संघर्ष समिति द्वारा एक सभा का आयोजन ग्राम महसी में किया गया । इस सभा में लगभग पांच-छः हजार की भीड़ थी । सभा में वक्तओं ने भाषण दिये और श्री सुखदराज सिंह, भूतपूर्व विधायक, पुलिस के विरुद्ध उत्तेजनात्मक भाषण दे रहे थे । उसी समय थानाध्यक्ष महसी, श्री गोपाल सिंह वहां पहुंच गये । उनके वहां पहुंचने पर सभा में एकदम उत्तेजना फैल गई और वहां का वातावरण क्षुब्ध हो गया । स्थिति बिगड़ते देखकर ड्यूटी दे रहे पुलिस जन अपनी सुरक्षार्थ वहां से हटकर स्वामी विवेकानन्द उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय जहां पर थानाध्यक्ष भी पहुंच गये थे, पहुंच गये । क्रुद्ध भीड़ ने स्कूल के भवन को घेर लिया और पथराव शुरू कर दिया । कुछ असामाजिक तत्व कहीं से मिट्टी के तेल का बड़ा डम ले आये और खिड़कियों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी और कुछ ने अग्नेयास्त्रों से फायरिंग भी की । अपने को घिरा देखकर पुलिस ने आत्म-सुरक्षार्थ गोली चलाई । सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी अतिरिक्त फोर्स लेकर घटनास्थल पर पहुंच गये । फलस्वरूप भीड़ तितर-बितर हो गई । फायरिंग के फलस्वरूप एक व्यक्ति । जिसका नाम श्री टीका राम अवस्थी ज्ञात हुआ, की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । घटना क्रम में 14 व्यक्ति आहत हुए । पुलिस ने इस सम्बन्ध में 71 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा घायलों, जिनमें कुछ पुलिस कर्मी भी थे, की चिकित्सा की व्यवस्था कराई । मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में चिकित्सकों की एक टीम एक एम्बुलेंस सहित घटना स्थल पर पहुंच गई जिन्होंने घायलों का निरीक्षण किया और उचित चिकित्सा व्यवस्था की । मृतक श्री टीका राम अवस्थी का पोस्टमार्टम कराया गया और शव का वारिस न मिलने के कारण उसका अंतिम संस्कार किया गया । उपर्युक्त घटना की सूचना थानाध्यक्ष श्री गोपाल सिंह द्वारा अंकित कराई गई जिसके आधार पर थाना हर्दी पर एक अपराध संख्या 89/82 धारा 147/148/149/307/336/436/427 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ है ।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक तथा प्रभारी जिला मजिस्ट्रेट ने घटनास्थल का निरीक्षण किया । दिनांक 2-8-1982 को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं आयुक्त, फैजाबाद मंडल ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मिली सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस के विरुद्ध एक अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/362/307/436/511/504 भा0 दं0 वि0 तथा एक अन्य सूचना पर एक अपराध धारा 302/342 भारतीय दंड विधान थाना हर्दी में पंजीकृत हुये हैं। इस घटना के सम्बन्ध में भी मजीस्टोरियल जांच के आदेश दिये गये हैं।

थानाध्यक्ष हर्दी श्री गोपाल सिंह को निलम्बित कर पुलिस लाइन स्थानान्तरित कर दिया गया है। घटना के सम्बन्ध में जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है। विवेचना प्रचलित है।

श्री ऊदल--

माननीय मंत्री जी को किसी हिन्दी विश्वविद्यालय में भेज दिया जाये, वह हिन्दी पढ़कर आ जायें।

श्री अम्मार रिजवी--

हिन्दी आप से सीख लूंगा। आप से आकर पढ़ लूंगा। मुझे ऊदल जी की विद्वता से इनकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रतिलिपि बांटी गयी है वह साफ नहीं है। इससे माननीय सदस्यों को ठीक से जानकारी नहीं मिल पाती है। विभाग भविष्य में इस बात के लिए ध्यान रखे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वक्तव्य के साथ-साथ इस पर चर्चा के लिए भी तय हुआ था।

*श्री भीखा लाल--

माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि यह लाल जी पाठक जिनको कहा जाता है कि मुठभेड़ में मारे गये थे, गत पंचायत चुनाव में बहुत ही भारी बहुमत से चुने गये थे और उनकी पापुलैरिटी उस इलाके में अच्छी खासी थी। जो मुठभेड़ की बात कही गयी है उस पर लोगों को शक है कि मुठभेड़ नहीं हुई। उस जिले के जो कांग्रेस के विधायक हैं इनमें दो हिस्से हैं। एक हिस्से द्वारा संघर्ष समिति बनायी गयी है और वह मांग कर रहे हैं कि जांच जो हो रही है वह संतोषप्रद नहीं है, इसलिए न्यायिक जांच हो, वह लोग सत्याग्रह कर रहे हैं और 24 तारीख को 118 आदमी गिरफ्तार भी हुए हैं। क्या माननीय मंत्री जी न्यायिक जांच करायेंगे ?

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

इसमें दो घटनायें हैं। एक तो लाल जी पाठक के सम्बन्ध में है और मुठभेड़ से सम्बन्धित हैं और दूसरी घटना वह है जो 1-8-1982 को वहां पर सभा हो रही थी उसमें जो गोलीकान्ड हुआ और उसमें कुछ लोग घायल हो गये। पहली घटना जो लाल जी पाठक से सम्बन्धित है उसके बारे में सी0 आई0 डी0 की जांच के आदेश हुये हैं और वह जांच हो रही है और दूसरे उस दरोगा के खिलाफ मुकदमा धारा 302/542 का कायम हो गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीपति मिश्र---]

दूसरी जो घटना है जो पहली तारीख को घटना हुई उसके बारे में पुलिस के जो अधिकारी मौके पर आये हुये थे, उनके बारे में जो कार्यवाही हुई, उसकी सूचना आपको दी गई है। साथ ही साथ वहां के अधिकारियों को शव के सम्बन्ध में जो सन्देह था जो टीकाराम का वारिस था, उसके निराकरण के सम्बन्ध में वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे, उनका तत्काल स्थानान्तरण कर दिया गया है। इस मामले में भी सी0 आई0 डी0 की जांच हो रही है। दोनों घटनाओं पर सी0 आई0 डी0 जांच कर रही है। चूंकि पहली घटना पर 302 का मुकदमा कायम है इसलिये न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मामला गम्भीर है। मैं तथा और भी बहुत से माननीय सदस्य मौके पर गये थे। उसका एक अंश रिपोर्ट में नहीं आया फायरिंग के बाद जब टीकाराम अवस्थी मर जाता है तो उसकी सूचना जिला हेड क्वार्टर पर मिलती है और उसके बाद वहां के डी0 वाई0 एस0 पी0 और सिटी मजिस्ट्रेट भी वहां पहुंचते हैं और बिना किसी परिस्थिति के अध्ययन किये हुए इतने विवेकहीन ढंग से उनको मारा पीटा जाता है कि आपके दल के एक माननीय सदस्य के भाई वहां पर बैठे हुये थे उनको इतना मारा गया कि उनकी हड्डियां टूट गई। दरोगा इतने उन्माद में था कि उन्होंने कहा कि उस विधायक को पकड़ कर ले आओ। उसकी शकल सूरत कैसी है? उसकी सूरत का दूसरा आदमी वहां पर गया तो उसको मारा गया जब उसने कहा कि मैं विधायक नहीं हूं तब उसको छोड़ा गया। माननीय विधायक बैठे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप सीधा प्रश्न करें और संक्षेप में कहें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जिस निर्दयता के साथ उनको मारा पीटा गया है माननीय सदस्य भी इसमें इन्वोल्व हैं और आपने सिर्फ उनको लाइन हाजिर किया है। क्या माननीय मुख्य मंत्री श्री गोपाल सिंह को किसी दूसरे जिले में स्थानान्तरित करेंगे? श्रीमन्, सी0 आई0 डी0 की जांच से काम नहीं चलेगा। सम्पूर्ण घटना की न्यायिक जांच न करने के क्या कारण हैं?

श्री श्रीपति मिश्र---

जहां तक गोपाल सिंह के निलम्बन और स्थानान्तरण का प्रश्न है उनको उस रेंज से बाहर भेज दिया गया है।

श्री प्रमोद कुमार---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि वह व्यक्ति मुठभेड़ में मारा गया दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वह ग्राम प्रधान है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या लाल जी पाठक के खिलाफ कोई मुकदमा कायम था?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्रीपति मिश्र --

लाल जी पाठक के सम्बन्ध में जो सूचनायें हैं वह मैं स्पष्ट रूप से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। उनका पहले आपराधिक इतिहास था और बहुत से मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज थे। यह भी सूचना है कि इधर कुछ दिनों से उनका अपराधिक इतिहास नहीं था।

श्री जटाशंकर सिंह--

पुलिस अधीक्षक, बहराइच श्री जगदीश चन्द्र जो उस समय वहां थे उन्होंने एस0 ओ0 पर बार बार दबाव डाला कि आप लाल जी की हत्या कर दें, उनका इनकाउन्टर कर दें। इस बीच में एस0 ओ0 का स्थानान्तरण 27 जून को बहराइच से प्रतापगढ़ के लिए डी0 आई0 जी द्वारा कर दिया गया परन्तु श्री चन्द्रा स्थानान्तरण को दबाये रखे और कहते रहे कि तुम्हारे इंस्पेक्टर के प्रमोशन को दबाए रखेंगे जब तक कि इनकाउन्टर नहीं करोगे। तो वह इनकाउन्टर 7 जुलाई को कर दिया और 10 जुलाई को इन्काउन्टर रपट देते ही प्रतापगढ़ के स्थानान्तरण के आदेश जो 27 जून को ही पहुंच चुका था सर्व कर दिया।

श्री अध्यक्ष --

आप यह सूचना दे रहे हैं, प्रश्न कीजिए।

श्री जटाशंकर सिंह--

कांग्रेस के ही एक वर्ग के विधायक ने उसके स्थानांतरण को रुकवा दिया और पुलिस अधीक्षक ने अपने अविवेक का प्रयोग करते हुए उसी थाने में उसे रुकवा दिया और उसी को एक अगस्त को महसी मीटिंग की व्यवस्था सौंपी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रा जिनकी दुरभि संधि से, हत्या से लेकर गोलीकांड तक वहां हुआ। तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी उनको भी इस अपराध में शामिल मानकर 120 बी क्रिमिनल कान्सप्रेसी का मुकदमा उनके विरुद्ध कायम कराकर अग्रिम कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र --

जो भी तथ्य वहां सामने आये थे उनके आधार पर सी0 आई0 डी0 की जांच हो रही है और उस जांच में जो भी और तथ्य आयेंगे उन सबके बारे में कार्यवाही की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसमें काफी प्रश्न हो गए हैं।

(व्यवधान)

जटाशंकर सिंह जी, आप बैठ जांय।

*श्री हुकम सिंह--

मैं केवल एक जानकारी माननीय मुख्य मन्त्री जी से चाहता हूं क्योंकि विरोध पक्ष में जो अविश्वास की भावना आई है उसके दो कारण हैं। एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकम सिंह--]

तो यह कि जिले के सर्वोच्च अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सके और उनको अभी तक वहां से नहीं हटाया गया और दूसरा यह कि 7 जुलाई का यह मामला है आज 26 अगस्त हो गई, है सी0 आई0 डी0 में 302 का मुकदमा कायम है, उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, केवल लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो क्या इस आदमी को जिसके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम हो, उसके गिरफ्तार न होने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

घटना पहली अगस्त की है, तीसरे पहर की है और सारी कार्यवाही शुरू हो गई, कमिश्नर, एडीशनल आई0 जी0, डी0 आई0 जी0 रेंज जितने भी अधिकारी थे, सब उस मौके पर दूसरी तारीख को प्रातःकाल से लेकर दोपहर तक वहां पहुंच गए और उन्होंने उस स्थान पर जितनी भी घटनाएं हुई थीं, उनकी देख-रेख और जांच पड़ताल की और उसी दिन इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही उसी वक्त तत्काल मुनासिब समझी गई, की गई। अब इसमें कार्यवाही शुरू हो गई, है। इसके बारे में यह कहना कि महीना भर हो गया है और इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई, ठीक नहीं है। सी0 आई0 डी0 जांच में एक महीने का समय कोई ज्यादा नहीं है, जिसको विलम्ब कहा जाए और उसके न होने पर तत्काल ही दूसरी कार्यवाही के लिए कहें।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था, उसके बाद एक दूसरे उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि लाल जी पाठक का आपराधिक जीवन रहा, परन्तु अब उनका अपराधिक जीवन नहीं था। उनकी इस बात से यह मानकर चला जाएगा कि जो उनको सूचना मिली है वह सही है और वह सही उत्तर दे रहे हैं। एक तरफ वह यह कह रहे हैं, कि लाल जी पाठक का अब अपराधी जीवन नहीं था किन्तु उन्होंने जो लिखित वक्तव्य यहां दिया है उसकी दूसरी पंक्ति में ही लिखा हुआ है कि उन्हें पुलिस डकैती मुठभेड़ में मारा गया था। तो क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि उनको एक झूठी मुठभेड़ में मारा गया है अतएव कोई मुठभेड़ नहीं हुई और उनकी हत्या कर अधिकारियों ने यह फर्जी मुठभेड़ की रिपोर्ट सरकार को दे दी है ? वह इसको स्पष्ट करें और शीघ्र ही इस पर कार्यवाही करें।

श्री श्रीपति मिश्र--

लाल जी पाठक का आपराधिक जीवन था, यह मैंने कहा और इसके पहले उसके खिलाफ 23 या 24 मुकदमे थे और निरन्तर अपराध करने की सूचना थी। 23/24 मुकदमे इस बात का द्योतक है कि उनका निरन्तर आपराधिक जीवन था। दूसरी बात मैंने यह कहा कि इधर कुछ दिनों से उनके अपराधी जीवन की सूचना नहीं थी। उस दिन जो मुठभेड़ हुई, उसकी जब तक जांच नहीं हो जाती, इतने अपराधी पृष्ठ भूमि का आदमी अपराध करने जा रहा था या नहीं, उस पर जांच करने से पहले मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस पर काफी प्रश्न हो चुके हैं, जब कि यह सिर्फ वक्तव्य के लिए था। अब इसको समाप्त करते हुए मैं जो मद संख्या 10 पर है उसे लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार यादव--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, वह यह है कि नियम 56 के अन्तर्गत मैंने अन्य लोगों के साथ यह सूचना दी थी। सूचना में मेरा सबसे पहले नाम था और मैं आज शुरू से लेकर आखीर तक स्पष्टीकरण के लिए उठता रहा, लेकिन मुझे कोई समय नहीं दिया गया। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि मुझे इसके लिए मजबूर होना पड़ेगा, जैसा अन्य सदस्य सदन में बीच में आकर व्यवधान उत्पन्न करते हैं। हमको भी करना पड़ेगा। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष --

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है कोशिश की जाती है यहां से प्रत्येक माननीय सदस्य को बुलवाने की। बाकी यह आवश्यक नहीं है कि हर सदस्य को बुलवाया ही जाए। केवल यह वक्तव्य के लिए था, और कुछ नहीं था।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह--

मैं बार-बार यहां खड़ा होता रहा, लेकिन आपने हमको मौका नहीं दिया केवल नेताओं को आप मौका देते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब मैंने आइटम नं0 10 ले लिया है। नियम 56 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(श्री जटा शंकर सिंह के खड़े होकर बोलते रहने पर)

आप कृपा करके बैठिए। मैंने आपको बोलने का समय दिया था। अब आप लिखकर दे दीजिए।

श्री जटा शंकर सिंह--

मान्यवर, इसमें तथ्यों को छुपाया गया है, वहां पर एक विधायक के भाई को मारा गया है।

श्री अध्यक्ष --

आप कृपया बैठिए। आप किस नियम के अनुसार बोल रहे हैं? आप बैठिए, इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। यह वक्तव्य के लिए स्वीकार हुआ था और नियमानुसार इस पर काफी प्रश्न हो गये हैं, काफी समय भी हो गया है।

सीतापुर जनपद में शारदा नहर के सीपेज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना तथा कार्य-स्थगन प्रस्तावों की अन्य सूचनाएं

[1 बजकर 16 मिनट]

श्री अध्यक्ष --

आज नियम 56 में 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इनमें पहली सूचना माननीय प्रदीप कुमार यादव, राजेन्द्र कुमार गुप्त, रियासत हुसैन, माता प्रसाद पांडेय,

[श्री अध्यक्ष—]

मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ , मोहन सिंह, राम आसरे वर्मा, रेवती रमण सिंह, खैरुल बशर, राम स्वरूप वर्मा, अकबाल हुसैन, सूबेदार सिंह, विद्यासागर नौटियाल और धनी राम वर्मा जो की है जिसका विषय है शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बनी शारदा नहर से उत्पन्न सीपेज की समस्या के विरोध में एक सांसद द्वारा सत्याग्रह किए जाने के सम्बन्ध में इस पर आप लोग संक्षेप में कह लें ?

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय गुप्त जी को बुला लिया है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं अपनी बात 2 शब्दों में कह कर समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, सीतापुर जिले में जो शारदा सहायक नहर वहां से निकली है तो उसके चारों ओर 1/4 भाग में, माननीय अम्मार साहब के क्षेत्र में, विसवां में लहरपुर में जो क्षेत्र नहर के पास में है, वहां पर कई-कई मील में दल-दल हो गई है और परिस्थिति ऐसी हो गई है कि खेतों में पानी ही पानी है, गांवों में घरों में, खाना बनाते समय पानी निकल आता है, उठना और बैठना मुश्किल हो गया है । एक नहीं अनेक बार यहां सदन में और बाहर शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया लेकिन आश्चर्य है कि अविलम्बनीय प्रश्न पर, जिसके कारण हजारों जनता परेशान हो गई है, शासन ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया है । आज पूरे जिले में असन्तोष व्याप्त है । इस सम्बन्ध में कल-परसों माननीय सिंचाई मंत्री जी ने सदन में कहा था कि वे वहां की सीपेज की समस्या के लिए एक मास्टर प्लान बनायेंगे, पता नहीं वह कब बनेगी, कब उसके लिए वित्तीय स्वीकृति होगी ? आज पूरा जिला बरबाद हो गया है । अतः इस कार्य-स्थगन के विषय के अविलम्बनीय और महत्व को ध्यान में रखते हुए इस पर आप चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, सीतापुर जिले में सीपेज की एक बहुत भयंकर स्थिति हो गई है, जिला फैजाबाद में भी ऐसी है, स्थिति यह हो गई है । इस समस्या के विरोध में सीतापुर में माननीय राम लाल राही पानी के अन्दर धरना देकर बैठे हुये हैं । मान्यवर, शारदा नहर सीतापुर के लिए अभिशाप हो गई है । रायबरेली और माननीय मुख्य मंत्री के जनपद सुल्तानपुर को हरा-भरा बनाने के लिए ऐसा किया गया है । पहले हमारे यहां पर काश्तकारों की हजारों एकड़ भूमि नहर बनाने के लिए दी गई और अब उनकी हजारों एकड़ भूमि में सीपेज का पानी फैल गया है । स्थिति यह हो गई है कि वहां के किसानों ने अपने-अपने घरों को छोड़ दिया है । सरकार की जो रिपोर्ट आयी है उसके अनुसार सीतापुर में 55 हजार एकड़ भूमि में सीपेज का पानी भरा हुआ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, फैजाबाद के अन्दर 13,000 एकड़ जमीन आ गई है, बाराबंकी के अन्दर 14,000 एकड़ जमीन आ गई, लखीमपुर में भी यही स्थिति है कि 20-22 हजार एकड़ जमीन सीपेज की शिकार हो गई है । वहां के ऊपर लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है । मकानों के अन्दर पानी भर गया है । सीतापुर में सीपेज के सम्बन्ध में आन्दोलन चल रहा है । इसलिए इस सत्याग्रह को समाप्त करने के लिए आपको दो-तीन बातों को मान लेना चाहिये । जिन किसानों की जमीन सीपेज के अन्दर आ गई है, उनसे लगान न वसूल किया जाय । उनके यहां बैंक के कर्ज को लेकर कुर्कियां आ रही हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश में अकेले बाढ़ की समस्या है । हमारा ऐसा जिला है कि जहां पर बाढ़ की वजह से हर साल नुकसान होता ही है सीपेज से तो हमेशा होता रहता है, इसके सम्बन्ध में हमने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है ।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो माननीय सदस्य के पहले भाषण दे रहे थे, वह क्या चरण सिंह के लोकदल में हैं या कर्पूरी ठाकुर के लोकदल में हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, सीपेज कई वर्षों से सीतापुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी में है । इस समस्या को लेकर कई बार माननीय सदन में 301 के अन्तर्गत प्रश्न भी उठाये गये । इस सवाल को लेकर संसद सदस्य श्री राम लाल राही और श्री अनन्तराम जायसवाल ने सत्याग्रह किया ।

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके आप डिटेल में न जायं ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

वहां पर लोगों के पास खाने को दाना नहीं है, लेकिन वहां पर लगान की वसूली के लिए कुर्कियां की जा रही हैं । मान्यवर, इन सारी चीजों पर ध्यान देते हुए यह आवश्यक है और जो ग्राह्यता की सारी शर्तें हैं वह सब पूरी हैं, इसलिए मान्यवर, इस मामले पर सदन में एक चर्चा करा दी जाय, ताकि इस किस्म की परेशानियां खत्म हो जायं । सरकार घोषणा करे कि जिनके घर में खाने को नहीं है, उनके लिए खाने की व्यवस्था करेगी और लगान की वसूली स्थगित कर देगी ।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, शारदा सहायक परियोजना और इसके अलावा और भी जो बड़ी-बड़ी योजनाएं इरीगेशन विभाग की बनी हैं, उसमें जो सीपेज के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है, वह उचित नहीं की गई है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन--]

हजारों एकड़ एरिया जो प्रोडक्टिव एरिया था, वह नान प्रोडक्टिव एरिया होता चला गया, तो उनके खाने-पीने का बन्दोबस्त कहां से होगा ? तो श्रीमन्, यह एक ऐसा विशाल सीपेज का मामला हो गया है कि जिसका असर सारे प्रदेश में हो गया है। तो इस पर अगर चर्चा हो जाय कि सीपेज का मुकाबला कैसे किया जाय, प्रौडक्टिव एरिया, नान-प्रोडक्टिव एरिया में जो परिवर्तन हो गई है और वहां के लोगों के लिए खाने-पीने का कैसे इन्तजाम किया जाय। इस पर विचार के लिए इस पर चर्चा कराने की इजाजत मान्यवर, दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

अविलम्बनीयता एवं लोकमहत्व पर बोलें।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, आज सीपेज की समस्या से बहुत बड़ी आबादी पीड़ित एवं प्रताड़ित है। भू-जल सर्वेक्षण विभाग ने सीपेज के सम्बन्ध में समय-समय पर अपने सुझाव दिए जैसे ट्यूबवेल लगाना, विशेष किस्म के पेड़ लगाना लेकिन सिंचाई विभाग आज तक उनकी संस्तुतियों की उपेक्षा करता रहा है। जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज सैकड़ों बीघा जमीन जो उपजाऊ थी, आज वह ऊसर होती जा रही है। सारे पेड़ उखड़ते जा रहे हैं। पूरी आबादी के सामने जीवन निर्वाह की समस्या खड़ी हो गई है। इसलिए यदि आप इस पर चर्चा करवा देंगे तो जिनके जीवन निर्वाह की समस्या खड़ी हो गयी है उसके सम्बन्ध में शासन क्या कार्यवाही तुरन्त करने जा रहा है और क्या ढिलाई हुई शासन की तरफ से यह सारे पक्ष हम लोग यहां रख देंगे। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का है।

*श्री रामस्वरूप वर्मा--

अविलम्बनीय लोकमहत्व का इसलिए है कि सीपेज की समस्या कई जिलों में है। दफा 56 में काम रोक कर जब हम बहस करते हैं, वह सरकार की एक भर्त्सना होती है। यह सरकार भर्त्सना के लायक है क्योंकि लगातार कहने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अन्तिम हथियार जो हमारे पास है सत्याग्रह का अब वह भी चलाया गया है। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का है और दूसरे निश्चित किया गया है। यह सरकार की भर्त्सना के लिए लाया गया क्योंकि सरकार की इसमें उदासीनता रही है। इन कारणों से काम-रोको प्रस्ताव की सारी शर्तें इससे पूरी होती हैं।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, इस सीपेज की समस्या से करीब-करीब 25 लाख जनसंख्या प्रभावित है और करीब-करीब एक हजार से 25 हजार एकड़ भूमि नष्ट हो रही है। इस समय लोगों के पास खाने को नहीं है, सरकार योजना बना रही है। चारों तरफ दल-दल हो गया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है लोग घरों से निकल कर सड़क पर आ गये हैं। इस पर दो दिनों से आन्दोलन चल रहा है अगर तुरन्त सरकार कोई कार्यवाही न करेगी तो यह आन्दोलन व्यापक रूप में प्रदेश के 10 जिलों में शुरू हो जायेगा। इस पर दो घंटे की चर्चा करवा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, इसका विषय निश्चित है । मान्यवर, इस सीपेज की समस्या से कई हजार लोग ग्रस्त हैं । हमारे हरदोई में मल्लावां क्षेत्र जहां से मैं आता हूं, सीपेज की समस्या से ग्रस्त है । शासन की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । कल सिंचाई मंत्री जी नें सदन के सामने इस महत्व को स्वीकार किया था और कहा था कि जो उपाय सीपेज की समस्या के लिए किये जाने चाहिये थे वह नहीं किये गये । इसमें अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष या विरोध पक्ष की बात नहीं है । सवाल लोकहित का है और लोक हित इससे प्रभावित हो रहा है । इस पर चर्चा कर दें, हो सकता है कि इस समस्या के निराकरण के लिए कोई चीज निकल आवे जिससे इस समस्या से निपटा जा सके ।

*श्री धनी राम वर्मा--

मान्यवर, सीपेज की समस्या सारे प्रदेश में है । लोक महत्व का प्रश्न इसलिए है कि इससे प्रदेश की लाखों जनता प्रभावित है और लोग आन्दोलन के लिए निकल पड़े हैं । प्रश्न की अविलम्बनीयता इसलिए है कि लोगों की रोजी-रोटी का प्रश्न है । अनाज पैदा नहीं होगा, वृक्ष सूख रहे हैं इसलिए यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है । ऐसी स्थिति में काम रोक करके इस प्रश्न पर चर्चा करा दी जाय जिससे सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो ।

(व्यवधान)

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न की अविलम्बनीयता और लोकमहत्व की बात कही जा रही है । तो यह दो मुख्य मुद्दे हैं । जहां तक लोक महत्व का प्रश्न है तो वह इसमें है लेकिन अविलम्बनीयता का प्रश्न इसमें नहीं है । सीपेज की समस्या इस प्रदेश की ही नहीं बल्कि जहां भी नहरें हैं वहां की यह समस्या है । इस सम्बन्ध में यहां पहले मास्टर प्लान बना था, उसके बाद कई तरह की बातें इसमें सोची गयी जैसे बगल में नाली निकाल दी जाय या पेड़ साइड बाई साइड लगाये जायं या टयूबवेल लगाने की बात सोची गयी थी, उसके बाद नहर को पक्का करने की बात थी लेकिन उसमें बहुत खर्चा था इसलिए यह संभव नहीं समझा गया, उसके बाद नीचे पोलथीन सीट्स डालने की बात सोची गयी, कहीं कहीं यह प्रयोग किया गया है जैसे सुल्तानपुर में, और सफल भी हुआ है । इसमें खर्चा भी कम है । इसलिए टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स का खयाल है कि पोलीथीन सीट्स से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं । इसके महत्व को मानते हुये और सदन की भावना को देखते हुए बिना समय खोये जो संभव होगा वह किया जायेगा ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, तत्काल जो विषय है कि लोग पानी में बैठे हैं लेकिन किसानों के लगान और तकावी की वसूली को रोकने के लिए कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए मुख्य मंत्री जी इसमें कुछ आश्वासन दे दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्रीपति मिश्र—

जहां पानी में लोग बैठे हैं वहां हम वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर पता लगायेंगे और समस्या का समाधान करायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग बैठ जायं ।

नियम 56 में माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये उसके विषय में शासन पक्ष को भी मैंने सुना । इसमें अविलम्बनीय लोक महत्व की बात नहीं है, इसलिए इसको अब समाप्त किया जाता है ।

(व्यवधान)

आप लोग शान्त रहें ।

नियम 56 में दूसरी सूचना– श्री हुकम सिंह, श्री किरनपाल सिंह और श्री बदन सिंह की कनिष्ठ पुलिस अधिकारी को पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

तीसरी सूचना भी इसी विषय पर सर्वश्री विजय सिंह राना, राधेश्याम पटेल और सरदार सिंह की है ।

चौथी सूचना सर्वश्री मित्रसेन, राम आसरे वर्मा, मसरूर जाफरी, गोपीनाथ वर्मा, खैरुल बशर की जनपद फैजाबाद में थाना कोतवाली के अन्तर्गत लाखों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में है । पांचवी सूचना श्री माता प्रसाद पांडेय की बंगलादेश व पूर्वी बंगाल से लायी हुयी लड़कियों व महिलाओं को जनपद बस्ती में बेचने के सम्बन्ध में है । छठी सूचना सर्वश्री रियासत हुसैन, गौरी शंकर भैय्या, श्रीमती गौरी देवी, राम गोविंद की दिनांक 27/28 जून, 1982 को ग्राम रमपुरा, जनपद मैनपुरी में भूरा डाकू गिरोह द्वारा धावा बोलने से 6 हरिजनों की हत्या के सम्बन्ध में है। इनको सबको मैंने अस्वीकार किया है ।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

मान्यवर, लड़कियों और महिलाओं को बेचने का धंधा किया जा रहा है । मेरी बात सुन लें ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, लाखों रुपयों का घोटाला है मुझको सुनने की कृपा करें ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

सदन की यह परम्परा नहीं है कि जिसमें आवश्यक समझा जाय, सुन लिया जाय । केवल उस पर ही सुनने का आग्रह स्वीकार किया जा सकता है । आप लोग कृपया अपना-अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, मुझको सुन लें । लाखों रुपयों का घोटाला है

श्री मित्रसेन--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

पहले आप लोग बैठ जायं ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, आपकी पीठ की परंपरा रही है कि नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचनायें दी जाती हैं उनके महत्व को स्वीकार करते हुए आप हम लोगों को सुनते थे । कोई दूसरी सूचना अगर महत्वपूर्ण है तो उसके ऊपर वक्तव्य वगैरह दिलाने के आदेश देते थे ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो केवल मेरा विवेक है । ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । आप कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री मित्रसेन--

आपका आदेश शिरोधार्य है, जब थाने या कोतवाली के मालखाने से 1 लाख या दो लाख की चोरी हो जाय, वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । मैंने इस पर निर्णय दे दिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, हर कार्यस्थगन पर एक-एक किसी भी व्यक्ति को सुन लें तो समस्या का हल निकल आयेगा यह मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की परंपरा नहीं है और न पहले से चली आ रही है । आप बैठें ।

प्रदेश के गन्ना काश्तकारों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में चर्चा

[1 बजकर 38 मिनट]

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रदेश के किसानों के साथ मजाक वाला काम कर रही है । हमारे गन्ना मंत्री को इस बात पर बहुत ज्यादा गर्व है कि इस साल उत्तर प्रदेश में चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ । लेकिन इस गर्व के साथ उनका माथा इस शर्म से झुक जाना चाहिये कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसानों और गन्ना काश्तकारों का इतने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह--]

बड़े पैमाने पर बकाया नहीं रहा। यह अफसोस की बात है कि इस प्रदेश में पूरे देश में जो गन्ना पैदा होता है उसका चौथाई ही पैदा होता है। और इस साल आपने रिकार्ड उत्पादन किया और कहा कि वर्ष 77-78 में 20-10 लाख टन चीनी हुयी थी और इस साल वह रिकार्ड भी बीट हो गया थोड़ा बहुत अधिक उत्पादन हो जाने से, अभी तक 466 करोड़ रु0 का गन्ना खरीदा गया विभिन्न एजेन्सीज से, लेकिन अभी तक करीब-करीब 1 अरब रु0 बकाया है उत्तर प्रदेश के गन्ना काश्तकारों का उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के ऊपर।

वैसे सरकार तो कहती है कि करीब 74 करोड़ रु0 के आस-पास ही बाकी है, लेकिन सरकारी आंकड़े हमेशा झुठलाने वाले ही होते हैं, किसानों का गुस्सा शान्त करने के लिए। यदि 74 करोड़ रु0 ही मान लिया जाए तो यह राशि भी बहुत बड़ी होती है। रु0 74 करोड़ का बकाया रखकर 1 नवम्बर को चीनी मिलें प्रारम्भ हो जायेंगी। यह अगस्त का महीना तो बीतने ही वाला है, सितम्बर और अक्तूबर दो महीने केवल बचते हैं। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश चीनी मिलों की चीनी बाहर पड़ी हुई है, निकासी का कोई प्रबन्ध नहीं हो सका है, यह समस्या आपके सामने है। साथ ही मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक गन्ना मूल्य के निर्धारण की कोई नीति फाइनल नहीं हो सकी। अभी दो दिन पहले भाई रियासत साहब ने एक सवाल इस सम्बन्ध में किया था, जिस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने भावावेश में आकर उसका जवाब भी दे दिया था कि वे केन्द्रीय सरकार से इस बात का आग्रह करेंगे कि गन्ने का जो प्रोडक्शन है, उसके हिसाब से मूल्य निर्धारण किया जाए।

यह किस आधार पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, मैं नहीं समझ सका, वैसे वह विद्वान पुरुष हैं, मैं नहीं कह सकता हूं कि इसकी जानकारी नहीं है। गन्ने के मूल्य के निर्धारण की एक कसौटी है। लेकिन इस ओर आप कोई ठोस नीति निर्धारण से काम नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसमें भावुकता से काम लिया जाता है। इस सम्बन्ध में एक ठोस नीति बनानी चाहिए अन्यथा यह भी टेक्सटाइल मिल्स की तरह एक दिन समाप्त हो जायेगी। करीब 53 सहकारी क्षेत्र की और 39 निजी क्षेत्र की मिलें हैं। इन चीनी मिलों पर 74 करोड़ रु0 बकाया है आपके अनुसार, उसमें भी 90 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र की मिलों के ऊपर बकाया है। यह सब लापरवाही के कारण हुआ। हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है, जो सबसे कमजोर है और इस मामले में अन्य सूबों से काफी पिछड़ा हुआ है। नहीं तो क्या कारण है कि बड़ा सूबा होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के मुकाबले में उत्तर प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा सहायता कम दी गयी और महाराष्ट्र की रिकवरी भी उत्तर प्रदेश से ज्यादा होती है और लेवी की चीनी के जो दाम महाराष्ट्र को केन्द्र सरकार ने दिये हैं, उससे 25 रु0 घटाकर उत्तर प्रदेश को मूल्य दिया है, जिससे 80 करोड़ रु0 का घाटा उत्तर प्रदेश की सरकार को होगा।

यह सारी चीजें इस बात की द्योतक हैं कि आपकी नीति, आपकी कल्पना ठीक से व्यवस्थित नहीं हुयी, जिस नतीजे में आपको लेवी चीनी के दाम कम मिले, इसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। अगर पिछले वर्ष के ही दाम मिल गये होते तब भी इतनी स्थिति घाटे की न होती और न आप पर इतना बकाया होता और दूसरी दिक्कत यह पैदा हुयी कि चीनी मिलों के बंद हो जाने की बात जुलाई में ही करते हैं और दूसरी तरफ आप रिकार्ड बीट करने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन इसकी जानकारी आपको बरसात शुरू हो जाने से

पहले हो जानी चाहिए थी । इस वर्ष इतना गन्ना पैदा होने वाला है और इस प्रकार इतनी-2 चीनी का उत्पादन होगा, इसके लिए हर प्रदेश की सरकार के पहले से अनुमानित आंकड़े मौजूद रहते हैं और मैं समझता हूं कि इनको इस बात का पता था कि इस साल गन्ने का रिकार्ड उत्पादन है और चीनी भी अधिक होगी । क्रेडिट, चीनी मिलों को रिजर्व बैंक आफ इन्डिया ने निर्धारित किया और वह अप्रैल महीने में खत्म हो गया और उसके बाद से रिजर्व बैंक आफ इन्डिया से पहल की जाने लगी । उसने कहा कि 25 प्रतिशत मार्जिन मनी दिखलाइए तब लोन एडवान्स करेंगे । अप्रैल में उनका क्रेडिट का टाइम खत्म होता है । आपके गन्ना विकास विभाग, चीनी विभाग, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ जाय, उनके द्वारा इसकी तैयारी पहले होनी चाहिये थी । मई का महीना बीत गया, जून का महीना बीत गया, तब उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह केन्द्र के मन्त्री प्रणव कुमार मुखर्जी से मिलते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे यहां ऐसी-ऐसी कठिनायी आ गयी है, आप हमारे लिमिट को बढ़ाइए । दो महीने इस बात में बिताये, जिसके चलते पार्लियामेंट में केन्द्र की सरकार को यह जवाब देना पड़ा कि 1 अरब 4 करोड़ रुपया गन्ने का काश्तकारों का बकाया है । इसकी जिम्मेदारी किसकी है, जो आपकी अफसरशाही ने आपके विभाग ने गन्ना काश्तकारों के ऊपर जो आने वाली समस्या थी, उसके प्रति पहले से सूचना नहीं दी, जिसके कारण यह गम्भीर परिस्थिति पैदा हो गयी ।

दूसरी समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिलों से भुगतान होता है गन्ने का जो सारी चीनी बैंक को प्लेज होती है और उसके बाद जितनी चीनी मिल मालिक बेचता है, उसमें से एक हिस्सा यूनियन के खाते में जमा हो जाता है तथा किसानों का पैसा बंटने लगता है । आप इसकी जांच कराइए, उत्तर प्रदेश में बहुत से जिला गन्ना अधिकारियों ने "फ्री सेल" की चीनी को बाजार में बेचने के लिए छूट दे दी, किन्तु अनुमति नहीं ली गयी । यूनियन के खाते में जो हिस्सा आता था, वह नहीं मिला । करोड़ों रुपया किसानों का बाकी हो गया । मेरठ के ही अन्दर, दुर्भाग्य की बात है कि जो चीनी मिलें हैं निजी क्षेत्र में उन्होंने 100 प्रतिशत किसानों का बकाया अदा कर दिया है, लेकिन आपकी जो 5 चीनी मिलें हैं, उनका करोड़ों रुपया बकाया है । पूर्वी जिलों की 28 चीनी मिलों में 14 करोड़ रुपया आज भी बकाया है, 2 ने ही गन्ना किसानों का पूरा रुपया अदा किया है । प्रतापगढ़ की शुगर फैक्ट्री ने पूरा अदा कर दिया है । कहने का मतलब यह है कि आज उत्तर प्रदेश के गन्ना काश्तकारों के सामने गम्भीर स्थिति आ गयी है ।

हमारे गन्ना मन्त्री जी ने बाहर अखबारों में बयान दिया था कि गन्ने का बकाया जिन किसानों का उनके ऊपर है, उनकी सरकारी वसूलयाबी को रोक देंगे । मैं निश्चित रूप से सूचना देना चाहता हूं कि आपके इस बयान का कोई नतीजा नहीं निकला । मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिस जमाने में 1977-78 में जिसको सबसे बुरा वर्ष आप कहते हैं, उस समय सरकार ने "डिफर्ड पेमेंट" किया था । अपने खजाने से पैसा देकर करोड़ों रुपया गन्ना किसानों का अदा कराया । बहुत दिनों से परचेज टैक्स लगता है, वह सी० बी० गुप्ता की सरकार ने इसलिये लगाया कि मिलों का विस्तार करायेंगे, उनकी रिकवरी को ठीक करायेंगे । उसके फन्ड के पैसे को जो सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं, रिसीवरशिप की

श्री मोहन सिंह--]

मिलें हैं, उसमें लगाइए । यदि किसी तरह की रिजर्व बैंक से कोई दिक्कत है, चीनी की बिक्री नहीं हो रही है, तो गन्ना किसानों का जो बकाया है उसकी अदायगी का कुछ इन्तजाम करिये....

श्री अध्यक्ष--

कृपया संक्षेप में कहें, अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है । 11 मिनट हो गये आपके ।

श्री मोहन सिंह--

मैं अभी खत्म करता हूं । 1978 में कानून बन गया कि गन्ना किसानों की देय धनराशि पर सूद भी दिया जायेगा । कोई सूद नहीं दे रहे हैं । इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप किसी तरह गन्ना किसानों का पैसा दिलवायें । इन शब्दों के साथ में इस बहस की शुरुआत करता हूं ।

(गन्ना विकास मन्त्री को पुकारे जाने तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया नियमों को देख लें । मन्त्री जी अब जवाब देंगे ।

*गन्ना विकास राज्य मन्त्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)--

श्रीमन्, शासन ने किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुये, जो केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम गन्ने का मूल्य तय किया था उसको दृष्टि में रखते हुये, एक परामर्श मूल्य निश्चित किया था ताकि गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले । किसी भी पूंजीपति के प्रभाव में न आकर यह मूल्य निश्चित किया गया था । इससे किसान भली प्रकार से संतुष्ट थे । यह सही है कि इस वर्ष बम्पर क्राप थी । श्रीमती प्रधान मन्त्री, इन्दिरा गांधी ने इस वर्ष को उत्पादक वर्ष माना है । शासन ने भी इसके लिये भरपूर प्रयास किया और हमने रेकार्ड उत्पादन किया । न केवल गन्ने का रिकार्ड उत्पादन हुआ, बल्कि गन्ने की पेरायी भी अधिक हुई, उसका भी रेकर्ड स्थापित हुआ । जो हमारा 716 लाख टन गन्ना था उसमें से चीनी मिलों ने 227 लाख टन पेरा । कुल जितना गन्ना था उसमें से करीब एक लाख टन बच रहा । 1977 में जब 11 लाख टन गन्ना बच गया था....

(इस समय 1 बजकर 53 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

श्री उपाध्यक्ष--

बचने से क्या मतलब है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

एक लाख टन गन्ना पेरने से बच रहा ।

दो चीनी मिलों एक हरदोई की तथा एक सेवरही की, को भी शासन ने टेकओवर किया क्योंकि वहां गड़बड़ी देखी गयी । शक्कर के बारे में इसी आधार पर 20 लाख 75 हजार टन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो कि गत वर्ष के मुकाबिले में पौने दो गुना अधिक है और 1984-85 के लक्ष्य को करीब-करीब हमने पूरा किया है। जो भुगतान के बारे में माननीय मोहन सिंह ने जिक्र किया। हमारे यहां 469 करोड़ रुपये का गन्ना मिलों में खरीदा गया जिसमें से 397 करोड़ का भुगतान हो गया है और 72 करोड़ अभी शेष है जो कि 15 प्रतिशत है। जबकि पिछले सालों में हमने तय किया था, शासन ने 1980-81 में तय किया था कि जो पिछला बकाया है उसे अदा करने के बाद ही फैक्टरियां चलायी जायेंगी तो इसलिये रुपया अदा करने के बाद फैक्टरियां चलाई गयीं। पिछले सालों के मुकाबिले 1979-80 में किसानों को गन्ने का अधिक भुगतान किया गया है। 131 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया जा चुका है। 1980-81 में गन्ना जो था वह पिछले साल 1977-78 के मुकाबिले में 20 प्रतिशत गन्ने का मूल्य बाकी रह गया था। 31 जुलाई तक का इस समय 15 प्रतिशत गन्ने का मूल्य बाकी रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी, क्या कुछ ऐसी फैक्टरियां भी हैं जहां 92 प्रतिशत मूल्य बाकी है ?

श्री मोहन सिंह—

हां मान्यवर, सिसवां की है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, सिसवां की फैक्ट्री का मामला तो अदालत में है, इसलिये कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

हम कौन सी अदालत में जायं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

आखिर यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई। इसके लिये मैं आपसे अर्ज करूं कि शासन ने किसानों के हित में निर्णय लिया था कि किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिले। सारे के सारे गन्ने की पेराई हो जाय जिसके फलस्वरूप इस वर्ष समय के बाद भी हमें फैक्टरियां चलानी पड़ीं और 14 अगस्त तक गन्ना फैक्टरियों में पेरा जाता रहा है। इससे गन्ना तो पेर दिया गया परन्तु फैक्टरियों में ज्यादा चलने के कारण यांत्रिक खराबियां आ गयीं जिसके कारण अब आर्थिक संकट आ गया है।

माननीय मोहन सिंह जी ने कहा भारत सरकार द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण की बात, तो 1980-81 में जो बैंक की लिमिट थी, उसके सम्बन्ध में रिजर्व बैंक से मिल कर बढ़ाने का प्रयास किया गया भारत सरकार द्वारा। तो सारे प्रयास करने के बाद 25 प्रतिशत बैंक की लिमिट बढ़ाई जा सकी। शक्कर के दाम तय कर दिये गये जिससे कि आमदनी के साधन कम हो गये और इससे आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

अब प्रत्येक व्यवसाय की स्थिति अलग-अलग है। जो दूसरे व्यवसाय हैं वे व्यवसाय उत्पादन के बाद जब मन चाहे उसे बेच लेते हैं परन्तु शक्कर का व्यवसाय इससे भिन्न है। उस पर भारत सरकार का प्रतिबन्ध होने के नाते हम उसे मन

[कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--]

मुताबिक बेच नहीं सकते हैं और उसके बिना पर पैसे नहीं पैदा कर सकते हैं। बैंक ने हमारे सामने लिमिट की स्थिति खड़ी कर दी है। जिससे हम चीनी बेच नहीं सकते हैं जबकि हमारे पास स्टाक मौजूद है। इसलिये शासन ने केन्द्रीय सरकार से बफर स्टाक की बात की है और वह इस पर करीब-करीब राजी भी है और शासन ने इस चीज को स्वीकार किया है।

भारत सरकार की योजना है कि विदेशों में चीनी का निर्यात किया जायेगा। मार्जिन 25 प्रतिशत काटी जाती है। प्रयास किया जा रहा है और शासन के सुझाव दिया गया है कि बजाय 25 प्रतिशत के 10 या 15 प्रतिशत मार्जिन मनी काटी जाय ताकि हम पैसे का भुगतान कायदे से कर सकें। 1977-78 में भारत सरकार ने गन्ना फैक्टरियों को लोन दिया था। हमारा भी प्रयास भारत सरकार से ऋण लेने का है ताकि गन्ने का मूल्य बढ़ाकर किसी प्रकार से किसानों को अदा कर सकें। सरकार का पूरा प्रयास है कि गन्ना किसानों को जल्द से जल्द पैसा दिया जाय। इसलिये तमाम फैक्टरियां अपने-अपने अधिकारियों से मानिटरिंग करा रही हैं किसके ऊपर कितना बाकी है और इस प्रकार हम काश्तकारों को उनका पैसा अदा करने का प्रयास कर रहे हैं, धन की व्यवस्था की जा रही है, शासन उसके लिये चिन्तित है। जहां तक भुखमरी का प्रश्न है पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमने 110 करोड़ रुपये अधिक दिया है और मात्र 15 प्रतिशत पैसा देय है। इसलिये भुखमरी का कोई प्रश्न नहीं है। हमारा पूरा सद्प्रयास है कि अगला सीजन प्रारम्भ होने के साथ ही जो बकाया है उसका भुगतान आसानी से कर सकें और इसके लिये शासन व हमारे मुख्य मंत्री पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। इसमें शासन किसी प्रकार की असावधानी या ढील नहीं होने देगी।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे सदस्यगण से कुछ निवेदन करना है। माननीय मोहन सिंह और माननीय मंत्री जी, इन दोनों के बीच काफी समय लग गया। इस पर चर्चा के लिये डेढ़ घंटे का समय तय हुआ था और इस तरह 3 बजकर 10 मिनट तक इस चर्चा को समाप्त हो जाना है। प्रक्रिया यह है कि पहले बहस आरम्भ होती है उसके बाद मंत्री जी बोलते हैं और उसके बाद अन्य मा0 सदस्य अपने विचार रखते हैं फिर जो बहस आरम्भ करता है उसे बोलने का अवसर मिलता है और फिर उसका उत्तर मंत्री जी देते हैं और इस तरह से चर्चा का समापन होता है।

अब हमारे हाथ में कुल 1 घंटा 10 मिनट का समय रह गया है। इसलिये ऐसी दशा में यह बात विचारणीय है कि जिन्होंने बहस को इनीशिएट किया उनको आखिर में बोलने के लिये कम से कम 5 मिनट तो देना ही पड़ेगा और माननीय मंत्री जी को भी उत्तर देने में 5 मिनट, 10 मिनट लग ही जायेगा।

(व्यवधान)

यह मसला ऐसा है जिस पर अधिकतम साथी बोलना चाहेंगे इसलिये मैं चाहूंगा कि सब को कुछ न कुछ समय दूं। मैं चाहूंगा कि आप सब इस काम में मेरी सहायता करें। मुनासिब तो यह था कि कोई वक्ता 3, 4 मिनट से ज्यादा समय न ले लेकिन 5 मिनट से ज्यादा न ले।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

दो-दो मिनट दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

दो-दो मिनट । नहीं, यह व्यावहारिक नहीं है । आप विराजें आपको भी, मौका दिया जायेगा । अब मैं 5 मिनट के हिसाब से बांटता हूं । 2.55 बजे तक आपको बोलने का मौका दिया जायेगा, 2.55 पर माननीय मोहन सिंह जी को और उनके बाद मंत्री जी को अवसर दूंगा ।

*श्री यशमन सिंह गहलौत--

माननीय उपाध्यक्ष जी, गन्ना का मूल्य जो लगभग 74-75 करोड़ रुपया बकाया रह गया है, यह बड़ी गम्भीर बात है । माननीय मोहन सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया था, माननीय गन्ना विकास मन्त्री जी ने तो गन्ने के उत्पादन और भुगतान के आंकड़े बताकर उसको हल्का करने का प्रयास किया है, उसकी गम्भीरता को उन्होंने महसूस नहीं किया । इसका मतलब यह लगता है कि मंत्री जी का गन्ने से कोई मतलब नहीं है, उनके जिले में भी गन्ना नहीं होता है और स्वयं भी गन्ना नहीं पैदा करते हैं । स्वयं पैदा करते होते तो शायद इसका दर्द जानते । लेकिन मान्यवर, आप तो इसके भुक्तभोगी हैं । आपके क्षेत्र के अन्दर तो, जहां तक मेरी जानकारी है, गन्ना मूल्य दिया ही नहीं गया है । वहां के लोगों पर क्या बीतती होगी, यह आप जानते होंगे और अगर आप शासन को कुछ समझा सकें तो अच्छा होगा ।

हर साल गन्ना मूल्य का बकाया रह जाता है लेकिन यह पहला साल है जबकि 74-75 करोड़ रुपया बकाया रह गया है । अकेले धामपुर, बिजनौर की मिल में 1 करोड़ 25 लाख बकाया रह गया है और जिस रफ्तार से भुगतान शुरू हुआ है उससे ऐसा लगता है कि जून माह का पूरा भुगतान मिल के ऊपर रह जायेगा और मिल अगले साल के लिये पेराई आरम्भ कर देगी । मंत्री जी बड़ी वीरतापूर्ण घोषणायें करते हैं, कई बार मंत्री जी ने कहा कि हम 32 पैसे प्रति क्विंटल की दर से किराया मूल्य से दिलायेंगे और जो मिल ज्यादा काट रही है, उसको रोकेंगे और वसूल करायेंगे । लेकिन इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है । प्राइवेट मिलों ने एक रुपया प्रति क्विंटल गन्ने का किराया काटा है और यह शासन अक्षम होकर, नपुंसक होकर बैठा रहा और मिलों का कुछ नहीं कर सका । यह लाबी इतनी बड़ी है कि इससे इनको आने वाले चुनाव में 25 करोड़ रुपया मिलने की आशा है, इसलिये ये उनका कुछ कर भी नहीं सकते ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आपको सुनिश्चित हो गया है कि आपके दल को 25 करोड़ रुपया मिलने वाला है ?

श्री यशमन सिंह गहलौत--

मान्यवर, यह आम चर्चा है कि 45 करोड़ रुपया नये मंत्रिमंडल को वसूल करने के लिए रखा गया है जिसमें से 25 करोड़ शुगर मिल वालों से मिलेगा और 20 करोड़ मंत्रीगण ने आपस में बांट लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने समझा कि आपके दल को मिलने वाला है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री थम्मन सिंह गहलौत—

मेरे दल को कौन पूछता है ।

गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है कि इसमें कुछ समय लगेगा लेकिन शासन इस सम्बन्ध में कुछ प्रभावी कार्यवाही कर सकता है । उदाहरण के लिए जिनके ऊपर बैंक के सहकारी समिति के या अन्य ऋण बकाया हैं उनकी वसूली स्थगित की जा सकती है । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी यह घोषणा करें कि किसान अपनी पर्ची जमा करके बाकायदा रसीद हासिल कर लें और फिर शासन वसूली कर ले; क्योंकि किसान इतना असंगठित है, कमजोर है कि वह किसी स्तर पर नहीं लड़ सकता । अगर बड़े-बड़े नेता वह वसूली नहीं कर सकते हैं तो मामूली किसान कैसे वसूली कर लेगा ? मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति घोषित करें । बकाया पर सूद देने की भी व्यवस्था है लेकिन मन्त्री जी बतायें कि कभी सूद दिया गया हो । कभी सूद वसूल कराया जाता । उनके आर्बीट्रेशन चलते रहते हैं और वसूली होने की नौबत नहीं आती है । वसूल होने की नौबत नहीं आती है । एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नेता श्री गुप्त जी ने महुली शुगर मिल के श्री वी० पी० सिंह द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के बारे में 19-10-1981 को माननीय मन्त्री जी को एक पत्र दिया था और जिसकी प्राप्ति माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार भी की है, परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया । यह सौभाग्य की बात है कि इसके जो भुक्तभोगी हैं वे इस समय सदन की सदारत कर रहे हैं। मान्यवर, यह कैसी विडम्बना है कि गन्ना जो इस प्रदेश की कैश क्राप है वह कैश क्राप न रहकर क्रेडिट क्राप हो गयी है । किसान गेहूं बेचकर नकद पैसा प्राप्त कर लेगा परन्तु गन्ना बेचकर वह नगद पैसा नहीं प्राप्त कर पाता है । इसके बारे में मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि यह सदन सर्वसम्मति से निश्चित करता है कि प्रदेश में गन्ना किसानों से गन्ने का मूल्य समय पर अथवा 15 दिनों के बाद भुगतान महीने की स्थिति में गन्ना मिलों द्वारा प्रामिजरी नोट जारी किए जाने की व्यवस्था की जाये, जो शासन के सभी विभागों द्वारा ऐसे किसानों के प्रति शासकीय देयों की अदायगी के लिए मान्य समझे जाय । लेकिन उक्त प्रस्ताव नियमों की कैंची से कट गया ।

मान्यवर, एक गन्ना किसान के पास यदि 10 हजार की पर्ची है वह उसकी अदायगी न होने के कारण एक-एक रुपये का मोहताज बना घूमता है इससे और क्या दयनीय स्थिति हो सकती है ? आज मंत्री जी इस स्थिति में नहीं हैं कि कह सकें कि गन्ना किसानों का पैसा कब उसको पूरा दिला सकेंगे । नियम तो यह है कि 15 दिन में अगर उनको पैसा मिल द्वारा नहीं दिया जाता है तो उनको उस रुपये पर ब्याज मिलेगा। आज इस प्रदेश में करीब 75 करोड़ रुपये गन्ना किसानों का बकाया है । शासन के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की सरकार ने अधिकतम पेमेंट कर दिया है जो गन्ना किसानों को भुगतान करना था वह है और 369·08 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा सका है । अब 75 करोड़ रुपया बाकी रह गया है । जब तक आप कोई कान्क्रीट कदम नहीं उठायेंगे तब तक यह मामला हल होने वाला नहीं है । गन्ना किसान को रुपये न मिलने से उसको बड़ी परेशानी होती है न कोई घर की चीज खरीद सकता है न अपनी बेटी का विवाह कर सकता है न ही वह सरकारी देय धन की अदायगी ही कर सकता है । जबकि पर्ची उसके पास है मगर वह उसको लिए घूमता रहता है । और सूद पर सामान खरीदता है । इससे बड़ी दुर्दशा और नहीं हो सकती है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ना किसानों की इस समस्या के समाधान के लिये शासन विचार करे। सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि मिल वाले प्रामिजरी नोट किसानों को जारी करे वह ऐसा हो जो कि सरकारी देय धनों में मान्य हो। ताकि सरकार ही उसको लेकर मिल मालिको से देय धनों की वसूली करें बजाय इसके कि किसान मिल मालिकों के पास उस पर्ची को लेकर घूमता रहे। मैं इन शब्दों के साथ शासन से अनुरोध करूंगा कि वह इस तरह से मेरे प्रस्ताव पर विचार करे और इसको अमली जामा पहनाये। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, गन्ने का मूल्य और बकाये का भुगतान ये दो चीजें हैं। माननीय मंत्री जी गन्ना मूल्य के बारे में कहते-कहते शक्कर को गणित तो कह गये लेकिन किसान से सम्बन्धित जो गणित है उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आखिर किसान कितना बोझ लगाता है, कितनी खाद पड़ती है, कितना श्रम लगाता है। उसके साथ ही साथ जिस खेत में वह बोया जाता है उसकी उर्वरा शक्ति कितनी होती है। यदि मंत्री जी इस बात को कह देते तब तो मैं समझता कि उनके दिल में किसानों के प्रति दर्द है। गन्ने का मूल्य दिलाने के लिए जो मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया है उस दिशा में वे क्या कदम उठाते हैं यह तो सामने आयेगा ही, लेकिन जहां तक बकाये के भुगतान का सवाल है चाहे कोई भी शासन रहा हो, शासन ने हमेशा जिम्मेदारी ली है कि किसानों के बकाये का भुगतान वे करवायेंगे। लेकिन न पहले शासन कामयाब हो पाया है और न अब का शासन कामयाब हो पायेगा।

रेवेन्यू रिकवरी के रूप में किसान का पैसा वसूल करने की बात भी शासन की ओर से कही गई है। लेकिन रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू किये जाते रहे वे वापस लिये जाते रहे और किसान का पैसा ज्यों का त्यों मिल मालिकों के पास पड़ा हुआ है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि सरकार का किसान के प्रति दर्द है तो वह आज सदन के सामने इस बात की घोषणा करे कि वह मिल मालिकों से किसान का जो भी पैसा बकाया है उसको रेवेन्यू के रूप में वसूल करेगा और उस पैसे का भुगतान शासन स्वयं करेगा। अगर शासन नहीं करता है तो जो जेतली जी ने कहा है और जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है जिसमें मैं भी शामिल था, उसे पास करें। किसान तरह-तरह के सरकारी देयों से बंधा हुआ है और हजारों रुपया उसका बाकी है मिल मालिकों के ऊपर और दूसरी तरफ दूसरे विभागों का पैसा भी उसके ऊपर बाकी है जिसके लिये उसे हवालात में बन्द कर दिया जाता है। जो प्रस्ताव जेतली जी ने रखा है कि एक प्रामिजरी नोट जारी किया जाय जिसको कि मान्यता प्राप्त हो जिससे कि यदि किसान को दूसरे सरकारी देयों को देने की उनके सामने समस्या आये तो वह उस प्रामिजरी नोट को दे सके।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रामिजरी नोट कौन जारी करेगा ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा--

मिल मालिक जारी करे और उसका अंश शासन करे । यह तो शासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। या तो वह किसानों का पैसा अदा करे या फिर मिल वालों से प्रामिसरी नोट जारी करवाने का प्राविधान करे ।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

माननीय उपाध्यक्ष जी, दुख तो इस बात का है कि आज किसानों की समस्या उस व्यक्ति ने रखी है जो स्वयं किसानों के विरोधी हैं और जिसके नेता सदैव किसानों का विरोध करते रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्वाइंट पर आयें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

माननीय मोहन सिंह जी देवरिया जिले से आते हैं और देवरिया में सबसे ज्यादा गन्ना मिलों द्वारा किसानों का पैसा बकाया रखा है । म उन्हीं के शासन काल की याद दिलाता हूं.. .

श्री उपाध्यक्ष--

आप पिछली बातों पर न जाएं, सुझावों पर आयें । समय ज्यादा नहीं है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

आज गन्ना किसानों की समस्या सरकार के सामने सबसे जटिल रूप में है । किसानों के साथ-साथ मजदूरों की भी समस्या है क्योंकि किसान मजदूर भी हैं और किसान भी है । माननीय मन्त्री जी ने पिछले शुक्रवार को मेरे प्रश्न के जवाब में कहा था कि सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जिन किसानों का पैसा मिलों पर बकाया है उन किसानों से रिकवरी न की जाय । मैं इस हाउस में बताना चाहता हूं कि उनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है । परसों जिलाधिकारी हरदोई से मेरी बात हुई मैंने कहा शासन के ऐसे आदेश हैं तो उनका कहना था कि हमें प्राप्त नहीं हुए हैं । मेरे हरदोई जिले में 1977-78 का किसानों के गन्ने का दो करोड़ रुपया बकाया पड़ा है और इस साल का 40 लाख है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सारे प्रदेश के प्रतिनिधि हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

तो दो करोड़ 40 लाख रुपया किसानों का मिलों पर बकाया है । उन किसानों को महंगा बीज कर्ज लेकर खरीदना पड़ता है इसी तरह खाद और सिंचाई का पैसा, कर्ज लेकर अदा करना होता है तब जाकर गन्ना पैदा होता है । सरकार किसानों को जो ऋण देती है उस पर ब्याज लेती है लेकिन जो पैसा काश्तकारों का बकाया है उस पर ब्याज नहीं दिया जाता । लिहाजा जो किसानों का पैसा बकाया है उस पर ब्याज दिया जाय । माननीय मन्त्री जी आज घोषणा करें कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिन गन्ना काश्तकारों का पैसा मिलों पर बाकी है उस पर शासन या मिल वाले 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देंगे, और उनके रुपये को तुरंत दिलवायें । एक तरफ सरकारी ऋण पर ब्याज लेते हैं तो दूसरी तरफ किसानों के बकाये पर भी ब्याज मिलना चाहिये ।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आदेश आपने दिये हैं उनका कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश दें कि जिन किसानों का पैसा मिलों पर या सरकार पर बाकी है उनकी सारी वसूलयाबी रोक दी जाय ।

श्री राम सागर--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का मिलों पर बकाये के बारे में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, इस गन्ना के बकाया के बारे में मेरे जिले बाराबंकी के किसानों की बड़ी दुर्दशा है । हमारे जिले में दो चीनी मिलें हैं एक तो बुढ़वल और दूसरी बाराबंकी । यह दोनों मिलें हमारे पड़ोस के जिले जो माननीय अम्मार रिजवी साहब का है सीतापुर जिला और दूसरा रायबरेली ये दोनों ही प्रभावशाली हैं, उनसे ग्रसित है । मान्यवर, हमारे बाराबंकी में सीतापुर का गन्ना भेजने के लिए एलाट किया गया था । वहां बाराबंकी का गन्ना न पेर कर सबसे पहले सीतापुर का गन्ना पेरा गया और जो बाराबंकी का गन्ना रायबरेली को जाता था, उसे वहां जाने से रोक दिया गया । इस तरीके से एक तरफ बाराबंकी पर सीतापुर का गन्ना पेरने के लिए जबरदस्ती दबाव डाला गया और इस तरह हमारे यहां के किसानों के गन्ने की पेराई नहीं हो पाई । हमारे यहां ज्यादा गन्ने का क्षेत्र फतेहपुर का है, जहां गन्ना ज्यादा बोया जाता है । वहां मार्च में ओला वृष्टि हुई, जिसमें किसानों का काफी नुकसान हुआ और जो गन्ना बचा, उस गन्ने की पेराई नहीं हो पाई ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या बाराबंकी में गन्ना रह गया है ?

श्री रामसागर--

जी हां, वहां गन्ना खड़ा रह गया है, पेराई नहीं हो पाई है । जो गन्ना पेरा भी गया उसका उनको भुगतान नहीं हो पाया है । इससे वहां के किसानों की बड़ी दुर्दशा है । हमारा जिला सूखा और ओलावृष्टि से भी पीड़ित है और जिनका गन्ना बकाया रह गया है, उनके सामने जीविका की समस्या है । सरकार की बार-बार की घोषणाओं के बावजूद कि जिनके गन्ने का दाम का बकाया है, कोई वसूली नहीं की जाएगी, उनके साथ वसूली के लिए उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है । इसलिए जो गन्ना काश्तकार हैं उनका बकाया अविलम्ब दिलाया जाए और उन पर जो सरकारी वसूलियां हैं, उनकी वसूली में नरमी बरती जाए । इसके अलावा उनको अपने गन्ने का उचित मूल्य, लागत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है । यह मूल्य उनकी लागत को देखते हुए मिलना चाहिये ।

श्री ध्रुपराय--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने की समस्या इस प्रदेश की नहीं पूरे भारत की और विश्व की आज समस्या है । और किसी देश की अर्थव्यवस्था में इसकी अर्थव्यवस्था का सर्वोपरि स्थान है । चीनी उद्योग और गन्ना हमारे जनजीवन में छाया हुआ है । हमारा गरीब किसान और मजदूर जो गांव में है उनकी अर्थव्यवस्था

[श्री ध्रुव राय--]

इस गन्ने पर निर्भर करती है। इस गन्ने का एक चक्र चलता रहा है और चल रहा है। इस साल एक पीरिएड आफ क्राइसेस रहा। यह पीरिएड आफ क्राइसेस सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं था, बल्कि सारे विश्व में था, पूरे देश में था। इस बार इतना चीनी का उत्पादन हुआ है, इतना गन्ना हुआ है कि सारे विश्व में एक पीरिएड आफ क्राइसेस चल रहा है। सन् 1979 में 125 मीलिएन टन गन्ने का उत्पादन हुआ, 1980 में यह 150 मीलियन टन हुआ और इस साल 180 मीलियन टन हुआ।

चीनी का उत्पादन 39 लाख मीलियन टन हुआ, उसके बाद 52 लाख मीलियन टन हुआ और इस साल 85 लाख टन हुआ है। उत्तर प्रदेश में 20 लाख टन से ऊपर चीनी हुई है। मैं इसका सरकार पर दोष नहीं दे सकता हूं, क्योंकि सरकार ने तो बहुत सुगमता से काम किया है, उसने अच्छा काम किया और अच्छा दाम दिया है। गन्ने के पेराई की कैपिसिटी बराबर थी, वह बढ़ी नहीं है, इसलिए लोगों को शिकायत हो गई है। इसीलिए हमारे क्षेत्र सेवरही में बहुत सा गन्ना बाकी रह गया। लेकिन फिर भी सरकार ने जो काम किया उसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूं। वहां पर जो गन्ना पेरने में ढिलाई बरती गई, उसके लिए उसने जो सख्ती की है, इसके लिए मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को आज भी बधाई देता हूं। और वहां की जनता में एक उत्साह की लहर दौड़ी कि सरकार ने यह कदम उठाया और इस पीरियड आफ क्राइसेस में जो सरकार ने योग्यता निभायी, वह सराहनीय है। हम हर मौके पर सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं लेकिन पर्चियों के बारे में मैं अवश्य यह कहना चाहता हूं कि 14 अप्रैल के बाद की जो गरीब किसानों की पर्चियां थीं उनका पेमेन्ट नहीं हुआ है। हमारे सिसवा मिल में भी बाकी पड़ा हुआ है। जब तक उन गरीब किसानों की पर्चियों का पेमेन्ट नहीं होगा तब तक उनकी दिक्कत बराबर चलती रहेगी।

आज चीनी की स्थिति भी बड़ी बदतर है, चीनी इतना ज्यादा पैदा हुई है कि वह उठाई नहीं जा रही है। उसका दाम 550 रुपये प्रति क्विन्टल से घट कर 474 रुपये प्रति क्विन्टल चला आया है। जब तक पर्चियों का भुगतान नहीं होता है तब तक किसानों के मन में संदेह बना रहता है। मेरी प्रार्थना है कि आप बैंकों को आदेश दीजिए कि वे रुपया एडवान्स कर दें। उनकी समस्या के निदान का यही एक तरीका है अन्यथा ये गरीब लोग अपनी पर्चियों को व्यापारियों को बेच देंगे जो उनसे काफी सूद वसूल करते हैं। बैंक मामूली सा सूद लेकर उनको पेमेन्ट कर दें।

अन्त में, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।

श्री श्याम नरायन तिवारी--

मान्यवर, गन्ने का प्रश्न हमारे राज्य में हमेशा राजनीतिक प्रश्न बनता रहा है और इस वर्ष तो गन्ने के मूल्य के बकाया के प्रश्न को लेकर किसानों में भयंकर असंतोष है। आंकड़े आप जैसे भी प्रस्तुत करें, वर्ष 1977-78 में जो गन्ने की बकाया का प्रतिशत था वह 20 प्रतिशत था लेकिन इस वर्ष का 15 प्रतिशत और कम है। आपका यह कहना है कि इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन हुआ है, पेरायी भी अगस्त के महीने तक हुई है, ये सारी बातें सही हैं लेकिन जो किसानों का बकाया है उसे ध्यान में रखते हुए स्पष्ट है कि यह प्रश्न बड़ा गम्भीर प्रश्न है और सबसे खतरनाक बात तो यह होगी कि इस प्रश्न को लेकर निजी क्षेत्र की चीनी

मिलों के सामाजिक राजनीतिक विचार के लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र पर हमला करने का अवसर प्राप्त होगा इसलिये इस बात से सरकार को सतर्क रहना चाहिये और गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान तुरन्त कराना चाहिये ।

मेरी यह भी सरकार से प्रार्थना है कि इस वर्ष किसानों को जो गन्ने का दाम मिला उसको ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष इससे कम नहीं होना चाहिये वर्ना इस प्रदेश का किसान कभी भी क्षमा नहीं करेगा । यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर अराजकतत्वों को अराजकता पैदा करने का मौका मिलेगा और इस प्रश्न को उठाकर सार्वजनिक क्षेत्र पर तथा मान्य नीतियों पर हमला करने का हथियार मिलेगा । इसलिये मेरा सुझाव है कि गन्ने के बकाया का तुरन्त भुगतान कराया जाय ।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस्ती जिले में 5 चीनी मिलें हैं, उनमें से तीन चीनी मिलें मेरे क्षेत्र में हैं । इस साल सूखे के कारण फसल तो लगाई ही नहीं गयी और खरीफ की फसल बिल्कुल नष्ट हो गयी, वहां के किसानों को एक ही आशा थी कि उन्हें गन्ने का बकाया मूल्य मिल जायगा और वे उस पैसे से अपना काम चलायेंगे । कल माननीय मुख्य मन्त्री जी और राजस्व मन्त्री जी ने कहा कि बस्ती जिला सूखे से प्रभावित है । तो हमारे यहां किसानों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है और न ही उनके पास पैसा ही है कि वह मोल लेकर खा सकें । वहां पर फसल तो पूरी 75 फीसदी से ज्यादा खत्म ही है, हम तो दौरा करके देखकर आ रहे हैं, वहां पर वसूली भी अभी चल रही है, अगर किसान उस वसूली को न दें, तो कहीं कुर्की और गिरफ्तारी की धमकी उन पर चलती है । वहां पर अभी भी बाकी गन्ना खेतों में खड़ा है, मिल वाले ले नहीं पाये ।

मैं आपसे यह आग्रह करूंगी कि यहां एक सुझाव आया सूद के बारे में । लेकिन मुझे सूद के बारे में कहना यह है कि यह सूद देने का आदेश अगर आ गया, तो भुगतान जल्दी हो जायगा । लेकिन सूद देना मिल वाले नहीं पसन्द करेंगे, किसान सूद वाली प्रथा को पसन्द करते हैं । मेरा सुझाव है कि अगर सूद की प्रथा हो जायगी तो किसानों के बकाय का भुगतान जल्दी हो जायगा । गन्ने का दाम इस वर्ष का पूरा का पूरा करीब-करीब बाकी है । मेरे क्षेत्र में एक सरकारी मिल है, वहां पर पिछले साल का भी बकाया है । इसलिए मैं यह कह रही हूं कि किसान का जितना भी रुपया बकाया है, वह तुरन्त दिला दिया जाय । हमारे बस्ती जिले के किसानों की एक ही आशा है, अगर कुछ कपड़ा उन्हें खरीदना है, कुछ सीमेंट खरीदना है या न्योता देना है, तो उसके लिए यही भुगतान वाला पैसा ही एकमात्र उनके पास उपाय है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करना चाहती हूं कि जल्द से जल्द वहां के किसानों का भुगतान करा दें ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी को बड़ी नम्रता से एकाध सुझाव देना चाहता हूं । माननीय मन्त्री जी को चाहिये कि जिन-जिन लोगों का गन्ने का बकाया, काश्तकारों का है, तो उसके भुगतान का आदेश कर दें और किसानों को

[श्री सत्यपाल सिंह--]

ऊपर अगर सरकारी देय है, तो उनकी गिरफ्तारी या कुर्की वगैरह न की जाय, उनका किसी किस्म का उत्पीड़न नहीं होना चाहिये। जब से माननीय मन्त्री जी ने इस गन्ने विभाग का चार्ज सम्भाला है, इस गन्ने विभाग का भंडाफोड़ ही हो गया है। राम राज्य तो जनता पार्टी के जमाने में भी नहीं था और आज भी नहीं है। लेकिन इस गन्ना विभाग में जब से माननीय मन्त्री जी आप आये हैं, कम से कम जनप्रतिनिधियों की बात सुनना ही आपने पाप समझ लिया है। आपके कार्य-काल में सबसे बड़ा आपके ऊपर आरोप यह है कि बिरादरीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है।

शाहजहांपुर में गन्ना शोध परिषद् जो हिन्दुस्तान की मानी हुई गन्ना की शोध संस्था है, इसके डायरेक्टर डा० एच० एन० सिंह, जो एडहाक बेसिस पर 5 साल से नियुक्त हैं, उनकी नियुक्ति के लिए ऐडवर्टीजमेंट अखबार में हुआ, लेकिन चयन नहीं कराया गया। शोध परिषद् के सारे वैज्ञानिकों को इधर-उधर स्थानांतरित करके शोध के कार्य को ही अवरुद्ध कर दिया है, लेकिन माननीय मन्त्री जी ने अपने प्रभाव से इन्हें नहीं हटाया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, दूसरी बात यह कहना चाहता हूं हमारे जिले की चीनी मिलें खड़ी हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप गन्ने के दाम पर बोल रहे हैं या गन्ना मन्त्री जी पर बोल रहे हैं।

श्री सत्यपाल सिंह--

मैं गन्ने पर बोल रहा हूं। मान्यवर, हमारे यहां तिलहर चीनी मिल है उसमें चीफ एकाउन्टेन्ट हैं इकबाल, उनका स्थानान्तरण हो गया है डेढ़ महीना हो गया लेकिन वह वहां हैं और कहते हैं कि गन्ना मन्त्री जी हमारे रिश्तेदार हैं हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस मिल का 16 लाख सिक्योरिटी का पैसा लैप्स हो चुका है। माननीय उपाध्यक्ष, फर्रुखाबाद की चीनी मिले जिनमें शाहजहांपुर का गन्ना जाता है उन मिलों ने एक भी पैसा किसानों का भुगतान नहीं किया है। हरदोई की चीनी मिल बन्द पड़ी है। नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने बड़ी तारीफ की, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हरदोई की मिल बन्द होने के कारण तिलहर मिल पर अधिक भार पड़ा और पेराई नहीं हो पाया।

मान्यवर, गन्ना मन्त्री जी को गन्ने का ज्ञान नहीं है यह गन्ने की किस्म को पहचान नहीं सकते हैं गन्ना इन्होंने देखा जरूर होगा लेकिन इनको कोई जानकारी नहीं है। इनके क्षेत्र में गन्ना होता भी नहीं है और न ही इनको कोई गन्ने का तजुर्बा है। ऐसे मन्त्री के हाथ में गन्ने का भार सौंप कर प्रदेश की जनता के भाग्य को अधर में डाल दिया गया है। मान्यवर, कुछ ऐसे मन्त्री हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो खानापूरी के लिये कार बंगला लिये बैठे हैं। उन्हीं में से माननीय मन्त्री जी हैं। मान्यवर, यह गन्ना मन्त्री जी इस प्रदेश के लिए कलंक हैं। इनके रहते हुए गन्ने का विकास नहीं हो सकता है इसकी कोई प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस गन्ना विभाग को माननीय मुख्य मन्त्री जी देखें क्योंकि इनके जमाने में गन्ने का सारा काम ठप्प है।

[2 बजकर 38 मिनट]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे गन्ने के सम्बन्ध में बोलने का शुभ अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जहां तक गन्ने का सवाल है हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश, मैं देश की बात नहीं कहना चाहता, प्रदेश और प्रदेश में देवरिया की बात कहना चाहता हूं जहां चीनी की 13 मिलें हैं। मान्यवर, यह सही है कि 83 प्रतिशत किसान गन्ने पर आधारित हैं। उनकी मुख्य जीविका निर्वाह करने का साधन गन्ना है। इस साल हम लोग क्षेत्र में सोच रहे थे कि इस हालात का मुकाबला कैसे किया जायेगा किसानों का गन्ना कैसे गिरेगा ? ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आयीं कुछ समय तो माननीय सदस्य लोगों ने हड़ताल कराकर नष्ट कर दिया और कुछ समय ट्रक एसोसियेशन ने गुजार दिया। हम लोग दिन रात चिल्ला रहे थे कि गन्ने का समाधान कैसे होगा ?

मान्यवर, हमारे उस समय के माननीय मुख्य मन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, वह जहां भी रहे जिस हालात में रहें भगवान उनको खुश रखें। उन्होंने बड़े धैर्य के साथ आश्वासन दिया था और गन्ना सचिव के माध्यम से हमारे देवरिया जिले को सुधारने का प्रयत्न किया और गन्ना फैक्टरियों में गिरा लेकिन जिस फैक्टरी ने शरारत की उसको सरकार ने अधिग्रहण भी किया, किन्तु फिर भी गन्ना किसानों के खेत में रह गया।

मान्यवर, अब गन्ने के मूल्य के भुगतान का सवाल है तो चाहे 75 करोड़ या 10 करोड़ ही बाकी हो, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं किन्तु इतना कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों की स्थिति ठीक नहीं है और मुख्य मंत्री जी ने एलान किया है कि किसानों का उत्पीड़न नहीं किया जायेगा लेकिन किसानों का उत्पीड़न हो रहा है और जिले के परगनाधिकारी कहते हैं कि हमारे पास कोई शासनादेश नहीं आया है। दो दिन हुए मैं अपने यहां गया था तो जिन किसानों पर लगान या अन्य रुपया बाकी है उनको कठघरे में भरा जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने हमको यहां चुनकर भेजा है वह हमसे बड़ी आशायें रखते हैं और खासकर मैं वहां से चुनकर आया हूं जहां गन्ना किसान और मजदूर रहते हैं। वह कितनी तकलीफ में हैं मैं उनको गन्ना मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप चाहे जिस परिस्थिति में हों उनको गन्ने का मूल्य चाहिए। हम उन्हीं के बल पर यहां आये हैं इसलिए हमारी मांग है कि गन्ना का मूल्य किसानों को भुगतान होना चाहिए।

मान्यवर, पूर्वांचल में श्री रामा शंकर सिंह, डिप्टी केन कमिश्नर गोरखपुर जो हैं वह सारी फैक्टरियों से पैसा लेते हैं और फैक्टरियों में 2-3 अपने खास सी0 डी0 आई0 एम0 रखे हैं जिनके द्वारा पर्चियां बिकवाया है, यह काम उन्होंने रामकोला, पडरौना और कठकुइयां फैक्टरी में किया है जिसके सम्बन्ध में मैंने लिखकर दिया है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। इसलिए मैं गन्ना मंत्री जी से यहां निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट डिप्टी केन कमिश्नर को तत्काल हटाने की कृपा कर और गन्ना किसानों को यथाशीघ्र गन्ने के मूल्य का भुगतान करवायें।

(श्री जयदीप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

आपने कांग्रेस (आई) के ही सदस्य को पुनः बुला लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उनको निर्दलीय समझा, इसलिए बुला लिया । वह बोलें ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मैं बोलना चाहता था लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए समय नहीं दिया इसलिए मैं सदन से वाकआऊट करता हूं ।

(श्री ऊदल सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष—

बनारस की कोई समस्या नहीं है । श्री जयदीप सिंह जी बोलें ।

(व्यवधान)

आप लोग शांत रहें ।

श्री जयदीप सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का समय दिया जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं । श्रीमन्, गन्ने के मूल्य की समस्या इस समय पूरे प्रदेश के सामने है । मान्यवर, गन्ने के सम्बन्ध में इस बार दो बातें हैं । पहली बात यह कि इस बार अधिक उत्पादन गन्ने का हुआ जिसको देखते हुए शासन ने जो नीति निर्धारित की उसमें शक नहीं कि वह नीति अभूतपूर्व थी और उन्होंने अधिक से अधिक गन्ने की पेराई करायी है । जिसके लिए शासन बधाई का पात्र है । परन्तु इसके बाद यह समस्या जो बकाये की है उसने उग्र रूप धारण कर लिया है जिससे समस्या गंभीर हो गयी है । श्रीमन्, विभिन्न वक्ताओं ने गन्ने के मूल्य पर अनेक बातें रखीं । लेकिन सब लोग मौलिक बातें भूल जाते हैं । यह समस्या जो है, कोई सरकार आए, कोई सरकार यहां पर बैठे, शासन कोई भी नीति बना ले लेकिन जब तक चीनी मिलों में इफीशियेंसी कार्यशीलता नहीं लायी जायेगी तब तक यह समस्या बढ़ती ही चली जायेगी ।

मैं प्रदेश भर की इस समस्या को सीमित तो नहीं करना चाहता परन्तु उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि बिलासपुर चीनी फैक्टरी सहकारी क्षेत्र में लगी, मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं । नयी चीनी मिल जब लगती है तो केन्द्र सरकार के नियमानुसार प्रथम वर्ष में उन पर लेवी नहीं लगती और पूरी की पूरी चीनी फ्री सेल वह मिल बेच सकती है । दूसरे साल कुछ कम हो जाती है और पांच साल बाद वह दूसरी मिलों के बराबर लेवी देती है । तो यह जो चीनी मिल है चार वर्ष में साढ़े 4 करोड़ रु0 के घाटे पर गई है इस वर्ष भी फैक्टरी को डेढ़ करोड़ रु0 का घाटा हुआ । क्योंकि इस मिल की रिकवरी पूरे प्रदेश की चीनी मिलों की रिकवरी से कम है। जब कि इस क्षेत्र का गन्ना जो डेढ़ दो सौ कि0 मी0 दूर की मिलों में गया, वहां रिकवरी अच्छी है । जो मिलें गतिशीलता से नहीं चल रही हैं जहां पर भ्रष्टाचार है तो शासन की नीति कितनी ही अच्छी क्यों न हो जब तक उस नीति को कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो चाहे ऐसी मिलें सहकारी

क्षेत्र की मिल हो या सरकारी क्षेत्र की मिल हो अगर उनमें बैठे हुए लोग ठीक से काम नहीं करेंगे तब तक गन्ना की मूल्य की समस्या रहेगी चाहे कोई सरकार क्यों न हो या चाहे कोई मंत्री यहां आसीन हों ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, गन्ना सहकारी चीनी मिलों को जो घाटा है उसकी कटौती एन0 आर0 डी0 के द्वारा उसके अंशधारियों, गन्ना काश्तकारों से की जाती है । चूंकि सहकारी चीनी मिलों में सरकार भी 50 प्रतिशत की अंशधारी है तो मेरा निवेदन है कि यह जो घाटा है इसके 50 प्रतिशत को सरकार को वहन करना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मुझे आशा है कि गन्ना किसानों की जो जो दुर्दशा है उसको दृष्टि में रखते हुए मंत्री जी कोई सुझाव या आश्वासन देंगे । माननीय मंत्री जी ने जो स्टैटिस्टिक्स गन्ने के उत्पादन के सम्बन्ध में दिया है उस पर कोई विवाद नहीं है यह सत्य है कि रिकार्ड उत्पादन हुआ है । लेकिन मान्यवर, यह भी उतना ही सत्य है कि जितनी दुर्दशा इस वर्ष गन्ना किसानों की हुयी है वह भी एक रिकार्ड है । ऐसी दुर्दशा जो मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में किसानों की हो रही है वह इससे पहले कभी नहीं हुई थी । हमारी, जनता पार्टी के शासन ने एक उदाहरण रखा था वह मंत्री भूल जाते हैं ।

हमने 55 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को भुगतान कराये थे और जनता पार्टी की सरकार ने कितने दिनों के अन्दर भुगतान कराया था उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो दिमाग साफ हो जायगा । आज जो स्थिति है वह आपके लिए शर्म और लज्जा की बात है । इस सरकार को एक मिनट यहां रहने का नैतिक अधिकार नहीं है । जिन फैक्टरियों मे रिसीवर बैठे हैं, जो कारपोरेशन की मिलें हैं, कस्टोडियन की हैं अगर उनका भुगतान आप नहीं करा सके हैं तो प्राइवेट मिलों से किस मुंह से कहेंगे कि भुगतान कर दो । जो शुगर मिल लाबी है वह बहुत सशक्त है उनसे बात करने की इनकी हिम्मत और हैसियत नहीं रह गई है । 78 में जनता पार्टी की सरकार ने एक बिल पास किया था कि जिन मिलों का बकाया रहेगा उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा । तो क्या इंटरेस्ट दिलाने का आश्वासन मंत्री जी देंगे ? क्या सरकार ने जो सर्कुलर भेजा था कि जिनके पास पर्चियां होंगी और अगर उनके ऊपर सरकारी देय होगा तो उसकी वसूली उनसे नहीं की जायेगी और इसका पालन आप स्वयं नहीं कर रहे हैं तो यह नीति को ठीक नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान बाध्य होकर कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री चेतराम गंगवार—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं केवल दो अल्फाज कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मान्यवर, हमारे जिले बरेली में एक शेरवानी शुगर फैक्टरी है, जो केवल 15 फरवरी तक का ही पेमेंट कर रही है जबकि हम लोगों ने 3 जनवरी से गन्ना देना शुरू किया था और वह फैक्ट्री जून तक चालू रही इसलिए मान्यवर, आपसे आग्रह करूंगा कि जैसा कि अन्य मिलों में वक्त से पेमेंट हो रहे हैं तो क्या शेरवानी शुगर फैक्ट्री को भी कोई आदेश भुगतान के लिए देंगे और उस मिल को अधिग्रहण करने की कार्यवाही करेंगे। जैसा कि आपके सरकारी आंकड़े हैं कि कहीं 40 प्रतिशत और इससे ज्यादा भी पेमेंट हो गये हैं। तो यह सब सरकारी आंकड़ों के जाल हैं, इससे काम नहीं चलेगा आप एक समाजवादी व्यक्ति हैं। जैसा कि सत्यपाल जी ने आप पर आरोप लगाया कि आपके समय में इस ओर कोई कार्य नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है आपके समय में दो वर्षों में काफी प्रगति इस ओर हुई है। आपने किसानों को उसके गन्ने का मूल्य अच्छा दिया है, लेकिन यह केवल अखबारों में सूचना दे दी गई है, पेमेंट उस रेट के अभी तक नहीं हुए हैं। इसलिए मान्यवर, गन्ने के मूल्य का भुगतान अविलम्ब कराने के आदेश जारी करें, तभी भविष्य में होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं।

*श्री मोहन सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से यह लगा कि यह सरकार गन्ना मूल्य दिलाने में पहले से ही गम्भीर है। माननीय मंत्री जी ने दो बातें कहीं कि यदि केन्द्र सरकार बफर स्टाक बना दे और चीनी के निर्यात की व्यवस्था करा दे और इस प्रकार यदि चीनी खपत हो जाय तो गन्ना मूल्य दिला दें। केन्द्र सरकार ने कहा कि डोमेस्टिक कंजम्पशन लगभग 30 लाख टन होने के बावजूद भी इतनी-इतनी चीनी बच जायेगी और 5 लाख टन चीनी के बफर स्टाक की बात कही।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि केन्द्र के सम्बन्धित विभाग के मन्त्री माननीय राव वीरेन्द्र जी ने कहा कि हम बफर स्टाक के कायम करने के फेवर में नहीं हैं, इसमें ढुलाई खर्च और मेन्टेनेन्स खर्च अधिक हो जायगा, गोदामों में ही रख कर वहीं से निकाल लिया जायेगा। तो वह तो बफर स्टाक विरोधी हैं। और आप कह रहे हैं कि केन्द्र यदि 5 लाख टन चीनी के बफर स्टाक की व्यवस्था और चीनी की खपत की व्यवथा कर दे तो आप भुगतान करा पायेंगे।

दूसरे आपने अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट को भी अपनी लापरवाही से खो दिया और वह आपके हाथ से निकल गया और उसके लिए फिर आपने कोई प्रयास भी नहीं किया। इसलिए इस ओर मेरा सुझाव है कि आपने संसाधनों से चीनी मिलों पर जो गन्ने के मूल्य किसानों के बाकी हैं, उनका भुगतान अविलम्ब कराने के आदेश जारी कर दें, तब हम लोग समझेंगे कि आपकी सरकार वास्तव में गन्ना मूल्य दिलवाने में गम्भीर है। दूसरे जो आज रिजर्व बैंक हमारी चीनी मिलों से 22 प्रतिशत का सूद लेती है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि यह प्रतिशत कम है।

तीसरी बात सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि अभी बात आयी कि जो गन्ना काश्तकार हैं, उनके बकाये के ऊपर 15 प्रतिशत 16 प्रतिशत जैसा बैंक रेट होता है, उसके हिसाब से सूद देने का प्राविधान है। यहां देखा यह है कि स्टाक के हिसाब से सूद दिया जाय और उसे विकास कार्यक्रमों पर ही खर्च कर दिया जाय, फिर से आदेश हो गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस तरह का कोई भी आदेश यदि किया हो शासन स्तर से, रजिस्ट्रार स्तर से तो उसे निरस्त कर देना चाहिए। यूनियन्स के माध्यम से नहीं बल्कि जिस काश्तकार का जितना बकाया है, जो भी सूद फैक्ट्री से मिलता है, उसे दिया जाना चाहिए। उसी में प्राविधान है कि यदि कोई फैक्ट्री चाहे डायरेक्टर को मिला कर जो यूनियन के सूद का पैसा होता है उसको माफ भी कराने का प्राविधान है। यदि नोटिस आ जाय तो फिर से सरकार, आयुक्त या सचिव अपनी तरफ से इजाजत देने के हकदार हैं कि जो सूद है किसानों का मिलों के ऊपर, उस पर छूट दे दें, यदि यूनियन या डायरेक्टर इस प्रकार का समझौता करना चाहते हों। यह निश्चित तौर पर कर दिया जाना चाहिए कि गन्ना काश्तकार के बकाये के सूद का न यूनियन को, न आयुक्त को, न प्रशासन को अधिकार नहीं होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने आकस्मिकता निधि से, जो उत्तर प्रदेश के पब्लिक सेक्टर की चीनी मिलें हैं, उन पर रुपया जो बकाया है, उसके भुगतान की तत्काल व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, तमाम तरह माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के सुझाव, आरोप और प्रत्यारोप दिये, जो जनहित में महत्वपूर्ण सुझाव हैं शासन उन पर हमेशा गम्भीरता-पूर्वक गौर करता रहा है, करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि बात तक ही सीमित हो, शासन की कथनी और करनी में एक रूपता है। जो कहा है उसे अमल में लायेंगे। कोताही या धोखा धड़ी की बात नहीं है। किसी की नीयत पर सन्देह करना मुनासिब नहीं है।

बैंक क्रेडिट लिमिट के बारे में आपने जिक्र किया कि विभाग ने अवधानी की, ऐसा नहीं है, विभाग ने समय से भारत सरकार को लिखा था। उसी के परिणामस्वरूप जून-जुलाई में 78 करोड़ रुपया, जो किसानों का बकाया था गन्ने का, उसका पेमेन्ट किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय जेतली ने जो बात कही थी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि गन्ने की पुर्जियां हैं, सरकार उनको लेकर प्रोमिजरी नोट के रूप में उसकी अदायगी कर दे।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूं।

श्री मोहन सिंह—

मैंने यह कहा था कि अप्रैल महीने में ही रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की क्रेडिट लिमिट खतम हो गयी थी, जून के अन्त में जा कर इसकी व्यवस्था हो सकी 2 महीने का गैप हो गया।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

विभाग ने समय से भारत सरकार को लिखा पर कुछ दिक्कतों की वजह से भारत सरकार की ओर से विलम्ब हो गया। इसमें विभाग ने किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की।

[कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—]

आपने लेवी चीनी के रेट के बारे में कहा। लेवी चीनी के रेट के बारे में भी भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने एक फार्मूला निश्चित किया है, उसी के अनुसार ही लेवी चीनी का दाम निर्धारित होगा। महाराष्ट्र के पक्ष और उत्तर प्रदेश के विरोध या विपक्ष की कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने समय से लिखा-पढ़ी की और पूरे सदप्रयास किये।

सरकारी चीनी मिलों पर अधिक बकाये के बारे में कहा गया। यह स्वाभाविक है क्योंकि हरदोई और सेवरही चीनी मिलों को इसी लिए लेना पड़ा क्योंकि उन मिलों पर किसानों का बहुत अधिक बकाया था। जब उन मिलों को हम ले लेंगे तो उनकी देनदारी की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आयेगी।

किन-किन मिलों पर कितन-कितना बकाया है वह सूचना मैं दे रहा हूं। निजी क्षेत्र में 39 मिलें हैं, 270 करोड़ देय था जिसमें से 237 करोड़ के करीब भुगतान हो चुका है और 32·92 करोड़ बकाया है। राज्य चीनी निगम की 18 मिलें हैं, 63 करोड़ देय था, 52 करोड़ का भुगतान हो चुका है, करीब 10 करोड़ शेष रह गया है। अधिकृत नियन्त्रक वाली 1 चीनी मिल है, 3·45 करोड़ देय था, 2·79 करोड़ का भुगतान हो चुका है, 66 लाख बाकी है। शासकीय आढ़ाता वाली 10 मिलें हैं, इन पर 31·29 करोड़ देय था, 22·08 करोड़ दिया जा चुका है, 9·21 करोड़ बाकी है देना। सहकारी मिलें 18 हैं, 81·34 करोड़ देय था, 66·53 करोड़ का भुगतान हो चुका है, 14·81 करोड़ शेष है। कस्टोडियन की मिलें 5 हैं, इन पर 19·03 करोड़ देय था, 15·20 करोड़ का भुगतान हो चुका है, 3·83 करोड़ शेष रह गया है। यह बात जो कही गयी कि 90 प्रतिशत पैसा बाकी है यह सही नहीं है।

ब्याज का दर के बारे में कहा गया, वह मामला विवादास्पद है। शासन इसके लिये प्रयत्नशील है। प्राइवेट मिलों का यह कहना है कि जो हमारा न्यूनतम मूल्य था उसके हिसाब से जो धनराशि आये उस पर ब्याज देय हो, जो दूसरा मूल्य है उस पर वे नहीं देना चाहते। इस पर शासन विचार कर रहा है।

भाड़े के बारे में कहा गया। पिछले दिनों एक मामला हाई कोर्ट में चला गया जिसमें यह कहा गया कि 32 पैसा भाड़ा कम है। यह सन् 1960 के पहले का है। शासन इस पर भी पुनः विचार कर रहा है। अभी भारत सरकार फैसला नहीं ले पायी है। जो आजकल भाड़े का खर्चा आता है यह 1·25 रुपये के करीब आता है। तो इसमें हाई कोर्ट की समस्या हमारे बीच आ गयी है।

गन्ना शोध परिषद् के बारे में एक आरोप लगाया गया। मैं व्यक्तिगत आरोपों की चर्चा का जवाब नहीं देना चाहता। पर इनके बारे में लोक सेवा आयोग से कहा गया था, उसके द्वारा चयन के लिए उम्मीदवारों को बुलाया गया, पर जो उम्मीदवार आये उनमें कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं मिला। इसके लिये अब आगे कोई तारीख निश्चित की जायेगी।

गन्ने की पर्चों के बारे में कहा गया और यह कहा गया कि जिन किसानों का पैसा बाकी है, जिनके पास पर्चियां हैं और जिनको सरकारी पैसा देना है, तो उस सरकारी देयों में उसे एडजस्ट कर दिया जाये पर पर्चियां लेने में दिक्कत

अ यी तमाम सारी पर्चियां लेंगे तो उसमें जाली पर्चियां भी आनी शुरू हो जायेंगी तो विकट समस्या जाली पर्चियों से फैल जायेगी और विचाराधीन स्थिति में हमारे सामने दिक्कत आ जायेगी ।

श्री चेतराम गंगवार--

जाली पर्चियां कहां से आ जायेंगीं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

तमाम सारी जाली पर्चियां सामने आयी हैं। तमाम सारे बैंकों से जाली हस्ताक्षर से पैसा निकल गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

डबल पर्चियां होती हैं तो उसमें जाली होने का प्रश्न कैसे उठता है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

बफरस्टाक के बारे में अभी मोहन सिंह जी ने तथा और कई सदस्यों ने कहा । तो बफरस्टाक के बारे में भारत सरकार ने 5 लाख मेट्रिक टन करने का फैसला किया है और उसके संबंध में कार्यवाही हो रही है । चार लाख मेट्रिक टन विदेश को निर्यात होनी है उसके बारे में भी कार्यवाही हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या जिलाधिकारियों को शासन ने कोई आदेश भेजे हैं वसूली रोकने के के लिए ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जरूर इस तरह से अगर कहीं कार्यवाही नहीं हो रही है तो शासन उसको आदेश देगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, मैं कह रहा हूं कि शासन ने क्या इस तरह के आदेश किये हैं ? यद्यपि जिलाधिकारी कहते हैं कि उनको कोई आदेश नहीं मिला है ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

यह मैं नहीं कह सकता कि उनको क्यों नहीं मिला है लेकिन शासन की ओर से इसके लिए व्यवस्था की गयी थी । कुछ सदस्यों ने व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं ।

श्री केदारनाथ सिंह--

मान्यवर, मिल मालिकों पर साढ़े चार लाख रुपया बाकी है । मैंने कई बार इनको लिखा अभी 15 दिन पहले व्यक्तिगत रूप से मिलकर आप से कहा और आपके सेक्रेटरी से कहा, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

बराबर प्रभावकारी कार्यवाही की है और भविष्य में भी जो बात आयेगी तो की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, यदि जाली पर्ची के केस प्रदेश भर में आये हैं तो माननीय मन्त्री जी से मैं चाहूंगा कि वे इस सदन में उनका उल्लेख करें। बराबर लेजर में इन्ट्री होती है और उससे पेमेन्ट होता है जाली पर्ची कहां आ जायेंगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

तमाम जाली पर्चियां पकड़ी गयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, अब आपका समय समाप्त हो गया है अब मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा, आप बिराजें।

[3 बज कर 14 मिनट]

प्रदेश में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष--

अब आईटम नम्बर 12 कि प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ तथा उसका सामना करने हेतु शासकीय प्रयासों की विफलता के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर डेढ़ घन्टे की चर्चा होगी इस समय सवा तीन हो रहे हैं। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, आप अपनी चर्चा प्रारम्भ करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके पहले कि मैं इस विषय पर अपनी बात प्रारम्भ करूं एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बाढ़ की समस्या पर जब चर्चा होती है तो मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। हर साल बाढ़ आया करती है। उसके बाद सरकार की तरफ से राजस्व विभाग द्वारा जो राहत का कार्य प्रारम्भ होता है वह उसका पहला हिस्सा है। बाढ़ क्यों आती है, उसे रोका जाय, उसको स्थायी रूप से रोकने का कोई प्रबन्ध किया जाय, यह सब विशेष रूप से सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है। आप व्यवस्था दे देंगे कि ज्वायंट रिस्पांसिबिलिटी है और कोई भी मन्त्री बैठा हो तो काम चल सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के समय सिंचाई मन्त्री का यहां होना अत्यन्त ही आवश्यक है। खैर, अच्छा हुआ कि सिंचाई मन्त्री जी आ गये। लेकिन अब वे लाबी में चले गये। उनको आप आदेश दें कि वहां बैठ कर हम लोगों को सुनें। लाबी भी सदन का एक अंग है लेकिन मैं कानून की बात न कह कर औचित्य की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

हो सकता है किसी जरूरत को रफा करने गये हों और अब आ रहे हों।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो हमारे इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस समय इस प्रदेश की ऐसी भयावह स्थिति हो गई है कि कहीं तो अनावृष्टि की वजह से सूखा पड़ा है और कहीं लम्बी बारिश की वजह से पूर्वी अंचल की नदियों से बाढ़ की विभीषिका उत्पन्न हो गई है। मुख्य रूप से गंगा, यमुना, घाघरा, टोंस आदि नदियां कहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहीं तो खतरे के बिन्दु को पार कर गई है और कहीं कहीं खतरे के बिन्दु को स्पर्श कर रही है। जैसे वाराणसी इलाहाबाद ऐसे शहर हैं जिनके निचले हिस्से में बाढ़ का पानी आ जाने से बड़ी परेशानी होती है। इस पृष्ठ भूमि में बाढ़ पर नियंत्रण के लिए कि शासन का क्या प्रयास हो, इस पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। कुछ भागों में बाढ़ का कारण यह होता है कि नदी के किनारे साफ नहीं होते, वहां झाड़ झंखड़ पड़े रहते हैं या नदी का पेटा उथला होता है जिससे पानी उफन कर किनारे को काट कर बह निकलता है। बहुत सी जगह बांध टूटे होते हैं जिनकी मरम्मत न होने से पानी रिसने लगता है और उसे तोड़ देता है। इसलिए बाढ़ की विभीषिका को सरकार की तरफ से नियमित किया जाना चाहिए। अगर इस दृष्टि से देखा जाय तो शासन इसमें बिलकुल असफल रहा है। हर साल जब बजट पर चर्चा होती है तो उसमें बाढ़ नियंत्रण के नाम पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च करने की बात कही जाती है लेकिन उसके बाद उसे भुला दिया जाता है। मुझे याद है कि इसी लखनऊ में बांध बनाने की एक लम्बी योजना प्रारम्भ होने की बात थी। अपने सीतापुर जनपद की बात मैं बताऊं कि हर साल वह बाढ़ से प्रभावित होता है लेकिन बाढ़ नियंत्रण के लिए आज तक कोई योजना नहीं बनी। सर्वे हो गया था, योजना बन गई थी पैसा भी सैंक्शन हो चुका था लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उसे निरस्त कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया ? यह इसलिए किया गया क्योंकि सीतापुर से सत्तारूढ़ दल का कोई विधायक नहीं है। जब वहां की जनता ने सरकार के नीतियों के कारण कांग्रेस दल को अपना मत नहीं दिया इसलिए सीतापुर फ्लड कंट्रोल योजना को ही निरस्त कर दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

गुप्त जी, सीतापुर को तो दो-दो मिनिस्टर मिले हुए हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह भी दुर्भाग्य की बात है कि 2-2 मन्त्री मिले हैं, मेरे बड़े भाई के समान हैं लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि पिछली 28 फरवरी को एक आदेश सिंचाई विभाग से निर्गत हुआ है कि सीतापुर जिले में नलकूप के सभी नये काम रोक दिये जायें और उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारे एक मन्त्री जी करते हैं उसको विशेष रूप से 30 नलकूप स्वीकृत कर दिये गये आपने टोक दिया इसलिये मैंने अपने मन की पीड़ी कह दी वरना मैं कहना नहीं चाहता था। मैं मन्त्री जी का सम्मान करता हूं लेकिन अगर सत्ता में रहकर शासन के स्रोतों का आवश्यकता के विपरीत किसी व्यक्ति विशेष के क्षेत्र के लिए इस्तेमाल कर लिया जाय तो यह ठीक नहीं है।

सीतापुर की जो फ्लड कन्ट्रोल की स्कीम थी, इन्हीं माननीय मन्त्री जी ने घोषणा की थी और आल इन्डिया रेडियो और अखबारों में भी प्रचार हुआ था कि 4 करोड़ की वह योजना स्वीकृत हो गई है। लेकिन अब मुझे पता लगा है कि वह योजना खटाई में पड़ गई है। जिन नदियों की सफाई वगैरह समय पर हो जानी चाहिए थी, वह नहीं हुई और इस प्रकार बाढ़ की विभीषिका जो रोकी जा सकती थी, उसमें सरकार पूरी तरह असफल हुई है। वाराणसी में निचले इलाकों में पानी बढ़ रहा है और वहां पर सरकार की ओर से किये गये प्रयास बिल्कुल विफल हुए हैं। वहां जब जिला प्रशासन को सूचना दी गई कि कुछ लोग बाढ़ में घिर गये हैं तो उनको बचाने की भी व्यवस्था नहीं हो पाई। जो लोग नावें किराये पर चलाते हैं उनसे भी प्रोक्योर करने में शासन

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

को विलम्ब हुआ। झांसी की भी जानकारी मिली है कि 300 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, लोग गिरे हुए हैं, लेकिन उन लोगों को निकालने का प्रयास नहीं हो रहा है। अब राहत कार्य पर आता हूं।

क्या यह राजस्व विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि वर्षा के पहले वहां के स्टाफ, वहां की चौकियों आदि की व्यवस्था ठीक कर ली जाय ? अगर जिम्मेदारी है तो वाराणसी और झांसी से इस तरह की सूचना मिलने पर कि वहां लोग बाढ़ में घिर गये हैं, क्या कारण है कि उनको निकालने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई ?

श्री उपाध्यक्ष--

सीतापुर की बाढ़ कौन सी नदी से आई है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सराय नदी से। राहत कार्य में जो कोताही हो रही है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। 9 लोग डूब गये, डूबने के बाद रस्से की जरूरत पड़ी उनको निकालने के लिये, लेकिन सीतापुर से लखीमपुर तक आदमी दौड़ाए गए लेकिन रस्से की व्यवस्था नहीं हो पाई। इस सम्बन्ध में हमें पहले से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। लोग फंस गये तो शासन का काम है उनको सहायता पहुंचाना, उनको निकालने और सामान पहुंचाने की व्यवस्था करना। लेकिन पर्याप्त रूप से सहायता का काम नहीं हो रहा है। कल सूखे के सम्बन्ध में मैंने कहा कि जो लोग सूखे से प्रभावित हो गए हैं वहां पर कृषि देयों की वसूली रोक दी जानी चाहिए। कृषि देयों का मतलब बैंक के ऋण से भी है। मन्त्री जी ने कहा कि हम केवल कोआपरेटिव बैंक की बात करते हैं। दूसरी बैंकों के लिये ब्याज की समस्या आयेगी और रिजर्व बैंक के सामने जाना पड़ेगा। तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो ब्याज की हानि बैंक को होगी, उस पैसे का भुगतान आप बैंक को करें, बैंक का नुकसान न हो, इस तरह से रिकवरी रोकने की कोशिश की जाय। अगर बैंकों की रिकवरी न रोकी गयी तो वह प्रताड़ना की कार्यवाही करेंगे। राजस्व विभाग भी चुप हो जाता है यह कह कर कि वह तो बैंक कार्यवाही कर रहा है। राजस्व मन्त्री जी ने कहा जिस समय यह मांग की गयी कि जो लोग इससे प्रभावित हो गये हैं उनके बच्चों की फीस माफ कर दी जाये, कि वह शिक्षा मंत्री जी को लिखेंगे।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या शासन काम का टुकड़ों में चलेगा। जो आसन्न संकट है और उनकी तैयारी पहले से है तो शिक्षा विभाग को स्वतः जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित करना चाहिए था कि जो बाढ़ग्रस्त हो गये हैं उनके बच्चों की फीस माफ कर दी जाये और हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए जो फार्म भरे जा रहे हैं उसमें उनको सुविधा दी जाये। अगर निर्देश नहीं दिए गये हैं तो चिन्ता करने की बात स्वाभाविक है।

मान्यवर, बाढ़ जब खतम होगी तो दवाओं की जरूरत पड़ेगी और मकान गिरेंगे, उनके लिए सीमेंट की जरूरत होगी। मैं माननीय खाद्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि सीमेंट वितरण की प्रणाली जो की गयी है, उसके अनुसार गांव वालों को सस्ती दर पर सीमेंट मिलने की व्यवस्था नहीं है। मैं उनसे मांग करूंगा कि वह इस तरह की व्यवस्था जिलों में करें कि लेवी सीमेंट

का कोटा गांव वालों के लिए निश्चित किया जाये । जिन लोगों के मकान गिर जायेंगे, उनको बनाने की आवश्यकता होगी और इसके लिए सीमेंट की जरूरत उनको होगी । जब सीमेंट उनको नहीं मिलेगी तो मान्यवर हाहाकार मचेगा । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, जो मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है, वह यह है कि जो बाढ़ चौकियां बनायी गयी हैं, उन पर लिंक रखने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, जिससे वहां पर समय से पहुंचा जा सके । इन शब्दों के साथ में इस विषय को प्रस्तुत करता हूं ।

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

मान्यवर, यह दुख एवं दुर्भाग्य की बात है कि इस बार वर्षा हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे ढंग से चली कि पहले तो जब किसान का अनाज खलिहान में था तो ज्यादा वर्षा हो गयी, फिर वर्षा नहीं हुई और सूखे की स्थिति आ गयी । कल विस्तार से इस पर चर्चा हुई है और जब वर्षा हुई तो कुछ जिलों में, लगभग 16 जिलों में, बाढ़ की स्थिति हो गयी । वहां पर, जैसा कि माननीय गुप्त जी ने कहा, पहले से तैयारी रहनी चाहिए थी तो जो तैयारी हर साल की जाती है वह इस साल भी की गयी है । अप्रैल के महीने में सारे जिलाधिकारियों को इस सम्बन्ध में निर्देश दे दिये गये थे कि वह आवश्यक नावों का प्रबन्ध करें, बाढ़ चौकियों का प्रबन्ध करें नालों की सफाई करायें । बाढ़ सहायता कार्य के लिए प्रशिक्षित पी० ए० सी० की 12 कम्पनियां हमारे पास हैं जिनकी सहायता ली जाती है । वे इन सबके बारे में सुनिश्चित कर लें । तो मान्यवर, यह काम हैं, लेकिन मान्यवर, गुप्ता जी ने एक बात कही है कि बाढ़ ज्यादातर पूर्वी अंचलों में इसलिए आती हैं क्योंकि वहां पर जो नदियां हैं वह अधिकतर सिल्टेड हो गयी हैं । यह सही है कि सिल्ट हो गई है । लेकिन उस सिल्ट को निकालना आसान काम नहीं है । गुप्ता जी को याद होगा कि सन् 1971 या 1972 में हरिद्वार से जो कैनाल जाती है उसमें सिल्ट हो गई थी और उसको साफ कराया गया था तो करोड़ों रुपया उसमें लगा था । तो यह आसान काम नहीं है कि नदियों की सफाई की जाय । ड्रेनों को तो साफ किया जा सकता है लेकिन नदियों की सिल्ट निकालना कोई आसान काम नहीं है । जो जिले बाढ़ से प्रभावित हुये हैं उनमें मेरठ, बिजनौर, ललितपुर, हमीरपुर, वाराणसी, बलिया, बस्ती, देवरिया, पिथौरागढ़, झांसी, गढ़वाल, उन्नाव, बहराइच, बाराबंकी तथा गाजीपुर हैं । इन जिलों के गांवों की संख्या 1,062 है और जनसंख्या इन गांवों की 3,14,738 है । क्षेत्रफल जो प्रभावित हुआ है वह 1,44,908 हेक्टेयर है । इसमें कृषि का जो क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है वह 76,527 हेक्टेयर है । इसी तरह से 287 मकानों को क्षति हुई है, 11 मनुष्यों की मृत्यु हुई है और 15 पशुओं की क्षति हुई है ।

नावों के बारे में गुप्ता जी ने कहा । उसका प्रबन्ध हमारे यहां है । मोटर लांच हैं जो कि सरकारी 16 हैं और गैरसरकारी 3 हैं । इसी तरह से मोटर बोट 34 सरकारी हैं और 25 गैरसरकारी हैं । नाव सरकारी 899 हैं गांव सभाओं की 391 हैं और बाकी और लोगों की 8,843 हैं । इसके अलावा जो मल्लाह लोग हैं उनको ऋण देने का प्रबन्ध किया गया है । 4 हजार रुपये तक की वे खुद नाव बनालें और उसके लिये उन्हें 33 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाय । यदि गांव सभायें अपनी नांव रखेंगे तो 60 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाय । इस तरह से नावों का प्रबन्ध किया गया है । अभी ऐसी कोई एलार्मिंग स्थिति नहीं है लेकिन जहां पर पानी घुस गया है उसको तत्परता से

[श्री बैजनाथ कुरील--]

निकाल जा रहा है। माननीय सदस्य ने बांदा का जिक्र किया किन्तु वह झांसी में ऐसा हुआ है। वहां पर प्रशिक्षित पी० ए० सी० की कम्पनी भेज दी गई है।

हमीरपुर ने भी मांग की है वहां भी भेजी जा रही है। लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है और चौकियों तक उनको पहुंचाया जा रहा है। जो बांधों के टूटने और उनकी मजबूती की बात कही गई है वह सिंचाई विभाग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसकी उपेक्षा की जा रही हो। जिनको गांव से निकलना है, वह कार्य तत्परता से किया जा रहा है ऐसा नहीं है कि किसी नेग्लिजेंस से लोग डूबे हों। जो यह 11 मौतें हुई हैं, 9 व्यक्ति तो घरों के गिर जाने से मरे हैं, एक बिजली से मरा है और एक व्यक्ति डूबा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्हें न निकाल पाया गया हो। उसकी व्यवस्था हो रही है। सारा प्रबन्ध पहले से ही किया गया है। कल एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस साल क्यों बाढ़ का इन्तजाम किया जा रहा है जब कि सूखा पड़ा है। लेकिन तैयारी रहनी चाहिए। हर स्थिति से निपटने की तैयारी की जाती है। सरकार उसके लिये सक्षम है और कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आ पायेगी : इन शब्दों के साथ जो सुझाव आपके होंगे, उन पर ध्यान दिया जायेगा और तब मैं जवाब दूंगा।

*श्री माता प्रसाद पान्डेय--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बाढ़ के विषय में बताया। कल ही हमने बस्ती जिले में इसी सदन में सूखे की चर्चा की थी और आज मंत्री जी ने बताया कि बस्ती में बाढ़ भी आई है। हमारे जिले की विषम परिस्थितियां हैं। बाढ़ का बजट प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है लेकिन उसका कोई निदान ढूढ़ने का प्रयास नहीं किया जाता है। बाढ़ के संबन्ध में जो कमेटी जिले में बनी है हमारे यहां उसकी मई में बैठक हुई थी। हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे गांव हैं जो नेपाल से लगे हुए हैं, वहां जरा भी पानी पड़ता है तो हमारे यहां बाढ़ आ जाती है जैसे बढ़ी नदी है बान गंगा है जिसके कारण सैकड़ों गांव डूब जाते हैं। बस्ती जिले में जैसा मंत्री जी ने बताया बाढ़ आई है। मैं तो नहीं जा पाया हूं लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे क्षेत्र के कम से कम 50, 60 गांव बाढ़ से डूब गये होंगे। पिछले सत्र में आपने 33 से 50 परसेंट सबसिडी देने की बात कही थी कहीं पर नाव नहीं खरीदी गयी है। जब आपने बजट में कोई प्राविधान ही नहीं किया है तो वह किस फंड से आयेगी।

यह जो बाढ़ आती है इसमें हमारे डेनेज करने वालों की भी कृपा हो जाती है। राजनीतिक दबाव से किसी गांव को बचाने के लिए बांध बनते हैं लेकिन दूसरे गांव उससे डूब जाते हैं। कोई प्लान्ड वे काम नहीं होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सारे उत्तर के पूर्वी अंचल का सर्वेक्षण करा लें आखिर यह पानी कहां से आता है और कैसे रोका जा सकता है? हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने एक योजना बनाई थी गंगा और गोदावरी को मिलाने की।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री मोरार जी देसाई ने नहीं बनाई थी यह डाक्टर के० एल० राव ने बनाई थी।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

उन्होंने लागू करने का प्रयास किया था ।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

मान्यवर, जब उन्होंने यह योजना बनाई थी तब यह कबड्डी खेलते थे ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

यह मेरे मामा हैं जो चाहे कह दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या मामा भांजा दोनों साथ साथ-साथ कबड्डी खेलते थे ?

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

तो मैं कह रहा था कि यह कोई ऐसी योजना बनायें जिससे बूढ़ी राप्ती और राप्ती का पानी घाघरा में मिल जाय क्योंकि घाघरा बड़ी नदी है उसमें सारा पानी समा जायेगा ।

दूसरी बात जो आपने चौकियां बनाई हैं बाढ़ राहत कार्यों के लिए इसमें होता कुछ नहीं है केवल कागज पर लिख दिया जाता है । बाढ़ग्रस्त जिलों के लिए आप डाक्टर और दवाओं का प्रबंध करते हैं । इसके लिए आप सुनिश्चित कर लें कि बाढ़ आने से पहले वहां यह सामग्री पहुंच जाय । डाक्टरों को बाद में भेजा जाना तो समझ में आता है, लेकिन दवायें तो बाढ़ आने से पहले वहां होनी चाहिये । मेरे क्षेत्र में बस्ती में किसी स्थान पर एक भी दवा नहीं गयी है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा पूर्वांचल का आप सर्वेक्षण कराइये उसके बाद कोई प्लान बनाया जाय जिससे पूर्वांचल की बाढ़ से रक्षा हो सके । तब जाकर वहां के लोगों का भला होगा नहीं तो वह भीख मांगने के लिए तैयार रहते हैं ।

(सिंचाई मंत्री को पुकारे जाने पर)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

यह बोल लें तो बोलें ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले आपने कहा था कि आप इसमें इन्टरवीन करेंगे, इसलिए मौका दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

दो-चार लोग और बोल लें, कुछ सुझाव आ जायं तब मंत्री जी बोलें तो अच्छा रहे ।

श्री उपाध्यक्ष--

सिंचाई मंत्री जी ज्यादा समय नहीं लेंगे । आपने कहा था जब बाढ़ आती है तो बाढ़ से सम्बन्धित समस्यायें सामने आती हैं । लेकिन संयोग से केवल राजस्व मंत्री जी ही बैठे हैं । आप सिंचाई मंत्री को सुनने को बेताब हो रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि वह बोलें । मैंने केवल आपकी इच्छा की पूर्ति की है ।

श्री राम गोविन्द—

यह मेरी सुन लेते, फिर बोलते तो अच्छा रहता...

(व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह—

अभी बाढ़ की चर्चा हो रही थी, यह बहुत जरूरी है, यह चर्चा होनी चाहिये। बाढ़ जब आती है तो अन्य तमाम समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन अभी बाढ़ की कोई समस्या नहीं है, बाढ़ की कोई वैसी बात नहीं है। आज हम सूखे से जितना प्रभावित हैं, किसान जितने दुखी हैं, बाढ़ से वैसी कोई बात नहीं है। विभिन्न नदियों से थोड़ा बहुत जो जल स्तर बढ़ रहा है वह हमारे लिए अभी कोई वैसी बात नहीं है। गंगा नदी गायघाट के पास 1 मिलीमीटर बढ़ी है, जमुना कालपी के पास आधा मिलीमीटर बढ़ी है और केन नदी बांदा के पास 2 मिली मीटर बढ़ी है।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 301 में इसके संबंध में एक प्रश्न आया था कि गंगा नदी की बाढ़ बलिया में बढ़ी है और वहां एक बांध टूट गया है, जिससे बहुत सा इलाका डूब गया है, इसके बारे में भी आप विस्तार से इसमें प्रकाश डाल दें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसी प्रकार घाघरा में केवल एलगिन ब्रिज के पास प्वाइन्ट वन या प्वाइन्ट टू बढ़ी है। यह हालत गंडक या बूढ़ी राप्ती की होती तो बात कुछ समझ में आती। तो अभी ऐसी बड़ी और खतरनाक नदियों में पानी नहीं बढ़ा है और जब नहीं बढ़ता है तो हम कैसे कह दें कि बाढ़ आई है? अभी राजस्व मंत्री जी कह रहे थे कि कितना एरिया पानी से प्रभावित हुआ है। तो प्रभावित होने वाली तो बात दूसरी है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, तमाम गांव ऐसे हैं, जो बिल्कुल नदियों के पेटे में बसे हुए हैं, जिससे नदी में थोड़ा भी पानी आने से वह डूब जाते हैं। लेकिन अभी बाढ़ जैसी कोई चीज नहीं आई है। जहां बन्धे टूट रहे हैं या कटान है, उनकी मरम्मत कराने की बात हम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ऐसी वैसी कोई बात उससे होने न पावे। जैसा राजस्व मंत्री ने कहा, हमने मार्च महीने में ही मीटिंग बुलाई थी, यह देखने के लिए कि इन दैवी आपदाओं की स्थिति में कहां-कहां क्या-क्या होना चाहिए और जहां कटान है वहां बोल्डर्स पहुंचने चाहिए। सब जगह सामान पहुंचा हुआ है और उससे मुस्तैदी से निपटा जाएगा।

अभी राजेन्द्र गुप्त जी कह रहे थे कि सीतापुर में जो बाढ़ की स्कीम थी, वह समाप्त कर दी गयी है। तो ऐसी बात नहीं है, हमने कोई स्कीम समाप्त नहीं की है। जो हम स्कीम बनाते हैं वह समाप्त करने के लिए नहीं बनाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने और ठीक से पूरा करने के लिए बनाते हैं। जो सीतापुर की स्कीम है, उसको हमने खत्म नहीं किया है। हम सीतापुर के शहर की पूरी सुरक्षा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, बाढ़ की सारी स्कीमें बनाने की ही कोशिश कर रहे हैं, घटाने का कोई प्रश्न नहीं है। तो मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि बाढ़ की कोई गम्भीर स्थिति नहीं है और सरकार बिल्कुल तैयार है। कोई स्थिति पैदा होगी तो उससे मुस्तैदी से निपटा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या यह स्थिति बलिया वाली है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, हम बंधे बनवाते हैं, ये अति ग्रस्त हो जाते हैं, फिर उनको ठीक कराने की कोशिश करते हैं ।

श्री गौरी शंकर भैय्या---

मान्यवर, हमारे यहां पर बंधे बन जाने के कारण गंगा का पानी उत्तर और दक्षिण में भरा हुआ है, वह बिहार सरकार ने बनवाया है, उसके कारण पानी हमारी ओर आ रहा है, उसके लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष---

हम लोग स्वयं बिहार सरकार द्वारा निर्मित बंधों से परेशान हो गये हैं । वे ऐसे बांध बनाते हैं जो रोज ही टूट जाते हैं ।

श्री प्रदीप कुमार यादव---

मान्यवर, अभी मैंने माननीय राजस्व मंत्री एवं सिंचाई मंत्री जी की बातों को बाढ़ के सिलसिले में सुना । मुझे भी इस सदन में पिछले कई सालों से रहने और और काम करने का मौका मिला है । हर साल बाढ़ का सिलसिला इस प्रदेश में रहता है और माननीय मंत्री जी हर साल बयान दिया करते हैं लेकिन जो बयान, भाषण या आश्वासन सदन में वे देते हैं, वह कार्य रूप में परिणित नहीं होता है । यह सरकार आंकड़ों की सरकार है । पिछली सरकार के जमाने में काफी काम हुआ है इसलिए कुछ राहत मिली है ।

बाढ़ की परमानेन्ट बीमारी है । बाढ़ हर साल आती है तो इस सिलसिले में आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि माननीय राजस्व मंत्री और सिंचाई मंत्री कोई परमानेन्ट योजना बनायें । इनकी योजना कब बनती है जब बाढ़ आकर पानी निकल जाता है और इनके सारे नोट भी उसमें बह जाते हैं । अगर यह सरकार वास्तव में इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करना चाहती है तो यह योजना सालों साल काम करती रहे । अगर ऐसा किया जायेगा तो हर साल की जो समस्या है, उसका निदान हो सकेगा । प्रश्न यह है कि जब बाढ़ आती है तो लोग परेशानी में फंस जाते हैं । सरकार के पास हर जगह के आंकड़े हैं कि किस-किस गांव के निवासी बाढ़ की चपेट के कारण परेशान होते हैं ? तो एक योजना बनायी जाय कि घाघरा और गोमती के किनारे पर जो निचले हिस्सों में गांव हैं, उनको ऊपर बसाने की व्यवस्था करें । सरकार उनके रहन-सहन के लिए गांव सभा की जमीन या जंगलात की जमीन को लेकर उन गांव वालों को बसाने की व्यवस्था करें । इससे समस्या का परमानेन्ट रूप से हल हो जायेगा लेकिन मैं देखता हूं कि इसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है ।

बाढ़ के सिलसिले में यह भी कहा गया कि चौकियां बनायी गयी लेकिन वे भी कागज पर ही हैं । दोनों तरफ के माननीय विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों में जाना पड़ता है और जब भी हम वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि बाढ़ चौकियां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रदीप कुमार यादव---]

केवल कागज पर ही अंकित होती है, वहां पर बैठने तक को कोई जगह नहीं होती है, उन तक पहुंचने या राशन पहुंचाने का कोई साधन नहीं होता है । जिस प्रकार से सी0 आर0 पी0 सी0 को दफा 109 के मुल्जिम को पकड़ कर गिरफ्तार किया जाता है तो कहते हैं कि उसके पास से लाठी और माचिस मिली । उसी प्रकार से मान्यवर, यह बाढ़ सहायता में लोगों को क्या देते हैं, एक मोमबत्ती दे देते हैं, एक माचिस दे देते हैं । तो यह परम्परा मान्यवर, चली आ रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

तो मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसके लिए कोई परमानेंट योजना बनावें ।

*श्री प्रभू नारायण सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जब मैंने देखा कि जो बाढ़ पर चर्चा प्रारम्भ की गयी है, वैसी भयानक स्थिति अभी नहीं है । उसमें यह कहा गया कि सरकार ने व्यवस्था नहीं की है । तो मुझे सचमुच में आश्चर्य हुआ । मैं इस माने में अपनी सरकार की प्रशंसा करूंगा कि समय से पहले सरकार चैतन्य थी । अपने जिले जौनपुर में भी इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गयी । मैं बाढ़ग्रस्त जिला जौनपुर से आता हूं । तो समय से पहले सारे जिलों में योजना बाढ़ से निपटने के लिए बना ली गयी थी कि अगर बाढ़ आयेगी तो किस प्रकार से उसका मुकाबिला किया जायगा ? चाहे जमुना या गंगा या घाघरा है, वहां पर दिखाई पड़ रहा है कि बाढ़ की स्थिति कुछ आने वाली है । इन तीनों नदियों की स्थिति ज्यादा भयंकर है । जो गंगा के किनारे बसने वाले जिले हैं, वे बाढ़ से प्रभावित हुये हैं ।

हमारे जिले की 5 नदियां, चाहे गोमती चाहे सई या बसुही या वरुण, पीली जो हैं, उसमें भीषण बाढ़ की सम्भावना रहती है । उसके लिए हम चाहते हैं कि कोई स्थायी निदान निकाला जाय । पिछले साल 1980 में भीषण बाढ़ आई थी । तो उस समय मैंने कहा था कि इसके लिए कोई स्थायी निदान निकाला जाय । माननीय सिंचाई मंत्री जी हमारे जिले में गये भी थे और उन्होंने कोई योजना निकालने की बात भी कही थी, लेकिन वह कोई योजना नहीं बनाई गयी । हमारे यहां पर कुछ ऐसे गांव हैं जो कि नदी के तटहटों में हैं । मैंने उन गांवों की सूची माननीय मंत्री जी को दिया था, योजना भी बतलाई थी । हमारे यहां पर कुछ तो ऐसे गांव हैं, जहां पर सई और गोमती मिलती हैं, वहां पर भीषण बाढ़ प्रायः आ जाती है और पूरा-पूरा गांव जलमग्न हो जाता है । वहां के निवासियों, पशुओं को रहने की, खाने की, चारे की समस्या बहुत बड़ी पैदा हो जाती है । मेरा सुझाव है कि उस गांव के लोगों को कहीं अन्यत्र बसाया जाय या बस्ती को ऊंचा किया जाय ।

हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के 37 गांव हैं, जिनके लिए मैंने ऊंचा करने की बात कही थी, लेकिन वह नहीं किया गया । हमारे यहां पर बनारस, जौनपुर मार्ग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर जलालपुर का पुराना और नीवा पुल है, वह बरसात के दिनों में डूब जाता है। 1980 में एक नाव वहां पर डूब गयी। उसमें तीन आदमी मर गये थे। उस पुल के बनाने के लिए हमने हमेशा मांग की है, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं किया गया है। ऐसे ही गठिता का नाला गोमती के संगम पर है, उस पर पुल नहीं है उसके डूब जाने से कई गांवों का आवागमन बन्द हो जाता है। इन शब्दों के साथ में चाहूंगा कि बाढ़ नियंत्रण के लिए समय से पहले स्थायी योजनाएं बनायी जावें।

श्री जटा शंकर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बाढ़ की चर्चा पर समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। मान्यवर, मेरा प्रदेश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और ऐसी जटिल परिस्थित विगत कई वर्षों में देखने को नहीं मिली है। जैसा राजस्व मंत्री जी ने सही आंकड़ों का उल्लेख करते हुये कहा कि किसानों के बोआई-रोपाई के समय और बल्कि पिछली फसल जब खलिहान में थी, गेहूं चना सब भीग गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि गेहूं और चना का बीज भी किसानों के पास अगली फसल की बुआई के लिये नहीं है। इसकी तत्काल व्यवस्था होना आवश्यक है ताकि किसानों को गेहूं और चना का बीज उपलब्ध हो सके। अवर्षा से धान की रोपाई नहीं हो सकी अब मक्का की फसल भी बाढ़ में विनष्ट हो चुकी है। जहां तक बांधों और ड्रेनों की मरम्मत और सफाई की बात कही गई और माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह आगरूक हैं। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे जनपद में किसी भी ड्रेन की सफाई इस वर्ष नहीं कराई गई।

माननीय मंत्री जी आंकड़े दिये कहीं एक सेंटीमीटर और कहीं आधा सेन्टीमीटर पानी बढ़ रहा है। इसके विपरीत समाचार-पत्रों के माध्यम से जो सूचना मिली है बुन्देलखण्ड के सौ गांव, बलिया के 350 और बाराबंकी के 350 गांव अब तक बाढ़ के बाद पानी में डूब चुके हैं। मेरे जनपद बहराइच में मेरे क्षेत्र ननपरा में बाढ़ की एक नई समस्या माननीय सिंचाई मंत्री जी के विभाग ने पैदा कर दी है। यह वहां नहर बना रहे हैं नहर की खुदाई की जा रही है, उसकी जो मिट्टी निकल रही है उसको दोनों बगल में डाल रहे हैं जिसके कारण बांध सा बन गया है और बरसात का जो पानी निकालने का रास्ता था वह बन्द हो गया है। यदि थोड़ा पानी बरसता है तो गांव डूबने की स्थिति आ जाती है। जो प्राकृतिक स्थिति से डूबने की बात थी उससे भयी स्थिति सिंचाई मंत्री के विभाग ने हमारे क्षेत्र में खड़ी कर दिया है और कहर ढाने का इन्तजाम कर दिया है। इस पानी को निकालने की व्यवस्था तुरन्त कराई जाय। साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं कल कुछ राहत की घोषणायें माननीय सदन में की गई। लेकिन केवल कोआपरेटिव बैंक की वसूली स्थगित करने की बात कही गई है अन्य बैंकों के बारे में नहीं कहा गया। मेरा सुझाव है कि सभी बैंकों से कृषि देयों की वसूली रोक दी जाय। छात्रों की फीस बिना इस टेक्निकल्टी में गये कि राजस्व मंत्री शिक्षा मंत्री जी को लिखें बल्कि सरकार अपना पूरा उत्तरदायित्व मानते हुये तत्काल छात्रों की फीस माफ करने की घोषणा करें। ऐसा लगता है कि सूखा-बाढ़ दोनों एक साथ आवेगी ऐसी भी अपेक्षा रहनी चाहिए थी और उससे निपटने के लिए माननीय मंत्री जी तैयारी करते हैं कि कौन सा राहत कार्य शुरू किया जाय। परन्तु मंत्री जी राहत कार्य के सम्बन्ध में अवाक से हैं। यह पशोपेश में हैं कि कौन सा किस प्रकार का राहत कार्य करें। मेरा निवेदन है कि जिन लोगों के पास

[श्री जटा शंकर सिंह--]

खाने को नहीं है उनके लिये राहत कार्य शुरू करके रोजी-रोटी उपलब्ध कराई जाय तथा जिनके मकान गिर गये हैं उनको गृह अनुदान दिया जाय । इन शब्दों के साथ में पुनः आपको समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं ।

श्री वृद्धि नारायन सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा गुप्त जी ने बाढ़ की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किया है उसमें मैं सर्वप्रथम बतना चाहता हूं कि वाराणसी में बाढ़ के सम्बन्ध में बैठक तो हुई और उसमें विचार भी हुआ, गतवर्ष और इस बार भी लेकिन मुख्य बात यह है कि इस समय दो तरह की बाढ़ हैं । एक तो अतिवृष्टि से और दूसरी गंगा नदी की बाढ़ है । जहां अतिवृष्टि है और छोटी-छोटी नदी जैसे मुरवा नदी और वरुना नदी से जो गांव लगे हैं उनके लिये दो तरह की व्यवस्था की और मैं मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । एक तो स्थायी व्यवस्था इसमें यदि न की गयी तो प्रतिवर्ष सरकार को भी मुआवजा देना होता है उसके साथ ही साथ किसानों की बड़ी क्षति होती है, यहां नदियों की सफाई और खुदाई का काम है तो इसमें मैं चाहूंगा कि अधिक धन आवंटित किया जाये । इसमें छोटा खर्चा होता है । इसके पहले सफाई हुई थी लेकिन अब बालू और घास आ गयी है । अतः इन नदियों में मैं चाहूंगा कि इनकी सफाई की जाय ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र का 30 मील का लम्बा हिस्सा गंगा नदी के किनारे पड़ता है जिसमें 90 गांव आते हैं । वहां पर छिछवा गांव एक है जिसके तीन तरफ गंगा नदी है, 15 सालों से जब भी बाढ़ आती है तो बरसात में प्रतिवर्ष 100-150 एकड़ जमीन ध्वस्त हो रही है । इस ओर बराबर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया और केन्द्र एवं प्रदेश से विशेषज्ञ वहां गये लेकिन फिर भी वहां राहत कार्य कुछ नहीं हुआ है जिससे 1500 एकड़ जमीन गंगा नदी में कटकर चली गयी है । वहां की आबादी 3 हजार से ऊपर है और वहां के लोग बरसात में दिन रात यही सोचते हैं कि पता नहीं किस समय यह गांव गंगा नदी में कटकर चला जायगा इसलिये वहां के लोग इससे बड़े चिन्तित हैं । अतः इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां के लिए शीघ्र व्यवस्था हो । इसी क्षेत्र में 1973 में बाढ़ के समय सरकार ने वहां व्यवस्था किया था । 1978 में बाढ़ की विभीषिका याद है जब हमारे इस क्षेत्र के 10 हजार लोग घरों से निकल कर सड़क पर बसे थे लेकिन उस क्षति की आज तक पूर्ति नहीं की गयी है । इसलिये निवेदन है कि वहां स्थायी व्यवस्था की जाय ताकि बराबर यहां जो स्थिति उत्पन्न होती है वह न हो सके । मान्यवर, बाढ़ के बाद 3 प्रकार की स्थिति आती है । एक तो पशुओं में महामारी, इन्सान की बीमारी और चारे की कमी होती है एवं रहने की दिक्कत हो जाती है तो उसके लिये बाढ़ में तो सहायता व्यवस्था की जाती है लेकिन उसके बाद की स्कीम और व्यवस्थायें केवल कागज पर ही रह जाती हैं और केवल उसकी जांच एवं निन्दा होती है । इसलिये मैं सरकार से चाहूंगा कि इस व्यवस्था में मूल रूप में ज्यादा सहायता दी जाय जो कर व लगान की छूट के रूप में हो ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र के ज्ञानपुर और डीघ ब्लाकों में बाढ़ में 90 गांव प्रभावित हुये और सूखे में भी यही स्थिति रही । अतिवृष्टि हुई तो बाढ़ में आ

गये । इस प्रकार हर एक का परसेन्टेज 50 होगा । तो जहां 75 प्रतिशत बाढ़ और सूखा होगा तो वहां छूट दी जायेगी अन्यथा नहीं दी जायेगी । लेकिन हमारे यहां कुल मिलाकर शतप्रतिशत नुकसान हुआ है, इसलिये देखना चाहिये जिन क्षत्रों में बाढ़, सूखा और ओले से, की समस्या पैदा हुई है वहां हर प्रकार की वसूली और छात्रों की फीस से छूट दी जाय और इसको माफ किया जाय ।

वैसे हमारा शासन अपने स्तर पर बहुत व्यवस्था कर रहा है और जनहानि का कोई सवाल नहीं है तथा भूखे मरने का कोई प्रश्न नहीं है । अन्त में पुनः धन्यवाद देते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री धनीराम वर्मा--

मान्यवर, बाढ़ और सूखा यह प्रदेश के लिये दो विषम समस्यायें हैं । इनके लिये पहले से योजना बनाने के बाद भी संभवना हो सकत है कि सफलता न मिले लेकिन वाटर लागिंग की जो समस्या है उसके बारे में सर्वे कराकर उसको दूर किया जा सकता है । मान्यवर, इसके लिये मैं एक, दो सुझाव देना चाहता हूं ।

(इस समय 4 बजकर 6 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

वाटर लागिंग को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि जो नालियां हैं और जो ड्रेनेज सिस्टम है वह ठीक करना चाहिये तथा पानी बरसन के पहले, 15 दिन पहले सारे नालों की सफाई करवायी जानी चाहिये । परन्तु बड़ दुख की बात है कि नाले साफ नहीं करवाये जाते हैं और लिख दिया जाता है कि नाला साफ करवाया गया । जो नाले सफ कराये जाते हैं उनकी थोड़ा बहुत घास छील दी जाती है और दिखा दिया जाता है कि नाले का सफाई हो गयी तथा पेमेंट हो जाता है ।

उदाहरण के लिये मैं कहना चाहता हूं कि पाटा नाला का सर्वे करवा लीजिये । हर साल उसकी सफाई होता है और रुपया लिया जाता है और सफाई के नाम पर कहीं थोड़ी बहुत घास छील दी जाती है । मिट्टी नहीं उठाई जाती है । मैंने असेंबली प्रवेशन के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से और पत्र भी उस सम्बन्ध में लिखे हैं । विधूना, कन्नौं-मझौं, गहेसर आदि 6, 7 गांव ऐसे हैं जो वाटर लागिंग की समस्या से पीड़ित हैं । थोड़ा सा पानी बरसता है और पानी भर जाता है । वहां पर जो नहर का साइफन है वह ठीक नहीं है । घास वगैरह उसमें फंस जाती है और पानी निकलना बन्द हो जाता है तो मैंने निवेदन किया था कि वहां पर नया साइफन बनाया जाय जिससे कि उन गांवों की समस्या का परमानेन्ट हल निकले । वहां पर धान की मुख्य फसल जो होती थी अब नहीं होती है ।

गेहूं की फसल भी आधी रह गयी है । ऊसर बढ़ता चला जा रहा है और लोग गांव छोड़ने के लिये तैयार हैं । हमारी तहसील विधूना में आनइया नदी को चौड़ा किया गया । 25 लाख रुपये की वह योजना है । मैंने समीक्षा समिति की मीटिंग में कहा था कि नदी की टेल से सफाई कीजिये लेकिन नदी को बीच से साफ किया जा रहा है जहां पर वह अरैन नदी में गिरती है । बीच से साफ करने का यह मतलब होगा कि सारी मिट्टी फल जायगी और पैसा बेकार जायगा । अगर इस नदी की सफाई टेल से करवाई गयी होती तो पैसे का दुरुपयोग न होता और बाढ़ की समस्या थोड़ी बहुत हल हो गयी होती ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री धनीरामवर्मा--]

लेकिन मान्यवर, वहां के अधिकारियों ने पैसों के दुरुपयोग के लिए यह सारी समस्या खड़ी कर दी । मान्यवर, जहां पर बाढ़ आने के बाद राहत कार्य का प्रश्न आता है, वहां पर भी पैसे का दुरुपयोग होता है । इसलिए मैं चाहूंगा समिति को गठित कर दें और उसमें वहां का विधायक भी सदस्य हो जो निश्चित तौर पर वहां पर हो रहे राहत कार्य को देखे कि कौन से गांव में यह कार्य होना चाहिए और किस व्यक्ति को इस कार्य में लगाना चाहिए उसकी लिस्ट बने और उसे वह विधायक वेरीफाई करे । तब सही रूप से काम हो सकता है, और वहां के लोगों को सहायता पहुंच सकती है । अन्यथा मनमाने ढंग से कार्य किया जाता है और जो इसके लिए पात्र होता है, उसे न देकर अन्य को अपने जानने वालों को दे दिया जाता है । माननीय खाद्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो मरम्मत कार्य के लिए भी सीमेन्ट देनी बन्द कर दी है तो निश्चित रूप से वर्षा से होने वाले क्षतिग्रस्त मकानों की यदि मरम्मत न कराई गयी तो वे मकान और जीर्ण-क्षीर्ण हालत को पहुंचेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूं ।

*श्री सुन्दर सिंह--

मान्यवर, मैं आपका अभारी हूं कि आपने बाढ़ और वर्षा की स्थिति पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह बड़ी विडम्बना का प्रश्न है कि इस साल प्रदेश की जनता को सूखे और बाढ़ दोनों से गुजरना पड़ा है । हमारे जनपद बहराइच की एक नदी के बारे में हमारे विरोधी-पक्ष के एक साथी ने कहा कि नहर परियोजना के माध्यम से जो नहर बनाई जा रही है, उसकी मिट्टी को खोदकर जो डाल दिया गया जिसकी वजह से वहां पर जल-प्लावन की स्थिति पैदा हो गयी है, यह बात उन्होंने सरासर गलत कही है क्योंकि अभी हमारे यहां कोई ऐसी वर्षा ही नहीं हुई है, जिसके कारण वहां जल-प्लावन की स्थिति पैदा हो । हां, हमारे क्षेत्र कैसरगंज में अवश्य बाढ़ की स्थिति पैदा हो गयी है, जो घाघरा जैसी बड़ी नदी से कनेक्टेड है और जिसकी तबाही प्रख्यात है । माननीय राजस्व मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज स्थित जरवल टाउन है जो घाघरा नदी के जरवल कटी नाले पर बांध बनाया जा रहा है ।

(सदन में कुछ क्षणों के लिए बिजली के चले जाने से व्यवधान)

मान्यवर, इस जरवल टाउन की लगभग 20 हजार की आबादी है । जिला प्रशासन द्वारा घाघरा नदी के पानी को रोकने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं । हम लोग जब जिला प्रशासन से इसके लिए प्रार्थना करते हैं तो वह कहते हैं कि नगर क्षेत्र हो गया है ।

[4 बजकर 15 मिनट]

नगर क्षेत्र का मतलब यह नहीं है कि अगर घाघरा की बाढ़ का पानी उधर जाता है और वहां के तमाम लोग उस बाढ़ से तबाह होते हैं तो उनको राहत नहीं दी जायेगी । मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि जरवल टाउन के लोगों को राहत दी जाय । इसके साथ-साथ हमारी तहसील कैसरगंज में घाघरा नदी की धारा बीच से होकर पहुंची है । इस वर्ष जो बाढ़ आई है, उससे 110 गांव प्रभावित हुए हैं । मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तत्काल राहत का कार्य किया जाय ।

मैंने जिला प्रशासन से निवेदन किया । गत वर्ष जो नावें प्रदान की जाती थीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनता को अपने गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए वह भी इस वर्ष जिला प्रशासन वहां के ग्रामवासियों को नहीं प्रदान कर रहा है। जहां तक गल्ला बांटने का प्रश्न है, इसकी व्यवस्था भी इस बार नहीं की गयी है। मैं समझता हूं कि इस वर्ष बरसात की कमी के कारण हमारे अधिकारी यह समझते हैं कि कोई परेशानी नहीं है। उनके लिए तो जब ऊपर से बाढ़ आती है, तभी जिला प्रशासन यह समझता है कि बाढ़ आयी है। इस समय 110 ग्रामवासियों को राहत की आवश्यकता है। मैं राजस्व मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि उनको तत्काल राहत दी जाय।

इसके साथ-साथ जिन गांवों में बाढ़ की तबाही हो रही है वहां के विद्यार्थियों की फीस माफ की जाय, सरकारी देयों की वसूली को रोक दिया जाय, राजस्व देयों की वसूली को रोक दिया जाय, किसानों के पास पैसा नहीं है, गन्ना किसानों को पैसा भी नहीं दिया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सभी प्रकार की राजस्व वसूली को रोक दिया जाय।

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़ के विषय में जो चर्चा आरम्भ है, इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने बाढ़ प्रभावित जिलों का जिक्र किया है परन्तु जहां से बाढ़ प्रारम्भ होती है, जिन क्षेत्रों से बाढ़ अपना विकराल रूप लेकर नीचे उतरती है, उनकी क्या दुर्दशा होती है और उनकी अन्तिम स्थिति क्या हो जाती है, उनकी क्या दयनीय स्थिति है, उसका चित्रण करना चाहता हूं।

मैं माननीय मन्त्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि कम से कम पहली बार गढ़वाल और पिथौरागढ़ का उन्होंने उल्लेख किया है कि वे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि इससे पहले किसी मन्त्री ने नहीं कहा कि बाढ़ वहां आयी वे कहते हैं कि बाढ़ जहां आती है, वही बाढ़ से प्रभावित हैं, पहाड़ में तो पानी रुकेगा नहीं। वास्तविक स्थिति यह है कि हमारे यहां पहाड़ पर जब मूसलाधार बारिश होती है तो एक घंटे में बरसों का कमाया हुआ समाप्त करके ले जाती है। हमारे पास यह भी प्रमाण नहीं रहता है कि हम दिखा सकें कि बाढ़ से हम लोग कितने प्रभावित हुए थे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जिसका जिक्र किसी ने नहीं किया है। 31 जुलाई को सायंकाल 4 बजे के करीब छानी, चौपडियूं, सर्णा, पियलधार, कुलभौरी आदि गांवों में भीषण बज्रपात हुआ पौड़ी से 9 किलोमीटर दूरी पर। यह गांव पूरी तरह से नष्ट हो गए। मंत्री जी ने आंकड़े दिए कि केवल 30 जानवर मरे हैं, पर 45 जानवर, 15 खच्चर, 40 भेड़ें और कई बकरियां मरी हैं। मैंने जब जिलाधीश को सहायता देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि यह गांव बाढ़ से प्रभावित नहीं है, इसलिए सहायता नहीं दी जा सकती। एक भवानी सिंह का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और उसे एक पाई की भी सहायता नहीं मिली। हरिजन बस्ती बिल्कुल नष्ट हो गई। ऐसे लोग जिनके पास न घर रहा और न जमीन रही, उनको तुरन्त सहायता मिलनी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--]

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि बाढ़ क्षेत्र की परिभाषा में सुधार एवं परिवर्तन होना चाहिए। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो भी क्षेत्र प्रभावित हों, चाहे वे किसी प्रकार की दैवी आपदा के कारण हों, उनको सहायता मिलनी चाहिए। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जिस प्रकार की सहायता आप देते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भी उसी प्रकार सहायता दी जानी चाहिए। जितना नुकसान वहां पर इस वर्ष हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ है जिन गावों में वज्रपात हुआ है, वहां एक पैसे की भी सहायता नहीं मिली है।

मान्यवर, जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने कहा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। जिस प्रकार चीन में बाढ़ से बचाव के लिए वहां की हांगहों नदी के पेटे को गहरा किया गया, उसी प्रकार से अपने यहां भी प्रयास किए जाने चाहिए जिससे बाढ़ को रोका जा सके। वृक्षों के लगाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जाना चाहिए। तभी बाढ़ को रोका जा सकता है। इस प्रकार हम बाढ़ पर नियंत्रण करके देश और प्रदेश की बाढ़ से रक्षा कर सकते हैं।

*श्री कुंवर बहादुर मिश्र--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना तो उपयुक्त न होगा कि बाढ़ की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं होता। प्रयास होता है परन्तु कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बाढ़ बहुत बड़ा संकट ला देती है। उदाहरण के लिए जिस समय वर्षा की आशा नहीं थी, वर्षा हुई और किसानों के खलिहानों में पड़े हुए अनाज आदि नष्ट हो गये और जब वर्षा होनी चाहिये थी तब वर्षा नहीं हुई जिससे किसानों ने जो बोया वह जम नहीं सका और जो उगा भी उसकी स्थिति हमीरपुर में यह देखने को मिली कि सब को तमाम चूहे काट गये। वहां इतने चूहे पैदा हो गये कि उन्होंने किसानों की सारी की सारी फसल ही नष्ट कर दी। आशा थी कि इस वर्ष बाढ़ नहीं आयेगी लेकिन यमुना, बेतवा, चन्द्रावल आदि नदियों ने सारे जिले को बाढ़ की चपेट में ले लिया। हमीरपुर नगर जो जिले का मुख्यालय है, वहां की स्थिति एक टापू जैसी हो गई है। यमुना और बेतवा का पानी नगर में प्रवेश कर गया है। नौबस्ती बस्ती हमीरपुर की डूब चुकी है, जेल डूब चुका है। वहां से कैदियों को हटा कर दूसरी जगह रखा जा रहा है।

ऊंचे-ऊंचे स्थानों पर लोगों को बसाया जा रहा है। हमीरपुर के लोगों की स्थिति इतनी भयंकर हो गई है कि वहां नावों का अभाव है। अगर उनके पास नौका हो तो वे जिन्दगी के और साधन जुटावें। अगर वहां और नावें हों तो 50-60 गांवों के निवासियों की रक्षा की जा सकती है और उनके रहने का इन्तजाम किया जा सकता है। हमीरपुर व राठ जाने वाली सड़क डूब चुकी है, कट चुकी है। हमीरपुर-महोबा सड़क डूब चुकी है, कट चुकी है। पिछले साल ही मौदहा पुल जो बह गया था आज तक बन नहीं सका है।

कानपुर, सागर, हमीरपुर महोबा व चन्द्रावल सड़क बाढ़ की वजह से खराब हो गई है जिससे यातायात ठप है। वहां बाढ़ से पीड़ित लोगों की हालत इतनी भयंकर हो गई है कि उनको बचाने का सवाल है, उनको मकान व अन्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुविधायें देने का सवाल है। यातायात के लिए वहां की सड़कों को भी बनाने का सवाल है। कवरही बांध से पानी फूट निकला है। न जाने वहां कितने पशु मरे हैं। तीन-चार दिन के अन्दर 6 व्यक्ति मरे हैं। जो समाचार प्राप्त हुए हैं उनसे मालूम होता है कि हमीरपुर की दशा बहुत ही खराब है और राज्य सरकार वहां के लिए विशेष प्रबन्ध कर सकती है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, हम लोगों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिये। यह क्या बात है कि दिन भर खड़े होते रहें और बोलने का मौका ही नहीं दिया जाय ?

*श्री बदन सिंह--

मान्यवर, इस वर्ष आगरा में अत्यन्त भारी वर्षा हुई है और गत 4 दिनों से वहां पर निरन्तर अविरल पानी गिर रहा है। खाहरी नदी में पानी बढ़ने से हमारे क्षेत्र का किरावली-कागारौल मार्ग अवरुद्ध हो गया है और हमारे क्षेत्र में बाढ़ आने की आशंका बढ़ गई है। हमारे फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में जो बाढ़ आती है वह राजस्थान के पानी से आती है। राजस्थान के जितने नदी, नाले, बंधे चैनल हैं वह अजान बांध में पानी एकत्र करते हैं जिसकी क्षमता 16 हजार क्यूसेक पानी की है। लेकिन जब उसमें 12 हजार क्यूसेक पानी हो जाता है तभी वह 93 मूरों के द्वारा हमारी तरफ पानी छोड़ देते हैं। हम उनसे बहुत नीचे में हैं और राजस्थान हमसे ऊंचे में है इसलिए राजस्थान से छोड़े हुए पानी की एक-एक बूंद हमारे ऊपर गिरती है।

मैं कई बार सुझाव दे चुका हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारे क्षेत्र में आई हुई बाढ़ से सुरक्षा नहीं कर सकती, उसका कर्तव्य है कि राजस्थान सरकार से वहां के पानी को नियंत्रण में करने के लिए बात करे। सदन में कई बार मेरे द्वारा यह सुझाव दिया जा चुका है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री और उच्च अधिकारी मिल कर इस पानी के नियंत्रण के बारे में विचार करें कि किस तरह से राजस्थान का पानी नियंत्रित हो सकता है। इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को बाध्य किया जाये कि उनके यहां अजान बांध में एकत्र पानी को वह एकदम न छोड़ें और उसको वह विभिन्न धाराओं में विभाजित करें। राजस्थान में एक सिटी फ्लड कन्ट्रोल ड्रेन है जो भरतपुर के ऊपर होकर आता है, उसकी क्षमता 4,000 क्यूसेक पानी की है लेकिन उसमें से 3,000 क्यूसेक ही पानी छोड़ते हैं, उसमें उनको 4,000 क्यूसेक्स पानी छोड़ना चाहिए।

इसके अलावा वे चिकसाना नाले में पानी छोड़ते हैं। उसकी क्षमता 700-800 क्यूसेक की है। उस नाले को वह चौड़ा करें और उसमें वह 1,000-1,200 क्यूसेक तक पानी छोड़ने की व्यवस्था करें। राजस्थान में बानगंगा और गम्भीर नदी जहां महुए के निकट मिलती हैं वहां बांध बन दिया जाये और उस बांध का पानी खानवे बांध में छोड़ा जाये और खानवे बांध का पानी उटंगन नदी छोड़ा जाये तो हमारा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी राजस्थान से आए हुए पानी की बाढ़ से बच सकता है। लेकिन मुझे दुख है कि मेरी बातों को सुनने के लिए यहां सिंचाई मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं, वह शायद इन चीजों को नोट नहीं कर सकेंगे।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बदन सिंह—]

मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री लोग और उनके इंजीनियर्स लोग बैठ कर विचार करें कि किस तरह से उस पानी पर नियंत्रण हो सकता है। जब तक इस पर विचार नहीं किया जायेगा तब तक फतेहपुर सीकरी क्षेत्र और आगरा जनपद को बाढ़ से नहीं बचाया जा सकता है। मुझे दुःख है कि बार-बार सुझाव देने के बाद भी आज तक इस सम्बन्ध में एक भी मीटिंग नहीं हुई है। मैं सरकार से आशा करूंगा कि वह कम से कम इस वर्ष अवश्य ही इस प्रकार की व्यवस्था करे कि कोई मीटिंग करके इसका हल खोजने का प्रयास करें जिससे कि अपने प्रदेश के एक बहुत बड़े भाग को बाढ़ से बचा सकें।

मान्यवर, बाढ़ की छोटी बहन गरकी हमारे क्षेत्र को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। इसका एक मात्र कारण यह है कि नहर विभाग के अधिकारियों ने एक बहुत बड़ा धोखा दिया है और इस वर्ष हमारे क्षेत्र का कोई भी नाला साफ नहीं किया गया है जिसके कारण मेरे क्षेत्र के सरसा, अरहरा, सुनहरा, जाजऊ, रोजोली, बसेरी चाहर, सलेमाबाद, सौनेगा, सैता, थापी, कुखथला, रायभा, हसेला, गड़ीमा, मांगरोल, अरूआ, अटूस, अरसेना, सांघन, सकतपुर, नांगर आदि गांवों में 3–3, 4–4 फुट पानी भरा हुआ है। अगर वेस्टन डिप्रेशन ड्रेन को अच्छी तरह से साफ कर दिया गया होता तो पानी की निकासी हो गई होती। पानी की निकासी न होने से हंसेला, गड़ीमा, अरूआ, मंगरोल, जाट, मउवर, पाली, जथा, शैताथाकी आदि गांव गरकी की चपेट में आ जाते हैं। नहर विभाग की अत्यन्त लापरवाही के कारण इस नाले की सफाई नहीं की गई है, केवल उसकी घास साफ कर दी जाती है और उसकी सफाई करना दिखा दिया जाता है। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाये कि इसकी सफाई क्यों नहीं की गई। इससे हमारे यहां बहुत क्षोभ है।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, हमारा जिला बलिया बाढ़ से बहुत प्रभावित है हम लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि पौने 5 बजे तक समय है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं केवल 2 मिनट लूंगा। इन लोगों को थोड़ा सा मौका मिल जाना चाहिए।

*श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, हमारा जिला बलिया 2 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। उत्तर से और दक्षिण से और फिर पूर्व में मिल जाती हैं। बीच में 5 नाले पड़ते हैं—लकड़ा, अवरा, टोंस, बहडा और नगरा। यह पूरे जनपद को बाढ़ से दाबे हुए हैं। यहां पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। सूखे से जिला तबाह हो गया और अब पानी बलिया जिला को तबाह कर रहा है। सूखा में कोई सहायता नहीं दी गई। चौकियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिन गांवों में नावों की आवश्यकता है, शासन को चाहिये कि वहां पर शीघ्र ही नावों को पहुंचाये। जो गांव जल प्लावन के कारण डूब गये हैं वहां पर भी कोई समुचित सहायता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं पहुंचाई जाती है। जब से हम लोगों ने होश संभाला है हम लोग देखते हैं कि एक माचिस आधा किलो चना और थोड़ा सा किरोसिन आयल बांट दिया जाता है। मजदूरों की मजदूरी बेकार चली जाती है। सहायता के नाम पर कुछ होता नहीं है। नाले जो भर गये हैं उनकी सफाई का कोई समुचित समाधान नहीं किया गया है। बाढ़ सहायता के कार्य में जितना भी रुपया दिया जाता है वह सारा का सारा बेकार चला आता है और उसका दुरुपयोग होता है। उसकी लोग लूट खसूट करते हैं। अगर इस रुपये का दुरुपयोग किया जाये तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की नदियों को गहरा किया जा सकता है। आप ने मुझे जो बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने राजस्व मन्त्री जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना। मैंने उनको सुझाव दिया था कि पूर्व में जो बाढ़ आती है उसको रोकने का कोई स्थायी हल निकालना चाहिए। मैंने नदियों को डिसिल्ट करने का सुझाव दिया था। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने कहा कि यह बहुत खर्चीला है। मैं डा0 के0 एल0 राव के सुझावों पर नहीं जाता हूं, पर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शासन ने कोई पूर्वी जिलों की बाढ़ को रोकने के लिए स्थायी हल निकालने के लिए सोचा है क्या सरकार ने इसके लिये कोई मस्टररोल या प्रोग्राम तैयार किया है ? यदि किया है तो वह किस स्तर पर है और क्या आप उसे सदन में रखने की कृपा करेंगे ? तर्क काटने से काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूं कि किसी भी स्तर पर और कोई भी सरकार चाहे रही हो, सरकार के लिये इसके अलावा और कोई लज्जा की बात नहीं हो सकती कि आज के इस वैज्ञानिक दृष्टि से बढ़ते हुये युग में पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिये, उससे बचने के लिये आपके पास कोई उपाय नहीं है। सभी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया और मैं भी एक सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्व विभाग ने जो मानक बनाये हैं वे समयातीत हो चुके हैं। सन् अट्ठारह सौ कुछ के ये नियम बने हैं कि ऐसे मामलों में अहेतुक सहायता दी जाती है जैसे दियासलाई है, मोमबत्ती है। आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये, मंहगाई को ध्यान में रखते हुये, मूल्यों को ध्यान में रखते हुये, जैसा कि मैं कह चुका हूं आप सहायता के इस मानक को समय के अनुसार संशोधित करने की कृपा करें।

मान्यवर, आप कल्पना करें कि जब कोई मकान गिर जाता है तो उसको आप 30 या 50 रुपया देते हैं। इससे क्या होने वाला है ? मैं अपनी ओर से किसी धनराशि की घोषणा नहीं करता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि इसमें आवश्यक संशोधन किया जाय। यहां पर सीतापुर की चर्चा की गई। सिंचाई मन्त्री जी चले गये। उन्होंने कहा था कि वहां पर बाढ़ नियंत्रण योजना समाप्त नहीं की गई है बल्कि तकनीकी मामलों से उसे रोका जा रहा है। मेरे पास उनकी इस बात का अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है किन्तु मैं चाहूंगा कि वे जल्दी से इस पर पुनर्विचार करें और वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुये जैसा कि उन्होंने इस आदरणीय सदन में घोषणा की थी, उसके तहत सीतापुर को बाढ़ से बचाने के लिये उस योजना को कार्यान्वित करेंगे।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

मान्यवर, बहराइच के गिरजापुरी बैराज से कोड़िया हरथापुर और हनुमानगढ़ी, ये दो गांव नदी के कटान से गिर गये हैं। उसकी आप रिपोर्ट मंगायें और उन गांवों को कहीं अन्यत्र बसाने की कृपा करें। मान्यवर, सीतापुर में खैराबाद के पास एक बरसोई ड्रेन है, बड़े लोगों का उस पर हिस्सा है और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है। उस ड्रेन पर पानी का आना बन्द हो गया है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप उस ड्रेन को खुदवायें ताकि वह इलाका बाढ़ की विभीषिका से बच सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, इस बहस में बहुत से माननीय सदस्यों ने भाग लिया और उन्होंने जो बहुमूल्य सुझाव दिये हैं उन पर विचार किया जायेगा शासन उनसे लाभान्वित होगा। मान्यवर, मुख्य रूप से यह सुझाव आया है कि कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें हमेशा सूखा पड़ जाता है और कुछ गांव ऐसे हैं जो हमेशा पानी से भर जाते हैं, उनके लिये यह कहा गया कि उन्हें दूसरी जगह बसाने का प्रबन्ध किया जाय। उसके लिये मैंने पहले भी बहुत कोशिश की थी लेकिन वे लोग वहां से गये नहीं और अपने पुराने स्थान से हटने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि बाढ़ आती है, वे हट जाते हैं और बाढ़ चली जाती है तो वे पुनः वहां आ जाते हैं उससे जो उनकी वहां जमीन होती है उसने बिना किसी मेहनत किये उसे वे बो लेते हैं और उसका लाभ उठाते हैं।

मुझे इसका अनुभव है क्योंकि रायबरेली जिले के गंगा के किनारे के कुछ ऐसे गांव हैं, जहां से मैं पार्लियामेंट का मेम्बर होता था, वे बाढ़ से कट जाते थे। मैंने बहुत कोशिश की कि वे गांव किसी दूसरी जगह बस जायं किन्तु वे वहां से हटने के लिये तैयार नहीं हैं। अगर ऐसे गांव वहां से हटने को तैयार हों तो हम प्रबन्ध कर सकते हैं। जहां भी हमने पूछा वहां लोगों ने यही कहा कि हमें न हटाइये बाढ़ में दो-चार दिन बाहर कर दीजिये।

गांवों को ऊंचा करने की बात आई इसमें कुछ तकनीकी बातें आई हैं। नदी के किनारे ऊंचा नहीं किया जा सकता कुछ दूर पर किया जायेगा उसमें भी उनका कहना है कि अगर ऊंचा कर दिया जायेगा तो पानी रुक जायेगा और भी गांव उससे प्रभावित होंगे। लेकिन फिर भी इसका परीक्षण करायेंगे कुछ कदम उठाये जा सकते हैं तो उठायेंगे।

एक और बात आई, कल भी आई थी कि जब मई में वर्षा हुई तो गेहूं और चना का बीज खराब हो गया अब उसमें जनरेशन नहीं होगी। मैंने कल भी आश्वासन दिया था कि शासन का इस पर ध्यान है, बीज समय पर उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जायेगा।

फीस की बात भी कल कही गयी। यह बात सही है कि वैसे स्टैंडिंग आर्डर हैं। जहां भी इस तरह की आपदायें आयें वहां पर जहां हम राहत देते हैं उसमें फीस भी शामिल है लेकिन फिर भी हम संस्थाओं को लिखते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कल भी फीस के बारे में चर्चा हुई थी आप भी राजस्व मन्त्री बोल रहे हैं कि शिक्षा विभाग को लिख दिया है । आज आदरणीय सदन में शिक्षा मन्त्री बैठी हैं मैं उनका भी ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि जो क्षेत्र बाढ़ और सूखे से प्रभावित हैं वहां फीस माफ करने के लिए आपने कोई आदेश दिया है या देने पर विचार करेंगे । वह निरीह विद्यार्थी जिनके अभिभावक भुखमरी की जिंदगी बिता रहे हैं उनकी फीस माफी के आदेश जारी करने की कृपा करेंगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

हमारे एक माननीय सदस्य ने राजस्थान से पानी आने की बात कही वह बात सही है वहां पर दो बांध हैं जिनमें जब पानी भर जाता है तो वहां से पानी छोड़ा जाता है तो वह हमारे आगरा के फतेहपुर तहसील को प्रभावित करता है और वहां बाढ़ की स्थिति हो जाती है । उसके लिए प्रयास किया गया है । हमारे मुख्य सचिव की ओर से वहां के मुख्य सचिव को लिखा गया है और मेरठ के जो कैनाल के इंजीनियर हैं उनकी ड्यूटी वहां लगा दी गयी है कि वहां के इंजीनियर से बराबर संपर्क रखें और वह उसको देखेंगे कि धीरे-धीरे राजस्थान वाले पानी को छोड़ेंगे । जब कभी ज्यादा छोड़ने की बात होगी तो वह सलाह मशविरा करके छोड़ेंगे ताकि अचानक बाढ़ न आये । जो फतेहपुर तहसील है वह इससे प्रभावित होती है ।

श्री बदन सिंह--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय मन्त्री जी मैंने यह सवाल किया किया कि उत्तर प्रदेश शासन राजस्थान शासन से और उसके सिंचाई मन्त्री तथा उच्च इंजीनियरों से मिल कर राजस्थान सरकार को बाध्य करें कि वह अपने पानी के ऊपर नियंत्रण करें क्योंकि उनके जितने भी नाले, बंधे, बंधिया हैं उन सब का पानी अजान बांध में इकट्ठा होता है और उस बांध से वह अचानक पानी छोड़ देते हैं । तो इसके लिए कहें कि वह विभिन्न स्थानों पर पानी का वितरण अपने यहां करें । क्या इसके लिए कोई बैठक की जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, ऐसा लगता है कि जो मैं बाढ़ में कह रहा था उसको माननीय सदस्य ने नहीं सुना है । मैंने यह कहा कि हमारे मुख्य सचिव ने वहां के मुख्य सचिव को वहां की समस्या के बारे में लिखा है और मेरठ स्थित कैनाल विभाग के इंजीनियर्स की यह ड्यूटी लगा दी गयी है कि वह उनके साथ सम्पर्क करें और यह देखें कि वहां से शनैः-शनैः पानी छोड़ा जाए । नौटियाल साहब ने कहा कि जहां नदियों की बाढ़ आती है, वहां पर राहत कार्य होते हैं, लेकिन जो अधिक बरसात से घर नष्ट हो जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता है । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें अतिवृष्टि और बाढ़ दोनों शामिल हैं, अतः उन्हें ऐसा कोई सन्देह नहीं करना चाहिए कि अतिवृष्टि से जो क्षति हुई है उसमें कोई राहत कार्य नहीं होगा । फिर भी राहत कार्य क्षतिपूर्ति के लिए नहीं होते, तत्काल भुखमरी से बचाने और सहायता के लिए होते हैं ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मैंने इसलिए इसका जिक्र किया था कि 21 तारीख को बज्रपात पौड़ी से 9 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है, जिससे 5 गांव पूरी तरह ध्वस्त हो गये हैं और सब के सब पूरा तरह से प्रभावित हो गये हैं, लेकिन उनको राहत के नाम पर कहा गया है कि यह न अतिवृष्टि में आता है और न बाढ़ में आता है। यह तो बज्रपात है।

श्री बैजनाथ कुरील--

हमारे हिसाब से वह अतिवृष्टि में आते हैं।

श्री मोहन सिंह--

अब फीस माफी के बारे में आप बता दें ?

(व्यवधान)

श्री बैजनाथ कुरील--

कल आपकी ही उठाई चर्चा पर मैंने कहा था कि मैं इस बारे में शिक्षा मंत्री को लिखूंगा। उसको लिख दिया गया है, आप आश्वस्त रहें...

(व्यवधान)

वसूली के सम्बन्ध में कल भी प्वाइन्ट आया था और आज भी आया है। लेकिन इस बारे में कल मुख्य मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया था और मैंने भी कहा था, वही स्थिति आज भी है। वसूली प्रभावित जो क्षेत्र हैं चाहे सूखे से हों या बाढ़ से उन पर यह सब लागू होगा। हमारे साथियों ने कहा कि ऐसा लगता था कि सूखा पड़ेगा इसलिए बाढ़ के लिए इस बार कोई प्र[illegible] नहीं किया गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैंने सभी जिलों को राहत काय के लिए पैसा दे दिया है. जिस दैवी आपदा से प्रभावित होगी, उसमें वह लागू होगा, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो और चाहे अन्य कोई दैवी प्रकोप हो। ऐसा लग रहा है कि मोहन सिंह जी, इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बाढ़ की ऐसी विभीषिका नहीं है, इसलिए अब मैं अधिक बोलना नहीं चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

शिक्षा मंत्री जी आ गई हैं, फीस माफी के बारे में उनसे कहला दीजिए।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है...

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं, आप उनसे कह तो दीजिए ?

श्री अध्यक्ष--

आपने उस ओर माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया, वे चुप चाप बैठी रहीं, कोई उत्तर नहीं दिया ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, वे आपका निर्देश चाहती हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी इस सदन की अनुशासित सदस्या हैं, बिना आपकी आज्ञा के, वे नहीं बोलेंगी ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आइटम 13 से ले लिया है । अब आप बैठें ?

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तिकाओं के बाजार में उपलब्ध न होने से उत्पन्न विषय मेस्थिति के सम्बन्ध में चर्चा

[4 बजकर 56 मिनट]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, जो चर्चा प्रारम्भ होने जा रही है, उसका सम्बन्ध हमारे प्रदेश के लाखों-लाखों विद्यार्थियों से है । मान्यवर, इस समस्या की ओर सभी का ध्यान गया होगा कि आज जब बच्चे बाजार में किताबें और कापियां मोल लेने जाते हैं तो समुचित मात्रा में उनको सभी पाठ्य-पुस्तकें व कापियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं । इसलिए इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का यह अवसर मैंने चुना है । पहले मैं कापियों की चर्चा करना चाहता हूं । मान्यवर, कन्ट्रोल रेट पर जो केन्द्र सरकार की ओर से कागज आवंटित होता है, उसका जिलों में कोटा जाता है और उससे कापियां मिला करती थी । मेरी जानकारी के अनुसार पिछले 2 त्रैमास से उत्तर प्रदेश में उसका कोटा ही नहीं आया है और यही कारण है कि सस्ती दर पर एक भी कापी जिले में उपलब्ध नहीं है । अगर किसी के पास है तो गत 2 त्रैमास के पहले का कोटा है ।

मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि मुश्किल से उस जिले में 2 लाख कापियों का जुलाई अगस्त में आवंटन कर दिया गया लेकिन इतनी कम संख्या होने के कारण जो जिले में 70-80 हजार विद्यार्थी हैं, उनको मुश्किल से 2-3 या 1-2 कापियां प्रति विद्यार्थी पड़ सकती हैं । जब मैंने और जानकारी चाही तो पता चला कि इलाके के कई कालेजों ने इसी लिए नहीं उठायी कि एक-एक या दो-दो कापियां किस-किस बच्चे को दी जायें । उसी प्रकार से टैक्स्ट बुक्स की स्थिति है । इस सदन को जानकारी है कि कक्षा 1 से हायर सेकेन्ड्री कक्षाओं तक उनकी किताबें प्रकाशित होती हैं, उनका मुद्रण कराकर उनकी बिक्री की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है । सरकार उनको लिखवाती है, छपवाती है और उनका समय से वितरण कराती है । आज जब बच्चे बाजार में जाते हैं तो उनको किताबें नहीं मिलती हैं । सरकार ने हेड मास्टर्स को एक राजाज्ञा जारी की है कि आप किसी भी विद्यार्थी को एक साथ सभी किताबें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

लाने के लिए बाध्य न करें। कोई भी अध्यापक किसी भी छात्र से यह नहीं कहेगा कि आप किताब लाइये, उसे किसी प्रकार से टोका नहीं जायेगा। ये साफ आदेश हैं।

आज बाजार में न किताबें हैं और न कापियां हैं। पिछली सरकार ने हाई स्कूल में एक नैतिक शिक्षा विषय को अनिवार्य घोषित किया था और लाखों किताबें छपवायी गयी थीं, केवल मुख्य पृष्ठ छपना था, छापने वाले सरकार के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर आपको कोई संशोधन करना है तो कर दें अथवा छपवा दें, ये मुद्रित किताबें पड़ी हुयी हैं, इससे राष्ट्रीय धन की क्षति हो रही है, इस पर शासन को निर्णय करना है। हाई स्कूल का पाठ्यक्रम में कुछ विषयक्रम बदल रहे हैं। उसकी किताब अभी तक नहीं छपी हैं। इस समस्या की ओर मैं माननीया मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं और जानना चाहूंगा कि कि इस समस्या के समाधान के लिए वह क्या व्यवस्था करने जा रही हैं कि ताकि विद्यार्थियों को कापियां और किताबें समुचित मात्रा में मिल जायं।

*शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री गुप्त जी की भावनाओं से यह ज्ञात हुआ कि वह स्कूल के बच्चों के बारे में काफी चिन्तित हैं। अच्छी बात है। मान्यवर, आपकी छत्र-छाया में इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में स्कूल-कालेजों को मिला कर डेढ़ करोड़ की संख्या है और खुशखबरी है कि यह परिवार का आकार धीरे-धीरे बढ़ता ही चला जायगा। मान्यवर, घर में दो बच्चे हों, तो कठिनाई हो जाती है, 5 बच्चे हों तो घर की मां पस्त हो जाती है। मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री की हैसियत से नहीं, मैं उस मां की हैसियत से कह रही हूं और उस मां की हिम्मत की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, जो डेढ़ करोड़ बच्चों को अपने आंचल के बच्चों की तरह समझती है। तो परेशानियां सामने आना आवश्यक है और अगर मां ने बच्चे को अपना बच्चा समझ लिया, तो फिर उसकी अपनी कठिनाई, अपना दुःख, दुःख नहीं रह जाता है, अपने बच्चे का अपना दुःख उसका सुख, अपना रात-दिन का सुख है।

इसका पूरा प्रयास हो रहा है कि आपकी छत्र-छाया में पक्ष और विपक्ष के आशीर्वाद से हम उत्तर प्रदेश के शिक्षा के स्तर को उन्नयन करें। मान्यवर, सौभाग्य से यह विभाग ऐसा है जो आपकी जनता ने मुझे दिया है, जिसमें कि उन्नयन होना चाहिए। इसमें कोई मतभेद नहीं है। मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूं कि क्या कोई ऐसी भगवान की कृपा है कि जितने भी पक्ष के हमारे एम0 एल0 एज0 हैं, सबके घर भरे-पूरे हैं और सबके घर के बाल-बच्चे छात्र और छात्राएं हैं। तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम मिलकर अपने राजनैतिक भेदभाव को भुला कर, अपने और किसी हित को ध्यान में न रखकर, बच्चों के हित का ध्यान रख कर, हम एक दूसरे का ध्यान रखें ताकि बच्चों का हित हम कर सकें। मान्यवर, जब कोई पिता या माता मकान बनाने जाता है, तो वह यह सोच कर मकान बनाता है कि 7 पीढ़ी तक वह मकान रहे और 7 पीढ़ी हमारी उसमें रहे। क्या हमने कभी सोचा है कि जिस स्कूल को हम बनाते हैं, वह हमारी आने वाली सात पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन् व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय रियासत हुसैन भाई, आप उस पर रहम कीजिए, जो डेढ़ करोड़ बच्चों की मां है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप बैठ जाइये, माननीय रियासत हुसैन व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह पाठ्य-पुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं की शार्टेज का मसला माननीय गुप्ता जी ने उठाया है । यह शिक्षा के उत्थान के बारे में कह रही हैं, इससे इसका क्या ताल्लुक ? मान्यवर, इनको विषय बता दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

पाठ्य-पुस्तकों पर आ रही हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, अभी हमारे गुप्ता जी ने जिनकी भावना का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं और सम्मान करती हूं कहा कि कापियों का अभाव है । मैं समझती हूं गुप्ता जी उस जमाने को याद कर रहे हैं जब जनता पार्टी की हुकूमत थी 1977-78, 1978-79 । वह सपना दिमाग से उतरा नहीं है । जहां तक कापियों का सम्बन्ध है उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास 31 जुलाई, 1982 की इस समय मेरे पास है । मेरी सूचना के अनुसार 1 करोड़ 22 लाख 20 हजार 28 कापियां हमारे स्टोर में हैं ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

स्टोर में होगी बाजार में कापियां नहीं हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

30 पैसे वाली अनबाउन्ड 48 पृष्ठ की 49 लाख 94 हजार कापियां हैं । बाउन्ड 160 पृष्ठ की एक रुपया तीस पैसे वाली 30 हजार 578, 96 पृष्ठ की 19 लाख 13 हजार एक रुपया वाली । इसी प्रकार 56 पृष्ठ की 7 लाख 74 हजार 50 एक रुपया 5 पैसे, 64 पृष्ठ की 50 पैसे वाली, 51 लाख 25 हजार कापियां हैं । यह लेटेस्ट रिपोर्ट है । मान्यवर, 8 जनपदों की मेरे पास 15-8-82 की रिपोर्ट है उसमें 16 लाख 27 हजार 175 केवल 8 जिलों में कापियां मौजूद है । कापियों का कोटा एक्सेस में है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

जब तक माननीय मंत्री जी नहीं बैठेंगी तब तक आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैंने आपका भाषण शान्ति से सुना लेकिन आपमें मां की वाणी सुनने का धैर्य नहीं है । 25 अगस्त, 1982 की रिपोर्ट जो डायरेक्टर से आयी है उसमें जो रियायती मूल्य का कागज आवंटित किया जाता है उसमें 13 जिलों ने आवंटित कागज नहीं लिया क्योंकि वहां पर कापियां पहले से अधिक हैं और इस कापी का जो कागज है हमने निर्णय लिया है कि इसको पुस्तकों के लिये डाइवर्ट करेंगे । आपने सुना कि कागज के आवंटन में ढील ढाल हुई और नतीजा निकाल लिया । यह भी आपने सुना कि स्टार प्रेस, ओरियंटल पेपर मिल, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश की पेपर मिल एवं दिल्ली के पेपर मिल और टीटागढ़, वेस्ट बंगाल के पेपर मिल ने स्टे ले लिया और आपने नतीजा निकाल लिया कि किताबें नहीं हैं । यह सही है कि उन्होंने स्टे ले लिया, उसका कारण था कि 4,200 रुपये टन का मूल्य निर्धारित था केन्द्र सरकार से लेकिन स्टे मिला चूंकि उनकी मांग थी 5,633 रुपये से 6,331 रुपये तक निर्धारित किया जाय, इस पर स्टे मिला । केन्द्र से निर्देश आने में देर हुई । अंडर प्रोटेस्ट 6,300 टन कागज आया । लेकिन उसमें आप भूल गये अपनी गृहणी की । आपने नहीं सोचा कि हमारे प्रदेश की गृहणी जैसे अपनी ज्वेलरी को सम्भाल कर रखती है वैसे ही मैं अपने बच्चों की पुस्तकें भी सम्भाल कर रखती हूं ।

श्री मोहन सिंह--

भगवान आप जैसी गृहणी किसी को न दे ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, पिछले 7 वर्षों से जो किताबों का ढेर चला आ रहा था वह सुरक्षित था । मैं समझती हूं कि 75 प्रतिशत जो पुस्तकों का कोष था उससे पुस्तकों की कमी को जुलाई में पूरा किया है । मान्यवर, दूसरा प्वाइन्ट गुप्त जी भूल गये कि पिछले वर्ष जो कागज का आवंटन हुआ तो उसकी कमी को, चूंकि, 1980 से एडवान्स में कागज का बटोरना हमने शुरू कर दिया था । पूरा एडवांस के स्टाक से किया जैसे कि लड़की के पैदा होते ही उसकी शादी के लिये उसका पिता 20 साल तक सामान इकट्ठा करता रहता है । मान्यवर, 1981 में जुलाई, सितम्बर, अक्टूबर और दिसम्बर एवं मार्च तक जो 700 टन कागज मिला वह किताबें हमारे कोष में सुरक्षित थीं जिनका जुलाई में उपयोग किया । शिक्षा का चार्ज हमारे हाथों में आते ही कापियों और किताबों की मांग होती चली गयी । तो इसके ऊपर हमने और विभाग ने सक्रिय रूप से विचार किया और बार बार कोशिश की कि बाजार में कापियों और किताबों की कमी न रहे । एक बात दिमाग में फौरन उठ गयी कि क्योंकि नवीं कक्षा में नयी पुस्तकें निर्धारित की गयीं हैं तो जरूर किताबों की कमी हो गयी होगी ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय शिक्षा मंत्री जी, एक घंटे की चर्चा में बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है । कृपया संक्षेप करें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

दो पुस्तकों की, एक जनरल साइंस और दूसरी सामाजिक विज्ञान की यह दो पुस्तकें नयी थीं। हमें मालूम था कि यह क्वेश्चन यहां पर आदरणीय गुप्ता जी और मोहन सिंह जी उठायेंगे इसीलिये इंतजाम कर दिया। पब्लिशर को पिछले साल दे दिया और कहा कि आप छापिये। तो इनकी कमी नहीं है। जो नया कोर्स हुआ है तो इन किताबों की कमी नहीं है जब हमारे सामने मसला पेश हुआ और अखबारों में छपा, गोंडा और लखनऊ के बारे में छपा तो हमने फौरन आख्या मंगवायी। जनपद लखनऊ के बारे में पता चला कि यह पोजीशन नहीं है।

हमारे शिक्षा अधिकारी ने राउन्ड किया प्राइमरी पाठशाला सबौली, अलीगंज, निशातगंज, आर्य कन्या इंटरमीडियेट कालेज में गये, क्वींस कालेज में गये तो जो रिपोर्ट डी० आई० ओ० एस० की आई उसमें है कि प्राइमरी छात्रों के पास सम्भवतः सभी पुस्तकें हैं केवल 4 पुस्तकें, जो प्राइमरी और जूनियर स्कूलों से सम्बन्धित थीं उनके बारे में शिकायत आयी थी। बाल अंकगणित-4, बाल अंकगणित-5, ज्ञान भारतीय-4, हमारा दुनिया हमारा समाज-3। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वह यह है कि यह पुस्तकें मारकेट में अवेलेबिल हैं। मान्यवर, गोंडा के बारे में जानकारी हासिल की, हमारे डी० आई० ओ० एस०, गिरजा शंकर मिश्र की रिपोर्ट है कि, इस संबंध में सूचित करना है कि जनपद के किसी भी अंचल में यह सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि पाठ्य पुस्तकों की कमी है।

श्री मोहन सिंह—

यह रिपोर्ट झूठी है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

तो मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कहीं पर कोई पुस्तक की कमी हो तो उसको तुरन्त उपलब्ध कराया जाय। अगर किसी जनपद में किसी पुस्तक की कमी है तो मैं आपको आश्वासन देती हूं कि तुरन्त उसको उपलब्ध कराने का सक्रिय प्रयास किया जायगा। इन शब्दों के साथ आपने जो अपनी चिंता प्रकट की है तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपकी चिंता हमारी चिंता है।

*श्री जर्नादन प्रसाद ओझा—

जो बयान माननीय शिक्षा मंत्री ने दिया है और जो उसका प्रशासनिक पक्ष रखा है, उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो दूसरा व्यवहारिक पहलू है वह सच्चाई से काफी परे है और उसमें काफी भ्रान्तियां हैं। एक तो पुस्तकों एवं इक्सरसाईज बुक्स और उनकी उपलब्धता और दूसरे इनके वितरण के बारे में मेरी निश्चित जानकारी है कि पाठ्य-पुस्तकों का बाजार में न होना इसलिए है कि जिन फर्म्स को भी छपने के लिए दिया गया था समय से नहीं दिया गया था क्योंकि कमीशन के लालच में यही सोचने में देर लगी कि किस फर्म्स को दिया जाए। एक बार मैं एक किताब की दुकान पर बैठा था। एक छात्र उस दूकान पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

आया और उसने कहा कि फलां किताब दे दीजिए तो उस दुकानदार ने उस किताब को तो नहीं दिया उसकी कुंजी दे दी, जब मैंने उनसे पूछा तो उसने बताया कि हमारे यहां कुंजी का खरीदना अनिवार्य है तो यह इस बात का प्रतीक है कि छोटे-छोटे बच्चों को कुंजी की लालच दी जा रही है ।

तो माननीय मंत्री जी एक तो रही उपलब्धता कि राजस्व समय से नहीं आया और सेन्ट्रल से एलाटमेन्ट नहीं ले पाये और दूसरे प्रिन्टिग के लिए समय से न जा पाना जैसा कि मैंने पहले कहा कि या तो कमीशन की वजह से या किसी राजनीतिक दबाव की वजह से समय से नहीं दे पाये और वह पुस्तकें समय से बाजार में उपलब्ध नहीं हो सकीं । तीसरी समस्या वितरण की है । इस संबन्ध में मैं अपने जिले की स्थिति बता दूं कि हमारे जिले में कई दुकानें तो सस्ते दर की खुली हैं, परन्तु 100-100 कि0 मी0 की दूरी पर है, जिन्हें लेने के लिए आने जाने में लोगों का काफी पैसा खर्च हो जाता है, इसलिए मेरा सुझाव है कि हर ब्लाक में दुकानें खुलवा दीजिए, इससे जनता को काफी सुविधा हो जायेगी ।

इस संदर्भ में मुझे एक बात और कहनी है कि जहां एक तरफ हमारे यहां मारकेट में इक्सरसाइज बुक्स और पाठ्य पुस्तकों की क्राइसिस है, वहीं दूसरी तरफ ट्रक का ट्रक कापियों और कागज से भरा नेपाल जा रहा है । यह सब वहां के तस्करों द्वारा अधिकारियों की सहायता से धड़ल्ले से हो रहा है । जिसकी वजह से बाजार पर इसका असर यह पड़ा कि वहां कमी आ गयी और जनता परेशान है इसलिए इस ओर भी माननीय मंत्री जी ध्यान दें और जो अपनी कमियों को छुपाने के लिए जो कथन आपने पेश किया है, वह सरासर गलत है, इस सम्बन्ध में हमारी निश्चित जानकारी है कि आज प्रदेश भर में किताबों और कापियों की कमी है और किताबों के सम्बन्ध में जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वह सच्चाई पर आधारित नहीं हैं और डेढ़ करोड़ की संख्या जो आपने बताई उससे अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी पर 5 इक्सरसाईज बुक भी नहीं पड़ रही हैं । जहां एक छात्र को आप यह इक्सरसाईज बुक नहीं दे सकते...

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

वहां आपका यह कथन, कि कमी नहीं है, कहां तक सत्य है ? इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सच्चाई से मत भागिये । आपके विभाग की स्थिति दयनीय हो गयी है । बिल्डिग की बात छोड़ दीजिये, पुस्तकों की बात आपके सामने आ रही है । बहुत से स्कूल ऐसे हैं, जिनमें अध्यापक नहीं हैं । एक तरफ आप निश्चय कर लेती हैं कि एड हाक एप्वाइंटमेन्ट नहीं करेंगी, दूसरी तरफ प्राइवेट पर आपने अंकुश लगा दिया । इन तमाम बिन्दुओं की ओर मैं चाहूंगा कि आप और आपका शासन ध्यान दे ।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो चर्चा आज प्रारम्भ हुई है, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है इस प्रान्त के लिए । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बड़े भाव

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भरे शब्दों में अपने को मां कह कर डेढ़ करोड़ विद्यार्थियों के दर्द को अपने ऊपर ले लिया लेकिन इसके साथ इस तथ्य को भी नहीं नकारा जा सकता कि हम में से अधिकतर पिता हैं और उनके मन में भी छात्रों का दर्द है और चिन्ता है। माननीय मंत्री जी के अधिकारियों ने कोई भी सूचना दी हो, जिसको उन्होंने यहां बताया। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस प्रदेश के छात्रों के सामने पुस्तकों और कापियों का भयंकर अकाल है, जो कि उन्हें प्राप्त नहीं हो रही हैं।

आपने सामान्य शिक्षा और नैतिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है और किसी भी छात्र को इससे सम्बन्धित पुस्तकें प्राप्त नहीं हो रही हैं। कापियों की स्थिति इतनी दयनीय है। आपके स्वयं के आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि डेढ़ करोड़ छात्रों के लिए 1.20 करोड़ कापियां उपलब्ध हैं, उससे हम कैसे सन्तोष कर सकते हैं जब कि एक छात्र को एक कापी भी नहीं पड़ रही है और यह कैसे कह सकते हैं कि छात्रों की समस्या हल हो गयी। मैं फर्रुखाबाद जिले से आता हूं, वहां की स्थिति मुझे मालूम है। अक्तूबर-दिसम्बर, 1981 में 35 टन कागज आबंटित किया गया, 15 टन "स्टार" मिल का और 20 टन "सीरपुर" पेपर, लेकिन केवल 15 टन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जनवरी-मार्च, 1982 में 65 टन कागज फर्रुखाबाद के लिए आबंटित किया गया, परन्तु केवल 16 टन प्राप्त हुआ, अप्रैल-जून, 1982 में 55 टन कागज आबंटित किया गया और एक टन कागज भी फर्रुखाबाद में प्राप्त नहीं हुआ जुलाई-सितम्बर, 1982 में 30 टन कागज सस्ते मूल्य की कापियों के लिए आबंटित हुआ और एक टन भी प्राप्त नहीं हुआ। इतनी स्थिति गम्भीर है कि 185 टन कागज, कागजों में तो फर्रुखाबाद जनपद को आबंटित कर दिया लेकिन प्राप्त हुआ केवल 31 टन। कैसे छात्रों की जरूरत पूरी हो सकती है, कैसे सस्ते मूल्य के कागज की कापियों की आवश्यकता पूरी हो सकती है ?

माननीया मंत्री जी ने कहा कि कई मिलों ने "स्टे" ले लिया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने ऐसी मिलों का कोटा जनपदों में आबंटित क्यों किया। आपके अधिकारियों की अक्षमता और साजिश का यह प्रमाण है कि वह कोटा जनपदों में आबंटित किया गया। कापी बनाने वाले लघु उद्योग को भी आपका विभाग समाप्त कर रहा है। 25 प्रतिशत जो कोटा मिला उसका एडवान्स विभिन्न मिलों में ड्राफ्ट से भेज दिया, अब न वह एडवान्स वापस कर रहे हैं, न कापियां दे रहे हैं, स्थिति इतनी गम्भीर है कि आप भाव भरी जो बातें कहती हैं, उससे स्थिति में सुधार आने वाला नहीं है। आपको अपने अधिकारियों के साथ बैठकर, निश्चित रूप से, छात्रों और उनके अभिभावकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, कोई कड़ा कदम इस ओर उठाना चाहिए और इसे भी ध्यान में रखना चाहिए कि बड़े-बड़े मिल वालों की सांठगांठ आपके अधिकारियों के साथ न होने पाये।

*श्री नन्द किशोर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज स्थिति यह है कि एक लड़के पर एक कापी है जब कि एक लड़के को 10-15 कापी की आवश्यकता होती है। छोटे-छोटे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए जिस कागज की जरूरत पड़ती है उसकी भी कमी है। मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नन्दकिशोर सिंह--]

जो ने कक्षा 9 व 10 में दो विषय तो और नये जोड़ दिये हैं पढ़ाने के लिए एक सामाजिक शिक्षा तथा दूसरी नैतिक शिक्षा, पर उन विषयों की एक भी किताब बाजार में नहीं मिल रही है। यही नहीं, स्कूलों में इन विषयों को पढ़ाने के लिए मास्टर तक नियुक्त नहीं किए गये हैं। छोटे दर्जों की हालत यह है कि जब लड़के किताबें लेने जाते हैं तो हर किताब के साथ एक कुन्जी उसको अनिवार्य रूप से लेनी पड़ती है।

अगर किताब का दाम एक रुपया है तो कुंजी का दाम दो रुपया है। एक तरफ कागज की कमी बतायी जा रही है दूसरी तरफ कुंजी हर विषय की छप रही है। आज स्थिति भयंकर हो गयी है। आज लड़के बिना किताब के स्कूल जा रहे हैं। कोआपरेटिव सेक्टर से भी जो कापियां जा रही हैं वे सब ब्लैक मार्केट में जा रही हैं। सहकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से सस्ती दरों पर कापियां उपलब्ध करायी जायें। जो नये विषय आपने पढ़ाने के लिए जोड़े हैं उनके लिए मास्टरों की व्यवस्था करायी जाये। विज्ञान की पढ़ाई के लिए स्कूलों में आवश्यक सामान उपलब्ध कराया जाये। जिस आयोग की बात आप कर रहे हैं उसे शीघ्र गठित किया जाये।

श्री प्रभु नारायण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, यह विषय ऐसा है जिसका सम्बन्ध हमारी भावी पीढ़ी से है और उसके भविष्य का सवाल है। वास्तव में राष्ट्रीय कृत पुस्तकें इसलिये छपवायी जाती हैं कि वे सस्ते मूल्य पर छात्रों को उपलब्ध हो सकें और आसानी से उपलब्ध हो सकें। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि पुस्तकों का भारी मात्रा में बाजार में अभाव है। छात्र भटक रहे हैं, परेशान हैं और बार-बार कहने के बाद भी ये कहते हैं कि कागज की कमी है। हर विषय की कुंजी व पासपोर्ट आफ एक्जामिनेशन, ट्वेन्टीफोर आवर्स बिफोर एक्जामिनेशन, एटम बम आफ एक्जामिनेशन आदि जो सस्ते कागज पर छाप-छाप कर चारों तरफ बिक रही हैं आखिर उनके लिये कागज कहीं न कहीं से आता ही है। सरकार को चाहिये कि तत्काल इन पर प्रतिबन्ध लगावे और इस तरह की व्यवस्था करे कि छात्रों को बाजार में आसानी से सस्ती किताबें व कंट्रोल की कापियां प्राप्त हो सकें। शासन की मंशा थी, हम लोगों की मंशा थी कि छात्रों को सस्ते मूल्य पर कापियां व पुस्तकें उपलब्ध हो सकें। लेकिन आज वे नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि इस शिक्षा व्यवस्था में कुछ गलत किस्म के लोगों का प्रवेश हो गया है। मेरा भी इस शिक्षा व्यवस्था से सम्बन्ध है और अपने अनुभव के आधार पर जानता हूं कि विभिन्न जिलों में जिले के अधिकारियों और कुछ प्रेसवालों की मिली भगत से ये अभ्यास पुस्तिकायें छात्रों को सस्ते मूल्य पर नहीं मिल पा रही हैं। मैं अपने जौनपुर का उदाहरण दे सकता हूं कि वहां अभ्यास पुस्तिकायें ब्लैक से बाजार में बिक रही हैं।

इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर से मैं मिला भी था। लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसा कि अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है कि अगर किसी चीज की कमी पैदा कर दी जाय तो उसे मनमाने मूल्य पर बेचा जा सकता है। उसी तरह से सरकार के कुछ अधिकारियों और कुछ प्रेस मालिकों की मिली भगत से व्यापारी वर्ग छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशान कर रहा है। निश्चय ही सरकार को इस पर सतर्क दृष्टि रख कर ध्यान देना पड़ेगा

नहीं तो इससे छात्रों में जो व्यापक असन्तोष है उसका असर और चीजों पर भी पड़ेगा। ऐसे अभिभावक, जो किसी तरह से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, किसी तरह से तन पर कपड़े का प्रबन्ध करते हैं और किसी तरह से कुछ बचाकर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं अगर सस्ती दर पर अभ्यास पुस्तिकायें या पुस्तकें उनको नहीं मिलें तो निश्चय ही शासन की वह मंशा पूरी नहीं हो सकती कि छात्रों को मिलने वाली सुविधायें उनको मुहैया हों।

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस मंत्रिमंडल की मति भ्रष्ट हो गयी है और इसको फुर्सत नहीं है अपने ऐशो आराम से कि वह किसी और बात की तरफ ध्यान दे। 35 साल हो गये और आज तक शिक्षा 20 प्रतिशत नहीं हो सकी है। मान्यवर, यह कोई प्रबन्ध नहीं कर सकते। कंट्रोल करने को कहते हैं लेकिन इसका अपने अधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं है, वे अपने अधिकारियों पर अधिकार नहीं रख पाते। आज जो अफसरशाही चल रही है, यह मंत्रिमंडल सारे अफसरशाहों के चंगुल में फंसा हुआ है इसको अपने आपको सुध-बुध नहीं है तो वह क्या शिक्षा दिलावे। इसकी खुद ही मति भ्रष्ट है। आज कापियों का अभाव है, किताबों का अभाव है, गेहूं अनाज व चीनी का अभाव है यानी हर चीज का अभाव ही अभाव है।

हर चीज जो ये अपने हाथ में समेटकर रखना चाहते हैं, किसी चीज पर नियन्त्रण नहीं रखना चाहते हैं। अपनी शिक्षा मंत्राणी जी ने कहा कि 1 करोड़ 20 लाख कापियां दी जायेंगी। डेढ़ करोड़ छात्र हैं और एक करोड़ 20 लाख कापियां हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। बाजार में बिना कंट्रोल की तमाम किताबें उपलब्ध हैं, कापियां उपलब्ध हैं तो उनके लिये कहां से कागज आ जाता है। कंट्रोल की कापियों का ही अभाव है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह अपने अफसरों पर कुछ अंकुश रखें। मैं आपके माध्यम से इसको चुनौती दे रहा हूं कि आज भी वक्त है, यह संभल जायें और केवल अपनी गद्दी की फिक्र न करके जो कंट्रोल का कागज ब्लैक में बिक रहा है, उस पर अंकुश लगायें और उसकी व्यवस्था करें। नहीं तो यह मंत्रि-मंडल अपना त्याग-पत्र देकर अपने घर में बैठे।

*श्री हरदेव--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज कापी-किताबों की जो समस्या है, उसके बारे में मैंने गहराई से सोचा-समझा और यह परेशानी कैसे दूर हो, इसके लिये अपने विचार रख रहा हूं।

डाक्टर धर्मपाल--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। सामने की सीट पर बैठे हुये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बलबीर सिंह जी इशारे से मुझे थ्रेट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरदेव--

हमारे बलिया जनपद से सूचना मिली है कि वहां कापी-किताब की इस वजह से परेशानी है कि पूरब में कागज का कोई कारखाना नहीं है और पश्चिम से जाते-जाते वहां देर हो जाती है और बच्चों को परेशानी होती है । मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि अश्लील किताबों, मैगजीनों में जो पेपर का दुरुपयोग किया जा रहा है, उस पर पहले रोक लगा दिया जाये । इससे यह होगा कि हमें ज्यादा पेपर मिलेगा जिससे कापियां और किताबें बन सकेंगी । हमारी मूलभूत जरूरत कापी-किताब की है, मनोरंजन करने के तो बहुत से साधन हैं । मैं जहां जाता हूं, सड़कों के किनारे, रेलवे प्लेटफार्म पर यह किताबें मिलती हैं । इन किताबों के छपने और उनके प्रचार से हमारा कोई नैतिक उत्थान नहीं होता इसलिये उन किताबों में जो कागज खर्च किया जा रहा है उसका अगर कापी-किताब में उपयोग किया जाय तो हमारी कठिनाई दूर हो सकती है ।

मैं शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद् या माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है उसमें एक कठिनाई यह है कि नकल की प्रथा बहुत बढ़ गई है जिसका परिणाम है बेरोजगारी । बिना जरूरत के बच्चे पास हो जाते हैं । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जहां भी बड़े डिग्री कालेज हैं वहां उनको कापियों और किताबें उपलब्ध कराने के लिए उस स्कूल में कापियों किताबों की व्यवस्था की जाए, जिससे छात्रों को कापियां आसानी से मिल सकें । आज पूरे प्रदेश में सूखा की स्थिति है और लोग परेशान हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि निर्बल वर्ग के लोगों के बच्चों को फ्री किताबें और कापियों की व्यवस्था की जाये, ताकि लोगों को परेशानी न हो । आप इस ओर कोई चमत्कारी कदम उठावें और बलिया रसड़ा की ओर ध्यान दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, आभारी हूं क्योंकि सभी लोगों ने एक स्वर से समस्या की गम्भीरता पर अपने विचार प्रकट किए हैं । माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने अभी अपने मातृत्व की दुहाई दी है । मैं मानता हूं कि वह मां हैं, लेकिन माता कुमाता न भवति, लेकिन एक दुर्गुण भी होता है जिसको सद्गुण विकृति कहा गया है । मान्यवर, जब कोई सास इस बात का एहसास करना समाप्त कर देती है कि उसमें और बहू में 30 साल का फर्क है और 30 साल में जो परिवर्तन हुआ है उसका एहसास नहीं करती है तो घर में कलह मच जाती है । इसी प्रकार से आज शिक्षा विभाग में अव्यवस्था का राज्य उत्पन्न हो गया है ।

मान्यवर, मैं यह केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माननीय सदस्यों ने कहा था कि न जाने कहां से सूचनाओं का स्रोत पा जाते हैं अगर कोई दूसरा व्यक्ति शिक्षा मन्त्री होता तो मुझे कोई आश्चर्य न होता लेकिन श्रीमती बख्शी जी के शिक्षा मन्त्री होने के कारण मुझे आश्चर्य है क्योंकि इनका सारा जीवन छात्र और छात्राओं के बीच ही बीता है, लेकिन कुर्सी का भूत मान्यवर, ऐसा होता है जिसके कारण मैं दंग रह गया । अगर आपने 20 लाख कापियों की बात कह दिया । मान्यवर, मेरे सीतापुर में 2 लाख कापियों का स्टाक था, लेकिन यह स्टाक हमारे जिले को नहीं मिला । सही आरोप मानते हुए ही आपने इसका उत्तर नहीं दिया । आपके जिला विद्यालय निरीक्षक कैसी सूचना आपको देते हैं यह आप समझ लीजिए । आज उत्तर प्रदेश में छात्रों के पास कापियों का अभाव है । मुझे

आश्चर्य हुआ, आपने स्वतः एक सरकारी राजाज्ञा जारी की है। अध्यापकों को निर्देश दिया है कि आप किसी भी लड़के से एक साथ किताब लाने को बाध्य न करें। सीतापुर की जानकारी मुझे है, आप टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित कर लीजिए और पता लगा लीजिए।

[5 बजकर 50 मिनट]

माननीय वीरेन्द्र चौधरी बैठे हुए हैं उनको स्मरण होगा जिला विद्यालय निरीक्षक ने मीटिंग में कापियों के बारे में जानकारी दी थी। वे कापियां कहां चली गईं ? क्या बाल्टो बाबा का असर हो गया है ? उनके असर से कोई बात पैदा हो गई है। वहां पर किसी बच्चे के पास एक भी कापी नहीं रह गई है। इसको आप देखें।

अब मैं दूसरी बात पाठ्य पुस्तकों के बारे में कहना चाहता हूं। आपसे चार पाठ्य पुस्तकों के बारे में स्वीकार किया है कि वे बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि बाजार में 25 प्रतिशत भी किताबें उपलब्ध नहीं हैं। पिछले वर्ष 10/15 फीसदी किताबें आयी थीं शेष किताबें नई आनी थीं किन्तु केवल 25 प्रतिशत ही मुश्किल से होगी। मान्यवर, अगर माननीया शिक्षा मन्त्री मेरी इस बात को गलत साबित कर देंगी तो वे जो चाहें मुझे सजा दे दें, मैं तैयार हूं। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा इसको कृत्रिम बनाया गया है। कुंजी बेचने का सहारा लेकर आज भयावह स्थिति आप सामने ला दिये हैं इसलिए इसको आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। शासन और उसके अधिकारियों की बड़े-बड़े पूंजीपतियों के साथ दुरभि संधि हो गई है।

मैंने विधान सभा में इस बारे में कई बार कहा है। जब आप यहां पर कोई विधेयक बनाते हैं तो उसमें यह भी दिखाते हैं कि यह परिस्थिति कोर्ट से बार होगी। यह आपके 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भी है। लेकिन क्या आपने इसका कोई प्रयास किया है कि उनको कोर्ट में जाने से रोक दें ? प्रकाशक कोर्ट में गया और स्टे ले आया कि आप उसको बार नहीं कर सकते हैं। यदि आप उनको कोर्ट में जाने से रोकते तब मैं आपके साहस की सराहना करता कि आप बच्चों के हित की कार्यवाही कर रहे हैं। आप कागज के कोटे का रिक्विजिशन कर सकते थे।

कोई प्रयास अपने उनके स्टे को वैकेट कराने का किया ? पहले दो त्रैमास में आपको कोटा नहीं मिला। मैंने इसकी शिकायत की थी, आपको भी की थी और आपके पूर्ववर्ती शिक्षा मन्त्री को भी की थी कि जिन दुकानों में 30 पैसे की कापियां बेचने के लिए आपने निर्धारित किया था वहां पर वे 1 रुपय में कापियां बिक रही हैं। आप चपरासी को किसी भी दुकान पर भेजकर उस रजिस्टर को मंगवा सकते हैं उसी ब्रांड का वह रजिस्टर है जो कि सस्ते मूल्य पर आपने उनको दिया था, वे ज्यादा पैसों में उसे बेच रहे हैं। इस तरह से आपका प्रशासन भ्रष्टाचार में रंगा हुआ है। आपमें साहस नहीं है कि आप उसको रोक सकें। इस तरह से आप छोटे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप अपने भाषण को संक्षिप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अब मैं समाप्त कर रहा हूं। इन दो-चार बातों को कहने के उपरान्त मैं माननीय शिक्षा मन्त्री की उस स्पिरिट की दाद देता हूं जिसमें वे बच्चों की कठिनाई को अपना दर्द समझती हैं। लेकिन मैंने कहा कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी कहीं आपकी सद्बुद्धि विकृत न हो जाय और आपको अहंकार न हो जाय कि दूसरे लोग आपको सुझाव ही नहीं दे सकते। यहां जन प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। हर आदमी ने अपने-अपने जिले की परिस्थिति बतायी है। आप गोंडा-बस्ती की फाइल मंगा कर बताती हैं कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने रिपोर्ट दी है कि वहां आवश्यकता नहीं है। आप आज अपना कोई अधिकारी वहां भेज दीजिये और वहां किसी कालेज में जाकर देख ले कि क्या स्थिति है।

आप प्रतिपक्ष के विधायक को न भेजें, अपने ही दल के किसी सदस्य को भेज दें वह स्थिति आपको बता सकता है कि यह सही रिपोर्ट दी गई है या गलत दी गई है कि वहां पर कोई अभाव किताब कापियों का नहीं है। अगर आपके जिला विद्यालय निरीक्षक की रिपोर्ट सही निकलती है तो मैं अपनी सारी बातों को वापस ले लूंगा। मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि आप गलत मुगालते में बैठे हुए हैं। इसको ठीक करें और प्रदेश के बच्चों के साथ खिलवाड़ न करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप प्रदेश भर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, हमारे आदरणीय विधायकों ने जो सुझाव दिए और जो अपने विचार प्रकट किये उसके लिए मैं आभारी हूं। मैंने कभी यह नहीं कहा कि एक छात्र को एक ही कापी मिलनी चाहिए। मैंने 30 जुलाई को फ़ाइगर्स आपको दी जब कि हमारे स्कूल 8 जुलाई को खुल गए 30 जुलाई को हमारे पास इतना स्टाक था मैंने बताया कि अभ्यास पुस्तकायें पहले ही वितरित हो चुकी थीं। हमें अवश्य इससे कठिनाई हुई कि जो स्टार पेपर मिल, टीटागढ़ पेपर मिल, कलकत्ता और आंध्र की मिलों ने स्टे ले लिया। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि यह सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि स्टे वैकेट हो जाय और जो हमने 6,300 रु० दाम मंजूर किये हैं वह अंडर प्रोटेस्ट किये हैं। मुझे विश्वास है कि मुकदमे का फैसला हमारे फेवर में होगा।

दूसरा पाइंट जो कहा गया वह यह कि हम लोगों ने प्रत्येक पब्लिशर को कम से कम 60 हजार पुस्तकें सप्लाई करने के निर्देश दिये थे, सरकुलर निकाला था। तो मुझे कहना है कि कागज के बढ़ते हुए मूल्यों को देख कर शासन ने एक श्री चतुर्वेदी की अध्यक्षता में मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में कमेटी बैठाई थी उनकी यह संस्तुति थी कि अगर प्रकाशकों को 60 हजार पुस्तकें मैक्सिमम सप्लाई करने के लिए कहा जाय तो वे पुस्तकों के मूल्य 5 से 15 रुपये तक घटा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों की बढ़ती हुई जरूरतों को ख्याल में रखते हुए यह प्रयोग किया गया। लेकिन किसी पूंजीपति या किसी ब्लैकमारकेटियर के साथ कभी हमारी सरकार की चाहे वह श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार हो या श्री श्रीपति मिश्र की सरकार हो सांठगांठ नहीं रही, और न रहेगी।

दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर यहां श्री मिश्र की सरकार ने कभी उनके साथ सांठगांठ नहीं की। हमारी सरकार ने किसानों के गन्ने के दाम ज्यादा

दिलाये, गेहूं के दाम ज्यादा दिलाये। इसी सरकार ने दो साल हुए गणित की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया जनता पार्टी के जमाने में राष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया। 1980 में आदरणीय विश्वनाथप्रताप सिंह की सरकार थी जिसने गणित की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया और हम आगे भी और पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे इन पब्लिशर्स को नहीं देंगे। इंदिरा गांधी की सरकार पूंजीपतियों और मोनोपोलिस्टों के आगे सर नहीं झुकायेगी। इनके खिलाफ हमारी हमेशा लड़ाई रही है और हम जीत कर दिखा देंगे। जहां तक ब्लैक का सवाल है, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमने यहां लखनऊ में एक केस भी पकड़ा है। एक कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा निर्मित कापियां ब्लैक में जा रही थीं। इसमें हमने एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई है और उस पर ऐक्शन लिया है। हमारे सामने जो भी ब्लैक के मामले आयेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं ब्लैक मार्केटियर्स को किसी प्रकार बख्शने वाली नहीं हूं।

श्री जनार्दन ओझा ने गांवों की बात कही, तो हमने आलरेडी यह आदेश दिए हैं और बार-बार आदेश दिए हैं डी0 एम0 को कि जो गांव के स्कूल्स हैं उनको उसके आसपास की दुकानों से अटैच करके वहां के बच्चों को कापियां-किताबें देने की वह व्यवस्था करें।

कुंजियां जो बिकती हैं, उसके विषय में भी हम सतर्क हैं और बराबर हमारा प्रयास होगा कि कुंजी की जरूरत न हो। उसकी जरूरत तब होती है जब पढ़ाई अव्यवस्थित होती है और पढ़ाई अव्यवस्थित हुई है 77, 78, और 79 में जो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन वर्ष 80, 81 और 82 की परीक्षाएं शान्तिपूर्ण वातावरण में हो गईं, 14 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं हुई हैं। हमने बहुत से केन्द्रों का अनएक्सपेक्टेड दौरा किया, जिनके खिलाफ अखबारों में निकला था कि वहां पर मास-कापींग हो रही है। और हमें बड़ी खुशी है कि जो हमारे वर्स्ट स्कूल कहे जाते थे, वहां पर उत्तम प्रकार से परीक्षाएं होती हमने पाईं। यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं का नियमितीकरण किया गया और टाइम से उनकी परीक्षाएं कराई गईं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त होने जा रहा है, कृपा करके समाप्त कर दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जहां तक कापियों और किताबों की कमी का सवाल है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं पूरे सदन को और सम्मानित सदस्यों को कि तुरन्त, शीघ्र ही उनकी कमी को पूरा करने का भरसक, हर काम को छोड़कर प्रयास किया जाएगा और वार-फुटिंग पर किया जाएगा।

आवश्यक वस्तु निगम के चेयरमैन श्री जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा में तिथि में परिवर्तन

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष जी, आज सबेरे आपने आधे घंटे की एक चर्चा को स्वीकार किया था कल के लिए, बाल्टी बाबा का जो प्रश्न था। लेकिन पावर मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अम्मार रिजवी—]

हो रही है दिल्ली में और माननीय मुख्य मंत्री जी उसमें शिरकत करने जा रहे हैं। वह स्वयं चाहते थे कि वह इस चर्चा में यहां पर उपस्थित रहें। इसलिए अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से प्रस्ताव है माननीय सदन के सामने कि उस चर्चा को बजाय कल के 30 तारीख को ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, अब यह चर्चा कल के बजाय 30 तारीख को होगी।

(व्यवधान)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज के लिए नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिसमें से पहली सूचना, श्री भीखालाल की सूचना को स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है बांदा जिले के अधिशासी अभियन्ता के असहनीय दुर्व्यवहार से उकताकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के सभी सहायक एवं अवर अभियन्ताओं द्वारा हड़ताल किय जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में यह स्वीकार है, बाकी अस्वीकार हैं। इसके लिए 30 तारीख की तिथि निर्धारित की जाती है। मंत्री जी इसके लिए तैयार रहें।

देवरिया के पत्रकार श्री ईश्वर चन्द्र मद्धेशिया की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(मुख्य मन्त्री को पुकारे जाने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह वक्तव्य हमें नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष—

इसकी प्रतिलिपियां बंट गयी हैं, क्या आपको नहीं मिली ?

श्री रियासत हुसेन—

मान्यवर, उधर तो बंटी है, आज 2 वक्तव्यों की प्रतियां बंटी हैं। एक जनपद बहराइच के महराजी ग्राम के बारे में है और दूसरी पत्रकार वाली है। एक कापी एक सदस्य के हाथ में है और दूसरी दूसरे माननीय सदस्य के हाथ में।

(वक्तव्य की प्रति दिए जाने पर)

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12, 13 अगस्त, 1982 की मध्य रात्रि को श्री भगवती प्रसाद मद्धेशिया निवासी खड्डा जिला देवरिया ने थाना खड्डा पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि वह अपने लड़के तथा लड़की के साथ जन्माष्टमी के विभिन्न आयोजनों को देखकर अपने घर वापस आ रहे थे। जैसे ही वह 11 बजे रात के लगभग हनुमान मंदिर से आगे बढ़े

6 लोगों ने, उनके पुत्र ईश्वर चन्द्र मद्धेशिया को पकड़कर चाकू से गोद डाला तथा लाश को वहीं छोड़कर भाग गये। प्रथम सूचना में वादी ने यह भी लिखा था कि हत्या पुरानी रंजिश के कारण की गई थी। इस सूचना पर अपराध संख्या 56 धारा 147/148/149/302 भारतीय दंड विधान 6 नामजद अभियुक्तगणों के विरुद्ध कायम करके विवेचना प्रारम्भ की गई।

2—विवेचक थानाध्यक्ष खड्डा ने दिनांक 17-8-82 को 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इसके पश्चात् इस मुकदमें की विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा को सौंप दी गई। दिनांक 18-8-82 को एक अभियुक्त न्यायालय में हाजिर हुआ तथा शेष 2 अभियुक्तों की दिनांक 18-8-82 को कुर्की की गई। पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी ने दिनांक 13-8-82 को एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र ने दिनांक 16-8-82 को मौके का निरीक्षण किया।

3—मृतक श्री ईश्वर चन्द्र मद्धेशिया का नाम जिला सूचना कार्यालय में उपलब्ध पत्रकारों की सूची में अंकित नहीं पाया गया।

4—प्रथम सूचना में नामित अभियुक्त श्री किशुन एवं सुकरुल्ला नामक व्यक्तियों से मृतक की पहले घनिष्ठता थी किन्तु बाजार में एक मड़ई के कब्जे के प्रश्न पर इन लोगों की मृतक से दुश्मनी हो गई। सुकरुल्ला एक कुख्यात अपराधी एवं थाने का हिस्ट्रीशीटर है। दिनांक 12-9-81 को मृतक ने सुकरुल्ला को चाकू से घायल कर दिया था जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। इस घटना से उभय पक्षों के मध्य दुश्मनी बढ़ गई।

5—थानाध्यक्ष खड्डा ने उभय पक्ष के मध्य शान्ति भंग की गम्भीर आशंका देखते हुए दोनों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की थी। दिनांक 15-4-1982 को थानाध्यक्ष ने स्वयं न्यायालय के सम्मुख प्रार्थना की थी कि उनको आशंका है कि इन उभय पक्षों के मध्य कभी भी हत्या एवं बलवा जैसे गम्भीर घटना हो सकती है। अतः उभय पक्ष को 10-10 हजार रु0 की जमानत एवं मुचलके पर अनुबन्धित किया जाय। यह कार्यवाही न्यायालय के विचाराधीन थी।

6—दिनांक 14 अगस्त, 1982 को पत्रकारों का एक दल खड्डा गया था और वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। अध्यक्ष, देवरिया पत्रकार संघ ने लिखित रूप से अवगत कराया कि श्री मद्धेशिया की हत्या रंजिश के कारण हुई थी न कि पुलिस की साजिश से।

7—मृतक की सामान्य ख्याति अच्छी नहीं थी। यह कहना सही नहीं है कि मृतक की हत्या पुलिस की साजिश के कारण हुई थी। प्रशासनिक दृष्टिकोण से थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो बयान दिया है, उसके सम्बन्ध में मैं दो-तीन स्पष्टीकरण चाहूंगा। क्या यह सही है कि श्री मद्धेशिया ने शासन को या पुलिस अधिकारियों को कोई पत्र लिखा था? यदि लिखा था तो उस पत्र को माननीय मन्त्री जी पढ़कर सुना दीजिये?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है ।

श्री कुबेर भंडारी—

मान्यवर, यही तो असली चीज है ,

श्री हरिबंश सहाय—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मद्धेशिया की हत्या के पहले डी0 आई0 जी0 पुलिस को श्री मद्धेशिया ने कोई पत्र लिखा था ? इसकी सूचना क्या माननीय मन्त्री जी आपको है ?

श्री गुलाब सेहरा—

इस आशय की कोई सूचना मान्यवर, नहीं है ।

श्री हरिबंश सहाय—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, माननीय मन्त्री जी ने 3 नम्बर पर कहा है कि पत्रकारों की सूची में उनका नाम सूचना कार्यालय में नहीं था और छठें नम्बर पर कहा है कि पत्रकारों का एक दल मौके पर गया था और उसने यह रिपोर्ट दिया था कि यह घटना उसकी रंजिश के कारण हुई है । यह दोनों बात एक दूसरे के बिलकुल विपरीत हैं । क्या इस बात की माननीय मन्त्री जी जांच करायेंगे कि इसकी हत्या खड्डा की पुलिस ने जानबूझकर कराई और 10-10 हजार का मुचलका न्यायालय में देकर अपने बचने का उपाय किया ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, यह कोई प्रश्न नहीं है । मैंने तो अपने वक्तव्य में दिया है कि श्री मद्धेशिया की हत्या रंजिश के कारण हुई थी ।

श्री अध्यक्ष—

जब मैंने प्रश्न को एलाऊ कर दिया, तो आपको कोई कहने का अधिकार नहीं है कि यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, हत्या में पुलिस का हाथ नहीं था, उनके विरोधियों का हाथ हो सकता है ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, क्या 12 सितम्बर, 1981 को खड्डा थाने में मृतक के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से लोग थे, उनके क्या-क्या नाम थे और धारायें क्या-क्या थीं ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, रिपोर्ट 13 अगस्त, 1982 को 12 बजे रात को मृतक के पिता द्वारा कराई गई थी ।

डाक्टर ब्रज किशोर मिश्र—

क्या मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो पत्रकारों का दल वहां मौके पर गया, उसने अपनी रिपोर्ट क्या प्रस्तुत किया है ?

श्री गुलाब सेहरा—

देवरिया पत्रकार संघ के सदस्यगण खड्डा पहुंचे। इस दल में पी0टी0आई0, यू0 एन0 आई0 के प्रतिनिधि, पाइनियर, हेराल्ड, एन0 आई0 पी0, नवजीवन, अमृत प्रभात, आज, दैनिक जागरण एवं स्थानीय दैनिक ग्राम स्वराज्य व विशेष प्रतिनिधि सम्मिलित थे। घटना स्थल पर स्थिति की जानकारी करने के उपरान्त मृत्यु के तथ्य सामने आये। पत्रकार मद्धेशिया स्वतन्त्र रूप से विभिन्न समाचार-पत्रों के लिए कार्य करते थे तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। उनका सम्बन्ध असामाजिक तत्वों के साथ था। उनके विरोधी लोकदल से सम्बन्धित कार्यकर्ता, जो पहले इनके साथी थे अपने सजातीय बगलगीर से एक झोपड़ी के प्रश्न पर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। अपने पुराने मित्रों के साथ इनका मतभेद हो गया था। बिजली के एक विवादास्पद ध्येय को लेकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों से भी उनकी कहा-सुनी बतायी जाती है जिसको लेकर इन्होंने पुलिस अधिकारियों से अपने रक्षा की मांग की थी। उपरोक्त घटनाओं को लेकर उनके सम्बन्ध विपक्षियों से बिगड़ते चले गये और कुछ महीने पूर्व इन्होंने अपने एक प्रतिद्वन्दी पर छुरे से प्रहार करके गम्भीर रूप से घायल किया। यह घायल व्यक्ति एक कुख्यात व्यक्ति है जिससे स्थिति और भी गम्भीर हो गई। जन्माष्टमी के दिन श्री मद्धेशिया पुलिस थाना पहुंचे वहां अति शान्त वातावरण में थानाध्यक्ष से प्रसाद प्राप्त किया और पुनः जब अन्य थानों पर जन्माष्टमी की झांकी देखते हुए अपने दो अन्य मित्रों के साथ लौट रहे थे तो रास्ते में उनके प्रतिद्वन्द्वियों ने उन पर प्रहार कर इनको मार डाला।

घटना स्थल पर श्री मद्धेशिया के माता-पिता, बहन, मित्रों, सब जनता से पूछताछ के उपरान्त यह स्पष्ट हो गया कि श्री मद्धेशिया पत्रकारिता का लाभ उठाकर बहुत सारे ऐसे कार्य करते थे जिनसे उनके प्रतिद्वन्दी असन्तुष्ट थे और जिसके परिणाम स्वरूप ये घटना घटी। पूछताछ के दौरान पत्रकारों ने यह पाया कि वह आरोप निराधार है कि पुलिस अधिकारियों ने श्री मद्धेशिया की हत्या करवायी है। श्री मद्धेशिया की हत्या के वास्तविक कारण उनके पुराने मित्रों से आपसी रंजिश थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि सूचना विभाग के रजिस्टर पर जिन लोगों का नाम होता है उसके अलावा भी जिलों के पत्रकार होते हैं, रजिस्टर में नाम लिखवा कर मान्यता लेना तो दूसरी बात है लेकिन पत्रकार और भी होते हैं ? इससे यह बात तो साफ है मान्यवर, कि वह पत्रकार था दूसरी चीज में यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री को जानकारी है कि जब डी0 आई0 जी0 वहां गये तो मृतक के मां-बाप ने कोई बयान दिया है और वह बयान यह है कि उन्होंने कहा जब वह एफ0 आई0 आर0 लिखाने गये तो वह लिखाना चाहते थे कि थानेदार भारद्वाज की साजिश से

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

उनके पुत्र की हत्या हुई, लेकिन वह नहीं लिखी गई। हम इसको आपके सामने रिकार्ड कराने के लिये कह रहे हैं। क्या इस प्रकार की जानकारी पत्रावली में है ?

श्री गुलाब सेहरा—

एफ0 आई0 आर0 में उनके पिता जो घटना में शामिल थे वहां मौजूद थे। 6 व्यक्तियों की नामजद रिपोर्ट की है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यही तो मैं कह रहा हूं कि डी0 आई0 जी0 साहब जब गये तो उन्होंने कहा कि एफ0 आई0 आर0 गलत लिखी गयी।

श्री गुलाब सेहरा—

डी0 आई0 जी0 को कोई चीज लिखित नहीं दी गई। यही मांग की गई कि एफ0 आई0 आर0 पर तुरन्त प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य के आखिर में लिखा है कि मृतक की ख्याति अच्छी नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं कि मृतक के खिलाफ कितने मुकदमें दर्ज थे और क्या कोई दूसरा कारण भी था ?

श्री गुलाब सेहरा—

मृतक का आपराधिक इतिहास है उसके विरुद्ध 7 मुकदमें दर्ज हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरे खिलाफ थाने में कई मुकदमें चल रहे हैं। तो मान्यवर, मैं आपराधिक प्रवृत्ति का हो गया ? मेरा स्पष्ट प्रश्न था कि मद्धेशिया ने हत्या के चन्द दिन या कुछ महीने पहले कोई पत्र डी0 आई0 जी0, एस0 पी0 और गृह मंत्रालय को लिखा है। क्या यह सत्य है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस के खिलाफ, पूर्वांचल के प्रख्यात अखबार "आज" में कई वक्तव्य प्रकाशित करवाया था ?

श्री गुलाब सेहरा—

इस आशय के पत्र की कोई जानकारी नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मानकर क्या मंत्री जी इस तथ्य की जांच करायेंगे कि मद्धेशिया मरने के पहले डी0 आई0 जी0, गोरखपुर, एस0 पी0 देवरिया, गृह मंत्री और आई0 जी0 को एक दर्जन पत्र लिखे जिसमें स्पष्ट कहा है कि थाना खड्डा का दरोगा या स्थानीय पुलिस गुंडों की साजिश से मेरी हत्या कराना चाहती है, क्या इसकी जांच मंत्री जी करायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

यदि आपके पास कोई पत्र इस आशय का है तो उसकी प्रतिलिपि दे दें।

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या थाना खड्डा की पुलिस और श्री ईश्वर चन्द्र मद्धेशिया के बीच कोई मुकदमा चल रहा था ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, इस तरह की कोई सूचना नहीं है ।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, जब कोई कत्ल का मुकदमा हो जाता है तो सामान्य रूप से थाने के इंचार्ज को या इंस्पेक्टर को तफतीश दी जाती है जिसके जवाब में मंत्री जी ने कहा कि खड्डा पुलिस का कोई हाथ नहीं था । तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी विशेष परिस्थितियां थीं जिससे थानाध्यक्ष खड्डा से विवेचना लेकर विशेष अनुसंधान शाखा को जांच सौंपी गयी, यह किसके आग्रह पर किया गया है ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, स्थिति की गम्भीरता को समझकर एवं निष्पक्ष जांच हो सके इसलिये विशेष अनुसंधान शाखा को विवेचना सौंपी गयी है ।

श्री कुबेर भंडारी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो दरोगा है, जो कि अपने को भूतपूर्व मंत्री और एक मंत्री का रिश्तेदार बताता है, उसके बीच और श्री मद्धेशिया के बीच 6 महीने पहले से कोई झगड़ा चल रहा था ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न को स्पष्ट करें ।

श्री कुबेर भंडारी—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि उनका और पुलिस का जो झगड़ा था उसकी सूचना उनके पास नहीं है । मंत्री जी ने बताया कि पत्रकार वहां गये थे तो पत्रकारों का दल वहां खड्डा क्यों गया था ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी अगर आपको समझ में आया हो तो जवाब दे दें ।

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं । मेरे पास तमाम पत्रों की प्रतियां हैं, संख्या और एकनालेजमेंट हैं जिन पत्रों का हवाला माननीय ओझा जी ने दिया उसकी कापियां भी मेरे पास हैं । तो क्या मंत्री जी इनको जांचकर्ता को संदर्भित करने की कृपा करेंगे ताकि जांच करने के समय इनका अवलोकन किया जा सके तथा पृष्ठभूमि का पता लग सके ? मैं इनको आपको दे दूंगा ।

श्री गुलाब सेहरा--

इसमें क्या एतराज है ? आप मुझे दे दें ।

जनपद मेरठ के पी0 सी0 एफ0 में 20 लाख रुपये के गबन के सम्बन्ध में दिनांक 19 अगस्त, 1982 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 (नत्थी 'ख') के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, यह प्रश्न तारांकित प्रश्न के रूप में किया गया था ।

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केवल आधे घंटे का समय है । आप संक्षेप में अपनी बात कहें । मंत्री जी भी उसके बाद अपनी बात कहेंगे अगर आवश्यकता हुयी तो प्रश्नों की इजाजत दी जायेगी ।

श्री हुकम सिंह--

तो इसमें पहले 20 लाख रुपये के घोटाले की बात कही गयी थी । जो अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर आये तो पता चला कि 61 लाख रुपये का घपला है । मान्यवर, मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 1 करोड़ 20 लाख रुपये का घपला प्रकाश में आ चुका है मेरठ की इस संस्था के बारे में । चूंकि एक या दो करोड़ रुपये के घपले सहकारी संस्थाओं के लिये समुद्र में एक बूंद के बराबर हैं, जहां हाथ डालिये वहां पर भ्रष्टाचार, घपला, इम्बेजिलमेंट के अलावा कुछ मिलता नहीं है । चाहे खारी-पोलीभीत में गेहूं खरीद का मामला हो, चाहे हल्द्वानी में जमीन का मामला हो तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज में जहां भी हाथ डालें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है । सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सहकारिता मंत्री जी किसी बात को गम्भीरता से लेने के लिये तैयार नहीं हैं । जवाब देते हैं कि कार्यवाही चल रही है, जांच चल रही है । कभी यह बताने का कष्ट नहीं करते हैं कि जांच से क्या तथ्य सामने आये ?

मेरठ जो हमारा पड़ोसी जनपद है वहां 1975 से लेकर 1981 तक के मामले प्रकाश में आये । आडिट होता रहा, आडिट रिपोर्ट यहां आती रही तो क्या आपने यह देखने का कष्ट किया कि जिन अधिकारियों ने बैलेंसशीट को स्वीकृति दी क्या उनका दोष नहीं है और आपने उनको क्या सजा दी ? वहां पर जो वरिष्ठ अधिकारी थे किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई सिवाय एक एकाउन्टेंट के । केवल सचिव पद के एक अधिकारी को आपने पकड़ा जो उस घपले के समय वहां पर नहीं था । मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस घपले में तमाम विभागीय अधिकारियों को बुलाया गया और उसके ऊपर तलवार लटका दी गयी । उनसे कहा जाता है कि आप जैसे भ्रष्ट अधिकारी यहां पर बैठा दिए गए हैं, अगर आप 20 हजार रुपया दे दें तो ठीक है वरना आपको इस मामले में दर्ज कर दिया जायेगा और जब वह अधिकारी यह राशि दे न सका तो उसको 9 दिन तक जेल में रहना पड़ा और आज वह सस्पेन्ड है । जबकि सच्चाई मान्यवर, यह है कि जिस समय यह गबन का मामला हुआ था उस समय वह अधिकारी वहां पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

था ही नहीं। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी करायेंगे कि उस दौरान जब घोटाला हुआ, तो कौन-कौन अधिकारी थे, चाहे वह एम0 डी0 के पद पर लखनऊ में हैं या मेरठ मे रहे हैं ? और एक निवेदन माननीय मंत्री जी से यह भी है कि वह कृपया मामले को गम्भीरता से लें औ कुछ वक्त इस विभाग को दे दें ताकि जानकारी समुचित रूप से सामने प्रकाश मेंरख सके।

*सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो मेरठ के गबन की बात कही है, इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि इस विषय पर आडिट चल रहा है और पुलिस में एफ0 आई0 आर0 भी लिखाई गयी है और अनुसंधान शाखा में इस मामले की छानबीन हो रही है और जांच के उपरान्त जो भी कर्मचारी व अधिकारी दोषी पाया जायेगा उसे कठोर से कठोर दन्ड दिया जायेगा, इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इस सिलसिले में मैं मेरठ गया था वहां देखा कि जिन अधिकारियों को मुअत्तल किया गया था या स्थानान्तरण किया गया, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो हमने वहां के सम्बन्धित अधिकारियों और डी0 एम0 को बुलाकर जानकारी की और यह आदेश दिए कि सम्बन्धित दोषी व्यक्ति को फौरन गिरफ्तार किया जाए, उन्हें किसी भी तरह छोड़ा नहीं जाए।

*श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने तो सारी कार्यवाही कर दी जैसे कि उनके उत्तर से ज्ञात हुआ सिर्फ एक बात और बता दें कि किन-किन अधिकारियों के हस्ताक्षर से वह बैलेन्स शीट बनकर लखनऊ आयी और लखनऊ में भी उस बैलेन्सशीट का अप्रूवल लखनऊ में भी हो गया, किस अधिकारी के हस्ताक्षर से, केवल यह बता दें ?

श्री बच्चा पाठक--

माननीय सदस्य ने उन अधिकारियों के नाम पूछे हैं जो इस मामले से सम्बन्धित हैं, इसमें जो जानकारी मिली है अभी तक उसमें श्री मेहताब सिंह, वर्तमान क्षेत्रीय प्रबन्धक, कानपुर और श्री आर0 पी0 अग्रवाल, श्री आर0 पी0 गर्ग, श्री आर0 के0 जैन, श्री जगदीश त्यागी तो यह लोग थे, जिनको स्थानान्तरित किया गया और अगर इनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही करनी होगी तो किया जायगा और साथ ही साथ विभागीय कार्यवाही निम्नलिखित के खिलाफ की गयी--

श्री मनोहर लाल (23-6-82), श्री गजराज सिंह (23-6-82), श्री दयाशंकर मिश्रा (23-6-82), श्री एस0 सी0 तनेजा (23-6-82), श्री सुरेन्द्र दत्त शर्मा (24-6-82), श्री रमेश चन्द्र गुप्ता (12-2-82)।

*श्री राज कुमार राय--

माननीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि जो भी गबन का दोषी मिलेगा, उसे निश्चित रूप से दन्डित करेंगे। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जब माननीय सहकारिता मन्त्री ने बताया कि आर0 पी0 गर्ग को आगरा, मेहताब सिंह को कानपुर और आर0 पी0 अग्रवाल को हल्द्वानी स्थानान्तरित कर दिया है तो यह जो सारे रीजनल मैनेजर्स हैं, यह डेपुटेशन पर हैं और रीजनल आफिसर्स

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज कुमार राय—]

के वेतनक्रम के आदमी नहीं हैं और इतना बड़ा घोटाला जो 61·65 लाख रु0 का घोटाला हुआ है, तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि स्थानान्तरण कर दिया है तो आगरा जैसी बड़ी जगह पर आर0 पी0 गर्ग का स्थानान्तरण किया है, कानपुर जैसी महानगरी और इंडस्ट्रियल सिटी में आर0 पी0 अग्रवाल का स्थानातरण किया है और मेहताब सिंह को हल्द्वानी स्थानान्तरित किया है, जहां पर कि सोयाबीन का एक बहुत बड़ा प्लान्ट लगने जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

इसका कोई अभिप्राय नहीं है, आप प्रश्न करें।

श्री राज कुमार राय—

मैंने लिखित रूप से विधान सभा में प्रश्न किए थे और इसीलिए पिछली सरकार ने सारी वितरण व्यवस्था सहकारिता के बल पर की थी, लेकिन मेरठ के पी0 सी0 एफ0 के एम0 डी0 ब्रजेश कुमार को मिलाकर बल्क कन्ज्यूमर गुड्स प्राइवेट लोगों को दे दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब वितरण सहकारिता को दे रहे हैं तो ऐसी जगह पर उसको एलाऊ क्यों किया और विधान सभा में कहते हैं कि जांच चल रही है ?

श्री अध्यक्ष—

आप भाषण न दें।

श्री राज कुमार राय—

(अत्यन्त आवेश में आते हुए)

मैं जानता हूं कि इस मामले को, जो इतना गम्भीर है 67 से 76 तक सवा करोड़, डेढ़ करोड़ का घोटाला पी0 सी0 एफ0 में था, 76 से 81 तक 61·65 करोड़ का कर चुके हैं और किसी भी अधिकारी को दन्डित नहीं किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सी0 बी0 आई0 से या हाउस की एक सब-कमेटी बनाकर जांच करायेंगे ?

श्री बच्चा पाठक—

रोष में आने से कोई काम नहीं चलने वाला है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सफलता प्राप्त की है, मैं समझता हूं कि वह निजी लोगों के हाथों में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, नहीं हुई, जो आज सहकारिता के माध्यम से हुई। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो जिला प्रबन्धक सम्बन्धित पाए गए, उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी।

मैंने अभी कहा है कि जो भी चाहे कितना ही बड़े से बड़ा अधिकारी हो, अगर वह दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि साधन सहकारी समितियों से लेकर लखनऊ की केन्द्रीय समिति तक चारों तरफ भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1980-81 हर साल गबन हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि जब 1976-77 में गबन का मामला हुआ और वह प्रकाश में आया तो इतने दिनों के बाद एफ0 आई0 आर0 क्यों लिखायी गयी, उसी समय तुरन्त कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)---

मैं देख रहा हूं कि कुछ भ्रम है। जब बैलेन्सशीट बनती है आडिटर की सहमति से, फिर एक केन्द्रीय आडिट सेल उसका आडिट करता है, और उसके बाद ही जब मामला प्रकाश में आता है तभी तो कार्यवाही की जायेगी। सहकारिता मंत्री जी ने अभी आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल---

कल ही अखबार में एक सहकारिता विभाग की खबर यह छपी है की हमने इतने-इतने लोगों को सस्पेण्ड किया और इतनों के खिलाफ मुकदमें दायर किए मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े अधिकारियों को आपने नोटिस दिया है वह कब दिया, उसके कितने दिनों के बाद उन्होंने जवाब दिया और आपने उनके खिलाफ कब कार्यवाही की ?

श्री बच्चा पाठक---

यह तो जांच चल रही है, उसके बाद ही बताया जा सकेगा कि कौन दोषी पाया गया और किसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकम सिंह---

अध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि माननीय सहकारिता मंत्री जी ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने केवल दो शब्दों को रट लिया है कि जो भी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

सन् 1976 में गबन का मामला हुआ और आज सन् 1982 का अगस्त का महीना भी समाप्त होने जा रहा है। मंत्री जी ने एक तलवार विभाग के : पर लटका दी है। हमें वे कृपया इतना बतला दें कि जो भी बड़े अधिकारी इसमें रहे हैं, क्या उनका कोई क्रिमिनल इन्वालमेंट भी पाया गया है या नहीं सी0 आई0 डी0 की जांच में या विभागीय जांच में ? यदि पाया गया तो उनके नाम बताने का कष्ट करें।

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, यह तो अभी जांच चल रही है और जांच के बाद जो दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें कहीं लेकिन अगर मैं एक बात कह दूं कि सवाल से ही जाहिर है कि जितना बड़ा घोटाला माननीय सदस्य के राज में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। उस जमाने में आडिट सेल नहीं था। अभी अभी 1980-81 का घोटाला भी प्रकाश में आया है।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
26 अगस्त, 1982

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 960 पर ।)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	खोले गये उपकेन्द्रों के नाम
1	2
दोहरीघाट	1—मुख्य केन्द्र
	2—भैंसा खड़क
	3—गोठा
	4—सियरही बरजोला
	5—पिड़सुई अभिलाषपुर
	6—रौंदा भगवानपुर
	7—बोरोली खुर्द
	8—रसूलपुर
	9—सूरजपुर
	10—बेला कसेली
	11—मोहम्मदपुर
	12—करौंदी नारायणपुर
	13—सिकरी कोल
	14—जजौली
	15—मैरोपुर
	16—बुधाकर
	17—बेलोसी सोन वर्षा
	18—खरेचा
	19—सिसवा
	20—चकमन उर्फ दरगाह
	21—सरैवा मेंहदीपुर
घोसी	1—मुख्य केन्द्र
	2—सियाह
	3—सराय गनेहा
	4—मझवारा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
	5—कल्यानपुर
	6—बड़ा गांव
	7—अकोही
	8—नदवल
	9—मुंगेश्वर
	10—बीबीपुर
	11—मुगमास
	12—रघौली
	13—कारी साथ
	14—ओमडीह
	15—इटौरा डोरीपुर
	16—सियाह इब्राहिमपुर
	17—लखनी मुबारकपुर
	18—न्डिवल
फतेहपुर मण्डाव	1—मुख्य केन्द्र
	2—गाजियापुर
	3—परसिया जयराम गिरि
	4—दुवारी
	5—धरमपुर विशुनपुर
	6—मधुवन
	7—लक्ष्मीपुर
	8—लौवा साथ
	9—कटघर शंकर
	10—मोरपुर दरियाबाद
	11—बनपोखराव
	12—लखनौर
	13—मरियादपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
	14—लखनौर
	15—बेलौली
	16—नीमडाड
	17—परसुपुर
	18—कमलासागर
	19—रसूल आदमपुर उर्फ रामपुर
	20—काठ तराव
	21—मौलानापुर
	22—केसवपुर सुल्तानपुर
	23—बहादुरपुर
	24—डिलही फिरोजपुर
बडरांव	1—मुख्य केन्द्र
	2—हरघौली
	3—मोहम्मदाबाद (सिया)
	4—महमूदपुर कुसमहरा
	5—हिमाद
	6—अमिला
	7—भुवनी बुजुर्ग
	8—चिरई डोड
	9—पिडवा पंसपुर
	10—पिकडी बुजुर्ग
	11—भीषमपुर
	12—मिश्रौली
	13—नदवाखास
	14—चन्द्रापार
	15—मियांटाल
	16—करनपुर
	17—अमितादाऊन
	18—बोझी
	19—मानिकपुर

उत्तर प्रदेश सभा

1	2
	20—कटियारी बुजुर्ग
	21—सुल्तानपुर
	22—भटकेला
	23—भेलउर
कोपाजंज	1—मुख्य केन्द्र
	2—मेलाबाग
	3—लेरो बेरवार
	4—कसरा
	5—शाहपुर
	6—अलीनगर
	7—डन्डी खास
	8—इन्दारा
	9—अदरी
	10—लाडनपुर
	11—शाहरोज
	12—कुर्थी जाफरपुर
	13—पारा जहानपुर
	14—एथौरा
	15—कोपारियापार
	16—डेंडगोली
	17—बाराचौर
	18—हमीरपुर
	19—फतहपुर
	20—धौरिया साथ
	21—चोरिया खुर्द
	22—मीरपुर रहिमाबाद
	23—मावंर कोल

पी0 एस0 यू0 पी0—35 वि0 सभा—16-9-82—(पी0 डी0)।

विधान सभा